सप्तममाला, खंड 29, अंक 1   गुरुवार, 8 जुलाई 1982/17 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(नौवां सत्र)

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 8 जुलाई, 1982/17 आषाढ़, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 86, पंक्ति 3, सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "41" के स्थान पर "42" पढ़िये ।

पृष्ठ 105, पंक्ति 12, सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "73" के स्थान पर "75" पढ़िये ।

पृष्ठ 254, पंक्ति 9, "पेट्रियर" के स्थान पर "पेट्रियट" पढ़िये !

विषय-सूची

अंक 1, गुरुवार, 8 जुलाई, 1982/17 आषाढ़, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
..सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	1—24
शपथ या प्रतिज्ञान	24
निधन संबंधी उल्लेख	24—27
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	27—43
*तारांकित प्रश्न संख्या 1, 2, 4 तथा 5	
.लखित उत्तर :	43—194
*तारांकित प्रश्न संख्या 3 तथा 6 से 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 48, 50, 51, 53 से 144, 146 से 152, 154 से 170 तथा 172 से 210	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	194—207
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	207—223
उड़ीसा में आये भीषण समुद्री तूफान का समाचार तथा प्रभावित क्षेत्रों में किये गये राहत कार्य	
श्री वृद्धिचन्द्र जैन	207
राव वीरेन्द्र सिंह	211
श्री रशीद मसूद	213
श्री राम स्वरूप राम	216
श्री हरिकेश बहादुर	219
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	223
श्री देवीलाल	
राज्यों द्वारा अधिविकर्षों (ओवरड्राफ्टों) के बारे में वक्तव्य	223—225
श्री प्रणव मुखर्जी	
निर्माण श्रमिकों के कल्याण के बारे में चर्चा का उत्तर देते हुए दी गई सूचना में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	226
श्री भागवत झा आजाद	
नियम 377 के अधीन मामले	227—234
(एक) पुलिस आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों की सिफारिशों की क्रियान्विति	227

*किसी नाम पर अंकित यह † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री रशीद मसूद	
(दो) प्राचीन स्मारकों के रखरखाव के लिये पृथक मंत्रालय बनाने और एक निश्चित नीति अपनाने की आनश्यकता	227
श्री भीखा भाई	
(तीन) नदियों के जल और वायु के प्रदूषण को रोकने के लिये उपाय करने की आवश्यकता	228
श्री के० लकप्पा	
(चार) उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों की बिगड़ती आर्थिक दशा	229
श्री जैनुल बशर	
(पांच) बिहार में आटा मिलों को गेहूं का कम कोटा दिये जाने के कारण उनके बंद होने का समाचार	230
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	
(छः) बिहार के चावल और गेहूं के कोटे में कथित कमी	230
श्री रामावतार शास्त्री	
(सात) राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार श्री एच० आर० खन्ना के टेलीफोन का कथित अन्तःक्षेप	231
प्रो० मधु दण्डवते	
(आठ) अकाल राहत कार्यों के लिये राजस्थान सरकार को अधिक तथा तुरन्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	233
श्री अशोक गहलोत	
(नौ) राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचन में संघ राज्य-क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार देने हेतु संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता	233
श्री एडुआर्डो फैलीरो	
(दस) उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिये उपाय करने की आवश्यकता	234
श्री हरीश कुमार गंगवार	
नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1980 विचार करने का प्रस्ताव	234—236
श्री बी० शंकरानन्द	
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों पर किये जा रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा	237—307
श्री राम विलास पासवान	237
श्री जैनल बशर	247
श्री सोमनाथ चटर्जी	251
श्री राम स्वरूप राम	258

विषय	पृष्ठ
श्री सूरजभान	261
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	267
श्री सी० टी० दंडपाणि	270
श्री चन्द्र शेखर सिंह	274
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी	278
श्री आर० आर० भोले	285
श्री पी० के० कोडियन	287
श्री सुन्दर सिंह	287
श्री जयपाल सिंह कश्यप	292
श्री हीरालाल आर० परमार	294
श्री जगपाल सिंह	296
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	297
श्री आर० वेंकटरामन	298

लोक-सभा

खण्ड 29 सातवीं लोक-सभा के नौवें सत्र का पहला दिन संख्या 1

गुरुवार, 8 जुलाई, 1982/17 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लोक-सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

सप्तम लोक-सभा

अ

अंकिनीडू, श्री एम० (मछलीपटनम)

अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी० (बापतला)

अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)

अजीत प्रसाद सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अनवर अहमद, श्री (हापुड़)

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद (बिलासपुर)

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)

अब्दुल समद, श्री (बैल्लौर)

अब्दुला, डा० फारूक (श्रीनगर)

अब्बासी, श्री काजी जलील (डुमरियागंज)

अमरीन्द्र सिंह, श्री (पटियाला)

अर्जुनन, श्री के० (धर्मपुरी)

अराकल, श्री जेवियर (एरणाकुलम)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस (नरसापुर)

अशफाक हुसैन, श्री (महाराजगंज)

अहमद, बेगम आबिदा (बरेली)

अहमद, श्री गुलशेर (सतना)

अहमद, श्री मोहम्मद असरार (बदायूं)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (वारंगल)

अहिरवार, श्री रामप्रसाद (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, डा० ए० यू० (जौनपुर)

आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

आर्य, श्री कुम्भा राम (सीकर)

इ

इन्द्रवेश, स्वामी (रोहतक)

इन्द्राकुमारी, श्रीमती (अलीगढ़)

इम्बी चीबाबा, श्री ई० के० (कालीकट)

ई

ईरा अनबारासु, श्री (चिंगलपट्टू)

ईरा मोहन, श्री (कोयम्बटूर)

उ

उइके, श्री छोटे लाल (मांगला)

उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडगा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

एक्का, श्री क्रिस्टोफर (सुन्दरगढ़)

क

कंडास्वामी, श्री एम० (त्रिरुचेंगोडे)

कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)

कर्मा, श्री लक्ष्मण (बस्तर)

करुणानिधि, श्री थाझाई एम० (नागापट्टिनम)

कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)

कश्यप, श्री जयपाल सिंह (आंवला)

काजी सलीम, श्री (औरंगाबाद)

कादरी, श्री एस० टी० (शिमोगा)

कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)

काहनडोल, श्री जेड० एम० (मालेगांव)

किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)

कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)

कुंवर राम, श्री (नवादा)

कुन्हम्बू, श्री के० (कान्नानोर)

कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)

कुलनदईवेलु, डा० वी० (चिदम्बरम)

कृष्ण, श्री एस० एम० (माण्डया)

कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री (महाराजगंज)

केन, श्री लाला राम (बयाना)

केयूर भूषण, श्री (रायपुर)

कैलाशपति, श्रीमती (मोहनलालगंज)

कोचक, श्री गुलाम रसूल (अनन्तनाग)

कोडियन, श्री पी० के० (अडूर)

कोसलराम, श्री के० टी० (त्रिरुचेंडूर)

कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)

कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

ख

खां, श्री आरिफ मोहम्मद (कानपुर)

खां, श्री गयूर अली (मुजफ्फरनगर)

खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)

खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)

खां, श्री मलिक एम० एम० ए० (एटा)

खां, श्री महमूद हसन (बुलन्दशहर)

ग

गंगवार, श्री हरीश कुमार (पीलीभीत)

गधावी, श्री भेरावदन के० (बनासकांठा)

गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)

गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)

गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)

गांधी, श्रीमती इन्दिरा (मेडक)

गांधी, श्री राजीव (अमेठी)

गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गायकवाड़, श्री आर० पी० (बड़ौदा)

गायत्री देवी, श्रीमती (कैराना)

गावित, श्री मानिकराव होडल्य (नन्दरबार)

गिरी, श्री सुधीर (कन्टई)

गिरिराज सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

गुफरान आजम, श्री (बेतुल)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)

गौजागिन, श्री एन० (बाह्य मणिपुर)

गोपालन, श्रीमती सुशीला (अलप्पी)

गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)

गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)

गौंडार, श्री ए० सेनापति (पलानी)

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)

गौड़ा, श्री डी० एम० पुत्ते (चिकमंगलूर)

घ

घोरपाड़े, श्री आर० वाई० (बेल्लारी)

घोष, श्री नीरेन (दमदम)

घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी (नवद्वीप)

च

चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चन्द्रशेखर सिंह, श्री (बांका)

चक्रधारी सिंह, श्री (सरगुजा)

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन (कलकत्ता दक्षिण)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)

चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (दावनगेरे)

चरणजीत सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)

चरण सिंह, श्री (बागपत)

चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)

चव्हाण, श्री एस० बी० (नांदेड़)

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडा भाई (आनन्द)

चिंगवांग कोनयक, श्री (नागालैंड)

चिन्नस्वामी, श्री सी० (गोबिचेट्टिपलयम)

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (माल्दा)

चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव (एलुरु)

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश (अमरावती)

चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)

चौधरी, श्री मोती भाई आर० (मेहसाना)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)

चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

चौहान, श्री फतहभान सिंह (धार)

छ

छांगुर राम, श्री (लालगंज)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)

जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)

जाखड़, श्री बलराम (फिरोजपुर)

जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)

जदेजा, श्री दौलत सिंह जी (जालन्धर)

जमीलुर्रहमान, श्री (किशनगंज)

जयदीप सिंह, श्री (गोधरा)

जयनुल आबेदीन, श्री (जंगीपुर)

जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)

जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर पश्चिम)

जैना, श्री चिंतामणि (बालासोर)

जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)

जैन, श्री भीकूराम (चांदनी चौक)

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाडमेर)

जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

जैल सिंह, श्री (होशियारपुर)

झ

झा, श्री कमलनाथ (सहरसा)

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झारखंडेराय, श्री (घोसी)

ट

टण्डन, श्री प्रभुनारायण (दमोह)
टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टुडु, श्री मनमोहन (मयूरभंज)

ठ

ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह (खंडवा)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डूंगर सिंह, श्री (हमीरपुर)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (जम्मू)

त

तपेश्वर सिंह, श्री (बिक्रमगंज)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश (इलाहाबाद)
तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, श्री रामगोपाल (जंजगीर)
तुर, श्री लहना सिंह (तरनतारन)
तेइयेंग, श्री सोबेंगे (अरुणाचल पूर्व)
तैयब हुसैन, श्री (फरीदाबाद)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायम)
थूगोन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, श्रीमती प्रमिला (बम्बई उत्तर-मध्य)
दंडवते, प्रो० मधु (रोजापुर)
दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दंडपाणि, श्री सी० टी० (पोल्लाची)
दाभी, श्री अजीत सिंह (कैरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)
दुबे, श्री बिन्देश्वरी (गिरिडीह)
दुबे, श्री रामनाथ (बांदा)
देव, श्री बी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)
देव. श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देसाई, श्री बी० वी० (रायचूर)

ध

धोते, श्री जाम्बुवंत (नागपुर)

न

नन्दी येल्लैया, श्री (सिद्दीपेट)
नगीना राय, श्री (गोपालगंज)

नयनगोम मोहेन्द्रा, श्री (आन्तरिक मणिपुर)

नागरत्नम, श्री टी० (श्री पेरंबदूर)

नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)

नायर, श्री बी० के० (क्विलोन)

नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)

नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तूर)

नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)

नाहटा, श्री बी० आर० (मन्दसौर)

नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)

निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)

निहाल सिंह, बाला श्री जी० एस० (संगरूर)

नाडार, श्री ए० नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम)

नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंडित, डा० बसन्त कुमार (राजगढ़)

पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)

पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)

पट्टाभिरामा राव, श्री एम० बी० पी० (राजमुन्द्री)

पत्तुस्वामी, श्री डी० (वन्डावाशी)

पटेल, श्री अमृत (गांधीनगर)

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद (भड़ौच)

पटेल, श्री उत्तमभाई एच० (बलसार)

पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)

पटेल, श्री मोहनलाल (जूनागढ़)

पटेल, श्री शान्तुभाई (साबरकंठा)

पदायाची, श्री एन० एस० रामास्वामी (तिण्डीवनम)

पनिका, श्री रामप्यारे (राबर्ट्सगंज)

परमार, श्री हीरालाल आर० (पाटन)

परांजपे, श्री बाबूराव (जबलपुर)

पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)

परुलेकर, श्री बाबूसाहिब (रत्नगिरि)

पलानीअप्पन, श्री सी० (सलेम)

पवार, श्री बालासाहिब (जालना)

पाइलट, श्री राजेश (भरतपुर)

पाटिल, श्री ए० टी० (कोलाबा)

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे (अहमदनगर)

पाटिल, श्री जगन्नाथ शिवराम (ठाणे)

पाटिल, श्री बसन्तराव (सांगली)

पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)

पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री वीरेन्द्र (बागलकोट)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)

पांडे, श्री केदार (बेतिया)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)

पारधी, श्री केशवराव (भंडारा)

पाल, प्रो० रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुलैया, श्री दारूर (अनंतपुर)

प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन (चिकबल्लापुर)

प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

पेंचालैया, श्री पसाला (तिरुपति)

पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

फ

फर्नाण्डीस, श्री ओस्कर (उंदीपी)

फर्नाण्डीस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फुलवारिया, श्री विरदा राम (जालोर)

फेलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)

बहुगुणा, श्री हेमवती नंदन (गढ़वाल)

बंसीलाल, श्री (भिवानी)

बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)

बेरवा, श्री बनवारीलाल (टोंक)

बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक)

बरार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर (फरीदकोट)

बरोट, श्री मगनभाई (अहमदाबाद)

बहेरा, श्री रामबिहारी (कालाहांडी)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बाग, श्री अजित (सीरमपुर)

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बागुन, सुम्बरूई, श्री (सिंहभूम)

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)

बालन, श्री ए० के० (ओट्टापालम)

बालानन्दन, श्री ई० (मुकुन्दपुरम)

बालेश्वर राम, श्री (रोसेड़ा)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बीरेन्द्र सिंह, श्री राव (महेन्द्रगढ़)

बूटासिंह, श्री (रोपड़)

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री (सम्भल)

बैठा, श्री डूमरलाल (अररिया)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित—आंगल-भारतीय)

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव (श्रीकाकुलम)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)

भगत, श्री बी० आर० (सीतामढ़ी)

भगवानदेव, आचार्य (अजमेर)

भट्टाचार्य, श्री सुशील (बर्दवान)

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भारद्वाज, श्री पारसराम (सारंगढ़)

भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा)

भीमसिंह, श्री (झुन्झुनू)

भूरिया, श्री दलीपसिंह (झाबुआ)

भोई, डा० कृपासिंधु (सम्बलपुर)

भोये, श्री रेशमा मोतीराम (घुले)

भोले, श्री आर० आर० (बम्बई दक्षिण-मध्य)

म

मकवाना, श्री नरसिंह (ढंढुका)

मण्डल, श्री मकुन्द (मथुरापुर)

मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मण्डल, श्री धनिकलाल (झंझारपुर)

मणि, श्री के० बी० एस० (पेरम्बलूर)

मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)

मन्नीलाल, श्री (हरदोई)

माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)

मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्ग)

मावणि, श्री रामजी भाई (राजकोट)

मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)

महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)

महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)

महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)

महाटा, श्री चित (पुरलिया)

महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महाला, श्री आर० पी० (दादर तथा नगर हवेली)

महेन्द्र प्रसाद, श्री (जहानाबाद)

माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)

मायातेवर, श्री के० (डिन्डिगल)

मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)

मल्लु, श्री अंनन्त रामुलु (नगरकुरनूल)

मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)

मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)

मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मिश्र, श्री हरिनाथ (दरभंगा)

मिश्र, श्री गार्गी शंकर (सिवनी)

मीणा, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पसकुरा)

मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद (बहराइच)

मुत्तंकबार, श्री विलास (चिमूर)

मुथुरकुमारन, श्री आर० (कुड्डालौर)

मुन्डाकल, श्री जार्ज, जोसफ (मुक्तुपुजा)

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (अमालापुरम)

मुरुगैयन, श्री एस० (तिरुपत्तूर)

मुल्तान सिंह, चौधरी (जलेसर)

मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर (मैसूर)

मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, डा० महीपत राय एम० (कच्छ)

मैत्रा, श्री सुनील (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)

मोदक, श्री विजय (आरामबाग)

मोरे, श्री रामकृष्ण (खेड़)

मोहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)

मोहिते, श्री यशवन्त राव (कराड़)

मोहसिन, श्री एफ०एच० (धारवाड़ दक्षिण)

य

याजदानी,डा० गोलम (रायगंज)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)

यादव, श्री आर० एन० (परभणी)

यादव, श्री रामसिंह (अलवर)

यादव, श्री विजयकुमार (नालन्दा)

यादव, श्री सुभाष चन्द्र (खरगोन)

युसुफ, श्री मोहम्मद (सिवान)

र

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुन्टूर)

रवाणी, श्री नवीन (अमरेली)

रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)

रहीम, श्री ए० ए० (चिरयिन्किल)

राउत, श्री भोला (बगहा)

राकेश श्री आर० एन० (चैल)

राजदा, श्री रत्नसिंह (बम्बई दक्षिण)

राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)

राजमल्लू, श्री के० (पेद्दापल्लि)

राजू, श्री पी० वी० जी० (बोबिली)

राजेश कुमार सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

रणजीत सिंह, श्री (चतरा)

रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)

रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)

राठवा, श्री अमरसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौर, श्री उत्तम (हिंगोली)

राणे, श्रीमती संयोगिता (पणजी)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री रामस्वरूप (गया)

राम किंकर, श्री (बाराबंकी)

राम लिंगम, श्री एन० कुदन्तई (मयूरम)

राममूर्ति, श्री के०(कृष्णगिरि)

रामुलु, श्री एच० जी० (कोप्पल)

राय, श्री ए० के० (धनबाद)

राय, श्री एम० रामन्ना (कासरगोड)

राय, श्री रामायण (देवरिया)

राय, श्री ए० सरदीश (बोलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)

राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)

राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)

राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)

राव, श्री जलगांव कोन्डला (खम्मम)

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)

राव, श्री एम० नागेश्वर (तेनालि)

राव, श्री पी० वी० नरसिंहा (हनमकोंडा)

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह (अलमोड़ा)

राही, श्री रामलाल (मिसरिख)

रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)

रौत, श्री जयनारायण (सलूम्बर)

रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री के० ओबुल (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री टी० दामोदर (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री पी० वेंकट (ओंगोल)

रोथुआमा, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (टुमकुर)

लक्ष्मणन्, श्री जी० (मद्रास उत्तर)

लस्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)

लारेंस, श्री एम० एम० (इदुक्की)

व

व्यास, श्री गिरधारीलाल (भीलवाड़ा)

वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)

वर्मा, श्री जयराम (फैजाबाद)

वर्मा, श्री दीनबन्धु (उदयपुर)

वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)

वर्मा, श्रीमती उषा (खेरी)

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)

वर्मा, श्री रवीन्द्र (बम्बई उत्तर)

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)

वर्मा, श्री शिवचरण (मछलीशहर)

वाघ, डा० प्रताप (नासिक)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री बी० एस० (पालघाट)

वीरभद्र सिंह, श्री (मण्डी)

विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)

वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी० (नन्दयाल)

वेलू, श्री एम० एम० (अर्कोनम)

वैराले, श्री मधु सूदन (अकोला)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)

शनमुगम, श्री पी० (पांडिचेरी)

शमन्ना, श्री टी० आर० (बंगलौर दक्षिण)

शर्मा, श्री कालीचरण (भिण्ड)

शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)

शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)

शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)

शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (झांसी)

शर्मा, डा० शंकरदयाल (भोपाल)

शाक्य, श्री दयाराम (फर्रूखाबाद)

शाक्य, श्री रामसिंह (इटावा)

शाक्यवार, श्री नाथूराम (जालौन)

शास्त्री, श्री धर्मदास (करोलबाग)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)

शिगंडा, श्री डी० बी० (दहानू)

शिवप्रकाशम्, श्री डी० एस० ए० (तिरुनेलवेली)

शिवशंकर, श्री पी० (सिकन्दराबाद)

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)

शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)

शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

स

संखवार, श्री आशकरन (घाटमपुर)

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षदीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सत्यदेवसिंह, प्रो० (छपरा)

सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के० (रामनाथपुरम)

सतीश प्रसाद सिंह, श्री (खगरिया)

समीनुद्दीन, श्री (गोड्डा)

साठे, श्री वसन्त (वर्धा)

सारण, श्री दौलतराम (चुरू)

सांरगी, श्री आर० जी० (जमशेदपुर)

सावंत, श्री टी० एम० (उस्मानाबाद)

साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)

साही, श्रीमती कृष्ण (बेगूसराय)

साहू, श्री नारायण (देवगढ़)

साहू, श्री शिवप्रसाद (रांची)

सिंगारावाडीवेल, श्री एस० (तंजाबुर)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिन्हा, श्रीमती किशोरी (वैशाली)

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी (राजगढ़)

सिंह, श्री धर्मवीर (बाढ़)

सिंह, श्री सी० पी० एन० (पदरौना)

सिंह, डा० बी० एन० (हजारीबाग)

सिंह, श्री धर्मवीर (शाहबाद)

सिंह, श्री बी० डी० (फूलपुर)

सिंहदेव, श्री के० पी० (ढकानाल)

सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)

सुखवन्त कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)

सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)

सुन्दरसिंह, श्री (फिल्लौर)

सुब्बा, श्री पी० एम० (सिक्किम)

सुब्बुरमण, श्री ए० जी० (मदुरै)

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सूरजभान, श्री (अम्बाला)

सूर्यनारायणसिंह, श्री (बलिया)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मेजेरी)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेठी, श्री पी० सी० (इन्दौर)

सेन, श्री ए० के (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री सुबोध (जलपाईगुडी)

सेबस्तियन, श्री ए० ए० दोराई (करूर)

सेलवाराजू श्री एन० (तिरुचिरापल्ली)

सैनी, श्री मनोहरलाल (कुरुक्षेत्र)

सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)

सोरन, श्री शिबू (दुमका)

सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)

सोलंकी, श्री नटवरसिंह (कापड़गंज)

सोलंकी, श्री बाबूलाल (मुरैना)

स्टीफन, श्री सी० एम० (गुलबर्गा)

स्पैरो, श्री आर० एस० (जालन्धर)

स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तर-पूर्व)

स्वामी, श्री के० ए० (विशाखापत्तनम)

स्वामीनाथन, श्री आर० बी० (शिवगंगा)

स्वामीनाथन, श्री बी० एन० (पुद्दकोट्टई)

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलबेरिया)

हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)

हसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)

हाकमसिंह, श्री (भटिंड़ा)

हाल्दार, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)

होरो, श्री एन० ई० (खूंटी)

क्ष

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई (बीड)

त्र

त्रिपाठी, श्री कमलापति, (वाराणसी)

त्रिपाठी, श्री रामनारायण (बिल्हौर)

त्रिलोकचन्द, श्री (खुर्जा)

———

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री जी० लक्ष्मणन्

सभापति तालिका

श्री गुलशेर अहमद

श्री सोमनाथ चटर्जी

श्री हरिनाथ मिश्र

श्री के० राजामल्लू

श्री चन्द्रजीत यादव

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

———

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री (वे सभी मंत्रालय/विभाग जो नीचे विनिर्दिष्ट नहीं है) श्रीमती इन्दिरा गांधी

वित्त मंत्री	—	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
विदेश मंत्री	—	श्री पी० वी० नरसिंहा राव
संचार मंत्री	—	श्री सी० एम० स्टीफन
रक्षा मंत्री (इसके अतिरिक्त अस्थायी रूप से गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री)	—	श्री आर० वेंकटरामन्
ऊर्जा मंत्री	—	श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी
योजना मंत्री	—	श्री एस० बी० चव्हाण
विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री	—	श्री जगन्नाथ कौशल
सिंचाई मंत्री	—	श्री केदार पांडे
नौवहन और परिवहन मंत्री	—	श्री वीरेन्द्र पाटिल
सूचना और प्रसारण मंत्री	—	श्री वसन्त साठे
रेल मंत्री	—	श्री प्रकाश चन्द्र सेठी
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री	—	श्री शिव शंकर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	—	श्री बी० शंकरानन्द
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	—	श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री	—	श्री भीष्म नारायण सिंह
कृषि तथा ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्री	—	श्री राव वीरेन्द्र सिंह
उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	—	श्री नारायण दत्त तिवारी

राज्य मंत्री

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	—	श्री जैड० आर० अंसारी
श्रम मंत्रालय में (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	—	श्री भागवत झा आजाद
उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री	—	श्री चरणजीत चानना
शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	—	श्रीमती शीला कौल
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	—	श्री सीता राम केसरी
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालयों में राज्य मंत्री	—	श्री खुर्शीद आमल खान

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	—	श्री निहार रंजन लस्कर
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	—	श्री विक्रम महाजन
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	—	श्री योगेन्द्र मकवाना
ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री	—	श्री गार्गी शंकर मिश्र
वाणिज्य मंत्रालय में (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	—	श्री शिवराज वी० पाटिल
विधि, न्याय और कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री	—	श्री ए० ए० रहीम
कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री	—	श्री बालेश्वर राम
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	—	श्री सी० के० जाफर शरीफ
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मंत्री	—	श्री बूटा सिंह
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री	—	श्री सी० पी० एन० सिंह
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	—	श्री दलबीर सिंह
उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री	—	श्रीमती राम दुलारी सिन्हा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	—	श्री सवाई सिंह सिसोदिया
कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री	—	श्री आर० वी० स्वामीनाथन्
गृह मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	—	श्री पी० वेंकट सुब्बय्या

उप मंत्री

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री	—	श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ
रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री	—	श्री के० पी० सिंह देव
श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री	—	श्री धर्मवीर
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री	—	श्री गिरिधर गोमांगो
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री	—	कु० कुमुदबेन एम० जोशी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री	—	श्री आरिफ मोहम्मद खान

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री	—	कु० कमला कुमारी
रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री	—	श्री मल्लिकार्जुन
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री	—	श्री बृजमोहन मोहन्ती
संचार मंत्रालय में उप मंत्री	—	श्री विजय एन० पाटिल
वित्त मंत्रालय में उप मंत्री	—	श्री जनार्दन पुजारी
संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री	—	श्री कल्प नाथ राय
इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री	—	श्री एम० एस० संजीवी राव
वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री	—	श्री पी० संगमा
शिक्षा तथा संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	—	श्री पी० के० थुंगन

अध्यक्ष महोदय : आपका स्वागत है ।

शपथ या प्रतिज्ञान

श्री जगन्नाथ शिवराम पाटिल [ठाणे]

श्री लालाराम केन [(बयाजा अ० जा०)]

श्री दीनबन्धु वर्मा [उदयपुर]

श्रीमती सुमति उरांव [लोहारडगा (अ० ज० जा)]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप महिलाओं को दूर से ही नमस्कार करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो बिल्कुल ही नहीं करते । हमें बड़ों से कुछ सीख लेनी चाहिए ।

श्री बाबूराव परांजपे [जबलपुर]

श्री अमल दत्त [डायमंड हार्बर]

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा [गढ़वाल]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, लगभग दो महीने के अन्तराल के बाद इस सभा की बैठक शुरू होते ही मैं सभा को वर्तमान सदस्यों सर्वश्री मालदेवजी एम० उडेदरा तथा श्री कुमकुम

एन० नटराजन और सात भूतपूर्व सदस्यों अर्थात् सर्वश्री हीरावल्लभ त्रिपाठी, पी० टी० थानु पिल्लै, सत्यनारायण सिंह, राधा रमण, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, श्रीनारायण दास और सांरगधर सिन्हा के दुखद निधन की सूचना देता हूं।

श्री मालदेव एम० उडेदरा गुजरात के पोरबन्दर निर्वाचन-क्षेत्र के सदस्य थे। उससे पहले वह 1952 में सौराष्ट्र विधान सभा के, 1957 में बम्बई विधान सभा के, और 1962 और 1972 में गुजरात विधान सभा के सदस्य बने थे। वह गुजरात राज्य सरकार में 1960-64 और 1965-67 में पहले उपमंत्री और बाद में वित्त और वन तथा मत्स्यपालन विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे।

वह एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे और गुजरात राज्य सरकार की अनेक समितियों से सम्बद्ध रहे थे।

9 मई, 1982 को 64 वर्ष की आयु में बम्बई में उनका निधन हो गया।

श्री कुमकुम एन० नटराजन तमिलनाडु के पेरियाकुलम निर्वाचन-क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे। वह एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता थे और कमजोर वर्ग के उत्थान में लगे रहे। वह सभा की कार्यवाही में, विशेषकर ग्रामीण गरीबों की समस्याओं में, गहरी दिलचस्पी लेते थे। मदुराई में 30 जून, 1982 को 41 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

श्री हीरावल्लभ 1950-57 के दौरान अस्थाई संसद के और उत्तर प्रदेश के मुज्जफरनगर (दक्षिण) निर्वाचन क्षेत्र के प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1957-72 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और अनेक बार जेल गये।

वह एक वकील तथा एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे और अनेक सामाजिक तथा श्रम संगठनों से सम्बद्ध थे।

एक सांसद के नाते सभा की कार्यवाही में उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली।

26 अप्रैल, 1982 को 80 वर्ष की आयु में कनखल (हरद्वार) में उनका निधन हो गया।

श्री पी० टी० थानु पिल्लै 1952-62 के दौरान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के नाते वह हरिजन कल्याण, मजदूर तथा विद्यार्थी संघों के कार्यों में लगे रहे। उन्होंने विदेशों में बसे भारतीयों, विशेषकर श्रीलंका में बसे भारतीयों, के कल्याण में विशेष रुचि ली।

15 मई, 1982 को 74 वर्ष की आयु में तिरुनेलवेली में उनका निधन हो गया।

श्री सत्यनारायण सिंह 1967-70 के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी चुनाव क्षेत्र से चतुर्थ लोक सभा के सदस्य थे।

एक कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी के नाते उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और अनेक बार जेल गये।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने मजदूरों तथा औद्योगिक श्रमिकों के उत्थान तथा कल्याण कार्यों के लिये अपने आपको समर्पित किया।

24 मई, 1982 को 69 वर्ष की आयु में वाराणसी में उनका निधन हो गया।

श्री राधा रमण 1952-62 के दौरान दिल्ली के दिल्ली नगर और चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रथम तथा द्वितीय लोक सभा के सदस्य रहे थे। बाद में उन्होंने 1972-77 के दौरान दिल्ली महानगर परिषद के मुख्य पार्षद के रूप में काम किया।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आयोजित करने में सहायता की।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सहकारिता आन्दोलन में और ग्रामों में काम किया। वह अनेक सामाजिक तथा शैक्षणिक संगठनों, विशेषकर शिशु कल्याण सम्बन्धी संगठनों, से सम्बद्ध रहे। उन्होंने अनेक देशों में संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया।

8 जून, 1982 को 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका निधन हो गया।

मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग 1949-52 के दौरान जम्मू तथा काश्मीर से संविधान सभा और अस्थायी संसद के सदस्य रहे। वह 1934, 1949, 1951-52 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर विधान सभा के सदस्य रहे और उसके बाद 1977 से ही सदस्य चले आ रहे थे। वह अनेक वर्षों तक राज्य के मंत्रीमंडल के सदस्य रहे और उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विभागों का काम देखा। वह 1977-78 के दौरान राज्य के उप-मुख्यमंत्री थे।

एक कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी के नाते वह स्वतंत्रता संग्राम में तथा कश्मीर के लिए जिम्मेवार सरकार प्राप्त करने के लिये अनेक बार जेल गये। भूमि काश्तकार को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर में भूमि सुधार लागू किये।

11 जून, 1982 को 74 वर्ष की आयु में श्रीनगर में उनका निधन हो गया।

श्री श्रीनारायण दास 1950-67 के दौरान अस्थायी संसद के और प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोक-सभा के बिहार के दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे। वह 1950-55 में लोक लेखा समिति के भी सदस्य रहे।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया और स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान अनेक बार जेल गये।

उन्होंने प्राकृतिक विपदाओं के दौरान राहत कार्यों में भाग लिया और नारी शिक्षा तथा अस्पृश्यता निवारण के काम किये। उन्होंने पंचायती राज और सहकारिता आंदोलन में विशेष रुचि ली।

पिछले महीने 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

श्री सारंगधर सिन्हा 1946-50 के दौरान संविधान सभा के और 1952-62 के दौरान पाटलिपुत्र तथा पटना निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय लोक सभा के सदस्य रहे। उससे पूर्व 1936-51 के दौरान वह बिहार विधान सभा के सदस्य थे और 1936-39 में वह

शिक्षा तथा राजस्व विभागों के संसदीय सचिव थे। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनेक समितियों में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में काम किया।

एक स्वतन्त्रता सेनानी के नाते वह असहयोग आन्दोलन के दौरान अनेक बार जेल गये।

वह एक विख्यात शिक्षाविद् थे और पटना विश्वविद्यालय के उप-कुलपति नियुक्त किए गये। उन्होंने 1950 में न्यूजीलैंड में राष्ट्रमंडलीय देशों के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया।

30 जून, 1982 को 81 वर्ष की आयु में पटना में उनका निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करते हैं। मुझे आशा है कि सभा शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें भेजने में हमारा साथ देगी।

सभा कुछ देर के लिए अपना शोक प्रकट करने के लिए खड़ी हो जाये।

इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामविलास पासवान।

श्री एन० के० शेजवलेकर : मद संख्या 2 के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री हीरावल्लभ त्रिपाठी का निधन 26 अप्रैल, 1982 को हुआ जबकि सभा का सत्र चल रहा था। सभा को इसके पहले क्यों सूचना नहीं दी गयी ? सभा 30 अप्रैल, 1982 को स्थगित हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले हम पुष्टि करते हैं और फिर सूचना देते हैं। हम सबसे पहले अपने को संतुष्ट करते हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या इसमें तीन से पांच दिन तक का समय लग जाता है ?

डा० कृपासिंधु भोई : प्रश्न संख्या 1 पर इस सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। इस बारे में आधे घंटे की चर्चा भी हुई है। सचिवालय ने इस प्रश्न को कैसे स्वीकार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय है। कृपया बैठ जायें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का कार्यकरण

***1. श्री रामविलास पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "डैडली बंगलिंग एट ए० आई० आई० एम० एस०" शीर्षक से 30 अप्रैल, 1982 के "आनलुकर" में तथा "द फाइनल डायगनोसिस आन दी ए० आई० आई०

एम० एस०" शीर्षक से कैरैवान के मई (द्वितीय) 1982 के अंक में प्रकाशित लेखों को देखा है;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक सहायक प्रोफेसर डा० पी० वेणुगोपाल को 27 सितम्बर, 1981 को परिसर में ही दौरा पड़ा था और अस्पताल ले जाने पर उन्हें 18 घंटे बाद एक और दौरा पड़ा;

(ग) क्या वह 19 अक्तूबर, 1981 तक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में रहे (पंजीयन संख्या सी० आर० 20846);

(घ) क्या डा० गोपीनाथ मायोपिया से पीड़ित हैं और हाल ही में वह मद्रास गए थे और डा० बद्रीनाथ से रेटीना के अलग हो जाने का उपचार कराया था;

(ङ) क्या भूतपूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) ने भी उपरोक्त दो डाक्टरों के विरुद्ध लंबी रिपोर्ट भी लिखी थी; और

(च) क्या सरकार ने कोई जांच कराई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमदबेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बतलाया है कि एसोसिएट प्रोफेसर डा० पी० वेणुगोपाल को 28 सितम्बर, 1981 को एक दौरा पड़ा था और उसी दिन कुछ समय बाद उन्हें फिर एक और दौरा पड़ गया।

(ग) जी, हां।

(घ) डा० गोपीनाथ नजदीक की नजर वाले हैं जिसे आयुर्विज्ञान में मायोपिया कहते हैं। नजदीक की नजर वाले सभी लोगों की तरह वह भी ऐनक लगाते हैं। दृष्टिपटल वियोजन (रेटीनल डिटैचमेण्ट) के लिए मद्रास में उनका उपचार हुआ, इसके बारे में संस्थान को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च) रिकार्ड के अनुसार, ऐसा कोई नोट सरकार या संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अब तो सदन जान गया होगा कि मैंने जो कहा था, वह बैसलैस नहीं था और उसका बैस था। उसी दिन मैंने कहा था कि बैस तो है भले ही बैस हो।

पहले खंड के पूरक प्रश्न में मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि डा० वेणुगोपाल को मिर्गी की दवाई दी गई थी, एन्टी एपीलेप्टिक दवाई दी गई थी और क्या यह भी सही है कि उनकी केस-शीट गायब है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : जिस समय उन्हें दौरा आया था, उन्हें औषधियों के साथ वह औषधि भी दी गई थी जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है।

श्री रामविलास पासवान : मैंने दो सवाल पूछे हैं। क्या यह सही है कि उनको एन्टी-मिर्गी दवाई दी गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया है ।

श्री रामविलास पासवान : दूसरा मैंने यह पूछा था कि क्या यह बात सही है कि उनकी केस-शीट गायब है ?

श्री बी० शंकरानंद : यदि कागज उपलब्ध न हो तो इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ।

रामविलास पासवान : मैंने जो प्रश्न पूछा है, वह यह है कि "क्या सरकार ने 'डैडली बंगलिंग एट ए० आई० आई० एम० एस०' शीर्षक से 30 अप्रैल, 1982 के 'आनलुकर' में तथा 'द फाइनल डायगनोसिस आन दी ए०आई०आई०एम०एस०' शीर्षक से केरेवान के मई (द्वितीय) 1982 के अंक में प्रकाशित लेखों को देखा है ? उसी के आधार पर मेरा क्वेश्चन बेस्ड है और उसके बाद यह कहते हैं और इसमें भी जिक्र है कि रिकार्ड मिस है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने इस बात की जांच करवाई है कि फाइल गायब है । जब आपने इनको देखा है और उसी के संबंध में मेरा प्रश्न है, तो फिर यह इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने यह कहा है कि अगर फाइल न होती, तो जवाब कैसे देता ।

श्री रामविलास पासवान : 21 दिन पहले मैंने क्वेश्चन दिया था और एक स्पेसीफिक क्वेश्चन दिया था और अभी हमारे एक माननीय सदस्य उधर से कह रहे थे कि इसके बारे में पहले 193 में डिस्कशन भी हो गया है और सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं । अब दोबारा जब यह क्वेश्चन किया गया है, तो मंत्री महोदय बताएं कि फाइल गायब है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, आप इसका जवाब दिलवाएं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, और कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं ?

श्री रामविलास पासवान : आप 'यस' या 'नो' में इसका जवाब दिलवाइए ।

श्री बी० शंकरानंद : मैं 'हां' अथवा 'न' नहीं कह सकता । **(व्यवधान)**

मैंने रिकार्ड देख लिया है और मेरे विचार में कोई भी रिकार्ड गुम नहीं है । मुझे इस बात का पता नहीं है कि कोई रिकार्ड गुम है ।

श्री रामविलास पासवान : पिछली बार भी हम दो बार प्रिविलेज मोशन इस सिलसिले में लाए हैं और आप 105 में हमेशा मंजूर करते हैं और हमसे कहते हैं कि गल्ती हो गई । मेरा सीधा क्वेश्चन है और जवाबदेही के साथ मंत्री महोदय बताएं ।...**(व्यवधान)**...मैं पूछना चाहता हूं कि **एज ए मिनिस्टर फुल रेस्पोंसीबिलिटी** के साथ मंत्री जी जवाब दें कि इसकी बाद में जांच करवाएंगे या नहीं । यह सीधा-सा सवाल है । या तो वह मिसिंग है या वह वहां होगी, दो ही चीजें हो सकती हैं या आप इसकी जांच करवाएंगे, इसके बारे में आप बताएं ।

अध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल स्पष्ट है ।

श्री रामविलास पासवान : मिसिंग न[redacted] ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा ही कहा है ।

श्री रामविलास पासवान : हम लोगों ने सुना नहीं, आप दोबारा कहलवा दीजिए। इसका क्लियर जवाब नहीं आया है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : बड़ा इम्पोर्टेन्ट सवाल है, 'हां' या 'ना' में इसका जवाब दिलवाइए।

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे तो दिया है। इसमें भी क्या कोई शक की बात है ?

श्री रामविलास पासवान : आप दोबारा इसका जवाब दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे तो दिया है। आप दूसरा सवाल करिये।

श्री आर० एन० राकेश : इसका रिप्लाई साफ करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : साफ हो तो गया है।

श्री आर० एन० राकेश : इनडाइरेक्ट रिप्लाई दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : गोलमोल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई गोलमोल नहीं (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री रामविलास, दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री रामविलास पासवान : मैंने दूसरा सवाल यह पूछा था कि डा० गोपीनाथ को आंख को बीमारी है और इनको सीधा दिखलाई नहीं पड़ता है। हार्ट सर्जरी के लिए जहां एक-एक मिलीमीटर का बड़ा महत्व होता है, वहां क्या ऐसे डाक्टर को सर्जन बनाना चाहिए और मैंने यह सवाल भी पूछा था कि क्या डा० गोपीनाथ ने मद्रास जाकर इलाज करवाया था और यह तमाम पत्रिकाओं में निकला है ? और मंत्री महोदय ने कहा कि उनको जानकारी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अक्टूबर के लास्ट वीक से, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये डाक्टर कहां थे ? क्या यह सही है कि इन्होंने मद्रास के डा० बद्रीनाथ के अण्डर में अपनी आंख का ट्रीटमेंट कराया और अक्टूबर में इन्स्टीच्यूट के डा० राजेन्द्रप्रसाद आपथेलमिक सेन्टर में भी इनकी आंख का इलाज हुआ था ? क्या यह भी सही है कि नियम के अनुसार आंख की बीमारी का डाक्टर किसी इंस्टीच्यूट में सर्जन नहीं हो सकता है ? फिर आंख की बीमारी वाले डाक्टर को आल इंडिया इंस्टीच्यूट में सर्जन के रूप में क्यों बहाल किया जाता है ?

श्री बी० शंकरानंद : इस प्रश्न पर इस सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। 25 मार्च, 1982; 1 अप्रैल 1982; 15 अप्रैल, 1982 तथा पुन: 15 अप्रैल, 1982 को इन डाक्टरों सम्बन्धी विषय पर अतारांकित प्रश्न के रूप में चर्चा हो चुकी है, इस पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं नहीं जानता कि क्या हमें बार-बार इस प्रश्न पर सभा का समय खर्च करना चाहिये ? मैं इन डाक्टरों के बारे में पूरी सूचना दे चुका हूं। मुझे सभा को बताना चाहिये, और मुझे आशा है कि सभा मेरे से सहमत होगी, कि डा० गोपीनाथ एक विख्यात हार्ट सर्जन हैं और मुझे लोगों से

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रतिदिन अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उनका इलाज डा० गोपीनाथ से करवाया जाये। यदि कोई ऐनक पहनता है तो इससे वह डाक्टर बनने के लिये अयोग्य नहीं हो जाता।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यही 197 के अधीन चर्चा में हुआ, यही हमेशा होता है। इसलिए हमको प्रश्न पूछना पड़ता है। कहा गया है कि या तो सांप को छेड़ो मत, अगर छेड़ो तो छोड़ो मत।

प्रो० के० के० तिवारी : इसे अनुमति नहीं दी जा सकती। यह बात बिना चुनौती के नहीं की जा सकती। इनके वक्तव्य का क्या अर्थ है? (**व्यवधान**) इनका तात्पर्य क्या है?

श्री रामविलास पासवान : मैंने तीन प्वाएंट कहे थे। एक प्वाएंट पर मंत्री जी ने माफी मांगी, दूसरा प्वाएंट मैंने कहा था कि क्या उनको मिर्गी की बीमारी है तो मंत्री जी को कुबूल करना पड़ा था कि उनको मिर्गी की बीमारी है। तीसरा प्वाएन्ट मेरा है कि क्या डा० गोपीनाथ को आंख की बीमारी है और क्या उन्होंने मद्रास में डा० बद्रीनाथ से इलाज करवाया था?

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह नहीं है कि उन्होंने इलाज करवाया था या नहीं करवाया था। सवाल यह है कि क्या वे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : यू० पी० एस० सी० के रूल्स के मुताबिक······

अध्यक्ष महोदय : मेडिकल्ली फिट हो, अगर देख सकता हो तो हो सकता है।

श्री रामविलास पासवान : जो सीधा नहीं देख सकता है, वे सीधा नहीं देखते हैं तो क्या वे आप्रेशन कर सकते हैं और वह भी ओपन हार्ट का?

डा० कृपासिंधु भोई : यह एक नाजुक प्रश्न है। इस विशेष प्रश्न पर प्रश्नोत्तर के रूप में; आधे घंटे की चर्चा के रूप में सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है और आपने फिर एक ऐसे व्यक्ति का प्रश्न स्वीकार किया है जो औषधियों तथा डाक्टरों के बारे में अनजान है। इससे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रतिष्ठा कम होती है। इस विषय पर सभा में बारीकी से चर्चा की गई है और जहां तक इसका सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या रोग निदान पर चर्चा एक साधारण आदमी द्वारा की जानी चाहिए अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठायुक्त डाक्टरों द्वारा और क्या उन्हें ज्ञात है कि उन्हें भी रोग निदान के बारे में सभा में कोई उत्तर नहीं देना चाहिए···(**व्यवधान**) इस पर सभा में वाद-विवाद नहीं हो सकता।

एक अन्य मुद्दा यह है कि माननीय सदस्य ने दृष्टिपटल वियोजन का प्रश्न उठाया है। मैं जानना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आपने अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। आप अपना प्रश्न पूछिए।

डा० कृपासिंधु भोई : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत में दृष्टिपटल वियोजन की बीमारी का इलाज कई अस्पतालों में शत-प्रतिशत हो जाता है? एक बार दृष्टिपटल वियोजन का इलाज कर दिया जाए तो आंख में कोई खराबी रहने का प्रश्न ही नहीं

उठता। मेयोपिया एक वक्षीय शल्य चिकित्सक के लिए कोई बाधा नहीं है और न ही दृष्टिपटल वियोजन कोई बाधा है। संसद में इन बातों पर चर्चा कैसे की जा सकती है? कैसे एक मंत्री महोदय इस बारे में एक मुद्दे विशेष का उत्तर दे सकते हैं?···(**व्यवधान**) अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डाक्टरों को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। इसे सहन नहीं किया जा सकता।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं कि ख्याति प्राप्त डाक्टरों के व्यक्तित्व और उनके स्वास्थ्य के बारे में इस सभा में इस प्रकार की चर्चा नहीं की जानी चाहिए···

श्री रामविलास पासवान : कौन फैसला करेगा, आप या वह?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं इस सभा में कई बार कह चुका हूं कि यह डाक्टर महोदय ऐसी किसी अशक्तता से पीड़ित नहीं हैं जो उन्हें प्रैक्टिस करने से रोके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डाक्टर सदन में अपनी सफाई देने के लिए उपस्थित नहीं हैं। उनका बचाव करना मंत्री महोदय का काम है। आपने उनकी व्यक्तिगत बीमारियों के बारे में सवाल पूछने की इजाजत देकर एक नई परंपरा कायम की है। मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या आप राजनयिक नेताओं की व्यक्तिगत बीमारियों के बारे में भी सवाल उठाने की इजाजत देंगे? मेरा प्रश्न मंत्री महोदय से नहीं है—आपसे है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उनके व्यक्तित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह पिछले प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न है। इसीलिए मुझे अनुमति देनी पड़ी। राजनयिकों की बीमारी का असर दूसरों पर नहीं पड़ता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मंत्री जी किसी बीमारी से ग्रसित हों तो उनकी चर्चा भी करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसका किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध नहीं है। यह अन्य रोगियों से सम्बन्धित है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने लोकसभा सचिवालय को लिखा था कि इस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और मैंने इसके कारण भी दिए थे।

पाकिस्तान का युद्ध न करने का प्रस्ताव

*2. †**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** :
श्री दिगम्बर सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई युद्ध न करने की संधि का प्रस्ताव किया है;

(ख) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच हाल के सप्ताहों में इस विषय पर हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) अनाक्रमण संधि का एक प्रारूप पाकिस्तान ने हमें 1 जून, 1982 को दिया है। पाकिस्तान के प्रारूप पर हम विचार कर रहे हैं और यथा समय अपनी प्रतिक्रिया से उन्हें अवगत करायेंगे। अगस्त में विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा के दौरान इस पर विचार-विमर्श जारी रहेगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भारत ने नेहरू जी, शास्त्री जी, और श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व के समय में दोनों देशों के बीच "नो वार पैक्ट" का करार करने के लिए पाकिस्तान को प्रस्ताव भेजा था ? तब तो पाकिस्तान सहमत नहीं हुआ और अब जब पाकिस्तान अमरीका से आधुनिक हथियार लेने की होड़ में लगा हुआ है और एफ-16 और अन्य सोफिस्टिकेटेड एक्वीपमेंट्स प्राप्त करने जा रहा है, इस समय शिमला-एग्रीमेंट होते हुए भी पाकिस्तान द्वारा "नो वार पैक्ट" के पीछे क्या उद्देश्य, रहस्य और प्रयोजन है, जिसके लिए भारत सरकार ने जानने का क्या प्रयास किया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस बारे में इतनी बहस हो चुकी है कि उसे फिर से दोहराना उचित नहीं होगा। प्रश्न तो यही पूछा गया है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्राफ्ट आया है ? मैंने कहा—हां आया है और उसको हम देख रहे हैं। जब विदेश सचिव वहां जाएंगे तो उस पर चर्चा होगी। इसलिए जो सवाल पूछा गया है, उसका मैंने जवाब दे दिया है और जो पुरानी बातें हैं, उनके बारे में भी काफी चर्चा यहां हो चुकी है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो ड्राफ्ट है, उसमें क्या काश्मीर का उल्लेख है ? क्या "नान एग्रेशन पैक्ट" के बाद पाकिस्तान अमरीका से हथियार लेना बन्द कर देगा और काश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जब चर्चा होगी तब ये बातें निकलेंगी। मैं अभी यही कह रहा हूं कि वहां से ड्राफ्ट आया है, उसकी हम छान-बीन कर रहे हैं।

उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, वह देख रहे हैं।

अभी कुछ कहना मुश्किल है। सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकते हैं।

ये जवाब वहां से पहले हासिल करने होंगे।

श्री दिगम्बर सिंह : सी भाग का उत्तर नहीं दिया है। दूसरी बात मैं यह...

अध्यक्ष महोदय : डिसकशन के आउटकम से ही यह पता चल सकता है।

श्री दिगम्बर सिंह : मैं पढ़कर सुनाता हूं, सी :

"(ग) भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच हाल के सप्ताहों में इस विषय पर हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?"

अभी तक जो हुई है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है ?

जो शिमला समझौता हुआ था पाकिस्तान की सरकार ने उसकी उपेक्षा की । हथियार इकट्ठा करता जा रहा है । एटम बम बना रहा है । अपने यहां की जनता को भी झूठे आश्वासन देकर भुलावे में रख रहा है । ऐसी अवस्था में क्या पाकिस्तान सरकार से यह आशा की जा सकती है कि समझौते की जब वह बात करेगा तो उसमें कोई सच्चाई होगी और नेकनीयती से करेगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम तो उनसे हर बात पर चर्चा करेंगे । जो भी सवाल-जवाब होगा उसको देखकर ही किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं । मैं कई बार कह चुका हूं कि जो इतिहास है वह सबके सामने है । इसके बावजूद हम दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और अगर उधर से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ता है तो हम अपना हाथ खींच लेना नहीं चाहते । ये सब बातें हैं, इन पर चर्चा हो चुकी है ।

श्री दिगम्बर सिंह : जो बातचीत हुई उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इससे पहले इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई । जो हमारे विदेश मंत्रियों के बीच हुई थी, बस उतनी ही हुई थी । उसके बाद जब हमारे एक सचिव वहां गए तो उनको मसौदा दिया गया । उसको वे वहां से ले आए । उसको देख रहे हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या युद्ध न करने सम्बन्धी सरकार की नीति बनाते समय उन्होंने युद्ध न करने की सन्धि से उत्पन्न हो सकने वाली अन्य द्विपक्षीय समझौतों अथवा सन्धियों अथवा अन्य बातों सम्बन्धी संभावित कठिनाइयों पर विचार किया है और उनका जायजा लिया है । उदाहरण के लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि युद्ध-वर्जन सन्धि भारत-सोवियत सन्धि के विरुद्ध होगी···

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : आप इस मामले के लिए इन्हें अपने नियमित सलाहकार के रूप में रख लीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यदि वह मुझे सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लें तो उनमें भी सुधार हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो साथ में नहीं बैठते **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अतः महोदय, मैं इसलिए यह बात जानना चाहता हूं, क्योंकि युद्ध-वर्जन सन्धि का अर्थ होगा कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध किसी सैनिक कार्यवाही में नहीं उलझेगा और न ही पाकिस्तान भारत के विरुद्ध किसी सैनिक कार्यवाही में उलझेगा, जबकि भारत-सोवियत सन्धि के अनुच्छेद 9 में लिखा है कि यदि सोवियत रूस को कभी किसी खतरे का सामना करना पड़ा तो तब भारत सोवियत रूस के साथ परस्पर विचार-विमर्श करेगा और यह देखेगा कि उस खतरे को कैसे टाला जा सकता है और यदि रूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी उलझन में या संघर्ष में पड़ जाता है तो उस सन्धि में भारत की स्थिति क्या होगी ? अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें भारत-रूस सन्धि तथा इस युद्ध-वर्जन सन्धि के बीच कोई विरोध दिखाई पड़ता है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहां तक सलाह का प्रश्न है मुझे पहले ही सभी ओर से सभी

पक्षों से सलाह मिल रही है। जहां तक विरोधाभास का प्रश्न है, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, मुझे कोई विरोधाभास दिखाई नहीं देता।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं माननीय विदेश मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित युद्ध-वर्जन सन्धि पर विचार करने के पश्चात् मित्रता और सहयोग की सन्धि करने का प्रस्ताव किया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की युद्ध-वर्जन सन्धि के प्रत्युत्तर में भारत सरकार द्वारा मित्रता और सहयोग की सन्धि का प्रस्ताव रखने के पीछे सरकार का क्या विचार है ? क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय के एक सचिव को विशेष दूत की हैसियत से कुछ सुस्पष्ट या निश्चित प्रस्ताव लेकर पाकिस्तान भेजा गया था ? मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ताकि भारत और पाकिस्तान जो निकट आने का प्रयास कर रहे हैं और समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं किसी सहमति पर पहुंच सकें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : सभा को जानकारी है कि दो देशों के बीच ये सब प्रस्ताव विचाराधीन हैं। हमने संयुक्त आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है। जब श्री आगा शाही यहां पधारे थे तब प्रधान मंत्री जी ने संयुक्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था और उसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया था। उसी के अनुसरण में हमने अब संयुक्त आयोग के बारे में करार का एक मसौदा भेजा है। उस मसौदे को अभी भेजा गया है और इस पर दूसरे पक्ष द्वारा विचार किया जाना है।

जहां तक मैत्री सन्धि का सम्बन्ध है, यह एक व्यापक बात है। स्वाभाविक है कि हम भी इस सन्धि में व्यापक विषयों को सम्मिलित करने पर प्राथमिकता देंगे। युद्ध-वर्जन सन्धि स्वभावतः उसी का परिणाम होगी। यह कैसे और क्या रूप लेगी यह बात अभी देखनी है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शिमला एक्ट के बाद फिर कोई ऐसी गुंजाइश बाकी रह गई थी कि किसी दूसरे नए नो वार पैक्ट की जरूरत हो ? और जो मसौदा पाकिस्तान से आया है उसमें शिमला एग्रीमेंट के जो क्लाजेज हैं उनका उससे कोई टकराव है, या मुख्तलिफ तो कोई चीज नहीं है ? क्या शिमला एग्रीमेंट काफी नहीं था नो वार के लिये जिससे हमारे उनसे ताल्लुकात बढ़ें ? कौन-सी ऐसी चीजें बीच में आ गईं जिसकी वजह से नया एग्रीमेंट करना पड़ रहा है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसा कि सदन को ज्ञात है पहले तो पाकिस्तान का यह कहना था कि जो शिमला एग्रीमेंट है वह खुद नो वार पैक्ट है जिसमें हम नो वार पैक्ट की बात कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नो वार पैक्ट की बात की पेशकश की, तो हमने उनसे यह भी पूछा कि क्या अब आपने अपनी राय बदली है कि शिमला ऐग्रीमेंट के बावजूद भी नो वार पैक्ट की आवश्यकता है ? तो उन्होंने कहा हम कोई शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि शिमला ऐग्रीमेंट को नो वार पैक्ट के जरिये से और ताकतवर बनाया जा सकता है, उसे और ताकत पहुंचायी जा सकती है। यदि हमारी बात-चीत से यह नतीजा निकला जो हमने कहा कि किस तरह से और ज्यादा ताकत पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और वह चर्चा होगी।

डा० कर्णसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस अन्तर-सत्रावधि के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया ने एक वक्तव्य दिया था कि कुछ उत्तरी क्षेत्र जैसे गिलगित, चित्राल और उत्तरी एजेंसियां जम्मू और काश्मीर राज्य का अंग बिलकुल नहीं हैं। महोदय, न केवल उन्होंने राज्य के 2/5 भाग पर कब्जा कर रखा है, अपितु उन्होंने यह वक्तव्य भी दिया है जिसका मेरे विचार में भारत सरकार द्वारा विधिवत खण्डन किया गया है। महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब यह स्टेट थी, जब मेरे पिता ने विलय प्रलेख पर हस्ताक्षर किए थे तब ये क्षेत्र स्टेट का एक भाग थे। अतः वे सब कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से भारत का अंग हैं। अतः क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध-वर्जन सन्धि पर वार्ता के दौरान पाकिस्तानी कब्जे में इस समय जो क्षेत्र हैं उनकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति पुनः स्पष्ट की जाएगी और हम पुनः यह दोहराएंगे कि हुंजा और नागर तथा मेरे पिता के स्टेट के समय की सहायक नदियों सहित ये सभी क्षेत्र जो भारत के अंग हैं वे कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से भी भारत के अंग हैं ? क्या इस पहलू को दोहराया जाएगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है मैंने इस विषय पर पहले ही बहुत स्पष्ट वक्तव्य दिया है। हमारा दृष्टिकोण दृढ़ है। हम इन क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। अतः जब वार्ता होगी तब ये बातें निश्चय ही सामने आएंगी।

प्रो० मधु दण्डवते : आप सभा में परिवारिक सदस्यों का उल्लेख नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

डा० कर्ण सिंह : यह ऐतिहासिक तथ्य है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य लोकसभा में उपस्थित हो सकते हैं तो वह ऐसा कह सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह कोई परलोक सभा नहीं है। यह लोक सभा है।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : क्या माननीय मंत्री महोदय पाकिस्तान के साथ युद्ध-वर्जन सन्धि पर विचार करते समय दोनों ओर महाशक्तियों द्वारा दिये जाने वाले शस्त्रों की कमी के प्रश्न पर बात करेंगे ? आज वे युद्ध की बात कर रहे हैं और ये दो गरीब देश हजारों करोड़ रुपए शस्त्रों-अस्त्रों पर खर्च कर रहे हैं। क्या उस समय उस पर भी विचार किया जाएगा ताकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों मे इन हजारों करोड़ रुपयों को निर्धनों की सेवा में खर्च किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि यह एक स्वाभाविक उपसाध्य है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे विचार में माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित बात पर युद्ध-वर्जन सन्धि के पश्चात् ही चर्चा होगी, उससे पहले नहीं। यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि चर्चा में क्या मुद्दे उठाये जाएंगे। परन्तु युद्ध-वर्जन सन्धि के कारणों के बारे में उन्होंने एक मसौदा दे रखा है। हमें भविष्य में होने वाली कठिनाइयों के सन्दर्भ में इसकी जांच करनी होगी क्योंकि यह हम भावी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। जब वार्ता होगी तब मुझे आशा है सभी संबंधित बातें चर्चा में उठाई जाएंगी **(व्यवधान)**

दिल्ली में नकली जीवन रक्षक औषधियां बनाने वाला अवैध कारखाना

*4. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 24 मार्च, 1982 को दिल्ली पुलिस द्वारा पता लगाये गये नकली औषधियां बनाने वाले गिरोह में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और नकली औषधियां बनाने वाले कारखाने से संबंधित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : 24 मार्च, 1982 को दिल्ली पुलिस ने नकली औषधियां बनाने वाले जिस गिरोह का पता लगाया था, उसकी आगे छान-बीन करने के लिए उन्होंने उक्त गिरोह के निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है :

(1) श्री प्रदीप कुमार, पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद, जस्सीपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

(2) श्री सुधीर कुमार, पुत्र श्री रंगा प्रसाद, चन्दर नगर, दिल्ली।

(3) श्री राम किशन, पुत्र श्री शिव नारायण, शान्ति मोहल्ला, कृष्ण नगर, दिल्ली।

(4) श्री किशन, पुत्र श्री शिव नारायण, शान्ति मोहल्ला, कृष्ण नगर, दिल्ली।

(5) श्री आसा राम, पुत्र श्री किशोरी लाल, कयान बाग, कल्याणपुरी, दिल्ली।

(6) श्री नेमी सरण, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, सीमापुरी नंद नगरी, दिल्ली।

(7) श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री मंगल सेन, नन्द नगरी, सीमापुरी, दिल्ली।

(8) श्री बृज मोहन, पुत्र श्री किशोरी लाल, मोहल्ला कालौनी, कृष्ण नगर, दिल्ली।

(9) श्री राम चन्दर कपूर, पुत्र श्री चेतराम, चांद मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली।

इस मामले में छान-बीन चल रही है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि औषधियों के उत्पादन हेतु लाइसेंस देने की प्रक्रिया क्या है, क्या इन नकली औषधियां बनाने वालों के पास वैध लाइसेंस थे अथवा नहीं ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उनके लाइसेंसों को रद्द करने जा रही है और इस मामले में दण्ड प्रक्रिया अधिनियम के कौन-से भाग को लागू किया जाएगा ? क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकती हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कानून में परिवर्तन करने जा रही है और उनके विरुद्ध कड़े उपाय करेगी और उन्हें कड़ी सजा देगी ताकि इस प्रकार के कदाचारों को समाप्त किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (बी० शंकरानंद) : महोदय, सभा को ज्ञात है कि नकली दवाइयां बनाने वालों को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। अतः ऐसे लोगों की गतिविधियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमित और नियन्त्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस अधिनियम में लाइसेंस धारियों द्वारा उत्पादित औषधियों के उत्पादन, लाइसेंस, बिक्री और विपणन के बारे में उपबन्ध किया गया है न कि अन्यों द्वारा उत्पादित औषधियों के बारे में। नकली दवाइयों का उत्पादन उन लोगों द्वारा किया जाता है, जिनके पास लाइसेंस नहीं होते। दूसरा प्रश्न यह कि इस प्रश्न पर सभा में तथा

सभा से बाहर समाचार पत्रों में चर्चा की गई थी। इस संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि मैंने 21 जून, 1982 को पहले ही एक 'कार्य दल' का गठन कर दिया है जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा और यदि कोई त्रुटि हुई तो उसे दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाएगा ताकि समस्या को ठीक से सुलझाया जा सके :

(1) राज्यों और केन्द्र में स्थापित औषधि नियन्त्रण की पर्याप्तता और उसे सुदृढ़ करने के उपाय;

(2) केन्द्र और राज्यों में औषधि परीक्षण की सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता;

(3) घटिया तथा नकली दवाइयों की समस्या का मुकाबला करने के लिए राज्यों/केन्द्रीय औषधि संगठन में सतर्कता कक्षों की स्थापना करने की आवश्यकता;

(4) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत औषधियों के लाइसेंसों, उत्पादन और बिक्री के नियन्त्रण से संबंधित प्रक्रिया में परिवर्तन करने की आवश्यकता।

'कार्य दल' को दो महीनों के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त मैंने औषधि तथा प्रसाधन-सामग्री अधिनियम में संशोधन हेतु एक विधेयक पुरः स्थापित किया है जिसमें मैंने इन लोगों के विरुद्ध संक्षिप्त मुकदमें चलाने का उपबन्ध किया है तथा कैद की सजा को 10 साल तक बढ़ा दिया है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बहुत भूमिका बांधकर जवाब दिया है, मैंने तो प्रश्न से संबंधित बात पूछी थी। उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में बातें तो बहुत बता दी हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि जो स्फूरियस ड्रग्ज के मैन्युफैक्चरर्स थे, जिनको इन लोगों ने पकड़ा है, उनके पास वैलिड लाइसेंस था या नहीं ? क्या यह सच है कि दिल्ली की अनएथाराइज कालोनी में नकली दवाएं बनाने की तीस बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां अनएथाराइज ढंग से एक साल से चल रही थीं, वे नकली दवाएं बाजार में भी बेची जा रही थीं और व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को दी जा रही थीं, जिससे लाखों लोगों की जान के लिए खतरा पैदा हो गया था, यदि हां, तो क्या उन कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था या नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, इस गिरोह का पता पुलिस द्वारा लगाया गया है और इससे संबद्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच हो रही है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया है, यह ठीक है कि नकली दवाएं बनाने वाली कम्पनियों को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। क्या यह सही है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की कुछ कम्पनियां खुले रूप से नकली दवाओं का निर्माण कर रही हैं और इस शर्मनाक कांड में बड़ी मशहूर कम्पनियां शामिल हैं ? मैंने आपको और मंत्री महोदय को दिखाया था कि महाराष्ट्र की ग्लैक्सो कम्पनी द्वारा बनाई गई पेरीटान औषधि में मच्छर पाए गए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सूर्या केमिकल ने भी एक औषधि बनाई थी, जिसमें मक्खी और मच्छर पाए गए थे। इस बारे में मैंने आपको भी कहा था। मंत्री महोदय को भी ऐसी कम्पनियों के बारे में सूचना दी गई है, जिन्होंने वैध लाइसेंस लेकर नकली दवाएं बनाना शुरू कर दिया है। ये कम्पनियां पैसे के बल पर यह काम कर रही हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या

ऐसी कम्पनियों के बारे में सूचना मिलने पर भी सरकार कोई कार्यवाही करती है ? मैंने लखनऊ की सूर्या केमिकल कम्पनी और महाराष्ट्र की ग्लैक्सो कम्पनी के बारे में नौ दस महीने पहले लिखकर दिया था और उसके बाद कई पत्र लिखे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय माननीय सदस्य ने इन कम्पनियों के बारे में मुझे लिखा है और मैं भारत के औषध नियन्त्रक को पहले ही इस मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए नियुक्त कर चुका हूं तथा उससे अपनी जांच का ब्यौरा मुझे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह जांच कब तक होगी ? मैंने दस महीने पहले लिखकर दिया था। यह जांच कब तक होती रहेगी ? इसके बाद जब नई लोक-सभा आएगी, क्या तब तक यह जांच चलती रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसको एक्सपीडाइट करवाइए।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, इसको शीघ्र निपटाया जायेगा।

श्री रामविलास पासवान : आपने कहा था कि आप इस बारे में कालिंग एटेन्शन नोटिस लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उन्होंने एक आश्वासन दिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि इन नकली दवाओं के कारण देश में आज तक कितनी मौतें हुई हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि नकली दवाएं बनाने वालों के लिए दस साल की सजा मुकर्रर की गई है, जबकि कानून यह है कि जान लेने वाले की जान ली जाती है—खून के बदले खून। इसलिये क्या मंत्री महोदय कानून में यह तरमीम करेंगे कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है। ये लोग हत्यारे हैं। मिनिस्टर साहब इसको एक्सपीडाइट करें।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय मैं अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुनः-स्थापित कर चुका हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है। क्या आप इस पर कालिंग एटेन्शन नोटिस स्वीकार करेंगे, जैसा कि आपने कहा था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। मैंने मंत्री महोदय से शीघ्र कार्यवाही करने और इन हत्यारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए कहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि पुलिस ने कुछ कार्यवाही की है। क्या वह हमें बतायेंगे कि वे कठोर उपाय कौन-से हैं ? आपने यह नहीं बताया है कि भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत उन पर अभियोग चलाया गया है। हमने इस सदन में इस पर चर्चा की है। क्या आप ऐसे लोगों को दण्डित करने हेतु भारतीय दण्ड संहिता को बदलने की बात सोच रहे हैं ? दूसरे, क्या आपको यह बात भी पता है कि कुछ बहु-

राष्ट्रीय कम्पनियां घटिया दर्जे की औषधियां बेच रही हैं और यह बात समाचार-पत्रों में भी छप चुकी है ? सम्भवतया इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। आप उन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहते हैं जो कि अस्पतालों में घटिया किस्म की औषधियां सप्लाई कर रही हैं, जिसमें दिल्ली के अस्पताल भी सम्मिलित हैं ?

एक माननीय सदस्य : कलकत्ता में भी कुछ ऐसी कम्पनियां हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि कलकत्ता में भी हैं तो आपको उनको भी दण्डित करना होगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : चाहे बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां हों या अन्य कम्पनियां हों, किसी भी उस व्यक्ति से विधि अनुरूप सख्ती से निपटा जायेगा जो कि घटिया किस्म की और नकली दवाईयां तैयार करता है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह तो इच्छा की एक अभिव्यक्ति मात्र हैं । क्योंकि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कौन-से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : शायद, माननीय सदस्य ने संशोधन करने वाले विधेयक के उपबन्धों को नहीं पढ़ा है । (**व्यवधान**) यह क्या है ? अब मेरी बात सुनो, मैं आपकी बहुत सुन चुका हूं । (**व्यवधान**) ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सही है कि वह बहुत सुन चुके हैं, परन्तु वे हमारे धैर्य का लाभ भी बहुत उठा चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : चक्रवर्ती जी आप एक प्रोफेसर हैं, आपको तो अवश्य सुनना चाहिये।

श्री बी० शंकरानन्द : सदन को पता है कि मैं औषध और प्रसाधन अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक पहले ही पुरःस्थापित कर चुका हूं, जो कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं से निपटने के लिए ही लाया गया है । औषध अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में मैं संशोधन विधेयक को पुरः स्थापित करते समय ही बता चुका हूं और मैं आज भी उन्हें दोहरा रहा हूं । अधिनियम में कुछ कमी थी जिसके कारण हम उचित कार्यवाही नहीं कर सके । यही कारण है कि मैं सदन में एक संशोधनकारी विधेयक लेकर आया हूं । इसकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं :

अभी तक अधिनियम में नकली औषध को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए 'नकली औषध' पद की एक नवीन परिभाषा सम्मिलित की जा रही है । अतः हम इस परिभाषा को लागू कर रहे हैं । (**व्यवधान**) मैं आपको बता रहा था कि इस अधिनियम में कमी थी । मैं नहीं जानता कि आप इसे नहीं समझ सकते हैं··· (**व्यवधान**) ।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी भी औषध के आयात, उत्पादन, विक्रय या वितरण पर पाबन्दी लगाने की शक्ति दी गई है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या प्रभावशून्य अथवा चिकित्सकीय रूप में अप्रभावी हो ।

औषध निरीक्षकों की शक्तियों को इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि वे इसे रोक सकें और

पता लगा सकें···(व्यवधान) मेरे विचार से यदि सभा इच्छुक नहीं है, तो मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। कृपया शान्त बैठिये।

श्री बी० शंकरानन्द : युक्तिसंगत आधार पर दण्ड या जुर्माने की योजना को संशोधित किया जा रहा है। गम्भीर अपराधों के लिए न्यूनतम और अधिकतम दण्डों का प्रावधान किया जा रहा है। जुर्माने के साथ न्यूनतम तीन वर्ष का कारावास और अधिकतम पांच वर्ष के कारावास का प्रावधान है।

जहां यह सिद्ध हो जाए कि मिलावटी, नकली या घटिया दर्जे की औषध से गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ा है या मृत्यु हो गई है, जो कि पूर्णतया उसके मिलावटी, नकली या घटिया दर्जे की होने के कारण हुआ है तो उस मामले में आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान किया जा रहा है।

अधिनियम के अधीन दण्डनीय कुछ अपराधों के लिए तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया जा रहा है जिसपर कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सरसरी तौर पर अभियोग चलाया जायेगा।

'साबुन' को भी प्रसाधन सीमाक्षेत्र में लाने के लिए 'प्रसाधन' शब्द की परिभाषा को संशोधित किया जा रहा है। आजकल 'प्रसाधन' शब्द की परिभाषा में से 'साबुन' को विशेष रूप से बाहर किया हुआ है।

'औषध' शब्द के सीमा क्षेत्र में खाली जिलेटीन कैप्सूलों, रोगों या अव्यवस्था के निदान और उपचार आदि में काम में आने वाले उपकरणों जैसी मदों को लाया जा रहा है।

सिद्ध औषध प्रणाली को जिसे कि अभी तक आयुर्वेदिक प्रणाली का ही अंग समझा जा रहा था, नया दर्जा दिया जा रहा है और सम्पूर्ण औषध और प्रसाधन अधिनियम में पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के लिए, 'एकस्व' (पेटेन्ट) या 'स्वामित्व-औषध' पद की परिभाषा को लागू किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, मेरे विचार से उन हत्यारों को, चाहे वे कहीं भी हों, पकड़ने के प्रयत्नों में सदन आपके साथ है। मेरे विचार से समाज को भी ऐसे खोटे काम करने वालों से निपटना चाहिये।

श्री बी० शंकरानन्द : इसीलिए तो मैं संशोधनकारी विधेयक लेकर आया हूं।

अध्यक्ष महोदय : अतः इसे कठोर और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये। कृपया इसके लिए हर सम्भव प्रयास कीजिए।

पाकिस्तान तथा भारत की जेलों में नजरबंद व्यक्तियों से मिलने की वाणिज्य दूतावास को अनुमति

*5. †**श्री दौलत राम सारण:**
श्री बी० डी० सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत की जेलों में नजरबंद व्यक्तियों से वाणिज्य दूतावास के लोगों को मिलने की अनुमति देने पर सहमत हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूत ने पाकिस्तान की जेलों में नजरबंद भारतीय राष्ट्रिकों की दशा जानने के लिए पाकिस्तान की जेलों का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और उनको स्वदेश लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) पाकिस्तानी और भारतीय जेलों में जो व्यक्ति कैद या नजरबन्द हैं उन्हें पारस्परिक आधार पर कोंसली सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार-विमर्श जारी है। उम्मीद की जाती है कि इस बारे में जल्दी ही एक करार को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक जो बन्दी जेलों में थे उनको एक दूसरे के यहां आदान-प्रदान करने के लिए और उनको जेलों से मुक्त कराने के लिए क्या व्यवस्था थी और क्या गत लड़ाई के समय बनाए गए युद्धबन्दी अथवा लापता डिक्लेयर किए हुए लोग भी अभी पाकिस्तानी जेलों में हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : संख्या के बारे में आपने जो प्रश्न किया है, इस सम्बन्ध में मैं कई बार जवाब दे चुका हूं कि चूंकि छोटे-छोटे आफेंसेज में लोग गिरफ्तार होते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं, कभी उनकी संख्या तीन सौ हो सकती है, कभी ढ़ाई सौ या दो सौ हो सकती है, इसलिए कभी पक्की संख्या कितनी है, यह कहना मुश्किल होता है।

सहूलियतों के बारे में आपने जो प्रश्न किया है, यह सहूलियतें अब तक नहीं थीं। अक्तूबर 1981 में हमने यह सुझाव दिया कि हम एक दूसरे को आपस में यह सहूलियतें दें। मार्च 18, 1982 को पाकिस्तान सरकार ने इसको मान लिया और फिर अप्रैल में हमने सुझाव दिया कि इस बारे में हम आपस में चर्चा करें और एक एग्रीमेन्ट करने की कोशिश करें। इस सम्बन्ध में हमने अभी एक प्रारूप तैयार किया है जिसको भेजने वाले हैं। अभी उसको फाइनल टचेज दिए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस बार कोई एग्रीमेन्ट हो जायेगा।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष जी, मैंने अपने प्रश्न के एक भाग में यह भी पूछा था कि क्या गत युद्ध के समय बनाए गए युद्धबन्दी अथवा लापता डिक्लेयर किए हुए लोग भी अभी बन्दी

के रूप में पाकिस्तान की जेलों में हैं ? यदि हां, तो कितने ? इसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसके बारे में भी मैं समय-समय पर सदनों को सूचना देता आ रहा हूं । हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं । हमारी सूचना के अनुसार 40 ऐसे लोग हैं जोकि वहां की जेलों में हैं । कुछ थोड़े-बहुत सबूत भी मिले हैं और जो भी सबूत मिले हैं वह हमने उनको दे दिए हैं, उनकी तस्वीरें भी उनको दे दी हैं लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चलाया जा सका है । जो भी जवाब उधर से आया है उससे पता चलता है कि अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है । आज की स्थिति तो यही है ।

श्री दौलत राम सारण : मैंने लास्ट में जो पूछा उसका उत्तर ठीक तरह से मंत्री जी ने नहीं दिया है । क्या यह सही है कि हमारी सरकार ने जिनको लापता घोषित किया था वे लोग पाकिस्तान की जेलों में बन्द हैं ? उनके घर वालों ने ऐसे प्रमाण सरकार के सामने प्रस्तुत किए हैं । क्या यह बात सही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जिनके बारे में हमारे पास सूचना नहीं थी कि उनकी मृत्यु हुई है उनके बारे में हम सोचते हैं, हमारा प्रिजम्प्शन है, हम कयास करते हैं कि वे वहां हैं । हम मांग कर रहे हैं कि वे उनका पता लगाएं और उनको भेज दें । बार-बार हम उनसे कहते जा रहे हैं, लेकिन बार-बार हमको यही जवाब मिल रहा है कि उनका पता वहां नहीं लगाया जा सका है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सूरत-भुसावल यात्री गाड़ी का इटारसी तक बढ़ाया जाना

*3. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो यात्री गाड़ी-सूरत से चलकर प्रात: भुसावल पहुंचती है, उसे इटारसी तक बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हवाना में गुट निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक

*6. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या विदेश मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हवाना में हुई पिछली गुट निरपेक्ष आन्दोलन ब्यूरो की बैठक में भाग लिया था;

(ख) उस बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए थे;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किए जाने के प्रश्न पर गुट निरपेक्ष देशों की बैठक बुलाने की पहल करने का है; और

(घ) क्या भारत सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रीलंका हिन्द महासागर के सम्बन्ध में तटीय देशों की बैठक बुलाने की स्थिति में नहीं है, इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठाने का निर्णय किया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

सदन को पता है कि 31 मई, 1982 से 5 जून, 1982 तक हवाना में हुई गुटनिरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की मंत्री-स्तर की बैठक में मैंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। ब्यूरो ने एक घोषणा जारी की थी जो दो भागों में थी। एक राजनैतिक और दूसरा आर्थिक। राजनैतिक दस्तावेज में दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण-पश्चिम एशिया, दक्षिणी अफ्रीका विशेष तौर पर नामीबिया, पश्चिम एशिया स्थिति और फिलीस्तीन समस्या तथा मालवीनस जैसे कई मसलों पर ब्यूरो ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए थे। ये निर्णय उन्हीं निर्णयों और नीतियों के अनुरूप थे जो फरवरी, 1981 की नई दिल्ली घोषणा में बताए गए थे या जो हाल ही में हुई ब्यूरो की कुवैत बैठक में तथा गुट-निरपेक्ष देशों की पिछली बैठकों में तय की गई थी।

भारत को आर्थिक समिति का अध्यक्ष चुना गया और वह घोषणा के आर्थिक भाग का मसौदा तैयार करने में एक रचनात्मक भूमिका अदा कर सका। आर्थिक भाग में निहित इसकी रूप रेखा में संकल्पना के स्तर पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है और यह रूप-रेखा इस भाग की भूमिका में दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें सार्वभौम वार्ता के सम्बन्ध में, संसाधनों के अंतरण, मुद्रा सम्बन्धी और वित्तीय समस्याओं, व्यापार, ई० सी० डी० सी० और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में कुछ निश्चित और ठोस सिफारिशें की गई हैं।

सदन को ज्ञात है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 1981 में कोलम्बो में हिंन्द महासागर के बारे में एक सम्मेलन किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन, प्रक्रिया और कार्यसूची के बारे में कई मसलों पर हिन्द महासागर से सम्बन्धित 45 सदस्यीय तदर्थ समिति में सहमति न होने के कारण, यह सम्मेलन 1981 में न हो सका। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिफारिश की है कि यह सम्मेलन 1983 के पूर्वार्ध में किया जाय। इस स्थिति में सरकार को यह नहीं लगता कि इस बारे में अलग से गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक बुलाने का कोई फायदा होगा। जिन महत्वपूर्ण मसलों पर हवाना में चर्चा की गई थी, उनमें यह समग्र प्रश्न भी शामिल था और इस बारे में जो आम राय बनी थी वह साफ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले अधिवेशन में यही

तय हुआ था कि हिन्द महासागर के बारे में सम्मेलन श्रीलंका में होगा और उसने अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि वह इसका आयोजन करने में असमर्थ है। हिन्द महासागर के केवल तटवर्ती और पश्चिम देशों की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए इस समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इस मामले का उठाया जाना निश्चित रूप से अनावश्यक और समयपूर्व समझा जाएगा। सरकार की मान्यता यह है कि संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति की परिधि में रहते हुए महा शक्तियों पर इस बात का जोर दिया जाए कि वे हिन्द महासागर सम्मेलन के लिए सहमत हो जाएं जिससे कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र ने 1971 में जो घोषणा की थी उसे कार्यान्वित किया जा सके।

आसाम मेल का 20 जून, 1982 को पटरी से उतरना

***7. श्री चन्द्रपाल शैलानी :**
श्री रामजी भाई मावणि :

क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिब्रूगढ़ जाने वाली आसाम मेल गाड़ी के 20 जून, 1982 को उत्तर-पूर्वी रेलवे के बरौनी-कटिहार सैक्शन पर बिहपुर पुलिस स्टेशन के निकट पटरी से उतर जाने पर हताहत होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) दुर्घटना के कारण क्या थे;

(ग) सरकार द्वारा हताहत हुए व्यक्तियों के परिवारों को क्या राहत दी गयी और क्या मुआवजा दिया गया;

(घ) दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बार-बार होने वाली इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस दुर्घटना में 11 व्यक्ति मारे गए, 25 को गम्भीर चोटें आयीं और 24 व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुए।

(ख) रेल संरक्षा के आयुक्त, गोरखपुर ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) रेलवे, सिविल तथा प्राइवेट डाक्टरों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दुर्घटना स्थल पर चिकित्सा

सहायता प्रदान की गई और डाक्टरी चिकित्सा के लिए घायल व्यक्तियों को अस्पतालों में पहुंचाया गया ।

मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में 25,250 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है ।

क्षतिपूर्ति के दावों का तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा निपटाया जायेगा ।

(घ) रेलवे संरक्षा के आयुक्त से जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

(ङ) दुर्घटनाओं की समस्या के बारे में रेल प्रशासन को पूरी-पूरी जानकारी है और उनकी रोकथाम के लिए हाल ही में बहुत-से उपाय किए हैं; जैसे :

(1) रेल कर्मचारियों में संरक्षा की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से एक सम्मिलित कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के दो उच्च स्तरीय भ्रमण दल किसी क्षेत्र में पायी जाने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए गहन निरीक्षण तथा क्षेत्र अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं ।

(2) विशेषकर रात्रि के समय, गाड़ी के इंजनों पर यात्रा करके फुट प्लेट निरीक्षण को और अधिक गहन किया गया है ।

(3) व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके, आवधिक संरक्षा कैम्पों और सेमिनारों का आयोजन करके संरक्षा नियमों और उनके महत्व के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने पर विशेष बल दिया गया है ।

(4) रेलपथ, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों और रेल इंजनों जैसी पुरानी परिसम्पत्तियों का नवीकरण और बदलाव ।

(5) सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों के बेहतर अनुरक्षण के लिए आवधिक तथा नेमी ओवरहाल क्षमताओं में वृद्धि कर दी गयी है ।

(6) रेलपथ, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों और सिगनल उपकरणों जैसी अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों के उचित रख-रखाव पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

(7) वित्तीय कठिनाइयों की सीमा के अन्तर्गत रेलपथ तथा अन्य उपस्करों का उत्तरोत्तर रूप से आधुनिकीकरण किया जा रहा है ।

कोढ़ उन्मूलन सम्बन्धी कार्य दल की रिपोर्ट

*8. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोढ़ उन्मूलन सम्बन्धी कार्य दल के चेयरमैन, डा० एम० एस० स्वामीनाथन ने कार्य-दल की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को किस तारीख को सौंपी थी; और

(ख) सरकार का कब इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का तथा इस पर चर्चा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कुष्ठ रोग उन्मूलन सम्बन्धी कार्यदल की रिपोर्ट सरकार को 12 मार्च, 1982 को प्रस्तुत कर दी गई थी। सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

दक्षिण रेलवे में नई रेल लाइनें

*9. **श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे की परिधि के भीतर ही कुछ नई रेल लाइनें बिछाने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने एलप्पी-कायाकुलम रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण रेलवे पर निम्नलिखित नयी रेल लाइनों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है :

(I) डिंडीगुल से मदुरै तक एक समानान्तर बड़ी लाइन के साथ-साथ करूर-डिंडीगुल नयी बड़ी लाइन, मदुरै मणियाच्चि मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव तथा मणियाच्चि के रास्ते तुत्तिकुडि से तिरुनेलवेली तक समानान्तर बड़ी लाइन।

लम्बाई : 324.47 कि० मी०
लागत : 42.86 करोड़ रुपये।

(II) एर्णाकुलम-एलेप्पी बड़ी लाइन

लम्बाई : 51 कि० मी०
लागत : 16.47 करोड़ रुपये।

(III) चित्रदुर्ग-रायदुर्ग (मीटर लाइन)

लम्बाई : 100 कि० मी०
लागत : 18.00 करोड़ रुपये।

(IV) एलेप्पी-कायाकुलम (बड़ी लाइन)

लम्बाई : 43 कि० मी०
लागत : 11.20 करोड़ रुपये।

(ग) जी हां।

(घ) इस निर्माण कार्य को आरम्भ करने के लिए 16-4-1982 को 1.40 करोड़ रुपये का तात्कालिकता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

कलकत्ता और हल्दिया जाने वाले जलमार्ग की गहराई में सुधार

***10. डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया जाने वाले जलमार्गों की गहराई में सुधार करने के लिए कोई योजना बनाई गई है, और

(ख) यह योजना लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इस समय यह मामला किस चरण में है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

वैगनों की कमी का कोयले की ढुलाई पर प्रभाव

***11. श्री नीरेन घोष** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैगनों की कमी के कारण कोयले की ढुलाई पर बुरा प्रभाव पड़ा है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाजार से दवाइयों का हटाया जाना

***12. श्री स्कारिया थामस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कुछ और दवाइयों को बाजार से हटाने का निर्णय किया है जिनका मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह किन-किन दवाइयों को हटाया गया है ; और

(ग) मानव शरीर पर इन दवाइयों के खतरनाक असर का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन एक सांविधिक निकाय, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने निर्धारित खुराक वाले 18 योगों को बाजार से हटाने की सिफारिश करते समय जो मुख्य निष्कर्ष निकाले थे वे इस प्रकार हैं :

(I) इनमें से कुछ योगों में चिकित्सीय गुण न के बराबर होने के कारण असंगत समझा गया।

(ii) कुछेक योग ऐसे थे कि उनके अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने पर विषाक्त प्रतिक्रियाएं पैदा हो सकती थीं और इस तरह वे मानव के लिये निश्चित रूप से हानिकारक हो सकते थे।

इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निश्चित खुराक वाले 18 योगों को बाजार से हटाने के अनुदेश जारी कर दिए। निश्चित खुराक वाले 18 योगों की एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है।

विवरण

निश्चित खुराक वाले योगों की श्रेणियां जिन्हें सरकार ने नष्ट करने का निर्णय लिया है :

1. एमीडोपाइराइन के निश्चित खुराक वाले योग।
2. दर्द निवारक तथा प्रशांतक युक्त विटामिनों के निश्चित खुराक वाले योग।
3. ज्वार-रोधी तथा दर्द-रोधी दवाइयों में एन्ट्रोपाइन के निश्चित खुराक वाले योग।
4. टानिकों में स्ट्रिचनाइन और काफिन के निश्चित खुराक वाले योग।
5. योहिम्बाइन तथा स्ट्रिचनाइन और रेस्टोस्टीरौन एवं विटामिनों के निश्चित खुराक वाले योग।
6. स्ट्रिचनाइन आर्सेनिक योहिम्बाइन युक्त लौह के निश्चित खुराक वाले योग।
7. सोडियम ब्रोमाइड/क्लोरल हाइड्रेट तथा अन्य औषधियों के निश्चित खुराक वाले योग।
8. आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों तथा आधुनिक औषधियों के निश्चित खुराक वाले योग।
9. फीनेसिटिन के निश्चित खुराक वाले योग।
10. एण्टी-हिस्टामीनिकों तथा अतिसार रोधी औषधियों के निश्चित खुराक वाले योग।
11. पेन्सिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन के निश्चित खुराक वाले योग।
12. विटामिनों तथा दर्द-निवारक दवाइयों के निश्चित खुराक वाले योग।
13. टेट्रासाइक्लिन तथा विटामिन-सी के निश्चित खुराक वाले योग।
14. अतिसार और पेचिश के इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों को छोड़कर दवाइयों के हाइड्रोक्सीक्वीनोलाइन समूह के निश्चित खुराक वाले योग।
15. दमा के इलाज के लिए अन्य औषधियों और स्टेराइड के योग को छोड़कर खाकर प्रयोग करने के लिये स्टेराइड के निश्चित खुराक वाले योग।
16. क्लोरेमफैनिकाल और स्ट्रैप्टोमाइसिन औषधियों को छोड़कर क्लोरेमफैनिकाल के निश्चित खुराक वाले योग।
17. एर्गाट के निश्चित खुराक वाले योग—इसके एलकालोइड एर्गाटामाइड और काफाइन के योगों को छोड़कर।

18. आई० एन० एच० और विटामिन बी के योग को छोड़कर क्षय रोग रोधी औषधियों तथा रोग निवारक विटामिनों के निश्चित खुराक वाले योग।

फाकलैंड तथा लेबनान संकट

*13. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में फाकलैंड मसले पर अर्जेण्टीना और ब्रिटेन के बीच और इजरायल तथा लेबनान के बीच हुए संघर्ष से विश्व में तनाव फैला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने गुटनिरपेक्ष देश होने के नाते इस मामले में हस्तक्षेप किया था ;

(ग) इन संघर्षों के बारे में भारत का क्या रुख है ;

(घ) क्या भारत ने भी विश्व में हथियारों की होड़ कम करने के दो बड़े राष्ट्रों के प्रयास का समर्थन किया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या विभिन्न देशों ने इन संघर्षों को रोकने में सहायता देने तथा बातचीत करने के लिए भारत को कहा था ; और

(च) यदि हां, तो भारत ने इन युद्धों के दौरान प्रभावित देशों को क्या सहायता दी है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक मालवीनस (फाकलैंड) के मामले का सम्बन्ध है, हम अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ निरन्तर निकट सम्पर्क बनाए हुए थे। हाल ही में हवाना में सम्पन्न गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय-ब्यूरो की मंत्री-स्तर की बैठक के अन्त में आम-सहमति से जारी की गई विज्ञप्ति से भी यह परिलक्षित होता है।

जहां तक लेबनान का सम्बन्ध है, हमने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायल के अकारण हमले की निन्दा की है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में गुटनिरपेक्ष तथा शांति-प्रिय देशों के सहयोग से एक संकल्प पारित कराया है जिसमें इजरायल को लेबनान से वापस जाने की मांग की गयी है।

(ग) जहां तक ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच संघर्ष के बारे में भारत के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, भारत ने पहले ही फरवरी, 1981 में नई दिल्ली-घोषणा का समर्थन किया था जिसमें द्वीपसमूहों पर अर्जेंटीना के दावे को स्वीकार किया गया है और ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच बातचीत में तेजी लाने की इच्छा व्यक्त की गई है। इस पृष्ठभूमि में 3 अप्रैल को भारत सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अर्जेंटीना द्वारा बल प्रयोग करने और यू० के० और अर्जेंटीना में राजनयिक सम्बन्ध भंग होने पर खेद प्रकट किया है और यह आशा व्यक्त की है कि इस मामले को हल करने के लिए बातचीत की गति तेज

की जाएगी। उक्त वक्तव्य में सभी सम्बन्धित पक्षों से बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी से परहेज करने का अनुरोध किया गया है।

लेबनानी संघर्ष : भारत सरकार का विश्वास है कि सभी पक्षों के सहयोग से शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा न्यायोचित और स्थायी समाधान की तत्काल आवश्यकता है, जिसके बिना लेबनान में और इस सम्पूर्ण क्षेत्र में शांति कायम नहीं होगी।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) लेबनान में केवल फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मामले में सहायता का सवाल सामने आया था। भारत ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अनुरोध पर मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए वहां एक चिकित्सा दल, दवाइयां और डाक्टरी उपस्कर भेजा है। लेबनानी सरकार के अनुरोध पर लेबनान को भी सहायता की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार इस गम्भीर समस्याओं के बारे में अन्य अनेक देशों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। प्रधान मंत्री ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष, यासेर अराफात को एक सन्देश भेजा है।

चीन-भारत सीमा वार्ता

*14. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई भारत-चीन वार्ता के दौरान सीमा सम्बन्धी विषय पर बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस वार्ता में कोई हल सुझाये गए हैं तथा तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या रहा ?

विदेशमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। सीमा के सवाल पर दोनों ओर के अधिकारियों के बीच दो बार बातचीत हो चुकी है, पहले 10 से 14 दिसम्बर, 1981 तक बेजिंग में और फिर 17 से 21 मई, 1982 तक नई दिल्ली में।

(ख) वार्ता के पिछले अधिवेशन में प्रत्येक पक्ष ने उन सिद्धान्तों और तरीकों पर अपने विचार प्रस्तुत किए जिनके आधार पर सीमा के सवाल का समाधान करने की दिशा और समाधान की खोज के लिए दिशा-निर्देश मिलेगा। दोनों पक्ष अब इन पर विचार कर रहे हैं। वार्ता की यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

बम्बई में स्थानीय रेलगाड़ियों का बन्द किया जाना

*15. **श्री सत्येंद्र नारायण सिंह :**
श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में पश्चिम रेलवे तथा मध्य रेलवे की अनेक स्थानीय रेलगाड़ियां बन्द कर दी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो ये गाड़ियां कब से बन्द की गई हैं, और

(ग) इतनी अधिक गाड़ियां बन्द करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 15-5-1982 से मध्य रेलवे पर उपनगरीय गाड़ियों की निर्धारित संख्या को 862 से घटाकर 842 कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया, चूंकि अत्यधिक भीड़भाड़ और मोटर कोचेज की वर्तमान स्थिति के कारण गाड़ियां बेहतर समय बनाये रखने योग्य नहीं हैं, इसलिए उपनगरीय गाड़ियों की बुक की गई रफ्तार 72 कि० मी० प्रति घंटा से घटाकर 65 कि० मी० प्रति घंटा कर दी गई है। पश्चिम रेलवे पर कोई गाड़ी रद्द नहीं की गई है। पश्चिमी रेलवे की सभी गाड़ियां पहले से ही 65 कि० मी० प्रति घंटा पर चलाई जा रही हैं।

तथापि, दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के कारण गाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द किया गया है।

21-6-82 को जनता द्वारा एक आन्दोलन किये जाने की वजह से मध्य रेलवे पर भारी संख्या में रेक क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके परिणामस्वरूप 37 गाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द किया गया है।

रेल सुरक्षा आयोग का प्रतिवेदन

*16. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा आयोग ने हाल में सरकार को सुरक्षा उपायों के बारे में एक प्रतिवेदन दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1980-81 में रेलवे संरक्षा आयोग के कार्य निष्पादन के बारे में रेल संरक्षा के मुख्य आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट से है। इस रिपोर्ट में आयोग का संक्षिप्त इतिहास, उसके कार्य, 1970-71 से आज तक हुई गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या, 1980-81 के दौरान हुई प्रत्येक दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संक्षिप्त विवरण सहित गम्भीर दुर्घटनाओं के सारांश, रेल परिसम्पत्तियों और परिचालन आदि के अनुरक्षण की दशा की सराहना की गई है। इस रिपोर्ट में एक अध्याय भी शामिल किया गया है

जिसमें रेलवे की संरक्षा के कुछ चुने हुए पहलुओं पर विपरीत प्रभाव के बारे में रेल संरक्षा के मुख्य आयुक्त की टिप्पणियां दी गई हैं।

(ग) रिपोर्ट में दुर्घटनाओं के बारे में स्वीकृत सिफारिशों के साथ-साथ आयोग के अधिकारियों द्वारा उनके आवधिक तथा अन्य निरीक्षणों के दौरान किये गये अवलोकनों के सम्बन्ध में रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक कारंवाई की गई है।

लेबनान पर इस्राइली हमला

*17. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

प्रो० रूप चन्द पाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेबनान पर इस्राइली हमले से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 209 को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन द्वारा कोई संयुक्त कार्यवाही किए जाने का सुझाव दिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अनुरोध किया है कि सुरक्षा परिषद के संकल्प सं० 508 और 509 पर तत्काल अमल किया जाए, वह इस संबंध में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के वर्तमान अध्यक्ष एवं विभिन्न सदस्यों से और विश्व के अन्य नेताओं के साथ संपर्क बनाए हुए है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सातवें आपातकालीन विशेष अधिवेशन में, जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अनुरोध पर पुनः आरम्भ हुआ, एक संकल्प पारित किया गया जिसके प्रस्तावकों में भारत भी था और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग भी की गई कि इजरायल सुरक्षा परिषद के संकल्प सं० 508 और 509 के प्रावधानों का पालन करे।

वृद्धों का वर्ष

*18. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1982 को "वृद्धों का वर्ष" घोषित किवा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश में वृद्ध लोगों के कल्याण हेतु कोई कार्यक्रम बनाने के लिए और उनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी नहीं।

(ख) इस वर्ष वृद्धों के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है, फिर भी वृद्धों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। एक विवरण जिसमें किए गए उपायों का संक्षिप्त वर्णन है, सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश में वृद्धों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :

(1) 20 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे 29 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। पेंशन की दर 25 रुपये से 60 रुपए प्रति मास तक है। सामान्यतया 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की आय बहुत कम है और कोई भी उनका भार वहन करने वाला नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

(2) सरकार के सेवा-निवृत कर्मचारियों द्वारा पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अवकाश-वेतन भुनाने के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। 1871 में पेंशन अधिनियम के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् से ही सरकारी कर्मचारी इन लाभों को प्राप्त करने के पात्र हो चुके हैं। उसके उपरान्त पेंशन की मात्रा में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है।

(3) हाल ही में सरकार ने केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत सेवा निवृति या मृत्यु उपरान्त भुगतान किया जाता है।

(4) उद्योग के संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सेवा-निवृति के समान लाभ उपलब्ध हैं। संगठित क्षेत्र को लाभ प्रदान करने वाली प्रचलित योजनाएं निम्नलिखित हैं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि योजना

(2) कर्मचारी परिवार पेंशन योजना

(3) कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना

(4) इन योजनाओं से 113 लाख अंशदाता लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(5) कोयला खान मजदूरों, बागान मजदूरों इत्यादि को समान लाभ प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं हैं।

एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिये प्रवेश परीक्षा

*19. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिये इस वर्ष होने वाली प्रवेश परीक्षा का उत्तरदायित्व किसी बाहरी एजेन्सी को सौंप रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इसी तरह अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में भी ऐसी परीक्षाओं को बाहरी एजेंसियों से कराने का हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में ही ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

अच्छी परिवहन सेवा के विकास के लिए और अधिक धनराशि

***20. श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री एम० एम० लारेन्स :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्यप्रदेश के परिवहन मंत्री द्वारा केन्द्र से की गयी इस मांग की ओर दिलाया गया है कि अच्छी परिवहन सेवाओं के विकास के लिए और अधिक धनराशि प्रदान की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सक्षम परिवहन सेवा के विकास के लिए केन्द्र से अतिरिक्त निधि मांगने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने 31-5-1982 को हुई परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में अपने भाषण में राज्य सरकार के वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बताया । मंत्री का आशय निधि मांगने से नहीं था किन्तु उन्होंने सुझाव दिया कि परिवहन सेवा के सम्बन्ध में राज्य और राज्य उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए ।

पटना-गया संघर्ष समिति के मजदूरों का धरना

1. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13-16 मई को पटना-गया, संघर्ष समिति के मजदूरों ने गया जहानाबाद, तारेगना, पुनपुन और पटना रेलवे स्टेशनों पर धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) पटना-गया संघर्ष समिति द्वारा की गयी मांगें निम्नलिखित हैं :

(1) पटना-गया रेल लाइन का दोहरीकरण।

(2) पटना-मोकामा, पटना-बक्सर तथा पटना-गया खंडों को उपनगरीय क्षेत्र घोषित करना।

(3) पटना-मसौढ़ी की जनता के हित में पुनपुन सिंचाई परियोजना को पूरा करना।

(4) पटना-मसौढ़ी के बीच पक्की सड़क का निर्माण।

(ग) पटना-गया रेल लाइन के दोहरीकरण की मांग के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गयी है :

पटना-गया खंड की मौजूदा क्षमता यातायात की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है। जहां तक पटना-मोकामा, पटना-बक्सर तथा पटना-गया खण्डों को उपनगरीय क्षेत्र घोषित करने की मांग का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मद 3 और 4 का सम्बन्ध रेलों से नहीं है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का स्वेच्छा पक्ष

2. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को ये निदेश जारी किए हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यालय के स्वेच्छा सम्बन्धी पक्ष को उभारा जाना चाहिए तथा परिवार नियोजन के क्षेत्र में निश्चित प्रयास किए जाने चाहिए;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परिवार नियोजन के क्षेत्र में ऐसी विभिन्न असंगतियों का जिनका निपटारा किया जाना है पुनरीक्षण कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम सदा "स्वैच्छिक" रहा है। चूंकि यह सभी अधिकारियों को पता ही है, इसलिए कोई विशेष हिदायतें जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम की निरन्तर मानीटरिंग और समीक्षा की जा रही है ताकि इसकी सूचना, जानकारी और प्रेरणा का प्रसार करके आवश्यक सेवाएं और सामग्री उपलब्ध की जा सके।

खराब और बहुत पुराने वैगनों का उपयोग किया जाना

3. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा अभी तक खराब और बहुत पुराने वैगनों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खराब और बहुत पुराने वैगनों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस समय देश में ऐसे वैगनों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार ने उनको बदलने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) खराब माल डिब्बे वे माल डिब्बे हैं जो कारखानों तथा परिवहन डिपुओं में मरम्मताधीन हैं। ऐसे माल डिब्बे सभी पहलुओं से ठीक किए जाने के बाद गाड़ी सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ गतायु माल डिब्बों को सेवा में केवल तभी बनाए रखा जाता है जब वे सभी पहलुओं से चलने लायक तथा उपयुक्त हों। ऐसे माल डिब्बों के प्रयोग से संरक्षा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होती।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान खराब माल डिब्बों अथवा मरम्मताधीन माल डिब्बों की संख्या मुख्यतः बिजली सप्लाई की कमी तथा महत्वपूर्ण पुर्जों की सप्लाई न होने के कारण बढ़ी है। बहरहाल, 1982 के दौरान बड़ी लाइन के खराब माल डिब्बों के प्रतिशत में कुछ सुधार हुआ है। गतायु माल डिब्बों की संख्या 31-3-81 को लगभग 37,800 थी जबकि 31-3-82 को घटकर 28,000 हो गयी।

(ग) अप्रैल 1982 के दौरान कुल खराब डिब्बे (ब० ला० तथा मी० ला०) लगभग 33,500 थे और 31-3-82 को गतायु माल डिब्बे 28,000 थे।

(घ) माल डिब्बों की संख्या कम करने के लिए कारखानों तथा डिपुओं में अनुरक्षण क्षमता मूलतः बढ़ायी जा रही है। उदाहरण के लिए 1981-82 के दौरान प्रति माह 7450 माल डिब्बों की आवधिक ओवरहाल की औसत निकासी की तुलना में जून 1982 की निकासी 8320 माल डिब्बे थी। ऐसा ही सुधार डिपुओं में भी आया है। इससे खराब माल डिब्बों की संख्या कम हो जायेगी। गतायु माल डिब्बों की संख्या पहले ही घट रही है। छठी योजना अवधि के दौरान बदलाव के लिए 78,000 माल डिब्बों की कुल खरीद में से 50,000 माल डिब्बों के इस्तेमाल का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ गतायु माल डिब्बों को नकारा करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

भटिंडा-कोटकापुरा-फाजिल्का रेलवे लाइनों का बदला जाना

4. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उत्तर रेलवे के भटिंडा-कोटकापुरा-फाजिलका रेलवे लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं और परियोजना को पूरा करने की संभावित तिथि क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो किस संभावित तिथि तक सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा और उस पर काम आरम्भ हो जाएगा; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आशा है कि 1983 के मध्य तक सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा।

(घ) उत्तर रेलवे में भारी संख्या में किये जा रहे सर्वेक्षणों और रक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षणों तथा रेलवे प्रणाली पर अपेक्षित परिवहन क्षमता पैदा करने के लिए अपेक्षित लाइन क्षमता से सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए सर्वेक्षणों को उच्चतर प्राथमिकता दिये जाने के कारण विलम्ब हुआ।

शैक्षणिक संस्थाओं में "रैगिंग"

5. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :

क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को पत्र भेजे हैं;

(ख) क्या चालू शैक्षणिक वर्ष (जुलाई 1982) से रैगिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी; और

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उपर्युक्त निर्णय का कार्यान्वयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को सुझाए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को समाप्त करने के लिए सुझाए गए उपाय

1. परिसर के अन्दर अथवा बाहर किसी भी प्रकार की रैगिंग पर संस्था/विश्वविद्यालय के प्रधान के कार्यकारी आदेश द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

2. जूनियर छात्रों की रैगिंग करते पाए जाने वाले छात्रों को संस्था/विश्वविद्यालय से फौरन निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।

3. नया सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व, संस्था/विश्वविद्यालय के प्रधान को सीनियर कक्षाओं के

छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को लिखना चाहिए जिसमें उन्हें रैगिंग के संभाव्य परिणामों से सूचित किया जाना चाहिए तथा उनसे यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों को रैगिंग में न सम्मिलित होने का अनुदेश दें।

4. छात्रों को खुले परिपत्रों के माध्यम से रैगिंग के लिए दण्ड व्यवस्था का पूरा प्रचार किया जाना चाहिए तथा आवास के कमरों में उपयुक्त इश्तहार लगाना चाहिए।

5. प्रत्येक नये छात्र को वरिष्ठ संकाय/प्रशासकीय अधिकारियों के टेलीफोन नं० दिए जाने चाहिए और उन्हें यह सलाह दी जानी चाहिए कि यदि ऐसी कोई परिस्थितियां हों तो बिना नाम बताए इन नम्बरों द्वारा रैगिंग की सभी घटनाओं की रिपोर्ट देंगे।

6. आवास के हाल के वरिष्ठ छात्रों को इस बुराई से निपटने में संकाय और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

7. वार्डन्स, अन्य वरिष्ठ प्राध्यापकों, वरिष्ठ छात्रों और सुरक्षा कर्मचारियों सहित दस्तों को आवास के उन हालों में जहां नए छात्र रहते हैं, कम से कम सत्र के प्रारम्भ होने के प्रथम माह में नियमित रूप से रात-भर गश्त लगानी चाहिए।

8. सत्र प्रारम्भ होने के प्रथम माह को प्रत्येक संध्या के लिए बाह्य कार्यकलाप अर्थात नाटक, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए ताकि छात्र रचनात्मक कार्यों में लग सकें और शरारत के लिए उन्हें समय न मिल सके। इन कार्यकलापों से नए छात्रों को अपने आपको नए वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता भी मिल सकेगी।

9. सभी नए छात्रों को एक छोटे ग्रुप में संकाय के वरिष्ठ सदस्य के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए जिसे छात्रों को नए वातावरण में ढालने की प्रक्रिया में सहायता करनी चाहिए और उसे एक शैक्षिक और निजी शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।

10. प्राध्यापक और वरिष्ठ छात्रों तथा प्रशासकीय अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित की जानी चाहिए और संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रधान उसके अध्यक्ष होंगे जो समय-समय पर स्थिति पर निगरानी रखा करेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, विकास और रख-रखाव

6. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, विकास और रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ;

(ख) क्या वर्तमान यातायात और भार आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राज-मार्गों की मोटाई पर्याप्त है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) छठी योजना

(1980-85) के अन्तर्गत चालू योजना अवधि में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और विस्तार के लिए 660 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। सड़कों का अनुरक्षण करना एक गैर-योजना कार्य है और इस तरह के अनुरक्षण कार्य के लिए कोई पांच वर्षीय योजना नहीं है। अब तक जो धनराशि आवंटित की गयी है, वह इस प्रकार है :

	विकास और विस्तार	अनुरक्षण
	(करोड़ रुपये)	
1980-81	92.31	37.75
1981-82	109.45	47.00
1982-83 (बजट)	115.80	47.00

बाद के वर्षों में धन का आवंटन करना संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करेगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सड़कों की विभिन्न प्रकार की खराबियों को दूर करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें सड़कों को मजबूत करना भी शामिल है जो संसाधनों के उपलब्ध होने और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर है।

पकूर रेलवे स्टेशन पर लादे गये 'ई' तथा 'सी' वैगन

7. **श्री सुधीर गिरि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में बिहार में पकूर रेलवे स्टेशन पर पत्थर व्यापारियों द्वारा मद 'ई' (प्राइवेट सप्लाई) और मद 'सी' (सरकारी सप्लाई) से लादे गये वैगनों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : गत तीन वर्षों के दौरान पकूर रेलवे स्टेशन पर प्राथमिकता 'ङ' और 'ग' के अन्तर्गत पत्थर से लादे गये माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	मद 'ङ'	मद 'ग'
1979-80	10062	28965
1980-81	9640	28914
1981-82	13388	25504

एशियाई खेल 1982 में भाग लेने वाले देश

8. **श्री मोहन लाल पटेल** :
श्री नवीन रवाणी :
श्री मोहम्मद असरार अहमद :

क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के आयोजन के लिए कौन-कौन-सी तारीखें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) कितने और कौन-कौन-से देशों को एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया है ;

(ग) किन-किन देशों ने अपनी स्वीकृति भेज दी है तथा भाग लेने वाला ऐसा प्रत्येक देश कितने-कितने खिलाड़ी भेजेगा ;

(घ) क्या किसी देश ने एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए मना भी किया है ;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन-से देश हैं तथा उन्होंने इसके लिए क्या कारण बताए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) नौवें एशियाई खेल 1982, 19 नवम्बर, 1982 से 4 दिसम्बर 1982 तक आयोजित किए जाएंगे ।

(ख) विवरण सलंग्न है ।

(ग) विवरण सलंग्न है ।

(घ) जी नहीं ;

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विविरण-1

उन देशों के नाम, जिन्हें खेलों के लिए विशेष आयोजन समिति IX द्वारा एशियाई, खेल, 1982 में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं ।

1. अफगानिस्तान
2. बहरीन
3. बांगला देश
4. ब्रूनी
5. बर्मा
6. चीन
7. कोरिया (पी० आर० के०)
8. हांग कांग
9. इन्डोनेशिया
10. ईरान
11. इराक
12. जापान
13. कोरिया (के० ओ० आर०)
14. कुवैत
15. लाओस
16. लेबनान
17. मलेशिया
18. मंगोलिया
19. नेपाल
20. पाकिस्तान
21. फिलिपाइन्स
22. कतार
23. साऊदी अरब
24. सिंगापुर
25. श्रीलंका
26. सीरिया
27. थाईलैंड
28. संयुक्त अरब अमीरात
29. बीएतनाम
30. यमन (एस० ए० एन०)
31. यमन (ए० डी० ई०)
32. भारत

विवरण-2

6-7- 1982 की यथास्थिति के अनुसार

उन देशों के नाम जिन्होंने एशियाई खेल, 1982 में भाग लेने के लिए अपनी अस्थाई सहमति दी है।		खिलाड़ियों की संख्या जो खेलों में भाग लेंगे।
1		2
1.	अफगानिस्तान	नहीं दिया गया
2.	बहरीन	नहीं दिया गया
3.	बंगला देश	नहीं दिया गया
4.	बर्मा	नहीं दिया गया
5.	चीन	400
6.	कोरिया	441
7.	हांगकांग	222
8.	इंडोनेशिया	131
9.	ईरान	230
10	इराक	नहीं दिया गया
11.	जापान	470
12.	कोरिया (पी० आर० के०)	300
13.	कुवैत	305
14.	लाओस	68
15.	मलेशिया	371
16.	मंगोलिया	101
17.	पाकिस्तान	100/256
18.	कतार	नहीं दिया गया
19.	साऊदी अरब	375
20.	सिंगापुर	50
21.	श्रीलंका	125
22.	सीरिया	60

1		2
23.	संयुक्त अरब अमीरात	220
24,	वीएतनाम	30
25.	यमन (एस० ए० एन०)	नहीं दिया गया
26.	यमन (ए० डी० ई०)	नहीं दिया गया
27.	भारत	493

व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार

9. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा के प्रति क्रियाशील नहीं है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों से सिफारिश की गई है। शैक्षिक सत्र 1981-82 तक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा दिल्ली, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों ने +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। कई अन्य राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों ने भी इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए प्रारम्भिक कार्रवाही की है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद व्यावसायिक सर्वेक्षण शुरू करने, अध्यापकों के अनुस्थापन, पाठ्यक्रम तैयार करने तथा अन्य अनुदेशात्मक सामग्री इत्यादि में उनकी सहायता कर रही है।

प्रथम डिग्री स्तर पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है परन्तु पाठ्यक्रमों को दुबारा तैयार करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ताकि क्षेत्र में रोजगार अवसरों के लिए शिक्षा को अनुकूल बनाया जा सके।

बख्तियारपुर स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रुकना

10. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बख्तियारपुर जंक्शन केवल एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पावापुरी, नालंदा और राजगृह आदि जैसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों को मिलाता है,

(ख) क्या यह सच है कि बख्तियारपुर जंक्शन पर हिमगिरि, डीलक्स, तिनसुकिया, विक्रम-

शिला, जयन्ती जनता जैसी सुपर फास्ट रेल गाड़ियों के न रुकने के कारण समूचे भारत से और यहां तक कि विदेशों से आने वाले तीर्थयात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त रेलवे स्टेशन पर उपरोक्त रेल गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करने की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री श्री (मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस समय बख्तियारपुर स्टेशन 11 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 18 जोड़ी गाड़ियों द्वारा सेवित है। इस स्टेशन पर 173/174 हिमगिरि एक्सप्रेस, 103/104 वातानुकूल एक्सप्रेस, 155/156 तिनसुकिया मेल, 167/168 विक्रमशिला एक्सप्रेस और 153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियों को ठहराना न तो वांछनीय ही है और न ही व्यावहारिक, क्योंकि ऐसा करने से इसके बराबर के या अधिक महत्व वाले अन्य स्टेशनों से भी इसी प्रकार की मांगें की जाने लगेंगी जिसका कुल मिलाकर प्रभाव यह पड़ेगा कि इन तेज गाड़ियों की गति काफी हद तक कम हो जायेगी।

जोनल रोड पर यातायात की अधिकता का सर्वेक्षण

11. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री जोनल रोड पर राव तुलाराम मार्ग से बाहरी रिंग रोड, नई दिल्ली तक यातायात की सघनता का सर्वेक्षण के बारे में 29 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10148 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रश्नाधीन जोनल रोड पर यातायात की अधिकता के बारे में किए गए सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले,

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि राव तुलाराम मार्ग से दक्षिणी मोती बाग और शान्ति निकेतन जाने वाले चौराहे पर संकेतक बत्ती के न होने के कारण मोटरगाड़ी यातायात और पैदल चलने वालों के लिए यहां पर सड़क पार करना बहुत खतरनाक है,

(ग) क्या हाल में इस चौराहे पर कोई घातक दुर्घटना हुई थी,

(घ) क्या सरकार इस खतरनाक चौराहे पर जेब्रा लाइन खिंचवाने और संकेतक बत्ती लगवाने की सार्थकता पर विचार करेगी, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा किए यातायात संबंधी सर्वेक्षण से यह पता चला है कि व्यस्त समय में अधिकाधिक यातायात की मात्रा 254 पी० सी० यू० है जो अधिक नहीं है।

(ख) से (घ) दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पिछले तीन महीनों में इस स्थान पर कोई भीषण दुर्घटना नहीं हुई। चूंकि, इस चौराहे से सभी तरह की गाड़ियां आती-जाती हैं, पैदल चलने

वालों की सुरक्षा के लिए दिल्ली प्रशासन ने जेबरा क्रासिंग की व्यवस्था की है। फिलहाल, उन्होंने वहां ब्लिकर बत्तियों की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा है।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

महानगरों में राज्य परिवहन की बसों को होने वाला घाटा

12. श्री सुनील मैत्रा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में महानगर वार अलग-अलग औसतन कितनी बसें प्रतिदिन चलती हैं, और

(ख) दिल्ली परिवहन निगम, बेस्ट (बी० ई० एस० टी०), कलकत्ता राज्य परिवहन निगम और टी० एन० एस० आर० टी० को पिछले तीन वर्षों में वर्षवार अलग-अलग कितना घाटा हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मार्च, 1982 में चलने वाली बसों की दैनिक औसत संख्या नीचे दी गई है :

(1) बी० ई० एस० टी०, बम्बई	1952
(2) कलकत्ता एस० टी० सी०	740
(3) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली	3161
(4) पल्लवन (एम०) मद्रास	1742

बसों की कुल संख्या संबंधी सूचना जिसमें प्राइवेट चालकों की सूचना भी शामिल है, एकत्र की जा रही है।

(ख) बी० ई० एस० टी०, बम्बई; कलकत्ता एस० टी० सी०; पल्लवन परिवहन निगम, मद्रास और दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में उठाए गए घाटे का विवरण नीचे दिया गया है :

	1979-80	1980-81	1981-82
1. बी० ई० एस० टी०. बम्बई	778.69	1283.46	1414.98
2. कलकत्ता एस० टी० सी०	1598.86	1576.00	उपलब्ध नहीं
3. दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली	1770.58	3064.65	5115.28
4. पल्लवन परिवहन निगम मद्रास	63.16	747.65	उपलब्ध नहीं

स्टीम लोको शेडों की मानव-शक्ति सम्बन्धी योजना

13. श्री ई० बालानन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन स्टीम लोको शेडों के सम्बन्ध में मानव-शक्ति की कोई योजना है, जिन स्टीम इंजनों के बहुत पुराने होने के कारण बन्द किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और(ख) भाप लोको शेडों को बन्द करने के कारण फालतू घोषित लोको रनिंग कर्मचारियों में से पात्र कर्मचारियों को बिजली और डीजल लोको परिचालन में प्रशिक्षण दिया जाता है। शेडों में फालतू घोषित अनुरक्षण कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण के बाद डीजल साइड में तैनात कर दिया जाता है। जहां ऐसा करना संभव नहीं है, वहां पर इन कर्मचारियों को अन्य विभागों में वैकल्पिक कोटियों में समाहित कर लिया जाता है। भाप साइड में फालतू पाये जाने वाले कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य रेलवे में उपनगरीय रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

14. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 मई, 1982 से मध्य रेलवे की 42 उपनगरीय रेलगाड़ियां रद्द की गयी हैं और उपनगरीय दैनिक यात्रियों को 'रिटर्न टिकट' की मूल सुविधा समाप्त कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जनता पार्टी की डोम्बलो यूनिट ने मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें प्रशासन का ध्यान दैनिक यात्रियों की इन शिकायतों की ओर लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो बम्बई उपनगरीय दैनिक यात्रियों की इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 15-5-82 से मध्य रेलवे पर प्रति दिन उपनगरीय गाड़ियों की संख्या 862 से घटाकर 842 कर दी गई है। वापसी यात्रा पूरी करने के लिए बम्बई में उपनगरीय खंड पर जारी किये गये वापसी टिकटों की वैधता अवधि, जारी करने के दिन की अर्ध रात्रि रखी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) शिकायतों की जांच की गई है और उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है। मुख्य शिकायत गाड़ियों के फेरे बढ़ाने के लिए थी जो अतिरिक्त बिजली गाड़ियों के प्राप्त होने पर तथा मौजूदा गतायु स्टाक के बदले जाने के बाद ही बढ़ाई जा सकती है।

राज्य सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

15. **श्री नवीन रवाणी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) सितम्बर, 1980 में कुल प्राथमिकता आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र से छह सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। बाद में फरवरी, 1981 में राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजधानियां, जयपुर से भोपाल के बीच जोड़ने के ख्याल से मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को ब्यावर से जयपुर तक बढ़ाया गया था। इन राष्ट्रीय राजमार्गों और पहले से मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर अब ध्यान दिया जा रहा है। वित्तीय सीमा के कारण भारत सरकार इस समय किसी भी राज्य की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने की स्थिति में नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	2
4.	बिहार	6
5.	गुजरात	4
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	कर्नाटक	11
8.	केरल	3
9.	मध्य प्रदेश	23
10.	महाराष्ट्र	13
11.	मणिपुर	1
12.	मेघालय	1
13.	मिजोरम	1

1	2	3
14.	उड़ीसा	1
15.	पांडिचेरी	1
16.	पंजाब	2
17.	राजस्थान	1
18.	तमिलनाडु	2
19.	त्रिपुरा	1
20.	उत्तर प्रदेश	16
		100

राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय परमिट

16. **श्री निहाल सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन प्राधिकरणों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने नये राष्ट्रीय/क्षेत्रीय परमिट जारी किए गए ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : वर्ष 1979 में भारत सरकार ने राज्य सरकार/संघ प्रशासनों द्वारा आवंटन करने के लिए 8,300 राष्ट्रीय परमिटों का आवंटन किया। यह आवंटन अक्टूबर 1980 में 16,600 तक बढ़ा दिया गया है। अब तक राज्य सरकार/संघ प्रशासनों से प्राप्त सूचना के आधार पर 13,000 राष्ट्रीय परमिटों का आवंटन किया जा चुका है और शेष परमिटों के आवंटन का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार क्षेत्रीय 22, 196 परमिटों में से 12,300 परमिटों का आवंटन किया जा चुका है और शेष परमिटों के आवंटन का कार्य किया जा रहा है।

रेल मंत्रालय के अन्तर्गत समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधियों का मनोनयन

17. **श्री भीखा भाई : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति, क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति/मंडलीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति जैसी तथा अन्य समितियों की संख्या क्या है, जिनमें मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तथा इन समितियों के सदस्य कौन-कौन-से हैं और उनका कार्यकाल क्या है,

(ख) ये समितियां किस तिथि को गठित की गई थीं और उनका वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त होगा,

(ग) इन समितियों के मनोनीत किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों का ब्यौरा क्या है,

(घ) यदि इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों में लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति/क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति तथा ऐसी अन्य समितियों में मनोनीत करने सम्बन्धी सिफारिशें विचाराधीन हैं और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) परामर्श समितियां जो रेलों पर कार्य कर रही थीं, बोझिल हो गयी थीं और वे अपना प्रतिनिधित्व स्वरूप खो चुकी थीं। इनका नवीकरण करने की दृष्टि से ये भंग कर दी गयी थीं और नयी समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श परिषद, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों तथा मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का गठन तथा कार्यकाल संलग्न विवरणों में दिये गये हैं।

विवरण-1

राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद-1

प्रधान कार्यालय	नयी दिल्ली
कार्यकाल	दो वर्ष
अध्यक्ष	रेल मंत्री

गठन :

1. निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव :
   (क) उद्योग
   (ख) वाणिज्य
   (ग) पर्यटन एवं नागर विमानन = 3
2. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यगण = 5
3. संसद सदस्य : लोक सभा = 10, राज्य सभा = 5 } = 15
4. प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति से एक चुनिन्दा प्रतिनिधि = 9

5. निम्नलिखित प्रत्येक अखिल भारतीय एसोसिएशनों से एक सदस्य :

(क) संघबद्ध वाणिज्य मंडल
(ख) वाणिज्य एवं उद्योग सम्बद्ध मंडल
(ग) भारतीय जूट मिल एसोसिएशन
(घ) भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन
(ङ) अखिल भारतीय निर्माता संगठन
(च) सीमेंट निर्माता एसोसिएशन
(छ) अखिल भारतीय यात्रा एजेंट एसोसिएशन तथा ऐसी ही अखिल भारतीय एसोसिएशनें। इन एसोसिएशनों से बारी-बारी से सदस्य लिये जायेंगे। =7

6. कृषि सम्बन्धी हित =1

7. दो सेवा निवृत्त रेल अधिकारी (बोर्ड सदस्य/महाप्रबन्धक) =2

8. ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें मंत्री ऐसे हितों के प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त करें जिन्हें वह परिषद में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक समझते हैं।

विवरण-2

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियां-9

प्रधान कार्यालय	प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे का प्रधान कार्यालय
कार्यकाल	दो वर्ष
अध्यक्ष	सम्बन्धित क्षेत्रीय रेलवे का महाप्रबन्धक

गठन :

1. राज्य सरकार के प्रतिनिधि—रेलवे द्वारा सेवित प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि—सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की जायेगी।

2. राज्य विधान मंडल से एक-एक सदस्य—सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जायेगी।

3. कम से कम 5 वर्ष की अवधि वाली वाणिज्य एवं व्यापार एसोसिएशन के प्रधान चैम्बर— =5

4. कृषि एसोसिएशनों के प्रतिनिधि—राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। =2

5. प्रत्येक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति से एक चुना गया प्रतिनिधि।

6. रेलों द्वारा सेवित पत्तनों के मामले में पत्तनों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनिधि—(पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर केवल एक ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को प्रतिनिधित्व दिया जाय) =2

7. पंजीकृत यात्री एसोसिएशनें। =2

8. संसद सदस्य : लोक सभा =2, राज्य सभा =1 } =3

9. विशेष हित

निम्नलिखित द्वारा मनोनीत :

(1) महाप्रबन्धक =1
(2) रेल मंत्रियों =8 } =9

विवरण-3

मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियां-55

प्रधान कार्यालय	मंडल प्रधान कार्यालय
कार्यकाल	दो वर्ष
अध्यक्ष	सम्बन्धित मंडल का मंडल रेल प्रबन्धक

गठन :

1. वाणिज्य, व्यापार एसोसिएशनों तथा उद्योग एवं कृषि एसोसिएशनों के स्थानीय चैम्बरों के एक-एक प्रतिनिधि : =6

2. क्षेत्र में पंजीकृत यात्री एसोसिएशनें। =2

3. राज्य सरकार के प्रतिनिधि—रेलों द्वारा सेवित राज्यों से एक-एक प्रतिनिधि—सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की जायेगी।

4. राज्य विधान मंडल से एक-एक सदस्य—सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जायेगी।

5. संसद सदस्य : लोक सभा =1, राज्य सभा =1 } =2

6. विशेष हित :

निम्नलिखित द्वारा मनोनीत :

(1) महाप्रबन्धक =1
(2) रेल मंत्री =8 } =9

(1) रेलों से सम्बन्धित लाभ का कार्यभार सम्हाल रहे व्यक्तियों अर्थात् खानपान तथा वेंडिंग ठेकेदारों, आउट एजेंसी ठेकेदारों, सम्हलाई ठेकेदारों, इंजीनियरी ठेकेदारों आदि को रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों तथा राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की सदस्यता से वंचित रखा जाता है।

(2) संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर इन समितियों/परिषद में संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।

बड़े तेल वाहक जहाजों द्वारा अरब सागर का प्रदूषण

18. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़े तेल वाहक जहाज, जो खाड़ी के देशों से जापान में तेल ले जाते हैं, वापस आते हुए अरब सागर में तेल उपशिष्ट की भारी मात्रा डाल देते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र प्रदूषण निवारण सम्मेलन प्रतिवेदन 1973 और अन्तः सरकारी समुद्री सीमा परामर्शदात्री संगठन प्रतिवेदन द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन है, और

(ग) यह समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण का निवारण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1954 के उपबन्ध, इण्डियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट में निहित हैं। इन उपबन्धों के अनुसार कोई भी भारतीय अथवा विदेशी टैंकर अथवा कोई अन्य जहाज मर्चेंट शिपिंग (तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण का निवारण) नियम, 1974 द्वारा निर्दिष्ट किसी भी निषिद्ध क्षेत्र के अन्दर तैल अथवा तैल पदार्थ को नहीं फेंक सकता है। उक्त अधिनियम के अनुसार जहाजों द्वारा इन उपबन्धों का उल्लंघन करना दंडनीय है।

जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1973 नामक एक समेकित अभिसमय, 1954 के अभिसमय के स्थान पर लागू करने के लिए अंगीकार किया गया। वर्ष 1978 में 1973 के अभिसमय के प्रोतोकोल को भी अंगीकार किया गया। 1973 के अभिसमय और इसके 1978 के प्रोतोकोल का उद्देश्य तेल और अन्य दूषण पदार्थों द्वारा समुद्र का प्रदूषण होने से रोकना है। ये दोनों व्यवस्थायें अभी प्रभावी नहीं हुई हैं। भारत इन दोनों व्यवस्थाओं को सम्पुष्ट करने का विचार कर रहा है।

तिनसुकिया मेल दुर्घटना

19. **श्री हरीश रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 जून, 1982 को तिनसुकिया डाक गाड़ी दुर्घटना में कितने लोग मारे गये और घायल हुए,

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण थे, और

(ग) मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गये और 2 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ख) प्रथम दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण हुई हो। इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को अनुकम्पा के आधार पर अभी तक 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान किया गया है।

पारथीनियम पौधे में वृद्धि

20. **डा० ए० यू० आजमी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में और उसके आसपास तथा चिड़िया घर और मथुरा रोड में पारथीनियम पौधे, जो विषाक्त हैं, पर्याप्त मात्रा में बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या आदमियों पर पारथीनियम का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है और इस पौधे की खुशबू सूंघने पर टी० बी० और दमा जैसे रोग हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में जहां भी ऐसे पौधे हैं उनको हटाने के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पारथीनियम के पौधों अथवा फूलों की गन्ध सूंघने से क्षयरोग हो सकता है। क्षयरोग एक छूत की बीमारी है और यह ट्यूबर्कल बेसिली से होता है। कुछ लोग पारथीनियम घास के एलर्जिक होते हैं और कुछ लोगों में यह एलर्जिक प्रतिक्रिया पारथीनियम के पराग को सूंघने अथवा स्पर्श के कारण भी हो सकती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जून 1982 के दौरान राजधानी में जूनियर डाक्टरों द्वारा हड़ताल

21. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री विजय कुमार यादव :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
डा० सरदीश राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया फेडेरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए आह्वान के परिणामस्वरूप जूनियर डाक्टरों द्वारा की गई हड़ताल के कारण राजधानी के मुख्य सरकारी अस्पतालों में विशेष तौर पर बाह्य कक्ष की सेवाएं 8 जून, 1982 को भंग हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मांगें रखी थीं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और यदि मामले को ठीक करने के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जाता तो क्या हड़ताल रोकी जा सकती थी और जनता को असुविधा से बचाया जा सकता था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं। दिल्ली के बड़े-बड़े सरकारी अस्पतालों में 8 जून, 1982 को सुचारु रूप से कार्य चलता रहा।

(ख) ऑल इंडिया फेडेरेशन आप जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन के मांग-पत्र की प्रति संलग्न है।

(ग) चूंकि विभिन्न मांगों पर विशेषकर ठोस किस्म की मांगों पर राज्य सरकारों से समुचित विचार करके कोई निर्णय लेना होता है, इसलिए इस मंत्रालय ने उन्हें इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र लिख दिया है। उक्त फेडरेशन के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा 23 अप्रैल, 1982 को ली गई बैठक में सरकार की स्थिति से अवगत करा दिया गया था।

मांग-पत्र

(1) स्वास्थ्य परिचर्या का अधिकार मूलभूत अधिकार होना चाहिए।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा तत्काल गठित की जाए।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे दर्जे की स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से नया प्रस्तावित तीन वर्षीय एम० बी० बी० एस० (डिप्लोमा) कोर्स तुरन्त बन्द कर दिया जाए।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस स्थापित करने के लिए जो डाक्टर अपना रोजगार स्वयं चलाना चाहें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण आसानी से उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, उन्हें शुरू में बेरोजगारी-भत्ता भी दिया जाए।

(5) ग्रामीण इन्टर्नशिप की अवधि तीन मास से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे देहाती लोगों का तो कोई भला होता नहीं, उल्टे इन्टर्नों के प्रशिक्षण में बाधा पड़ती है।

(6) मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या क्षेत्र विशेष की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और नौकरी के उपलब्ध अवसरों के साथ जुड़ी होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी डाक्टरों को समुचित काम मिल जाए।

(7) सभी कनिष्ठ डाक्टरों के काम के घण्टे प्रत्येक सप्ताह में अधिकतम 48 निर्धारित किए जाएं। साथ ही, नियत समय के बाद किए गए कार्य के लिए उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाए।

(8) सभी कनिष्ठ डाक्टरों को छुट्टी सम्बन्धी सारे लाभ अर्थात अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, बीमारी की छुट्टी और प्रसूति छुट्टी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही मिलने चाहिए।

(9) सभी कनिष्ठ डाक्टरों के वेतनमान उनकी अर्हताओं के अनुरूप उपयुक्त तरीके से बढ़ाए जाएं क्योंकि वे इस अवधि में बड़े डाक्टरों या विशेषज्ञों के रूप में कार्य करते हैं।

(10) वार्षिक वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन के लिए कनिष्ठ डाक्टरों के पदों पर की गई सेवा का उन्हें पूरा लाभ दिया जाना चाहिए।

(11) एक भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन तत्काल किया जाना चाहिए।

(12) मेडिकल कालेजों में कैपीटेशन फीस तुरन्त बन्द होनी चाहिए।

(13) कनिष्ठ डाक्टरों से सम्बन्धित निर्णय लेने वाली सभी संस्थाओं में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(14) स्नातकोत्तर कोर्स के लिए शोध-प्रबन्ध की प्रथा बन्द की जाए।

खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिक द्वारा की गई शिकायतें

22. **श्री के० ए० राजन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़ी देशों और लिबिया में काम करने वाले अनेक भारतीय प्रवासी श्रमिकों ने दुर्व्यवहार, कुशल कार्य के बारे में रोजगार के आश्वासन को पूरा न करने, स्थानीय पुलिस की ज्यादतियों, मजूरी के भुगतान को रोकने आदि की शिकायतें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन देशों में नियुक्त अपने कूटनीतिक अधिकारियों के माध्यम से इन शिकायतों की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) (ग) और (घ) जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच की जाती है और सम्बद्ध देशों के प्राधिकारियों तथा सम्बद्ध नियोक्ताओं से बातचीत करके इन्हें दूर करने के प्रयास किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर विलम्ब शुल्क की बकाया धनराशि

23. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री सूरज भान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम विशेषकर इस्पात, विद्युत, कोयला और उर्वरक की ओर विलम्ब शुल्क की कितनी राशि बकाया है;

(ख) ऐसी अन्य पार्टियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर एक लाख अथवा इससे अधिक राशि का विलम्ब शुल्क बकाया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और क्या मार्गदर्शी निर्देश निर्धारित किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कटिहार स्थित एन० एफ० रेलवे के लोको शेड तथा स्टोर को अन्यत्र ले जाया जाना

24. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटिहार स्थित एन० एफ० रेलवे के लोको शेड तथा स्टोर को बन्द किया जा रहा है और उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किन कारणों से प्रेरित होकर लिया गया, और

(ग) क्या यह निर्णय बदलने की अब भी कोई गुंजाइश है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे कटिहार में इंजन शेड तथा भंडार बन्द होने नहीं जा रहा है। मीटर लाइन इंजन शेड को हटाने और इसे कटिहार में मौजूदा बड़ी लाइन शेड में मिलाने का प्रस्ताव है। कटिहार में भंडार डिपो को मौजूदा स्थान से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) बरौनी-कटिहार मीटर लाइन खंड के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन को देखते हुए कटिहार यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया है।

(ग) मीटर लाइन शेड के हटाने के बाद भी लोको शेड तथा भंडार डिपो कटिहार में रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय अधिकारी के छुरा घोपा जाना

25. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** :
श्री एच० एम० नंजे गौडा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने रल्फ बन्च पार्क में एक भारतीय अधिकारी को छुरा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र के एक भारतीय कर्मचारियों को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की इमारत के पास छुरा घोंप दिया गया था। यद्यपि सरकार को इस घटना पर बहुत खेद है लेकिन इस मामले में

खासतौर पर कोई कार्रवाई करने की स्थिति वहां नहीं है क्योंकि कानून और व्यवस्था को लागू करना पूर्णतः सम्बन्धित सिविल प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में होता है जो इस मामले में न्यूयार्क सिटी के सिविल प्राधिकारी हैं। ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि इस घटना के आहत व्यक्ति ने न्यूयार्क स्थित भारतीय मिशन से कोई सहायता मांगी हो।

गोंदिया और जबलपुर के बीच रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

26. **श्री उत्तम राठौर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर डिवीजन के अन्तर्गत गोंदिया और जबलपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं,

(ख) क्या पिछले वर्ष अनेक बार वे चार से पांच घंटे तक विलम्ब से चल रही थीं, और

(ग) रेलगाड़ियों को समय पर चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) गोंदिया-जबलपुर खंड पर गाड़ियों का समय.पालन संतोषजनक नहीं रहा है। तथापि, सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में इस खंड पर गाड़ियों के निष्पादन में पहले से ही पर्याप्त रूप से सुधर हुआ है। इसमें अभी और अधिक सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

तिरुपति से कटपडी के बीच बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण

27. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति से कटपडी के बीच बड़ी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना कार्य किया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) तिरुपति-कटपडी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य को 1982-83 के बजट में अनुमोदित कर दिया गया है। कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था कर दी गयी है।

चीन का रेलवे प्रतिनिधि मंडल

28. **श्रीमती संयोगिता राने** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन तथा भारत के बीच कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए चीन के एक रेलवे प्रतिनिधि मंडल का विचार भारत की यात्रा करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हाल ही में, दोनों देशों के बीच विशेषज्ञों के द्विपक्षीय आदान-प्रदान के भाग के रूप में भारतीय रेल अधिकारियों ने प्युपिल्स रिपब्लिक आफ चाइना का दौरा किया था। सम्बन्धों और परस्पर वार्ता को जारी रखने की दृष्टि से, प्युपिल्स रिपब्लिक आफ चाइना के रेल मंत्रालय के वाइस मंत्री को एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने और भारत आने का निमंत्रण दिया गया है।

गोरखपुर से बम्बई-कलकत्ता और दिल्ली के लिए सीधी गाड़ियां

29. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर से बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के लिये तथा वहां से वापसी के लिए सीधी गाड़ियां चलाने की मांग लोगों द्वारा काफी लम्बे समय से की जा रही है,

(ख) बड़ी लाइन के निर्माण के बाद अब मंत्रालय को क्या कठिनाई हो रही है, और

(ग) सीधी गाड़ियां कब तक चला दी जाएंगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गोरखपुर और हावड़ा के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी अर्थात् 19/20 गोरखपुर-हावड़ा एक्सप्रेस पहले से ही उपलब्ध है। नयी दिल्ली और बम्बई तक/ से गोरखपुर तक के यात्रियों के लिए उपयुक्त गाड़ियों में सीधे जाने वाले डिब्बों की व्यवस्था कर दी गयी है।

मार्गवर्ती विभिन्न संतृप्त खंडों पर अपेक्षित लाइन क्षमता, दिल्ली, बम्बई और गोरखपुर में टर्मिनल सुविधाओं की कमी तथा कोचिंग स्टाक के अभाव के कारण भी, बम्बई और नयी दिल्ली तक सीधी गाड़ियां आरम्भ करना परिचालनिक दृष्टि से फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

नीलांचल एक्सप्रेस की गति का बढ़ाया जाना

30. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य रेल गाड़ियों के मुकाबले नीलांचल एक्सप्रेस की गति घटा दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कालका मेल अथवा अन्य सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों के समान उसकी गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, 175/176 नीलांचल एक्सप्रेस की अधिकतम अनुमेय गति को 110 कि० मी० प्रति घंटा से घटाकर 100 कि० मी० प्रति घंटा कर दिया गया है। इसके साथ ही 1-5-1982 से विद्युतीकृत खंड पर 2 जोड़ी गाड़ियों के अलावा अन्य 10 जोड़ी गाड़ियों की रफ्तार भी कम कर दी गयी है। ऐसा रेलपथ के बकाया काम के भारी संकलन और चल स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण के पिछले काम के ढेर और डिब्बों के उपयोग में सुधार लाने के उद्देश्य से कोचिंग स्टाक के परस्पर बदलाव लाने की दृष्टि से किया गया है।

(ग) जी नहीं। फिलहाल नहीं। 1-5-1982 से 1/2 कालका मेल की गति में भी कमी करके 100 कि० मी० प्रति घंटा किया गया है।

मेडिकल कालेजों में केन्द्र/राज्य सरकारों का आरक्षण कोटा

31. **श्री रशीद मसूद :**
श्री बी० डी० सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मेडिकल कालेजों में केन्द्र और राज्य सरकारों का आरक्षण कोटा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन वर्गों के व्यक्ति इस आरक्षण कोटे के अन्तर्गत शामिल हैं ;

(ग) क्या ऐसे मामले हैं जहां सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा केन्द्र/राज्य सरकारों के कोटे का दुरुपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि इस आरक्षण कोटे का दुरुपयोग न हो ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के लिये मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० अथवा स्नातकोत्तर सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, राज्य सरकारें, जिनमें मेडिकल/ दन्त चिकित्सा कालेज हैं, भारत सरकार को एम० बी० बी० एस०/ बी० डी० एस० सीटें (जिनकी संख्या हर वर्ष भिन्न होती है) दे देती है। भारत सरकार द्वारा इन सीटों का उपयोग उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के, जिनमें मेडिकल / दन्त चिकित्सा कालेज नहीं हैं, सुरक्षा कार्मिकों (मृत, सेवा निवृत्त और सेवारत) के बच्चों, अपने खर्चे पर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान शिक्षावृत्ति प्राप्त विदेशी छात्रों तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, वियतनाम आदि देशों के शरणार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। सीटों का श्रेणी वार आवंटन सीटों की कुल उपलब्धता के साथ-साथ एम० बी० बी० एस० पाठयक्रम में दाखिले के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता के मानदण्ड को पूरा करने वाले योग्य वर्षों और कतिपय जरूरत मन्द व्यक्तियों की मांगों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार को दी गई सीटों का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

तूतीकोरिन-तिरुननेलवेली बड़ी लाइन

32. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में तूतीकोरिन-तिरुननेलवेली बड़ी लाइन पर काम आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस काम के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है। यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सड़क दुर्घटनाएं

33. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में गत दो से तीन वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर भारी चिंता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए राज्यों को भी पूर्ण सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31-5-82 को हुई बैठक में परिवहन मंत्रियों ने सड़क दुर्घटनाओं को बड़ी गंभीरता से लिया और यह निश्चय किया कि वे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने-अपने राज्यों में आवश्यक कदम उठायेंगे। जो उपाय किए जाने का निर्णय किया गया है, उनमें सड़क सुरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति, हाई-वे पेट्रोलिंग स्कीम चालू करना, दुर्घटना नियंत्रण संस्था बनाना और गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लायसेंस संबंधी विनियमों का सख्ती से पालन करना सामिल है। इसके अलावा, परिवहन मंत्रियों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि केन्द्रीय सरकार विशेषज्ञों की एक समिति बनाये जो इस सम्बन्ध में गहराई से अध्ययन करे और सड़क सुरक्षा के लिए अल्पकालिक और दीर्घ कालिक कार्यक्रम तैयार करे जिससे कि समुचित कार्यवाही की जा सके।

इसी के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने अब समिति बनाई है।

जहाजों के लिए घाट

34. **श्री नारायण चौबे :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता का कम उपयोग होता है और जहाजों को घाट पर स्थान प्राप्त करने में लगने वाली प्रतीक्षा अवधि में कलकत्ता एवं कोचीन बंदरगाहों के मामलों में चार वर्ष पहले की तुलना में क्रमशः तीन एवं चार गुणा वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) यह कहना सच नहीं है कि सभी पत्तनों की क्षमता का इस्तेमाल कम होता है। सच तो यह है कि हमारे पत्तनों की यातायात हैंडिल करने की क्षमता धीरे-धीरे वर्षों से बढ़ रही है। 1977-78 के 66.23 मिलियन टनेज हैंडिल किए गए यातायात के खिलाफ 1981-82 में 87 मिलियन टनेज यातायात हैंडिल किया गया है। इसके अलावा, 1981-82 में अधिकतर बड़े पत्तनों ने अपनी क्षमता से कहीं अधिक यातायात हैंडिल किया है।

कलकत्ता और कोचीन में बर्थ के पहले जहाजों के ठहराव में 1977-78 की तुलना में 1981-82 औसत समय में थोड़ी-सी अधिक देरी हुई है।

(ग) अभी किसी भी बड़े पत्तनों में भीड़-भाड़ नहीं हैं। सरकार ने विभिन्न स्कीमों की संस्वीकृति दी जिसका लक्ष्य पत्तनों की क्षमता बढ़ाना है।

राजधानी में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल

35. **श्री जगपाल सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कितने मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं;

(ख) सरकार ने इस प्रकार के स्कूलों के लिए यदि कोई शर्त लगाई हो तो वे क्या हैं,

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इन मोटर ट्रेनिंग स्कूलों द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, वर्तमान व्यवस्था क्या है और,

(घ) दोषी स्कूलों का पता लगाने के लिए पिछले एक साल के दौरान कितनी बार जांच की गई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 26।

(ख) दिल्ली मोटर व्हीकिल नियम, 1940 के नियम 2.24 में निर्धारित शर्तों के अनुसार ये स्कूल चलाए जाते हैं। ये शर्तें समय-समय पर अधिसूचना संख्या 12 (3) 40 सामान्य दिनांक 21-3-40 और एस० ई० सी० ई० 3 (30)/टी० पी० टी०/81/3907-40 दिनांक 1-3-82 के द्वारा संशोधित की गई हैं।

(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों के कड़ाई से अनुपालन का काम परिवहन निदेशालय के इन्फोर्समेंट विंग को सौंपा गया है।

(घ) 1-3-82 से दिल्ली मोटर व्हीकिल नियम 1940 के नियम 2.24 में संशोधन के परिणामस्वरूप दिल्ली प्रशासन ने इन स्कूलों के आवधिक-निरीक्षण के लिए एक इन्सपेक्टर की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है। पिछले एक वर्ष में कोई भी चेकिंग नहीं की गई।

बर्थों का जाली आरक्षण

36. **श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने यात्री गाड़ियों में बर्थों के जाली आरक्षण को रोकने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है,

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है, इस प्रकार के कितने मामलों का पता लगाया गया और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इन शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है कि इस प्रक्रिया में रेल अधिकारियों द्वारा वास्तविक आरक्षणों को भी रद्द कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां तो इस दिशा में सुधारात्मक उपाय क्या किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जाली आरक्षणों के विरुद्ध रेलें नियमित उपाय के रूप में जांच करती हैं और यह निरन्तर प्रक्रिया है। प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम के दौरान जब छुट्टियों-शादियों आदि के कारण भारी भीड़ होती है, इन जांचों को तेज कर दिया जाता है और अधिक संगठित अभियान चलाया जाता है।

(ख) की गई कार्यवाहियों में मांग पर्चियों की छानबीन, आरक्षण की मांग की वास्तविकता का सत्यापन घर-घर जाकर करना, मांग पर्चियों में दिये गये पतों पर पत्र लिखकर भेजना और गाड़ियों में जांचों में वृद्धि करना, मांग पर्चियों में दिये गये विवरणों पर यात्री जनता द्वारा दिये गये पूर्ववृत्तान्त की जांच, अनधिकृत यात्रा एजेंटों, बिचौलियों आदि को पकड़ना शामिल है। उदाहरणस्वरूप, दिल्ली तथा बम्बई में अप्रैल तथा मई, 1982 के दौरान लगभग 240 बिचौलिये पकड़े गये, आरक्षण हस्तान्तरण के 1950 से अधिक मामले पकड़े गये जिनमें से 540 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और 1560 जाली आरक्षण रद्द किये गये।

(ग) और (घ) वास्तविक आरक्षणों के रद्द किये जाने के कुछ मामलों की रिपोर्ट की गई थी। ऐसी मांग पर्चियों के समुचित रूप से न भरे जाने अथवा कतिपय ब्यौरों के सम्बन्ध में असन्तोषजनक तथा अपूर्ण होने के कारण किया गया। ऐसे मामले ध्यान में आने पर स्थिति ठीक कर दी गई।

कलकत्ता चित्तरंजन कैंसर अनुसंधान केन्द्र को एक क्षेत्रीय केन्द्र में बदलने का प्रस्ताव

37. **श्री चित्त बसु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता चित्तरंजन कैंसर अनुसंधान केन्द्र को एक सर्वसम्पन्न क्षेत्रीय केन्द्र में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता पहले ही 1976 से पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में चल रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी धनराशि का उपयोग न किया जाना

38. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए आवंटित किए गए धन का पूरा उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन निगमों को हुआ घाटा

39. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सड़क परिवहन निगम घाटे में चल रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में वर्ष 1980-81 और 1981-82 में क्रमश: कितना वाणिज्यिक घाटा हुआ और उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख)

वित्तीय वर्ष 1981-82 अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अधीन गठित सड़क परिवहन निगमों के लिए वर्ष 1980-81 की लाभ-हानि सम्बन्धी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	सड़क परिवहन निगम का नाम	1980 में हुआ घाटा	कारण
1	2	3	4
		(लाख रु०)	
1.	आंध्र प्रदेश राज्य स० परि० नि०	1690.95	घाटे का कारण
2.	असम राज्य स० परि० नि०	53.44	मुख्यतः यही है कि
3.	बिहार राज्य स० परि० नि०	528.50	परिचालन खर्च
4.	कलकत्ता स्टेट ट्रा० कार०	1576.00	अधिक है और किराया

1	2	3	4
5.	दिल्ली परिवहन निगम	3064.65	कम रखा गया है
6.	दुर्गापुर स्टेट कार०	159.42	जिससे कि समाज
7.	गुजरात राज्य परि० कार०	2559.04	सेवा के इरादे से
8.	हिमाचल स० परि० नि०	118.03	सेवाएं चलाकर सामा-
9.	जम्मू और काश्मीर स० परि० नि०	99.77	जिक आवश्यकताओं
10.	कर्नाटक राज्य स० परि० नि०	1096.36	को पूरा किया जा
11.	केरल राज्य स० परि० नि०	1000.00	सके।
12.	मध्य प्रदेश राज्य स० परि० नि०	732.87	
13.	महाराष्ट्र राज्य स० परि० नि०	3752.47	
14.	मणिपुर राज्य स० परि० नि०	42.96	
15.	मेघालय परिवहन निगम	46.55	
16.	नार्थ बंगाल स्टेट परि० निगम	413.84	
17.	उड़ीसा राज्य स० परि० नि०	253.73	
18.	पी० ई० पी० एस० यू० सड़क परि० नि०	575.28	
19.	राजस्थान राज्य स० परि० नि०	706.70	
20.	उत्तर प्रदेश राज्य स० परि० नि०	972.41	
21.	त्रिपुरा सड़क परि० निगम	78.00	

हरिनगर सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी का विभाजन

40. **श्री आर० एन० राकेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिनगर सी० जी० एच० एस० डिस्पेंनरी (संख्या 48) में 4500 कार्डधारी हैं तथा इसका लाभ उठाने वालों की संख्या 20,000 है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हुडको योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के 200 और फ्लैटों का डिस्पेंसरी के सामने आवंटन किया गया है जिसके कारण शीघ्र ही कार्ड-धारियों की संख्या में और वृद्धि होगी ;

(ग) क्या प्राक्कलन समिति ने अपने 22 वें प्रतिवेदन में 4000 से अधिक कार्डधारियों की डिस्पेंसरी के विभाजन की सिफ़ारिश की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान डिस्पेंसरी के विभाजन के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं तो इनके क्या कारण हैं और कब तक विभाजन होने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : हरिनगर औषधालय से लगभग 4200 कार्ड होल्डर और लगभग 18,000 लाभार्थी सम्बद्ध हैं। चूंकि इस औषधालय से समबद्ध लाभार्थियों की संख्या के अनुसार डाक्टर और अन्य स्टाफ लगाया गया है, इस लिए रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

(ग), (घ) और (ङ) संसद की प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि जिन औषधालयों का कार्यभार 4000 परिवारों से अधिक हो उनका कार्यभार अधिक औषधालय खोलकर और कार्यभार को फिर से व्यवस्थित करके कम किया जाए। यह सिफारिश सिद्धांतरूप से मान ली गई है और धन तथा स्थान उपलब्ध होने पर जहां आवश्यक हो वहां और औषधालय खोलने और इस कार्यभार को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समीक्षा की जा रही है।

कोयले के कथित बेईमान लोगों का गुट

41. **श्री अजय विश्वास :**
श्री आनन्द पाठक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर बंगाल के कोयले के बेईमान लोगों के गुट के नियंत्रण के बारे में चाय उद्योग द्वारा ध्यान दिलाया गया है जो उद्योग तथा कोयले की ढुलाई में दी जाने वाली प्राथमिकताओं में अड़च डालनें रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो उत्तर बंगाल में चाय उद्योग द्वारा उठाई गई अन्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। टी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, रेलों, कोल इण्डिया लि०और टी बोर्ड के बीच उत्तर बंगाल के चाय बागानों को कोयले के संचलन के बारे में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से हाल ही में आयोजित बैठक में, यह विनिश्चय किया गया है कि टी बोर्ड उत्तर बंगाल के चाय बागानों के लिए प्रति माह कोयले के 10 रेकों को प्रायोजित करना जारी रखेगा और प्रति माह कम से कम 6 रेकों का आवंटन किया जायेगा। तिमाही आधार पर स्थिति की समीक्षा की जायेगी। कोयले के संचलन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली मुख्य बाधा भाप कोयले का कम उत्पादन है।

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को दिल्ली प्रशासन का कर्मचारी न माना जाना

41. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी नहीं माने जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन इन स्कूलों को इनके व्यय का 95 प्रतिशत तक अनुदान देता है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक दिल्ली में अन्य सरकारी स्कूलों के समान छुट्टी, यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) सुविधा, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सभी सुविधायें पाने के हकदार हैं ; और

(घ) इन शिक्षकों को दिल्ली प्रशासन के सरकारी कर्मचारी के रूप में न मानने के क्या कारण हैं और क्या इन्हें दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी के रूप में मानने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) ये शिक्षक छुट्टी, यात्रा रियायत सुविधा, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि पाने के हकदार हैं। तथापि, इन शिक्षकों को भवन निर्माण पेशगी धन तथा स्कूटर पेशगी आदि जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जैसा कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को उपलब्ध हैं।

(घ) ये शिक्षक विभिन्न स्कूलों के प्रबन्धकों के कर्मचारी हैं इसलिए इन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता । उनके स्तर में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

अमरीकी शोध प्रयोगशाला द्वारा विकसित गर्भ निरोध का तरीका

43. **श्री गुफरान आजम :**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध शोध संस्थान, लखनऊ ने अमरीकी शोध प्रयोगशाला द्वारा विकसित गर्भ निरोध के नये तरीके का अध्ययन किया है जो सरल और बदलने योग्य है, और जिसमें शल्य चिकित्सा की जरूरत नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और यह कहां तक सफल हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) प्रयोगशाला अथवा तरीके के नाम के बिना इस विषय पर कोई सूचना देना कठिन है ।

28 प्रतिशत शैक्षिक पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना

44. **श्री जयनारायण रौत : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में 28 प्रतिशत शैक्षिक पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह कार्यक्रम लागू कर दिया गया है तथा उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें यह अभी तक लागू नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सरकार ने सभी शैक्षिक पदों के 28% पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने हेतु विश्वविद्यालयों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। अतः किसी राज्य द्वारा आरक्षण के ऐसे किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लेक्चररों के स्तर पर भर्ती करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों को सलाह दी है। यद्यपि आरक्षण की किसी विशिष्ट प्रतिशतता का सुझाव नहीं दिया गया है फिर भी आशा की जाती है कि केन्द्रीय संस्थाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा आरक्षण की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगी जब कि राज्य के विश्वविद्यालय सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता को अपनायेंगे।

सुपर फास्ट रेलगाड़ियों की गति धीमी करना

45. **श्री के० लकप्पा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के सप्ताहों में अनेक सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की गति को कम किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल-पथ के बदलाव के बकाया काम के भारी संचयन तथा चल स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण के पिछले काम के ढेर के सन्दर्भ में और इसके साथ ही डिब्बों के उपयोग में सुधार लाने के उद्देश्य से कोचिंग स्टाक के परस्पर बदलाव लाने की दृष्टि से, 1-5-1982 से ग्यारह जोड़ी गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार 110 कि० मी० प्रति घंटा से घटाकर 100 कि० मी० प्रति घंटा कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त, बिजली रेल इंजनों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार कम करने के लिए रेल संरक्षा के आयुक्त की सिफारिशों के अनुरूप विद्युतीकृत भाग (खण्ड) पर दो जोड़ी गाड़ियों की रफ्तार भी 110 कि० मी० प्रति घंटा से घटाकर 100 कि० मी० प्रति घंटा कर दी गयी है।

इन्दौर और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा

46. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंदौर डिवीजन और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) फिलहाल, इन्दौर और दिल्ली के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हाल ही में दिल्ली और इन्दौर के बीच 19/20 देहरादून एक्सप्रेस तथा सम्बन्धित गाड़ियों में एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाना आरम्भ कर दिया गया है ।

गत तीन वर्षों में राज्यवार मलेरिया के मामले

47. **डा० सरदीश राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार मलेरिया के कितने मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार पी० फालसीपरम के मामलों की तथा कितने लोगों को मृत्यु होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मिली सूचना के अनुसार मलेरिया और पी० फाल्सीपेरम के प्रकोप तथा इससे हुई मौतों की वर्षवार और राज्य वार संख्या का एक विवरण संलग्न है ।
[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या, एल० टी० 4155/82**]

(ग) मलेरिया के प्रकोप को कम करने और मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक संशोधित कार्य योजना चलाई थी जो राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा 1-4-1977 से लागू की जा रही है। इस संशोधित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) ज्वर वाले रोगियों का पता लगाने, रक्त लेप इकट्ठा करने और संभावित इलाज करने के लिए दूरदराज या असुविधा वाले क्षेत्रों का ध्यान किए बिना निगरानी कार्यकर्ता को प्रत्येक गांव का 15 दिन में एक बार दौरा करना होता है।

(2) प्रयोगशालाओं का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और ये प्रयोगशालाएं रक्त लेपों की तुरन्त जांच करने और मलेरिया के पाजिटिव रोगियों का मूलभूत उपचार करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य करती हैं।

(3) गांवों में औषधि वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो कार्य कर रहे हैं ताकि ज्वर वाले रोगियों को औषधियां तत्काल उपलब्ध कराई जा सकें। ऐसे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है जहां पर प्रति हजार जनसंख्या के पीछे प्रति वर्ष दो या इससे अधिक व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते हैं।

रेलगाड़ियों की भारी और छोटी-मोटी टक्कर तथा उनका पटरी से उतरना

48. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित ब्योरा दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1978 और दिसम्बर, 1980 से आरम्भ होने वाली 16 मासी अवधि के दौरान घटित माल अथवा सवारी गाड़ियों की भारी और छोटी-छोटी टक्कर तथा उनके पटरी से उतरने की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई; और

(ग) इनमें पृथक-पृथक कितनी कोयला बाक्स रेकें, अन्य बाक्स रेकें, स्टीम इंजन से चलने वाली गाड़ियां थीं और इनमें से मेल, एक्सप्रेस सहित कितनी गाड़ियां ठीक समय पर अथवा विलम्ब से चल रही थीं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 16 महीने की तीनों अवधियों के दौरान गाड़ियों की बड़ी तथा छोटी टक्करों तथा पटरी से उतरने की संख्या नीचे दी गयी है :

अवधि	टक्कर			पटरी से उतरना		
	सवारी गाड़ियां	सवारी गाड़ियों के अलावा अन्य गाड़ियां	जोड़	सवारी गाड़ियां	सवारी गाड़ियों के अलावा अन्य गाड़ियां	जोड़
दिसम्बर, 1976 से मार्च, 1978 तक	40	32	80	265	621	886
दिसम्बर, 1978 से मार्च, 1980 तक	49	43	92	259	659	918
दिसम्बर, 1980 से मार्च, 1982 तक	54	60	114	292	919	1211
जोड़	151	135	286	816	2199	3015

(ख) टक्करों तथा पटरी से उतरने वाली गाड़ियों की संख्या 3479 थी ।

(ग) गाड़ी दुर्घटनाओं में निहित रेकों की किस्म, कर्षण की किस्म, समय पाबन्दी आदि के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते ।

बाल अपराधियों के सुधार में लगे संस्थानों की कार्य स्थिति

50. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल अपराधों के मामलों में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार बाल अपराधियों को सुधारने में लगे संस्थानों की कार्य स्थिति को उत्तम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) बाल अपराधियों के लिए सुधार संस्थाएं इस देश में विभिन्न राज्यों के बाल अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थापित की जाती हैं। बाल अधिनियम, 1960 संसद द्वारा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए अधिनियमित किया गया है। इन अधिनियमों को लागू करने तथा उनके अन्तर्गत संस्थाएं स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों पर है। बाल अधिनियम, 1960 में कुछ अपर्याप्तताओं को दूर करने और इस अधिनियम के अधीन सेवाओं की कारगरता को मजबूत करने के लिए इसे 1978 से संशोधित किया गया था ।

(ख) बाल अधिनियम, 1960 के नए उपबन्धों में अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई सुधार संस्थाओं में सेवाओं के निश्चित न्यूनतम स्तर बनाए रखने की अपेक्षितता को भी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित की गई बाल अपराधियों के लिए सुधार संस्थाओं के विस्तार और विकास के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को प्रेरित करती रहती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सऊदी सरकार द्वारा भारत के डाक्टरों की भर्ती

51. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी सरकार ने अपने देश के नए अस्पतालों और औषधालयों में नियुक्त करने हेतु भारत के लगभग 350 डाक्टरों को, जिनमें से अधिकतर विशेषज्ञ हैं, भर्ती किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये डाक्टर देश छोड़ कर चले गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनको देश छोड़ने की अनुमति देने से पूर्व हमारे देश में एक डाक्टर के प्रशिक्षण पर खर्च की जाने वाली औसत राशि को ध्यान में रखा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) भारत सरकार को सऊदी अरब सरकार द्वारा भारतीय डाक्टरों को भर्ती किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि भर्ती किए गए इन डाक्टरों ने कब प्रस्थान किया और उन्हें किस प्रकार के कार्य करने हैं।

विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए चिकित्सा कार्मिकों पर इस समय कोई रोक नहीं है। किन्तु सरकारी सेवा में नियुक्त तथा विशिष्ट दुर्लभ श्रेणियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रवास पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

चालू शिक्षा सत्र से एल-एल० बी० का पंचवर्षीय पाठ्यक्रम

53. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष से एल-एल० बी० का पंचवर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में 10+2 पाठ्यक्रम में 45% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा; यदि हां, तो इस बारे में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सभी विश्वविद्यालय और कालेज त्रिवर्षीय एल-एल० बी० पाठ्यक्रम को 5 वर्ष का करने में सहमत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं और नई योजना के क्या लाभ हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत, भारतीय बार परिषद् कानूनी शिक्षा के स्तर निर्धारित करने तथा अधिवक्ता के रूप में दाखिल होने के प्रयोजन हेतु विधि की डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है। भारतीय बार परिषद ने हाल ही में विस्तृत नियम बनाकर विधि में, जून 1982 से शुरू किए जाने वाला एक नया 5 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। यह पाठ्यक्रम ऐसे छात्रों के लिए है, जिन्होंने 10+2 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत 12 वर्ष का अध्ययन पूरा कर लिया है। आशा है कि यह नया पाठ्यक्रम स्नातक शिक्षा के बाद मौजूदा तीन वर्षीय एल-एल० बी० पाठ्यक्रम के स्थान पर देश में विधि में, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य विषय होगा। सम्भावना है कि बार परिषद ने यह नया पाठ्यक्रम अच्छी तरह विचार करने के बाद तथा विश्वविद्यालयों से परामर्श करके बनाया है। बार परिषद ने विश्व-

विद्यालयों को यह भी सुझाव दिया है कि विधि पाठ्यक्रमों की नई पद्धति को अपनाने का कार्य आगामी दो वर्षों में पूरा किया जाए।

(ग) बार परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी ऐसे छात्र को इस पाठ्यक्रम में तब तक दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने अर्हक परीक्षा में समग्र रूप में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त न किए हों। अंक गणना की पद्धतियां विश्वविद्यालयों पर छोड़ दी गई हैं। इन नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) नये पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के परामर्श से तैयार किया गया है। क्योंकि ये नये नियम सांविधिक हैं यदि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के लिए अधिवक्ताओं के रूप में नामांकन के प्रयोजन के लिए बार परिषद से मान्यता प्राप्त करनी है तो विश्वविद्यालयों को इन्हें स्वीकार करके कार्यान्वित करना होगा। यह नया पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है जिससे कि व्यावसायिक विधि शिक्षा पद्धति का पुनर्गठन किया जा सके और इस व्यवसाय में आने वाले नव-शिक्षुओं के स्तरों तथा कोटि में सुधार लाया जा सके।

एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश

54. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1982-83 के दौरान एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त किए गए हैं ;

(ख) इस पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है ;

(ग) इस पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छोड़कर अन्य कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश देने में कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं ;

(ङ) यदि हां, तो, ऐसे कितने मामले है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (च) दिल्ली विश्वविद्यालय के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाते हैं। शैक्षिक सत्र, 1982-83 के लिए एम० बी० बी० एस०

पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के लिए 8,465 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा 9 और 10 जुलाई, 1982 को होगी।

पत्तनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के बारे में अध्ययन

55. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ ने पत्तनों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के बारे में एक अध्ययन किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है,

(ग) बड़ी पत्तनों पर माल उतारने-चढ़ाने-सम्बन्धी उपकरणों, जहाजों को खड़ा करने तथा गोदामों की सुविधाओं की कमी को पूरा करने और वहां सुरक्षा व्यवस्था करने व भीड़भाड़ को कम करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) यह आशा की जाती है कि पूछे गए प्रश्न के भाग (क) का संदर्भ "कान्फ्रेंस आन इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट-फोकस आन ट्रांसपोर्ट" के फलस्वरूप निर्णयों से है जिसका आयोजन भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ ने 14.2.1981 को किया था। सम्मेलन के स्थूल निर्णय निम्नलिखित थे :

(1) सभी पत्तनों पर उचित हैंडलिंग सुविधाएं देने के बारे में एक प्रभावी नीति बनाने के लिए एक केन्द्रीय पत्तन प्राधिकारी की स्थापना करना।

(2.) समुद्री परिवहन की विधि में परिवर्तन के साथ सामंजस्य रखते हुए पत्तनों के किनारों पर प्रयुक्त सुविधाओं के लिए एक नियोजित और समन्वित विकास होना चाहिए।

(3) न्हावा शेवा पत्तन परियोजना का शीघ्रता से कार्यान्वयन।

(4) बम्बई पत्तन पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए बम्बई में मौजूदा सुविधाएं/वेयर हाउसिंग व्यवस्थाओं का सुधार किया जाना चाहिए।

(5) कंटेनरों की हैंडलिंग सुविधाओं का सुधार किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) सरकार ने केन्द्रीय पत्तन प्राधिकारी की स्थापना के सम्बन्ध में जांच करवाई थी लेकिन प्रशासकीय और ऐतिहासिक कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि अतिरिक्त बर्थ लगाकर पत्तन क्षमताओं को बढ़ाया जाय और कंटेनर हैंडलिंग उपकरणों को खरीदकर पत्तनों का नवीकरण किया जाय। इस योजना में कुछ पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग उपकरण की खरीद और नई वेयर हाउसिंग के निर्माण की स्कीम भी शामिल है। योजना में शामिल अधिकांश मुख्य स्कीमों की मंजूरी पहले ही दे दी गई है। इसमें कांडला, मद्रास, न्यू मंगलौर, मुरगांव, परादीप, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम् के पत्तनों पर अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ, कोचिन और विशाखापत्तनम् के पत्तनों पर उर्वरक

बर्थ और कांडला तथा कोचिन के पत्तनों पर तेल घाट का निर्माण कार्य शामिल है। इन स्कीमों का चालू योजना अवधि में ही पूरा हो जाने की आशा है।

बम्बई हार्बर पर एक नये पत्तन न्हावा शेवा के निर्माण के लिए अनुमानित राशि 592 करोड़ रुपये की भी मंजूरी 8-6-1982 को दे दी गई है। निर्माण कार्य 1986 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है।

सभी कार्गो हैंडलिंग कार्यों को समन्वित करने और प्रलेखन जहाजों की बर्थिंग, वेयरहाउसिंग उपकरणों की पूर्ति और कानसाइनी द्वारा कार्गो को हटाने से संबंधित आये दिन आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए बम्बई पत्तन में महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में एक परिचालन दल की स्थापना की जा रही है। कांडला, मुरगांव, परादीप, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम् के पत्तनों पर चालू योजना के दौरान वेयर हाउसिंग की सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

बम्बई और मद्रास पत्तनों पर कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं को लगाने की भी मंजूरी दी गई है। मद्रास में एक पूर्ण कंटेनर टर्मिनल लगाने की भी मंजूरी दी गई है। यह सभी चालू योजना अवधि के अन्त से पहले ही कार्य करने लग जायेंगे।

अभी किसी भी बड़े पत्तनों पर व्यावहारिक रूप में कोई भीड़भाड़ नहीं है।

बंबई और कांडला को छोड़कर सभी पत्तनों ने सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया है। अभी यह निर्णय किया गया है कि बम्बई पत्तन पर भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किये जायें। पत्तनों पर सुरक्षा के लिए अच्छी प्रकाश व्यवस्था, कार्यक्षेत्र के चारों तरफ और सतर्कता चौकी के चारों तरफ चहार दीवारी आदि जैसे विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

भारत-पाक संबंध

56. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान वहां पर वर्तमान सैनिक शासन की स्थापना के बाद शिमला समझौते का पालन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार / मामलों में उक्त समझौते की भावना का, उससे होने वाले परस्पर लाभों की अवहेलना कर, उल्लंघन किया गया है; और

(ग) दोनों पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्धों को सुधारने के लिए उक्त संदर्भ में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वह 1972 के शिमला समझौते के प्रति बचनबद्ध है, लेकिन

पाकिस्तानी नेताओं के कतिपय भाषण, विशेष कर काश्मीर के बारे में, शिमला समझौते के भाव और भाषा के अनुरुप नहीं लगते।

दोनों पड़ौसी देशों के बीच सम्बन्धों को और सुधारने की दृष्टि से द्विपक्षीय हित के सभी मामलों पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श जारी है।

दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

57. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम का शिक्षा विभाग चतुर्थ श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों को, जबकि वे 20 से 24 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद और लेखा परीक्षा की आपत्तियों को अनदेखा करके उनके वेतन निर्धारण की अनुमति नहीं दे रहा है;

(ख) क्या कुछ वर्ष पूर्व मंजूर की गई अनिवार्य जमा योजना (सी० डी० एस०) की पांच किस्तों का भुगतान चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को नहीं दिया गया है और उन्हें मंहगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या कुछ चौकीदारों को दिल्ली नगर निगम के निर्णय के अनुसार उनकी वर्दी के एवज में दिये जाने वाले धन से वंचित रखा गया है और क्या दोहरी ड्यूटी देने वाले कुछ चौकीदारों को अतिरिक्त ड्यूटी के लिए भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) क्या समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने के लिये इस मामले में जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित किए जाने का विचार है; और

(ङ) इस मामले में सरकार अन्य क्या कदम उठायेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान राज्य में मौजूदा रेल लाइन को दोहरा बनाया जाना और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

58. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजूदा रेल मार्ग को दोहरा बनाने और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से सम्बन्धित राजस्थान राज्य सरकार के प्रस्ताव का, जो केन्द्र के पास बिचाराधीन है, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के लिये पृथक रेलवे जोन की मांग की थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोटा-चित्तौढ़गढ़ बड़ी लाइन पर कार्य धीमा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने राजस्थान में रेलमार्ग विस्तार कार्यक्रम पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) राज्य में रेल पथ विस्तार कार्यक्रम विषय पर रेल अभिसमय समिति को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में राजस्थान राज्य सरकार ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। ये प्रस्ताव तथा इनकी स्थिति नीचे दी गयी है :

(1) दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव :

यह एक अनुमोदित परियोजना है। इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया गया है क्योंकि संसाधनों के अभाव के कारण योजना आयोग ने इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है।

(2) सवाई माधोपुर से जयपुर तक बड़ी रेल लाइन :

जयपुर-सवाई माधोपुर एक मीटर लाइन है और प्रस्ताव में इसे बड़ी लाइन में बदलना शामिल है। इस खंड का आमान परिवर्तन दिल्ली-अहमदाबाद आमान परिवर्तन से जुड़ा है।

(3) कोटा-चित्तौड़गढ़ बड़ी लाइन :

यह एक अनुमोदित परियोजना है और इसका कार्य प्रगति पर है।

(4) सूरतगढ़ से जैसलमेर तक बड़ी लाइन :

सूरतगढ़ से सरूपसर तक सामानान्तर बड़ी रेल लाइन के निर्माण तथा सरूपसर-अनूपगढ़ मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने तथा इसे छत्रगढ़ तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण (11) सूरतगढ़-बीकानेर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रगति पर है। जहां तक जैसलमेर से बीकानेर को बड़ी रेल लाइन द्वारा जोड़ने का सम्बन्ध है, संसाधनों की तंगी के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(5) टोंक से देवली, शाहपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ बड़ी रेल लाइन :

भीलवाड़ा और केकड़ी के रास्ते नाथद्वारा तथा टोडारायसिंह के बीच मीटर लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवम् यातायात सर्वेक्षण को बजट में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। लाइन को टोंक से जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हां। 19-2-1981 को रेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए गठित रेल सुधार समिति को जांच के लिए सौंपी गयी मदों में से उत्तर तथा पश्चिम रेलों का पुनर्गठन करके मीटर आमान (उत्तर-पश्चिम) सृजित करने का प्रस्ताव भी एक मद है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) जी हां। ऊपर भाग (क) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

परिवहन वित्त निगम

59. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवहन सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक पृथक परिवहन वित्त निगम की स्थापना के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) यह प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों से परामर्श करके अभी विचाराधीन है।

केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

60. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की मुख्य रेलवे लाइनों में से किसी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने राज्य रेल पथों के विद्युतीकरण के प्रयोजन से सस्ती दरों पर बिजली देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केरल राज्य ने रेलपथ के विद्युतीकरण के लिए सस्ती दरों पर बिजली देने की पेशकश नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समस्तीपुर-दरभंगा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

61. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान समस्तीपुर दरभंगा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम का उद्घाटन हुआ था, टेंडर आमंत्रित किये गये थे, धन का आवंटन किया गया था, लहेरिया सराय आदि को सामग्री भेजी गई थी :

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है और निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(ग) क्या दरभंगा-जयनगर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल 1981 में रेल मंत्री द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था और इसके बाद काम शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। यह प्रत्याशा की गई थी कि 1981 में बाराबंकी-समस्तीपुर खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन पूरा हो जाने से समस्तीपुर-दरभंगा आमान परिवर्तन परियोजना के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना संभव हो पायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संसाधनों की अत्यधिक कमी को देखते हुए इस कार्य की प्रगति के लिए 1982-83 के दौरान पर्याप्त धन राशि आवंटित करना सम्भव नहीं हो पाया है और इसलिए रेलों को निविदाएं रद्द करनी पड़ीं।

(ग) से (ङ) दरभंगा-जयनगर आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही पूरे ब्यौरे का पता चलेगा।

भारत बंगलादेश समुद्री सीमा

62. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में हुई सरकारी स्तर की बैठक में भारत और बंगलादेश के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण करने के प्रश्न पर विचार किया गया था, और

(ग) यदि हां तो उसके क्या परिणास निकले थे तथा इस संबंध में किन मतभेदों को हल किया गया और दो देशों के बीच मतभेद अभी भी कहां तक बने हुए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत और बंगला देश के बीच कतिपय द्विपक्षीय मामलों पर विचार करने के लिए, जिनमें दोनों देशों के बीच समुद्री सीमांकन भी शामिल है, नई दिल्ली में 13 से 15 जनवरी, 1982 तक सचिव स्तर पर बातचीत हुई थी। बंगलादेश और भारत के प्रतिनिधिमंडलों ने इस मसले पर अपनी-अपनी स्थिति की समीक्षा की और यह फैसला किया कि यह वार्ता जारी रहे ताकि दोनों पक्षों को स्वीकार्य किसी हल तक पहुंचा जा सके। उम्मीद की जाती है कि इस बारे में दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी रहेगी।

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

63. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों सहित अधिकांश रेलगाड़ियां अत्यधिक विलम्ब से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, खतरे की जंजीर खींचने, बदमाशों की गतिविधियों, हौस पाइप हटाने, दुर्घटनाओं, चल-स्टाक की खराबियों, सिगनल की खराबियों/त्रुटियों और परिचालनिक खराबियों के कारण कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण गाड़ियां कभी-कभी विलम्ब से चलती हैं।

(ग) महत्वपूर्ण मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर रेलवे बोर्ड कार्यालय में निगरानी रखी जाती है। महाप्रबन्धक गाड़ियों के समय चालन से सम्बन्धित मामलों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। खतरे की जंजीर खींचने, हौस पाइप हटाने की घटनाओं तथा बदमाशों की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

मेल गाड़ियों के दो/तीन टियर डिब्बों में यात्रा करने वाले सीजनल पासधारी

64. **श्री सज्जन कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेल गाड़ियों में दो या तीन टियर डिब्बों में सीजनल पास से यात्रा करने की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मेलगाड़ियों में दैनिक अथवा नैमित्तिक यात्रियों के लिए केवल एक ही आम डिब्बा होता है;

(ग) क्या बहुत-से दैनिक यात्री ऐसे हैं जो रोजाना इन गाड़ियों में यात्रा करते हैं और जिन्हें इन गाड़ियों में स्थानाभाव के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) इन डिब्बों में सीजनल पासों से यात्रा करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस प्रकार के उन दैनिक यात्रियों के लिए, जैसे, कि सरकारी कर्मचारी, जो अपने मूलनगर को इन गाड़ियों से जाते हैं; कुछ व्यवस्था कर रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) मासिक सीजन टिकटधारियों को आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। तथापि, सामान्य दूरी प्रतिबन्धों के रहते हुए, वे मेल/एक्सप्रेसगाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं। मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए ही होती हैं। सीजन टिकटधारी थोड़ी दूरी के दैनिक यात्री हैं। उपयुक्त वैकल्पिक सवारी गाड़ियों की पहले से ही व्यवस्था है जिनका उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को मजबूत बनाया जाना और पत्तन क्षेत्रों से छावनियों को हटाया जाना

65. **श्री ए० टी० पाटिल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तनों पर आए सामानों, पत्तनों पर स्थित मशीनरी सामानों और उनके भागों और पत्तन न्यासों की अन्य सम्पत्तियों अथवा पत्तनों पर पड़ी हुई अन्य लोगों की सम्पत्तियों की चोरी को रोकने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पुनर्गठित करने और मजबूत बनाने का निर्णय किया है, और

(ख) पत्तनों पर तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों की उन छावनियों को, जिनको अपराधों में प्रयोग किया जा रहा है, हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अभी आठ बड़े पत्तनों अर्थात् कलकत्ता, विशाखापत्तनम, परादीप, मद्रास, तूतीकोरिन, न्यू मंगलौर, कोचीन और मुरगांव में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। विशाखापत्तनम, मुरगांव और कोचीन पत्तनों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बर्तमान संख्या पर्याप्त समझी जा रही है। मद्रास, परादीप, न्यू मंगलौर और कलकत्ता पत्तनों में केन्दीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, बम्बई पोर्ट में उसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तैनात किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) अनधिकृत र्माण, जिसमें हटमेट्स भी शामिल हैं, को तुड़वाने के लिए पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अभियान शुरू किया गया है जिससे कि अवांछित तत्व शरण लेकर इसे गलत ढंग से इस्तेमाल न करें।

के० के० एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

66. **श्री टी० आर० शमन्ना : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्री के ध्यान में यह जानकारी आई है कि उनके द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि रेलगाड़ियां ठीक समय पर चलेंगी के० के० एक्सप्रेस अभी भी विलम्ब से आ रही है ;

(ख) इसके समय पर चलने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या रेल मंत्रालय ने के० के० एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने के लिए कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इन गाड़ियों के समय-पालन में सुधार करने की दृष्टि से सभी स्तरों पर इनके चालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

(ग) जी नहीं। परिचालन सम्बन्धी तंगियों तथा सवारी डिब्बों की कमी के कारण यह प्रस्ताव फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

ऐसी रेल लाइन पर मरम्मत कार्य जहां असम मेल पटरी से उतरी थी

67. **श्री नरसिंह मकवाना : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 जून, 1982 को असम मेल के पटरी से उतर जाने पर इस रेल लाइन पर मरम्मत कार्य कब से चल रहा था और रेलगाड़ियों के निरन्तर आने-जाने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ख) उस स्थान पर, जहां रेल लाइन पर मरम्मत कार्य चल रहा है, क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या इस रेल लाइन पर इस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय नहीं किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्लीपरों का नैमित्तिक नवीकरण 12 तथा 13 जून, 1982 को किया गया था। स्लीपरों के नवीकरण के लिए सामान्यत: कोई रफ्तार प्रतिबन्ध लागू नहीं है। बहरहाल, इस खंड पर 6 मार्च, 1982 से रफ्तार 75 कि० मी० प्रति घंटा से घटाकर 40 कि० मी० प्रति घंटा कर दी गयी है। इस प्रतिबन्धित रफ्तार पर गाड़ियां सामान्य रूप से चलती रहीं।

(ख) किये जा रहे मरम्मत कार्य के अनुसार रफ्तार प्रतिबन्ध लगाना, लाइनों को ब्लाक करना, अस्थायी सिगनलों का प्रदर्शन आदि जैसे संरक्षा उपायों को यथावश्यक रूप में अपनाया जाता है।

(ग) नारायनपुर तथा थानाबीहपुर स्टेशनों के बीच डाउन लाइन पर जहां 20 जून, 1982 को असम मेल की दुर्घटना हुई थी, 40 कि० मी० प्रति घंटे की रफ्तार प्रतिबन्ध पहले ही लागू कर दिया गया था। मरम्मत कार्य सामान्य एहतियात के अधीन किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादकता बोनस

68. **श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने 1981-82 में कुल कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया है ;

(ख) कर्मचारियों को 1981-82 में उत्पादकता बोनस के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया और शुद्ध लाभ का यह कितने प्रतिशत था ; और

(ग) क्या रेल कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान करने के लिए किसी प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूप रेखा क्या है और उस पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों द्वारा 1981-82 में अर्जित शुद्ध अधिशेष के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अभी 1981-82 के अन्तिम खाते बन्द किये जाने हैं तथा उनकी लेखा परीक्षा की जानी है ।

(ख) 1981-82 के खाते बन्द कर दिये जाने के बाद ही सूचना प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) 1982-83 के बाद ही बोनस फार्मूले में संशोधन करने के बारे में विचार किया जाना है ।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में राज्यों की असफलता

69. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य सरकारें मलेरिया उन्मूलन को क्रियान्वित करने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया, उनमें राज्य सरकारों का कितना हिस्सा था और उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने पर राज्य सरकारों ने वस्तुत: कितनी राशि खर्च की ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को भारतीय सहायता

70. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को, लेबनान में उनके कैम्पों पर इजरायली आक्रमण के विरुद्ध उनके संघर्ष में क्या सहायता दी गई, और

(ख) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायली हमले के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार नैतिक और सामग्री गत सहायता दी है और अपने समर्थन की पुन: पुष्टि की है । लेबनान पर इजरायली आक्रमण के तत्काल बाद एक चिकित्सा दल वहां भेजा गया था । उपहार-स्वरूप दवाइयां भी भेजी गई हैं ।

(ख) भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष अधिवेशन में पारित उस संकल्प का सह-प्रवर्तक था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा परिषद के संबद्ध संकल्पों की अवहेलना करने के लिए इजरायल की निन्दा की गई थी और यह मांग की गई थी कि इजरायल तत्काल और बिना शर्त लेबनान की अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत सीमाओं तक अपनी फौजें वापस हटा ले और लड़ाई पूरी तरह बन्द कर दे।

त्रिवेन्द्रम- बम्बई जयन्ती जनता गाड़ी में डकैती

71. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि चलती गाड़ियों में डकैतियां अब भी जारी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम-बम्बई जयन्ती जनता गाड़ी में हाल ही में डकैती हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यात्रियों की कितनी हानि हुई :

(घ) अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) भविष्य में चलती गाड़ी में ऐसी डकैतियों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कभी-कभी गाड़ियों में पड़ने वाली डकैतियों के कुछ मामलों की रिपार्ट मिली है।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चलती गाड़ियों में डकैतियों और लूट-पाट की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं ;

(1) लम्बी दूरी की सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में रात के समय राजकीय रेलवे पुलिस के सशस्त्र कर्मचारियों को मार्ग रक्षी के रूप में तैनात किया जा रहा है।

(2) रात के समय गाड़ियों के मार्ग रक्षण में राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को भी तैनात किया जाता है।

(3) बदनाम अपराधियों पर निगाह रखी जाती है।

(4) चल टिकट परीक्षकों को अनुदेश दिये गये हैं कि रात के समय यात्रा के दौरान वे सजग रहें और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को आरक्षित डिब्बे में प्रवेश न करने दें।

(5) ड्राइवरों को खण्ड में गाड़ी के अनिर्धारित ठहराव के दौरान संकेत के रूप में लम्बी सीटी देने के अनुदेश दिये गये हैं ताकि मार्ग रक्षी के रूप में तैनात कर्मचारी गाड़ी से उतर कर गाड़ी के रुकने के कारण का पता चला सकें। किसी संभाव्य घटना के होने पर मार्ग रक्षी कर्मचारी आवश्यक कारंवाई करेंगे।

शिक्षा संस्थानों में सीटों की कमी

72. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प्राथमिक, माध्यमिक, कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर शिक्षा संस्थानों में सीटों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी उचित सुविधाएं

73. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : दिल्ली के तीन मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों को उचित शिक्षा सुविधाएं जुटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं ।

(i) कालेजों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रयोगशाला उपकरण खरीदने तथा बुक बैंक स्थापित करने की भारत सरकार की योजना के अधीन दी जा रही सहायता का लाभ उठाएं ;

(ii) भवन निर्माण तथा वेतन आदि पर होने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए दी जाने वाली सहायता के पैटर्न पर विचार किया जा रहा है ;

(iii) आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कालेज तिबिया कालेज अधिनियम 1962 के अधीन कार्य कर रहा है और इसके पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है । जहां तक परीक्षाओं का सम्बन्ध है यह कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है और दिल्ली प्रशासन सहायता अनुदान द्वारा कालेज के शतप्रतिशत घाटे का वहन करता है। इस कालेज की शिक्षा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए छठी पंच वर्षीय योजना में कुल 5.37 लाख रुपये की योजनाएं शामिल की गई हैं।

केरल में नयी रेलवे लाइनों का बिछाया जाना

74. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से नई रेलवे लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध अथवा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित नयी लाइनों के निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है ;

(1) अलेप्पी-कायमकुलम
(2) कोच्चिन-मदुरै
(3) गुरुवायूर-कुट्टिपुरम
(4) तेल्लिचेरी-मैसूर
(5) कोट्टायम-मदुरै
(6) चेंगन्नूर-तिरुवनन्तपुरम

अलेप्पी-कायमकुलम लाइन का निर्माण कार्य पहले से ही एक अनुमोदित कार्य है। कोच्चिन मदुरै लाइन के निर्माण के लिए 1982-83 के बजट में एक सर्वेक्षण शामिल कर लिया गया है। कुट्टिपुरम-गुरुवायूर-त्रिचूर नयी लाइन का सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है। धन की कमी के कारण अन्य लाइनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

त्रिवेन्द्रम रेल डिवीजन का बनाया जाना और उसका विकास

73. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम रेल डिवीजन बनाये जाने और उसके विकास पर अब तक कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) त्रिवेन्द्रम रेल डिवीजन में विकास सम्बन्धी प्रस्तावित कार्य क्या हैं ; और

(ग) इस वर्ष कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तिरुवनन्तपुरम मण्डल के बनाने की योजना पर 31-3-82 तक 205 लाख रुपये खर्च किए जा चुके थे।

(ख) और (ग)

कार्य का नाम	(हजार रुपये में) 1982-83 के लिए परिव्यय
1. तिरुवनन्तपुरम मण्डल का गठन	10,00
2. नागर कोइल से कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन सहित नागर कोइल के रास्ते तिरुनेलवेलि से तिरुवनन्तपुरम तक नयी बड़ी लाइन बनाना	1,50,00
3. एर्णाकुलम और एलप्पी के बीच प्रस्तावित नयी बड़ी लाइन	3,00,00
4. एलप्पी-कायमकुलम	1,40,00
5. शोरानूर-अलवाय खंड-I पर दोहरी लाइन बिछाना	12,89
6. शोरानूर-अलवाय खंड-II के बीच दोहरी लाइन बिछाना	1,32,64
7. शोरानूर-अलवाय खण्ड-III के लिए भूमि का अधिग्रहण करना	2,51

8. शोरानूर-अलवाय खण्ड-शेष इकहरी लाइन खण्डों (24.33 कि० मी०) पर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना चरण-III	7,11
9. ओचीरा स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन में बदलना	81
10. (1) चेंगानूर—दूसरे सिगनल लूप की व्यवस्था करना (2) पेरीनाड—दूसरे सिगनल लूप की व्यवस्था करना (3) वैकोम रोड को (क्रासिंग) मेल लेने वाले स्टेशन में बदलना	50
11. (I) तिरुवल्ला (II) वरकाला और (III) करुनागपल्ली में साथ ही साथ आदान सुविधाओं की व्यवस्था करने सहित 70 गाड़ियों को खड़ा करने के लिए अतिरिक्त लूप लाइन की व्यवस्था करना	1
12. तिरुवनन्तपुरम-सैंट्रल-किल्ली पालेम के निकट प्रस्तावित सवारी डिब्बा यार्ड कम्पलेक्स ओर शैड के लिए भूमि का अधिग्रहण करना	1
13. तिरुवल्ली, चुंगलचेरी और मावेलिकारे में स्टेशन के भवन का सुधार करना	270
14. तिरुवनन्तपुरम सैंट्रल/अनिवार्य कर्मचारियों के लिए 24 यूनिट टाइप I और 12 यूनिट टाइप 11 के क्वार्टरों का निर्माण।	336

जनसंख्या सलाहकार परिषद् का गठन

76. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने **की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विश्लेषण करने और देश के जनांकिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की नीतियां सुझाने हेतु एक जनसंख्या सलाहकार परिषद् गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सलाहकार परिषद् के सदस्य कौन हैं, परिषद् के निदेश पद तथा कृत्य क्या-क्या हैं और परिषद् द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार ने एक जनसंख्या परामर्शदात्री परिषद का गठन किया है। इस परिषद के सदस्य और विचारार्थ विषय संकल्प में अनुबंध के रूप में दिये गये हैं। यह परिषद एक स्थायी निकाय है और इसकी समय-समय पर बैठकें होंगी। इसलिए इस समिति द्वारा कोई अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना नहीं है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4156/82]**

गत तीन वर्षों में कितने पात्र दम्पतियों को परिवार नियोजन उपायों से अवगत कराया गया

77. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्ष 1982 में अब तक राज्यवार कुल कितने और योग्य दम्पतियों के कितने राष्ट्रीय औसत तक परिवार नियोजन के उपायों को पहुंचाया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : अपेक्षित सूचना विवरण एक और दो में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4157/82]

सड़क सुरक्षा हेतु विशेषज्ञों की समिति

78 **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा अपनाये जाने वाले दीर्घकालीन और अल्प कालीन सड़क सुरक्षा उपायों का कार्यक्रम बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन हैं और समिति के कृत्य क्या होंगे ;

(ग) क्या सरकार ने परिवहन संचालकों और संगठनों को अपने अन्तर्राज्यीय परिवहन में आने वाली समस्याओं पर पुनर्विचार किया है ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के सदस्यों और समिति के कार्यों का ब्यौरा विवरण में दिया है।

(ग), (घ) और (ङ) जहां तक अन्तर्राज्यीय सेवाएं चलाने संबंधी समस्याओं का संबंध है, बैठक में विचार-विमर्श के दौरान मुख्य बाधाओं का उल्लेख किया गया : जैसे सड़कों पर अनेक जांच चौकियों का होना, विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए अलग-अलग मोटरगाड़ी कर आदि। राज्य सरकारों को एकीकृत जांच चौकियां स्थापित करने के लिए कहा गया है। जहां तक मोटर गाड़ी करों से युक्तिकरण का प्रश्न है, यह निश्चय किया गया था कि मंत्री-स्तर पर एक समिति बनाई जाए ताकि इस मामले की जांच की जाए और सभी राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाएं। समिति का गठन किया जा रहा है।

विवरण

सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य

1.	श्री गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव (परिवहन), ट्रान्सपोर्ट भवन, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2.	श्री पी० सी० भसीन, अपर महानिदेशक (सड़क) और सचिव, इण्डियन रोड कांग्रेस, ट्रान्सपोर्ट भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	श्री एस० के० मलिक, निदेशक, ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च और विकास, नई दिल्ली ।	सदस्य
4.	प्रो० सी० जी० स्वामीनाथन, निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, मथुरा रोड अथवा इनके प्रतिनिधि, नई दिल्ली ।	सदस्य
5.	श्री मनमोहन वजीर, महानिदेशक (परिवहन) जम्मू और काश्मीर सरकार, श्रीनगर ।	सदस्य
6.	एक अपर/उप पुलिस महानिरीक्षक, यातायात के प्रभारी अथवा इनके स्तर का	सदस्य
7.	ए० एस० आर० टी० यू० के प्रतिनिधि अशोक इस्टेट, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली ।	सदस्य
8.	श्री चित्तरंजन दास, महासचिव, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांफ्रेंस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली ।	सदस्य
9.	भारतीय सड़क और परिवहन विकास संघ के प्रतिनिधि, बम्बई ।	सदस्य

समिति के अध्यक्ष किसी भी अधिकारी/व्यक्ति को समिति के सदस्य नामित कर सकते हैं।

समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सदस्य सचिव नामित करेगी। नौवहन और परिवहन मंत्रालय का सड़क पक्ष समिति को सचिवालयी सहायता देगा।

समिति सड़क दुर्घटना सम्बन्धी विषय के सभी पहलुओं की जांच करेगी और पता लगाए गए उपायों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कार्रवाई के लिए अल्पावधि और लम्बी अवधि का कार्यक्रम बनाएगी।

त्रिपाल (कांगड़ा) पर हाल्ट स्टेशन का निर्माण

79. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने के० रेलवे पर कांगड़ा जिले की डेरा तहसील के त्रिपाल गांव में एक हाल्ट स्टेशन का निर्माण करने की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये भवन के निर्माण की अब तक कितनी प्रगति हुई है और आम जनता के लिये 'हाल्ट' स्टेशन कब तक खोला जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ग्राम पंचायत श्रमदान द्वारा प्लेटफार्म तथा टिकटघर का निर्माण करने और पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए भी सहमत थी। ग्राम पंचायत हाल्ट के ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए भी सहमत थी। श्रमदान कार्य पूरा नहीं किया गया है और न ही ठेकेदार की नियुक्ति के लिए किसी नाम की सिफारिश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा श्रमदान पूरा किये जाने के बाद हाल्ट खोलने की तारीख निश्चित की जायेगी और उसकी सिफारिश प्राप्त होने पर ठेकेदार की नियुक्ति की जायेगी।

वर्ष 1982-83 के दौरान नये केन्द्रीय विद्यालय

80. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 1982-83 के दौरान कोई नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां ऐसे विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिली है ; और

(ग) प्रत्येक स्कूल के खोले जाने की संभावित तारीख क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) उन स्थानों के राज्यवार नाम जहां वर्ष 1982-83 के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना संस्वीकृत किया गया है, निम्नलिखित हैं :

नामरूप (असम); मोकामाघाट (बिहार); दन्तीवाड़ा और वादसर (गुजरात); बकलोह (हिमाचल प्रदेश); बी० ई० एम० एल० नगर (कर्नाटक); रेवा और रायपुर (मध्य प्रदेश); बरन गांव, पुणे और देवलाली (महाराष्ट्र); राउरकेला और भुवनेश्वर (उड़ीसा) ; उदयपुर, जलीपा छावनी तथा उत्तरलई (राजस्थान) ; शाहजहांपुर, कानपुर छावनी तथा बमरौली (उत्तर प्रदेश); फरक्का (पश्चिम बंगाल) ; मन्दोवी (गोवा, दमन और दीव) ।

(ग) आशा है कि ये विद्यालय शीघ्र ही कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ।

संघशासित क्षेत्र काश्मीर से लगते स्थानों के कब्जे के बारे में पाकिस्तान के साथ हुई बातचीत

81. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया के उस दावे की भर्त्सना की गई है जिसमें यह कहा गया है कि गिलगित स्कर्दु और हुंजा के उत्तरी क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जून, 1982 में इन दो देशों की सरकारों के बीच हुई बातचीत के दौरान इस बात पर भी पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई और उन पर क्या निर्णय लिए गए ;

(घ) क्या इन दो देशों के बीच सम्बन्धों में कोई सुधार हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) : जी, हां ।

(ख) से (ङ) सरकार की इस स्थिति से पाकिस्तान सरकार को अवगत करा दिया गया है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के तथाकथित "उत्तरी क्षेत्र" के गिलगित, स्कर्दु और हुंजा क्षेत्र भारतीय जम्मू और काश्मीर राज्य के अंग हैं ।

दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को और सुधारने की दृष्टि से द्विपक्षीय हित के सभी मामलों पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श जारी है ।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श

82. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता बुलाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी 6 जून, 1982 को वरसेल्स (फ्रांस) में विश्व की सात प्रमुख औद्योगिक ताकतों को सम्बोधित करके फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा नई प्रौद्योगिकीयों के तेजी से विस्तार पर एक विश्व स्थिति हेतु योजना का स्वागत किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णयों से सहमत हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर भारत सरकार ने किस सीमा तक समर्थन किया है और अनुमति दी है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) विकासशील और विकसित देशों के सम्बन्धों के प्रश्न पर वरसेल्स शिखर सम्मेलन में निर्णयों का भारत सामान्यतः स्वागत करता है। भारत इस तथ्य की सराहना करता है कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देश विश्ववार्ता के बारे में ग्रुप 77 के अद्यतन मसौदा प्रस्ताव को सहायक समझते हैं और वे इस बात पर सहमत हुए कि इससे आगामी विचार-विमर्श के लिए एक आधार मिल सकता है। भारत ने विकासशील देशों के साथ व्यावहारिक सहयोग को विकसित करने की उनकी तत्परता पर भी ध्यान दिया है। भारत आशा करता है कि इस सम्बन्ध में सुझाव निकट भविष्य में साकार रूप ग्रहण करेंगे और विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति में सार्थक ढंग से योगदान करेंगे।

वर्ष 1982-83 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना

83. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में विभिन्न राज्यों में कुल कितने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहायक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र खोलने का विचार है ;

(ख) क्या उन नए स्वास्थ्य केन्द्रों में अन्धेपन की रोकथाम और चिकित्सा को प्राथमिकता दी जाएगी ; और

(ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य गाइड रखे जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) 1982-83 के दौरान 209 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 783 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र और 7931 उप-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) दृष्टिहीनता की रोकथाम और उपचार एक अग्रतामूलक कार्यक्रम है जिसे समग्र स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे, जिसमें भविष्य में खोली जाने वाली नई स्वास्थ्य संस्थाएं भी मामिल हैं, के माध्यम से चलाया जाना है।

(ग) नहीं । हैल्थ गाइड ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं ।

अन्धेपन की रोकथाम और उसके इलाज के काम में संलग्न स्वयं सेवी संगठन

84. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जो अन्धेपन की रोकथाम और उसकी चिकित्सा करते हैं ;

(ख) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में अन्धेपन पर नियंत्रण रखने के लिए काम करने हेतु इन स्वयं सेवी संगठनों को आर्थिक सहायता देती है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में इन संगठनों को कितनी धनराशि दी गई ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :
(क) दृष्टिहीनता की रोकथाम और उसके उपचार के लिए बहुत-से अलग-अलग संगठनों के अलावा रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, नेशनल सोसाइटी फार प्रिवेंशन आफ ब्लाइन्डनेस, रायल कामनवेल्थ सोसाइटी फार दी ब्लाइन्ड आदि जैसे कई स्वैच्छिक संगठन हैं ।

(ख) हां । मोतिया बिंद का आपरेशन करने वाले उन स्वैच्छिक संगठनों को जो वित्तीय सहायता के लिये आवेदन करते हैं, 60 रुपए प्रति मामले की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ग) और (घ) 1982-83 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए 16.25 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

विदेशों में "छाछ" और "ओडिसी" नृत्यों का लोकप्रिय बनाया जाना

85. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में "छाछ" और "ओडिसी" नृत्यों को लोकप्रिय बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :
(क) तथा (ख) विदेश में "छाछ" तथा "ओडिसी" नृत्यों को लोकप्रिय बनाने का अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि विभिन्न नृत्य स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिनय दलों का विदेशों

में प्रयोजन, जिनमें ये नृत्य भी शामिल हैं, समय-समय पर, सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदर्शनों और भिन्न-भिन्न देशों में निष्पादन कला समारोहों में भाग लेने के लिए किया जाता है।

काण्डला बन्दरगाह पर सामान की बुकिंग के बारे में शिकायतें

86. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काण्डला पत्तन न्यास पर सामान आदि की बुकिंग के बारे में भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(घ) जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कांडला पत्तन में सामान आदि की बुकिंग के बारे में ऐसी किसी शिकायत की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं होता।

शैक्षिक सर्वेक्षण की विशेष बातें

87. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां निधि की कमी के कारण 80 प्रतिशत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वजनिक रूप से अनिवार्य बनाने की योजना के अधीन स्कूलों में दाखिल नहीं किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बहुत अद्यतन आंकड़े एकत्रित करने के लिए 30-9-1978 को संदर्भ तारीख के रूप में मानकर केवल स्कूल शिक्षा स्तर तक चौथा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण किया गया था, ताकि स्कूल शिक्षा, विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के लिए योजना के अन्तर्गत योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। निम्नलिखित विषयों पर आकड़े एकत्रित किए गए :

(1) विभिन्न स्तरों पर स्कूल सुविधाओं वाली और बिना स्कूल सुविधाओं वाली प्रत्येक ग्रामीण बस्ती की गणना करना;

(2) भिन्न-भिन्न फासलों पर इन शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाने वाली ग्रामीण जनसंख्या;

(3) उन ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति अधिक संख्या में बसे हुए हैं;

(4) शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार की अर्हताओं वाले अध्यापक;

(5) विभिन्न स्कूल स्तरों पर बच्चों, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे शामिल हैं, तथा लड़कियों का भी दाखिला;

(6) प्राथमिक स्तर पर एकल अध्यापक स्कूल;

(7) स्कूल भवन;

(8) अन्य सुविधाएं, जैसे कि स्कूलों में फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, चिकित्सा-जांच, स्कूलों में पीने के पानी की सुविधाएं, खेल के मैदान की सुविधाएं; और

(9) मध्याह्न भोजन, छात्रों को निःशुल्क वर्दियां, लड़कियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और छात्रवृत्तियां जैसे प्रोत्साहन ।

(ख) छठी योजना के आधार वर्ष, 1979-80 के दौरान जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्राथमिक (I-VII कक्षाएं) स्तर पर 80 प्रतिशत दाखिला प्राप्त नहीं किया गया है, वे हैं :

आन्ध्र प्रदेश	राजस्थान
असम	त्रिपुरा
बिहार	उत्तर प्रदेश
हरियाणा	पश्चिम बंगाल
जम्मू और काश्मीर	अरुणाचल प्रदेश
कर्नाटक	चण्डीगढ़
मध्य प्रदेश	
उड़ीसा	

अपेक्षित दाखिला प्राप्त न करने के कई कारण हैं, किन्तु मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि है । दाखिले की धीमी प्रगति केवल धन के अभाव के कारण नहीं है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाएं तथा उनके लिए विदेशी सहायता

88. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक योजना के लिए कितनी-कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना में अनुमोदित योजनाओं और परिव्ययों का विवरण अनुबन्ध 1 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4158/82]

(ख) छठी योजना (1980-81 से 1984-85 में) के दौरान मिलने वाली सम्भावित अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का विवरण अनुबन्ध-दो में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4158/82]

हाल के तूफान के कारण परादीप बन्दरगाह को हुई क्षति

89. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 3 जून, 1982 को आए तूफान से परादीप बन्दरगाह को हुई क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति पहुंची है; और

(ग) उक्त क्षति को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 3 जून, 1982 की रात और 4 जून, 1982 की सुबह को परादीप पत्तन में जो चक्रवात आया तथा उससे पत्तन कार्यालयों, पत्तन के बिजली और यान्त्रिक प्रतिष्ठानों, गोदामों, आवासीय मकानों, वाटर सप्लाई प्रतिष्ठानों आदि को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बहुत-सी यान्त्रीकृत नौकाओं और अन्य छोटे-छोटे गैर-सरकारी जलयानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पत्तन के ट्रांजिट शेडों में रखे सामान और सीमेंट को भी नुकसान पहुंचा है।

(ग) पत्तन को समुचित वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

नानकपुरा अथवा शांति निकेतन तक मेटाडोर सेवा का बढ़ाया जाना

90. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** नानकपुरा अथवा शांति निकेतन तक मेटाडोर सेवा बढ़ाए जाने के बारे में 20 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और धौला कुआं के बीच बरास्ता कनाट प्लेस मेटाडोर सेवा के मौजूदा संचालन की पुनरीक्षा करने और उसे नई दिल्ली और शांति निकेतन अथवा नानकपुरा कालोनियों तक बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या मोतीबाग, नानकपुरा, शांति निकेतन और आनन्द निकेतन कालोनियों के निवासियों को अत्यधिक आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और धौला कुआं के बीच मेटाडोर सेवा दिल्ली प्रशासन द्वारा जुलाई 1981 में प्रायोगिक आधार पर चालू किया गया था। बाद में दिल्ली प्रशासन के निगरानी और मूल्यांकन कर्ता यूनिट द्वारा इसका पुनरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि इस रूट पर मेटाडोर सेवाओं का चलाना लाभप्रद नहीं था। इसलिए इस रूट पर मेटाडोर सेवा बन्द कर दी गयी। यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय और कनाट प्लेस में एक बस बदल कर दूसरे बस लेकर इन स्थानों को जोड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में दिल्ली परिवहन निगम की बसें उपलब्ध हैं।

सेन्ट्रल ड्रग्स स्टैन्डर्ड आर्गनाइजेशन द्वारा आयात की गई औषधियां

91. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल ड्रग्स स्टैन्डर्ड आर्गनाइजेशन द्वारा देशवार कितनी मात्रा में औषधियां आयात की गईं;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान आयातित औषधियों की जांच की गई थी और प्रतिवर्ष कितनी औषधियों को घटिया किस्म का पाया गया और क्या इन औषधियों को निर्यातक देशों को वापिस किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कैसे प्रयोग में लाया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय औषध मानक संगठन स्वयं कोई दवा आयात नहीं करता। उनका दायित्व केवल देश में विभिन्न सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा आयातित दवाइयों का निर्धारित बन्दरगाहों में परीक्षण करना होता है। देश में आयातित दवाओं को बेचने की तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक केन्द्रीय औषध मानक संगठन द्वारा उनकी क्वालिटी प्रमाणित नहीं की जाती।

रेलगाड़ियों में अपराध रोकने के लिए वायरलैस सैट

92. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, ने हाल ही में रेलगाड़ियों में चोरी, डकैती

आदि घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलगाड़ियों में प्रयोग के रूप में वायरलैस सैट लगाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कहां तक सफलता मिली है और भविष्य में इस प्रणाली को अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना पर अभी परीक्षण किया जा रहा है।

सुबह दयाबस्ती से केन्द्रीय सचिवालय के लिए अतिरिक्त बस सेवा

93. **श्री भीखा भाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दयाबस्ती से चलने वाले दैनिक यात्रियों को केन्द्रीय सचिवालय के लिए किसी बस के न मिलने के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या पंजाबी बाग और अन्य स्थानों से आने वाली रूट नं० 91 और 900 की बसें वहां नहीं रुकती हैं तथा उनमें बहुत भीड़-भाड़ होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सुबह दया बस्ती से केन्द्रीय सचिवालय तक के लिए कम मे कम एक अतिरिक्त बस सेवा शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) रूट नं० 91 और 900 की बसें जो त्रि-नगर और पंजाबी बाग टर्मिनल से केन्द्रीय सचिवालय को चलती है, वे दयाबस्ती से गुजरती हैं, और दयाबस्ती के बस स्टाप पर बस न रुकने की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि दयाबस्ती के निवासियों से इन रूटों पर और बसें चलाने की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी निगम समय-समय पर विभिन्न रूटों का अपनी इच्छा से सर्वेक्षण करता है और जहां वह जरूरत समझता है, और बसें लगा देता है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर रूट वार यात्रियों की संख्या

94. **श्री भीखा भाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून 1982 तक के महीनों में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में रूट-वार कितने-कितने यात्रियों ने यात्रा की है;

(ख) क्या उन्हें अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले रूटों की जानकारी है;

(ग) इन रूटों पर से भीड़-भाड़ को कम करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(घ) क्या समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मई, 1982 तक की संकलित सूचना परिशिष्ट में दी जा रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4159/82]

(ख) से (घ) जब भी अधिक बसों को चलाने की मांग होती है तो, निर्दिष्ट स्थानों के रूटों पर समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाता है। जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है और अतिरिक्त बसें उपलब्ध होती हैं तो रूटों पर बस सेवायें बढ़ा दी जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

आर० के० पुरम और अंतर्राज्यीय बस अड्डे के बीच मिनी बसों का चलना

95. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आ० के० पुरम और अंतर्राज्यीय बस अड्डे के बीच बरास्ता, मोतीबाग, धौला कुआं और कनाट प्लेस से चलने वाली मिनी बसें खचाखच भरी होती हैं;

(ख) क्या सरदार पटेल मार्ग और कनाट प्लेस जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इस प्रकार के मामलों को पुलिस अनदेखा कर देती है;

(ग) क्या ऐसी कोई सीमा है जिस तक कि यात्रियों को चढ़ाया जाए और मिनी बस चालकों में अनुशासन लागू करने के लिए क्या तंत्र है; और

(घ) इस व्यस्तता वाले मार्ग पर और अधिक बसें चलाने तथा यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इनकी आवृत्ति बढ़ाने के लिए अधिकारियों के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है, परन्तु पीक आवर्स के दौरान इस प्रकार की भीड़ से इन्कार नहीं किया जा सकता। मिनी बस में ड्राइवर सहित 33 यात्रियों के लिए स्थान है। यातायात पुलिस तथा दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय के इन्फोर्समेंट स्टाफ यातायात के परिचालन और उसकी चेकिंग के लिए उत्तरदायी है।

(घ) राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी किए गए स्टेज कैरिज परमिटों के अधीन चलने वाली 7 मिनी बसों के अलावा, दिल्ली परिवहन निगम इस रूट पर पर्याप्त संख्या में जनता की आवश्यकतानुसार अपनी बसें चलाता है। रामकृष्णपुरम दिल्ली परिवहन निगम की नियमित रूट संख्या 602 और 621 की बसों द्वारा अन्तर्राज्यीय बस अड्डा से जुड़ा हुआ है। रूट संख्या 602 की सेवाएं बसन्त बिहार (प्रिया सिनेमा) और अंतर्राज्यीय बस अड्डा के बीच बरास्ता रामकृष्णपुरम से 18 मिनट के अन्तराल पर उपलब्ध है जबकि रूट संख्या 621 की

सेवाएं मुनीरका (रामकृष्णपुरम) से मुक्त होकर अन्तर्राज्यीय बस अड्डा पर समाप्त हो जाती है। यह सेवा 28/56 मिनट के अन्तराल पर उपलब्ध है। दोनों बसों की सेवाएं यातायात की मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

एशियाड, 1982 के व्यय की जांच करने के लिए तंत्र

96. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में इस वर्ष होने वाले एशियाड '82 से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है;

(ख) अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है; और

(ग) भारी मात्रा में सार्वजनिक धन को सही तरीके से व्यय करने तथा दुर्विनियोजन तथा धोखा-धड़ी से बचने की जांच किस प्रकार की जाती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाई खेल, 1982 के लिए सरकार द्वारा कुल 54.83 करोड़ रुपए का खर्च वहन किए जाने का अनुमान है, जैसा कि इसने नवम्बर, 1980 में अनुमोदित किया था, जिसमें से 22.61 करोड़ रुपये की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में व्यवस्था की गई है।

तथापि वर्तमान संकेत यह है कि इस प्राक्कलन का संशोधन करने पर कुल प्राक्कलन में वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ख) 30 जून, 1982 तक दर्ज किया गया खर्च 36.64 करोड़ रुपए है।

(ग) एशियाई खेलों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों तथा अन्य प्रबन्ध करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न निर्माण एवं अन्य एजेंसियों की सामान्य रूप से उसी तरह जांच की जाती है जो अन्यथा उनके सामान्य कार्यकरण के लिए निर्धारित विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत उन पर लागू होती है।

चिकित्सा अधिकारी जी० डी० ओ० ग्रेड दो के अस्थायी पदों को स्थायी बनाया जाना

97. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976 और 1977 की परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए चिकित्सा अधिकारी जी० डी० ओ० ग्रेड-2 के संवर्ग में अस्थाई पदों को स्थायी बनाने का कार्य पूरा करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इन अधिकारियों के स्थायीकरण के मामले में होने वाले असामान्य विलम्ब के कारण संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए इन कार्मिकों में असंतोष हो रहा है और स्थायीकरण के मामले में उनके साथ उस ढंग से बर्ताव नहीं किया जा रहा है जैसा कि अन्य

अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती किए गए व्यक्तियों के साथ किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार संवर्ग संख्या की समीक्षा करेगी और इसे सीधे स्थिर करेगी? इस श्रेणी के उन अधिकारियों को आवश्यक राहत प्रदान करेगी जो गत पांच वर्ष या इतनी ही अवधि से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा में हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की विभिन्न सहभागी यूनिटों जैसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, असम राइफल डाक व तार आदि ने हाल ही में जी० डी० ओ० ग्रेड-2 अधिकारियों के 655 अस्थायी पदों को स्थायी बनाया है। स्थायी बनाए गए पदों में ऐसे अनेक पद भी शामिल हैं जिन पर भर्ती 1976 और 1977 में की गई थी। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सहभागी यूनिटों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे इस सम्बन्ध में मौजूदा नियमों के अनुसार अस्थायी पदों को स्थायी बनाएं। पात्र अधिकारियों का स्थायीकरण स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता तथा सम्बन्धित अधिकारियों की वरिष्ठता और उपयुक्तता के अनुसार समय-समय पर किया जाता रहा है।

(ख) अन्य सेवाओं के सदस्यों की तुलना में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कतिपय अधिकारियों में स्थायीकरण के मामले में हुए विलम्ब के कारण कुछ असन्तोष हो सकता है। वैसे जी० डी० ओ० ग्रेड (जूनियर क्लास-1) के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों को स्थायी/अस्थायी रिक्तियों पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है और बाद में उन्हें उपलब्ध स्थायी रिक्त पदों पर उनकी वरिष्ठता और उपयुक्तता के अनुसार समय-समय पर स्थायी किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न ग्रेडों की संवर्ग संख्या की लगातार समीक्षा होती रहती है और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भाग ले रहे सभी संगठनों को समय-समय पर यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में सरकारी अनुदेशों के अनुसार अस्थायी पदों को स्थायी बनाने सम्बन्धी कार्य को पूरा करें ताकि पात्र अधिकारियों को शीघ्र स्थायी बनाया जा सके।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी

98. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पत्तन और गोदी कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनकी न्यूनतम मजूरी क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कर्मचारी संघों की मांगें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) 31-12-1981 तक बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डाक लेबर बोर्ड पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 1.4 लाख है। देश में बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डाक लेबर बोर्ड पर 1-7-1982 के अनुसार सबसे कम वेतन पाने वाले श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी लगभग 710 रुपये प्रतिमास है।

(ख) पोर्ट और डाक श्रमिकों के चार महासंघों के प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति में कर्मचारियों की ओर से प्रतिनिधित्व किया 1980 में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक (1960 की शृंखला) 363 के आधार पर प्रतिमास 725 रुपये मूल वेतन की मांग की गई थी।

श्रीलंका द्वारा भारतीय नौकाओं और मछुओं का रोका जाना

99. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय मछुओं और उनकी नौकाओं (एम० एस० तथा टी० एन० टी० 195) को, जो अनजाने में श्रीलंका की जल सीमा के भीतर चले गए थे और उस देश की सरकार द्वारा पकड़ लिए गए थे, रिहा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : भारत और श्रीलंका के जो मछेरे एक दूसरे की समुद्री सीमा में चले जाते हैं, उनकी समस्या के सम्बन्ध में भारत और श्रीलंका के स्थानीय प्राधिकारी निरन्तर परस्पर संपर्क बनाए हुए हैं। इस मामले में (कोलम्बो स्थित हमारे हाई कमीशन के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं तथा मछेरे को, जिनमें नौका चालक भी शामिल हैं, श्रीलंका के प्राधिकारियों ने रिहा कर दिया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक स्तर को उठाने का कार्यक्रम

100. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री जयनारायण रौत :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्तमान शिक्षा स्तर के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है कि विभिन्न राज्यों में अन्य जातियों के बराबर उनका शिक्षा स्तर उठाने के लिए कोई लम्बी अवधि/अल्पावधि का कार्यक्रम तैयार किया जाए; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। चौथा सर्वेक्षण 1978 में किया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से बसी हुई उन बस्तियों की संख्या जिनमें स्कूली शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के दाखिले की आनुपातिक वृद्धि, इन जातियों के शिक्षकों का अनुपात आदि का विश्लेषण किया गया था। इसके अलावा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की शिक्षा के परिमाणात्मक प्रसार का विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक

वर्ष अध्ययन किया जाता है। इन सर्वेक्षणों तथा अध्ययन के निष्कर्ष उन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जाते हैं जो इन जातियों के शैक्षिक स्तरों को बढ़ाकर अन्य जातियों के स्तरों के बराबर करने के लिए दीर्घकालीन/अल्पकालीन कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होती हैं।

लोहे की चद्दरों के प्रेषण प्राप्त करने के लिए प्रलेखों में कथित जालसाजी का आरोप

101. **श्री रामविलास पासवान** :
डा० ए० यू० आजमी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष कई वर्षों से चले आ रहे लोहे की चादरों के प्रेषण को प्राप्त करने के लिए प्रलेखों में जालसाजी करके रेल की लूट में करोड़ों का घोटाला और कुछ रेलवे अधिकारियों का हाथ होने का मामला हाल ही में प्रकाश में आया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल कर्मचारियों की मिली-भगत से 4 लाख रुपये से अधिक मूल्य की लोहे की चादरों से लदे 2 माल डिब्बों का अनधिकृत रूप से मार्ग बदलने तथा फरवरी/मार्च 1982 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के मैंजापुर रेलवे स्टेशन पर जाली रेलवे रसीद पर लोहे की चादरों की सुपुर्दगी प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया है।

(ख) माल डिब्बा सं० पी० डब्ल्यू 3963, जो मूलतः टाटानगर से टिस्को साइडिंग/कानपुर के लिए बुक किया गया था तथा माल डिब्बा सं० ई० आर० 59613 जो मूलतः स्कोब साइडिंग, सीतारामपुर से ओखला के लिए बुक किया गया था, दोनों में लगभग 4 लाख रुपये मूल्य की लोहे की चादरें लदी हुई थीं। बदमाशों के एक गिरोह ने, जिसमें कुछ रेल कर्मचारी शामिल थे, इन माल डिब्बों को कानपुर विन्यास यार्ड से अनधिकृत रूप से मैंजापुर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) की ओर मोड़ दिया था और इन्हें चोपन से मैंजापुर के लिए बुक किया गया दिखा दिया गया था। गिरोह के दो सदस्यों ने क्रमशः 24-2-82 और 25-3-82 को स्टेशन मास्टर, मैंजापुर स्टेशन से 2 जाली रेलवे रसीद दिखाकर इन माल डिब्बों में लदे सामान की सुपुर्दगी ले ली थी। सूचना मिलने पर गोंडा के रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने मैसर्स भगवती ट्रांसपोर्ट/गोंडा और मैसर्स खटारिया ट्रांसपोर्ट/इन्दौर और बम्बई के परिसर में से इस रैकट की सभी लोहे की चादरें बरामद करने में सफलता प्राप्त कर ली। रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अधीन 7-4-82 को रेलवे सुरक्षा बल चौकी/गोंडा में एक मामला दर्ज कर लिया गया तथा अभी तक 2 रेल कर्मचारियों सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे जांच-पड़ताल जारी है। इस रैकट में शामिल सम्पूर्ण गिरोह का पता लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस महत्वपूर्ण मामले की जांच-पड़ताल करने का अनुरोध किया गया है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति का अधिकृत क्षेत्रों को पाकिस्तानी क्षेत्र घोषित करने के बारे में वक्तव्य

102. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री सुभाष यादव :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति के उस कथित वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने अधिकृत काश्मीर में गिलगित, हुन्जा और स्कर्दु को पाकिस्तान का हिस्सा घोषित किया है;

(ख) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि काश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है और शिमला समझौते के अधीन उसका अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में उल्लेख किए जाने से रोका नहीं जा सकता; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें समाचार-पत्रों में देखी हैं।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के तथाकथित वक्तव्यों पर अपनी गम्भीर आपत्ति से पाकिस्तान सरकार को अवगत करा दिया है और हमने अपनी इस स्थिति को उनके समक्ष फिर दोहराया है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के गिलगित, हुन्जा और स्कर्दु क्षेत्र न्यायिक और संवैधानिक दृष्टि से भारत के जम्मू और काश्मीर राज्य के हिस्से हैं।

जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना शिमला समझौते की भावना के विरुद्ध है।

पाकिस्तान जेलों में भारतीय

103. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री सुभाष यादव :

क्या विदेश मंत्री पाकिस्तान जेल में दस भारतीयों के बारे में 29 अप्रैल, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 923 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान जेलों में भारतीय बन्दियों को छुड़ाने और उन्हें भारत वापिस लाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके कब तक भारत वापिस आने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार की कोशिशों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान सरकार सक्कर जेल (कराची) में नजरबन्द 10 भारतीय राष्ट्रिकों को देश-प्रत्यावर्तित करने पर सहमत हो गई है। उनके देश-प्रत्यावर्तन के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

फुलेरा और रीन्गस से होते हुए जोधपुर से दिल्ली के लिए नई रेलगाड़ी

104. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर से दिल्ली के लिए सीधा और सबसे छोटा मार्ग फुलेरा तथा रीन्गस से होते हुए है;

(ख) क्या लगभग 30 वर्षों से जोधपुर से दिल्ली को केवल एक रेलगाड़ी जोधपुर मेल चल रही है, जिसमें बहुत भीड़भाड़ होती है;

(ग) क्या क्षेत्रीय प्रबन्धक, जोधपुर डिवीजन और डिवीजन की 'युजर्स कन्सल्टेटिव कमेटी' जोधपुर से दिल्ली (फुलेरा और रीन्गस होते हुए) के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाने हेतु लगभग दस वर्ष से प्रस्ताव भेज रहे हैं; और

(घ) क्या जोधपुर डिवीजन के लोगों की मांग पूरी की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। बहरहाल, 93/94 जोधपुर मेल के दूसरे दर्जे में थोड़ी-सी भीड़भाड़ है।

(ग) से (ङ) फुलेरा-रीन्गस के रास्ते जोधपुर तथा दिल्ली के बीच एक गाड़ी चलाने की सम्भावना के बारे में जांच की गयी है लेकिन फिलहाल इसे दिल्ली-रिवाड़ी फुलेरा खंड पर संतृप्त लाइन क्षमता के कारण परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया। बहरहाल, 93/94 जोधपुर मेल में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

बाड़मेर रेलवे स्टेशन के भवन में सुधार के लिए आवंटित धनराशि

105. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के अन्तर्गत बाड़मेर, जो एक महत्वपूर्ण सीमा नगर है, के रेलवे स्टेशन का भवन पचास वर्ष पुराना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान जरूरतों को देखते हुए उस भवन में काफी सुधार की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तथा आगामी वर्ष के लिए उक्त भवन के सुधार हेतु कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जोधपुर डिवीजन में पुराने वाष्प इंजन

106. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन में कुल कितने वाष्प इंजन हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक इंजन कितना पुराना है;

(ग) ऐसे प्रत्येक इंजन की सेवावधि क्या है और वे कितने समय बाद अनुपयुक्त हो जाते हैं;

(घ) इस डिवीजन में ऐसे इंजनों की संख्या क्या है जो निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद तक काम में लाये जाते हैं और काम में लाने योग्य नहीं रह गए हैं;

(ङ) क्या रेलवे ऐसे इंजनों को भी, जिन्हें बेकार घोषित कर दिया जाना चाहिए, अब भी काम में ला रहा है;

(च) यदि हां, तो क्या ऐसे इंजन खराब हो जाते हैं और यात्रियों को रुके रहना पड़ता है; और

(छ) क्या इसके फलस्वरूप कोई दुर्घटना हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे के जोधपुर मण्डल में भाप रेल इंजनों की कुल संख्या 91 है जिनकी आयु 20 से 33 वर्ष अलग-अलग है। उनकी वर्तमान हालत संतोषजनक है।

(ग) एक भाप इंजन की सांकेतिक आयु 40 वर्ष है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) कोई नहीं।

दिल्ली-अहमदाबाद लाइन का बदला जाना

107. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के बारे में अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ख) क्या सरकार उक्त मीटर गेज लाइन को इस वर्ष प्राथमिकता देकर दिल्ली से अलवर तक बड़ी लाइन में बदलने तथा इस पर इसी वर्ष कार्य शुरू करने के लिए स्वीकृति देगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम एक अनुमोदित कार्य है। इस परि

योजना पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग ने इस परियोजना की स्वीकृति नहीं दी है।

(ख) दिल्ली से अलवर तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मथुरा से अलवर तक एक बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने के लिए इंजीनियरी एवम् यातायात सर्वेक्षण का कार्य बजट में शामिल कर लिया गया है।

खंडवा-बुरहानपुर राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

108. **श्री शिवकुमार सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर-धुलिया तथा खंडवा-बुरहानपुर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा क्या केन्द्रीय सरकार इन राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिये स्वयं कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1980-85 की योजना में जिन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव दिया है उनमें अन्य मार्गों के साथ-साथ खंडवा-बुरहानपुर मार्ग भी है। लेकिन आर्थिक कठिनाई और अन्य आवश्यक कार्यों के कारण राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है। यह स्थिति अब भी बनी हुई है और यह बात मध्यप्रदेश के साथ-साथ सभी अन्य राज्यों पर भी लागू होती है।

प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि

109. **श्रीमती कृष्णा साही** :
श्री रामस्वरूप राम :

क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री निम्न जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में कुल 72 करोड़ तथा 30 लाख निरक्षरों में से 42 करोड़ तथा 40 लाख भारत में ही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा के लिये कुल बजट आवंटन में से 22 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में लगभग 6 लाख गांवों में से प्राथमिक स्कूलों की संख्या 44 हजार है और उक्त स्कूलों में से 40 प्रतिशत स्कूलों में एक-एक अध्यापक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निरक्षर लोगों की संख्या कम करने तथा देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) निरक्षर आबादी के नवीनतम अनुमानित आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(I) विश्व : 81.40 करोड़, आयु 15 वर्ष तथा इससे ऊपर (1980, यूनेस्को अनुमान);

(II) भारत : 1981 की जनगणना के अनुसार निरक्षर आबादी के आयु वर्ग के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में निरक्षर लोगों की संख्या 30.72 करोड़ थी, इसमें 15 तथा इससे ऊपर के आयु-वर्ग के 20.95 करोड़ तथा 5-15 आयु-वर्ग के 9.77 करोड़ भी शामिल है।

(ख) 1981-82 के बजट उपबन्धों के अनुसार, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए बजट बद्ध राशि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कुल शिक्षा बजट की 47.5% थी।

(ग) चौथे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (सन्दर्भ तारीख 30-9-78) के अनुसार 4,74, 636 प्राथमिक स्थूल थे। जिनमें से 1,64,931 अथवा 34.7 प्रतिशत एकल-शिक्षक स्कूल थे।

(घ) अनुच्छेद 45 में निर्धारित संवैधानिक लक्ष्य के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के सर्व-सुलभीकरण को प्रौढ़ शिक्षा के इसके प्रशंसात्मक कार्यक्रम सहित छठी योजना (1980-85) के न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। छठी योजना के इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा I-VIII) में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों का शत-प्रतिशत दाखिला तथा 1989-90 तक 15-35 आयु-वर्ग के सभी व्यक्तियों में निरक्षरता का उन्मूलन करना है। ये नए 20 सूत्री कार्यक्रम का भी हिस्सा है।

छठी योजना के अन्तर्गत, 300 अथवा अधिक आबादी वाली 6.95 प्रतिशत व्यवहार्य बस्तियों के सम्बन्ध में एक किलोमीटर के अन्दर प्राथमिक स्कूली शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 93.05 प्रतिशत ऐसी बस्तियों में प्राथमिक स्कूली शिक्षा की सुविधाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं।

छोटी रेल लाइनों का बड़ी रेल लाइनों में बदलने की योजना

110. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से सभी छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने की बृहद योजना तैयार की है;

(ख) क्या रेलवे मंत्रालय ने सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की कोई लम्बी अवधि की योजना तैयार की है ताकि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए योजना आयोग और रेल मंत्रालय अगली दो पंचवर्षीय योजनाओं में निधियों का प्रावधान कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालयत था संसद्रीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मूलतः आमान परिवर्तन परियोजना के प्रस्तावों पर केवल तभी विचार किया जाता है जब यह पता लग जाये कि भविष्य में होने वाले यातायात को मौजूदा प्रणाली द्वारा नहीं संभाला जा सकता है। इस

दृष्टिकोण को देखते हुए छोटी लाइन (छो० ला०) के खंडों को बड़ी लाइन में बदलने की सिफारिश करना अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, संसाधनों की कमी के कारण कुछ व्यस्त मीटर लाइन (मी० ला०) के मार्गों को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में शामिल नहीं किया जा सकता। अत: फिलहाल छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए न तो कोई योजना पेश करने और न ही धनराशि मांगने का कोई प्रस्ताव है।

पब्लिक स्कूल प्रणाली को समाप्त करना

111. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली को बन्द करके तथा प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करके देश भर में शिक्षा की समरूप प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किये हैं यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा विख्यात शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाने का है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षाध्ययन के बाद सभी स्तरों पर शिक्षा पर एक समान जोर डाला जाना चाहिए ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा की 10+2 प्रणाली की सिफारिश अन्य बातों के साथ-साथ सारे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली रखने के उद्देश्य से की गई है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलनों सहित विभिन्न राष्ट्रीय मंचों में समय-समय पर इस प्रणाली की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। तथापि, शिक्षा के स्तर की संकल्पना बहुत व्यापक है। कुल मिलाकर, शिक्षा के स्तरों को बढ़ाने पर निश्चित रूप से जोर दिया गया है। कुछ समय पहले पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के प्रश्न की जांच की गई थी और सरकार को इस सम्बन्ध में यह कानूनी राय दी गई है कि पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के लिए कोई भी कार्यवाही करना संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन होगा।

बढ़ती हुई जनसंख्या के नियन्त्रण के लिए कार्यक्रम

112. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विकसित देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिक है जबकि अन्य देशों ने अपनी जनसंख्या पर नियन्त्रण करने के लिए बहुत-से प्रभावी कदम उठाए हैं परन्तु भारत अभी भी पीछे रहा हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने वृद्धि दर कम करने के लिए आगामी दस वर्षों के लिए कोई ठोस और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी हां। विश्व के अधिकतर विकासशील देशों की अपेक्षा भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम की रूपरेखा विवरण में दी गई है।

विवरण

कार्यनीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(क) "छोटे परिवार के सिद्धान्त" को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर अपनाने की बात को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा।

(ख) बहु-प्रचार साधनों और वैयक्तिक सम्पर्क के प्रभावशाली तरीके द्वारा छोटे परिवार की धारणा के सम्बन्ध में जागरूकता और जानकारी देने के लिए गहन प्रयास किए जायेंगे।

(ग) प्रत्येक दम्पति को उनके मनभाता तरीका चुनने की छूट दी जाएगी।

(घ) परिवार कल्याण की सेवाएं और सामग्री लोगों को घरों के यथासंभव निकट प्रदान की जाएगी।

(ङ) यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्या और सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयत्नों का एक अभिन्न अंग बना रहेगा।

(च) महिला साक्षरता की सुविधाओं और इसको तेजी से बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा।

(छ) स्कूलों तथा कालेजों में तथा बाहर युवाओं को जनसंख्या संबंधी शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। यह जनसंख्या शिक्षा सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा आयोजित सभी कार्यकर्ता शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रारम्भ की जायेगी।

(ज) सभी स्तरों पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, निम्नतम स्तर पर ग्रामीण संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को इस कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाएगा और उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा।

(झ) अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय करके उसे सुदृढ़ किया जाएगा।

लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा।

(ट) ग्रामीण अथवा सामाजिक स्तर पर सभी विवाहों का रिकार्ड रखा जाएया।

(ठ) सभी स्तरों पर घनिष्ठ मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकारों से परामर्श करके प्रशासनिक तंत्र को ठीक करने और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाने के उपाय किए जायेंगे।

कोचीन और मदुरै को जोड़ने वाली रेल लाइन की योजना

113. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और मदुरै को जोड़ने वाली रेल लाइन बनाने की सरकार की कोई योजना है : और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्तमान मदुरै-बोडिनायक्कनूर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य और बोडिनायक्कनूर से कोच्चिन तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण कार्य 3.00 लाख रुपये की लागत से 1982-83 के बजट में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही आगे कारंवाई की जा सकती है।

बन्दरगाह तथा ट्रंक रेलों का विलय

114. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दरगाह तथा ट्रंक रेलों का विलय किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या लाभ तथा हानियां हैं ; और

(ग) इस मामले का नौवहन और परिवहन मंत्रालय के साथ निपटान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पोर्ट रेलों का ट्रंक रेलों के साथ विलय करने के प्रश्न की विस्तृत जांच करने के उद्देश्य से अप्रैल, 1982 में दो सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का एक सदस्य और रेल मंत्रालय का एक सदस्य प्रतिनिधि के रुप में हैं। समिति के विचार-विमर्श अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अध्ययन पूरा हो जाने के पश्चात ही प्रस्तावित विलय के लाभ और हानि तथा व्यावहारिकता का पता चलेगा।

प्राइमरी और मिडिल स्तर पर स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या

115. **डा० कृपासिन्धु भोई** :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राइमरी और मिडिल स्तर पर स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1976-1979 तक के तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में प्राइमरी (कक्षा V) तथा मिडिल (viii) स्तर के अन्त में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या की प्रतिशतता निम्नलिखित है :

वर्ष	प्राइमरी स्तर के अन्त में	मिडिल स्तर के अन्त में
1976-77	63.1	77.1
1977-78	62.7	76.9
1978-79	62.6	76.8

(ख) सुझाए अथवा प्रारम्भ किए गए उपायों को यदि पूर्णत: कार्यान्वित किया जाता है तो यह आशा की जाती है कि इसके परिणामस्वरुप स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आएगी।

राष्ट्रीय पोषण नीति

116. **डा० कृपासिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूट्रिशन ट्रेंड्स एण्ड पर्सपैक्टिव इन गैस इन एटीज विषय पर एक गोष्ठी नई दिल्ली में मई, 1982 में आयोजित हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो पोषण संबंधी स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु उक्त गोष्ठी में क्या-क्या नियमन पारित किए गए तथा सुझाव दिए गए ; और

(ग) एक राष्ट्रीय पोषण नीति तैयार करने तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

घटिया अथवा नकली औषधियां

117. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री मोहन लाल पटेल :
श्री नवीन रवाणी :
डा० सरदीश राय :
श्री अजीत बाग :
श्री मगन भाई बरोट :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बताया गया है कि भारतीय बाजारों में मिलने वाली पांच औषधियों में से एक औषधि घटिया अथवा नकली है ;

(ख) यदि हां तो क्या भारतीय औषधि नियन्त्रक के 1968 से 1979 तक के अध्ययन प्रतिवेदनों से पता चला है कि देश में निर्मित तथा आयातित औषधियां लगातार घटिया मिलती रही हैं ;

(ग) क्या यही बात तथाकथित आवश्यक औषधियों पर भी लागू होती है;

(घ) क्या 1968-1979 तक के प्रतितेदनों से पता चलता है कि घटिया औषधियां प्रति वर्ष भारत में आती रही हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या अभी भी यही स्थिति है ; और

(च) क्या 1969 में आयातित औषधियों के 729 नमूनों में से 66 घटिया थे और 1979 में 9 प्रतिशत मिलावटी थे और 1978-79 में आयातित औषधियों के 100 नमूनों में से 1 नकली था ;

(छ) क्या 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान के परीक्षणों के अनुसार भी स्थिति वही थी ; और

(ज) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी हां। 7 जून, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया और इण्डियन एक्सप्रेस (दिल्ली अक) में इस आशय की रिपोर्ट छपी है।

(ख) औषध नियंत्रक (भारत) स्वयं कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते हैं और इस प्रकार उनकी 1968-69 की रिपोर्ट का हवाला संगत नहीं हैं। वैसे, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला कलकत्ता और केन्द्रीय भारतीय भैषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1978-81 के दौरान जांचे गये जो नमूने घटिया पाये गये थे उनका औसत लगभग 17.5 प्रतिशत निकलता है।

(ग) सभी श्रेणी की औषधियों के जांचे गए नमूनों में अनिवार्य औषधियां भी शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जैसा कि पहले बताया गया है औषध नियंत्रक (भारत) की कोई भी प्रकाशित रिपोर्ट नहीं है। तथापि, आयातित औषधियों के नमूने केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के पत्तन अधिकारियों द्वारा परीक्षण के लिए नियमित रूप से लिए जाते हैं और जो दवाई मानक स्तर की नहीं पाई जाती है उसे भारतीय बाजार में लाने की अनुमति नहीं दी जाती।

(च) और (छ) औषध नियंत्रक (भारत) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान देश में आयातित औषधियों के क्रमशः 2809, 2960 और 3183 नमूने भरे गए थे और उन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया था। इनमें से क्रमश 24, 16 और 78 नमूने घटिया स्तर के पाये गए थे।

(ज) नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए जो उपाय किये गए हैं उनका एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को वर्ष 1964 में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए संशोधित किया गया था :

(क) गलत ब्रांड वाली औषधियों/नकली औषधियों के कुछ वर्गों के निर्माण और बिक्री के लिए दण्ड तीन वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष और जुर्माना निर्धारित करने के लिए अदालतों के लिए यह जरूरी कर दिया गया कि यदि वे एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड देना चाहें तो वे इसके लिए विशेष कारण लिखित रूप में रिकार्ड करें।

(ख) एक नई धारा 18 (क) जोड़ना जिसमें यह जरूरी कर दिया गया था कि निर्माता का प्रत्येक डीलर या एजेंट औषध निरीक्षक क. उस व्यक्ति का नाम, पता, तथा अन्य ब्यौरा बत-लाए जिससे उसने औषधियां या प्रसाधन सामग्री प्राप्त की हो।

(ग) नकली औषधियों के निर्माण, बिक्री या वितरण में इस्तेमाल किए जाने वाली मशी-नरी के पुर्जों आदि और वर्तन या कवर जिनमें ऐसी औषधियां भरी गई और ऐसी औषधियों की ढुलाई में इस्तेमाल किए जाने वाले पशु वाहन और जहाज आदि को जब्त करने के लिए एक प्राव-धान करना।

2. बिना लाइसेंस की औषधियों का निर्माण करने वालों को, जो आमतौर पर नकली औषधियों का निर्माण और बिक्री करते हैं, इस काम से हटाने के लिए लाइसेंस शुदा औषध निर्मा-ताओं की एक अखिल भारतीय सूची संकलित की गई है जिसे समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है। यह सूची सभी राज्य औषध नियंत्रकों और औषध निर्माताओं और डीलरों के प्रमुख संघों को भेजी जाती है।

3. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे नकली औषधियों के विरुद्ध अभियान को तेजी से चलाने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करें।

4. जब कभी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को नकली औषधियों की सूचनाएं मिलती हैं और जब कभी कोई दल अन्तर्राज्यीय स्तर का होता है तो संबंधित राज्यों को तत्काल चौकस कर दिया जाता है और राज्य की पुलिस की सहायता से आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

5. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन औषध परामर्शदात्री समिति की बैठकों, जोनल राज्य औषध नियंत्रकों की बैठकों और जोनल अधिकारियों तथा राज्य औषध नियंत्रक अधिका-रियों के बीच होने वाले विचार विमर्श एवं पत्राचार के जरिए राज्य औषध नियंत्रण संगठन के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखता है।

6. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य औषध परामर्शदात्री बोर्डों का गठन करें जिनमें निर्माताओं, डीलरों, चिकित्सा व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को शामिल किया जाए ताकि ये बोर्ड औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के बारे में किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को परामर्श दें।

7. केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रीय ओषध प्रयोगशाला कलकत्ता, केन्द्रीय भारतीय भैषज संहिता प्रयोगशाला गाजियाबाद और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में उपलब्ध परीक्षण सुवि-धाएं राज्यों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं। कई राज्य और और संघ राज्य क्षेत्र इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

8. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के तत्वावधान में औषध निरीक्षकों और औषध विश्लेषकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं ;

9. 30 अप्रैल, 1982 को लोक सभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया जो अन्य बातों के साथ-साथ "नकली औषधियों" शब्द की स्पष्ट परिभाषा देने, सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या उपचारात्मक तौर पर अप्रभावी समझी जाने वाली किसी भी औषध के आयात, निर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने, औषध निरीक्षकों को और अधिक शक्तियां देने तथा इस अधिनियम के अधीन और अधिक कड़ी सजा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया ;

10. देश में गलत ब्रांड वाली/नकली औषधियों के निर्माण, बिक्री और वितरण की समस्या का पता लगाने और इससे निबटने के लिए सरकार ने 21 जून, 1982 को एक टास्क फोर्स का गठन किया है । यह टास्क फोर्स अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों तथा केन्द्र में औषध नियंत्रण तंत्र की उपयुक्तता की जांच करेगा, इसे सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय संस्तुत करेगा और औषध परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने तथा विभिन्न राज्यों में आसूचना एकांश खोलने की जरूरत की जांच करेगा ।

नगर के अन्दर के मोटर मार्गों पर हुई दुटर्घना

118. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रालय ने एक नगर से दूसरे नगर तक के मोटर मार्गों पर हुई दुर्घटनाओं के बारे में राजमार्ग पुलिस मेडिकल दलों को चौकस करने और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों का मलबा हटाने के लिए देश-व्यापी पद्धति की स्थापना के बारे में एक योजना बनाई है और इसे राज्यों के विचारार्थ भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं सौर इस पर कुल कितना व्यय सम्बद्ध होगा ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि यह व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ प्रत्येक 50 कि० मी० पर यातायात सहायता चौकियां बनाने का प्रस्ताव है । इन चौकियों से दुर्घटना की सूचना दी जा सकेगी । इसके अलावा इन चौकियों से दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र में हताहत व्यक्तियों आदि को प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो सकेगी तथा दुर्घटना के स्थल से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों आदि को हटाकर सड़क पर निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जा सकेगा । वर्तमान अनुमानों के आधार पर प्रत्येक यातायात चौकी के संचालन और/नियंत्रण पर आवर्ती व्यय के रूप में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये खर्च होने और अनुवर्ती व्यय के रूप में 2.50 लाख रुपये के खर्च होने का अनुमान है ।

(ग) यद्यपि कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता की संभावना के बारे में पहले

उल्लेख किया था, फिर भी, 31-5-82 को हुई बैठक में सभी परिवहन मंत्री इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि हाइवे-पैट्रोलिंग स्कीम को कार्यान्वित किया जाए।

3 जून, 1982 को मद्रास के नजदीक गुम्मीदिपुण्डी स्टेशन में हुई रेल दुर्घटना

119. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जून, 1982 को मद्रास के नजदीक गुम्मीदिपुण्डी स्टेशन में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक माल गाड़ी उपनगरीय विद्युत चालित रेलगाड़ी के पिछले भाग से टकरा गई थी ;

(ख) उस दुर्घटना में कितने आदमी मरे और घायल हुए थे ;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गयी है ; और

(घ) क्या घायलों और मृतकों के रिश्तेदारों को कोई मुआवजा दिया गया था ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना में 9 व्यक्ति मारे गए, 9 गम्भीर रूप से घायल हुए तथा 17 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई।

(ग) रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र, बेंगलूर ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

(घ) इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों और जख्मी हुए व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर 19,250 रुपये की राशि अदा की गयी है। अभी तक क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

समरूप शिक्षा नीति

120. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :
श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोठारी आयोग की सिफारिशों तथा इन वर्षों में प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर और जनसंख्या में वृद्धि देखते हुए, देश भर में वर्तमान शिक्षा नीति का मूल्यांकन करने हेतु तथा एक नई नीति तैयार करने पर विचार करने हेतु एक और आयोग नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देश में प्रभावपूर्ण एकात्मकता लाने के लिए शिक्षा नीति को सुनिश्चित करने हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, छठी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी दस्तावेज सहित देश में शिक्षा के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में है। इस नीति में आर्थिक और सांस्कृतिक विकास तथा राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के आमूल पुनर्गठन की परिकल्पना की गई है। इसमें नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, भाषाओं का विकास, शैक्षिक अवसरों की समानता, साक्षरता प्रौढ़, शिक्षा का प्रसार तथा एक समान शैक्षिक ढांचा जैसे कार्यक्रमों को पहले ही शामिल किया गया है। ये कार्यक्रम देश की एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नौवहन उद्योग को राहत देने के लिए कार्यकारी ग्रुप

121. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन उद्योग को राहत देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक कार्यकारी ग्रुप का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह ग्रुप नौवहन विकास निधि समिति से ऋणों की अनुसूची दुबारा तैयार कराने के बारे में भी विचार करेगा ; और

(घ) कार्यकारी ग्रुप द्वारा अपने प्रस्ताव कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मौजूदा भाड़े में मंदी से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए नौवहन उद्योग को वित्तीय सहायता के लिए इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोशियसन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिए अनौपचारिक रूप से एक कार्य दल का गठन किया गया है। यह दल नौवहन उद्योग को विभिन्न मामलों में उसकी स्थिति के आधार पर दिये जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में सिफारिश सरकार को दिया करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) इस महीने में कार्यकारी दल की सिफारिशों के मिलने की सम्भावना है।

भारतीय जहाजों को संरक्षण देना

122. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात-आयात कर्ता कम्पनियां विदेशी जहाज कम्पनियों का उपयोग करती जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन व्यापारियों को छ: महीने की रियायत-अवधि देने का निर्णय किया है जिसके भीतर उन्हें भारतीय जहाजों का उपयोग करना आरम्भ कर देना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में दोषी पाये जाने वाले व्यापारियों को क्या दण्ड देने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बड़े-बड़े भारतीय निर्यात-आयात व्यापारी भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रकार की नौवहन कम्पनियों के जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। तथापि वर्ष 1980-81 में भारतीय कम्पनियों का हिस्सा केवल जनरल कारगो के सम्बन्ध में लगभग 33.9 प्रतिशत कम और भारत के समुद्री व्यापार के सम्बन्ध में कुल लगभग 32.3 प्रतिशत कम रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

भारतीय नौवहन निगम की अपनी पूंजी बढ़ाने की मांग

123. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने यह मांग की है कि उसकी पूंजी दुगनी करके 50 करोड़ रु० तक कर दी जाये ताकि वह और अधिक साधन बढ़ा सके और नकद राशि की कमी पूरी कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

रेल दुर्घटनाएं

124. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे और अन्य रेलों में दिन-प्रतिदिन रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1982 से 20 जून, 1982 और 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गुजरात में पश्चिमी रेलवे में और देश के विभिन्न भागों में प्रत्येक दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(घ) इन दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को कितना मुआवजा दिया गया अथवा दिया जाने वाला है ;

(ङ) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(च) क्या किसी तोड़फोड़ की कार्यवाही और विदेशी हाथ होने का पता लगा है ; और

(छ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही तथा पूर्वोपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) गाड़ी दुर्घटनाओं का कोटिवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कोटि	जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक	जनवरी, 1982 से 20 जून, 1982 तक
गाड़ियों की टक्कर	91	29
गाड़ियों का पटरी से उतरना	918	359
समपार दुर्घटनाएं	75	44
गाड़ियों में आग लगना	27	11
जोड़	1111	443

(ग) दुर्घटनाओं के आंकड़े रेलवे-वार रखे जाते हैं राज्य वार ये आंकड़े नहीं रखे जाते। पश्चिम रेलवे तथा अन्य रेलों पर इन दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक		जनवरी, 1982 से 20 जून, 1982 तक	
	मारे गये	घायल हुए	मारे गये	घायल हुए
पश्चिम रेलवे	38	88	13	17
अन्य रेलें	498	1016	202	263

(घ) जनवरी 1981 से 20-6-82 तक की अवधि के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों और घायल हुए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में अभी तक 21,67,556/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। सम्बन्धित तदर्थ दावा आयुक्त/पदेन दावा आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिये जाने के पश्चात ही क्षतिपूर्ति के विचाराधीन न्यायाधीन लंबित दावों के मामलों में भुगतान कर दिया जायेगा।

(ङ) मोटे तौर पर यह दुर्घटनायें निम्नलिखित कारणों से हुईं।

	जनवरी, 81 से दिसम्बर, 81	जनवरी, 82 से 20 जून, 1982 तक
(i) रेल कर्मचारियों की गलती	726	248
(ii) रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की गलती	97	41

(iii) उपस्करों की खराबी :		
(क) यांत्रिक	60	65
(ख) रेल पथ	25	17
(ग) बिजली सम्बन्धी	2	—
(iv) तोड़फोड़	11	3
(v) आकस्मिक	62	33
(vi) दुर्घटनाओं के कारण मालूम नहीं हो सके	24	5
(vii) कारण अभी तक निश्चित नहीं किये जा सके	2	31

(च) तोड़-फोड़ के कुछ मामले हुए हैं किन्तु इन तोड़-फोड़ की घटनाओं में सम्मिलित व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी है।

(छ) रेल पथ के साथ छेड़खानी करने को और कठिन बनाने के लिए अधिकाधिक रेल पथ के जोड़ों की झलाई की जा रही है और उनके फिश-बोल्टों को दबाया जा रहा है। भेद्य क्षेत्रों में होम गार्ड/पुलिस कर्मचारियों के सहयोग (सहायता) से गैंग मैनों द्वारा रेल पथ पर गश्त लगाई जाती है और पुलिस द्वारा गम्भीर मामलों की जांच-पड़ताल जोर-शोर से की जाती है।

बहरीन में भारतीय श्रमिकों की स्थिति

125. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहरीन वर्कर्स यूनियन ने उनका ध्यान बहरीन में भारतीय श्रमिकों की दुर्दशा और अपमानजनक स्थिति की ओर आकर्षित किया है ;

(ख) क्या बहरीन में गैर-सरकारी एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा भर्ती किए गए भारतीय मजदूरों को रोजगार की शर्तों के बारे में भारत और बहरीन के बीच सरकारी स्तर पर कोई समझौता हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं तो बहरीन में भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) बहरीन में भारतीयों से व्यक्तिगत तौर पर जब कभी दुर्व्यवहार/भेदभाव की कोई शिकायत मिलती है, भारत का राजदूतावास उस मामले को सम्बद्ध बहरीनी प्राधिकारियों के साथ उठाता है और अधिकांश मामलों में इन कठिनाइयों को दूर करने में उसे सफलता मिली है।

1982 के एशियाई खेलों के लिए खर्च की गई राशि

126. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दिगम्बर सिंह :

क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों की तैयारियों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति ने अब तक कुल कितनी राशि खर्च की है ; और

(ग) क्या एशियाई खेलों के आयोजन के सभी प्रबन्ध निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे कर लिए जायेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाड, 82 की तैयारी में संतोषजनक प्रगति हुई है और यह लगभग पूरी होने वाली है।

(ख) विशेष आयोजन समिति ने सूचित किया है कि एशियाड, 82 के लिए उनके द्वारा मई 1982 तक किया गया कुल खर्च 235 करोड़ रुपये है जिसमें संयुक्त स्कोर बोर्ड की खरीद के 88 लाख रुपए भी शामिल हैं।

(ग) जी, हां। खेलों के लिए एशियाड के आयोजन के प्रबन्ध समय पर पूरे हो जायेंगे।

गौहाटी नगरपालिका में रेलवे भूमि से लोगों का हटाया जाना

127. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में गौहाटी नगर पालिका के अन्तर्गत रेलवे जमीन पर वर्षों से बसे लोगों को वहां से उठाने के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ;

(ख) क्या ऐसे रेलवे कर्मचारियों को भी जिनको रेलवे क्वार्टर नहीं दिए गए हैं, वहां से उठाया जायेगा, और

(ग) क्या लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे किनारे पर अमीन गांव में मकानों के लिए वैकल्पिक स्थान दिए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अनुसार रेलवे की भूमि से अनधिकृत अतिक्रमण कर्त्ताओं को हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है और इसके अन्तर्गत सभी अतिक्रमणकर्ता आते हैं, चाहे वे बाहरी व्यक्ति हों अथवा रेल कर्मचारी। तदनुसार क्रमशः कार्यवाही की जा रही है।

(ग) रेलवे भूमि से हटाये गए अतिक्रमणकर्ताओं के पुनर्वास की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं है।

जलपोत निर्माण क्षमता को बढ़ाया जाना

128. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड एक वर्ष में 21,000 टन की श्रेणी वाले केवल तीन जलपोतों का निर्माण कर सकता है तथा कोचीन शिपयार्ड एक वर्ष में 75,000 टन की श्रेणी वाले केवल एक जलपोत का निर्माण कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो जलपोत निर्माण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि भारत को विदेशी जहाजों पर कम निर्भर रहना पड़े ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड की वर्तमान क्षमता पायोनीयर क्लास डिजाइन के प्रत्येक के 21,000 डी०डब्ल्यू० टी० के 3 जहाज प्रतिवर्ष है। कोचीन शिपयार्ड 2 जहाज प्रत्येक 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० के प्रतिवर्ष के निर्माण के लिए बनाया गया है।

(ख) सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विकास और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को संस्वीकृति दी है। इसके कार्यान्वियन के बाद इसकी जहाज निर्माण क्षमता दुगुनी से भी अधिक हो जाएगी। कोचीन शिपयार्ड ने परामर्शदाता के रूप में मेसर्स मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज, जापान को नियुक्त किया है ताकि यार्ड की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग कर अल्पावधि में महत्तम उत्पादन प्राप्त किए जाएं।

दिल्ली रेलवे स्टेशन के गोदाम में विस्फोटकों का पार्सल

129. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री जगपाल सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन के हावड़ा गोदाम से विस्फोटकों से भरा पार्सल मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जांच के क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 28-4-82 को, दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर ई० आई० आर० शेड के एक शेड क्लर्क ने देखा कि एक बोरी में बन्द लकड़ी की एक पेटी, जो शेड में 1-4-82 को प्राप्त हुई थी और उस समय तक जिसकी सुपुर्दगी नहीं की गई थी, में कुछ गोलमाल वस्तुएं रखी हुई हैं, जिनके बारे में बम्ब होने का सन्देह था। अतएव, स्थानीय पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। स्थानीय पुलिस ने पेटी को अपने कब्जे में ले लिया। केन्द्रीय न्यायिक तथा वैज्ञानिक प्रयोगशाला, रामकृष्णपुरम के एक प्राक्षेपिक विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच की गई थी। यह पता चला कि पेटी में 4 देशी बम्ब थे, जिन्हें विशेषज्ञ द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया था। पेटी के अन्दर एक लिफाफे से हिन्दी में लिखा हुआ एक पत्र भी मिला जिसमें आनन्द मार्ग की वंदना की गई थी और जिससे यह आभास मिलता है कि भागलपुर (बिहार) के 3 व्यक्तियों ने इसे लिखा है और पत्र में यह संकेत भी दिया गया था कि प्रधान मंत्री की 'सभा' को उड़ाने के लिए ये बम पर्याप्त हैं।

रेलवे पुलिस स्टेशन, दिल्ली मेन, ने दिनांक 18-4-82 को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध मामला सं० 167 दर्ज कर लिया और दिल्ली पुलिस की अपराध तथा विशेष शाखाओं, सिविल पुलिस/भागलपुर, बिहार पुलिस की सी० आई० डी० और आसूचना ब्यूरो की सहायता से पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना

130. **श्री राकेश कुमार सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में अधिकार प्राप्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन जनवरी, 1982 में पेश कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ग) सिफारिशों को इस बीच किस हद तक लागू किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ समीक्षा समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए गठित की गई अधिकार प्राप्त समिति ने जनवरी, 1982 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समीक्षा समिति तथा अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट इस समय दोनों संस्थाओं के संस्थान निकायों के विचाराधीन हैं।

शिक्षा में एकरूपता और चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली में प्रशिक्षण

131. **श्री राम प्यारे पनिका** :
श्री अजीत बाग :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा में एकरूपता लाने तथा चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन अगस्त, 1974 में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन किया गया था। इसका काम अधिनियम के उन प्रयोजनों को सम्पन्न करना है जिन में देश में होम्योपैथी की शिक्षा और प्रैक्टिस का विनियमन शामिल है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

132. **श्री राम प्यारे पनिका :**
श्री सुशील भट्टाचार्य :
श्री अजित कुमार साहा :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में दिल्ली देश में सबसे आगे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उपाय करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने कुछ उपाय किए हैं जिनमें मुख्य स्थानों पर यातायात स्टाफ को नियुक्त करना, अधिकतम यातायात के समय के अलावा वहां पर सतर्क रहना, सड़क दुर्घटनाओं की प्रवृति का विश्लेषण करना, राडार से चैकिंग करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलियां बनाना आदि अपनाना शामिल है।

2. विभिन्न स्थानों पर यातायात के परिणाम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिए न्यूनतम गति सीमा निश्चित की गई है। स्कूली बच्चों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को व्याख्यानों और फिल्मों के जरिए सड़क सुरक्षा की शिक्षा दी जाती है। ड्राइवरों द्वारा यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए, उल्लंघन करने वालों को स्थल पर ही गिरफ्तार करके नकद जमानत ली जाती है। दुर्घटनाएं रोकने की इस कार्रवाई से उन दुर्घटनाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है जो अन्धाधुन्ध और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण होती थीं।

3. सड़क को यातायात के लिए साफ रखने और यातायात को किसी किस्म की रुकावट न आए इसके लिए अधिक स्थान उपलब्ध करने के लिए सड़क के किनारे और पैदल पथों पर जो अनधिकृत निर्माण कार्य हो रखा है, उसे हटाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मार्ग अवरुद्ध करने वाली और अनुचित रूप से खड़ी की गई गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

4. बिना लायसेन्स गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए जोरदार अभियान चलाया गया है। 31-5-82 तक 31516 ऐसे ड्राइवरों को पकड़ा गया जिनके पास ड्राइविंग लायसेन्स नहीं थे और पिछले वर्ष (1981) की इसी अवधि में केवल 8353 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा गया था।

एशियाड, 1982 के लिए रियायती दर की टिकटें

133. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एशियाड 82 के लिए विद्यार्थियों और सेवा कार्मिकों को रियायती दरों पर टिकट उपलब्ध कराने का कोई प्रबन्ध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो टिकटों की दरें क्या होगी और उन्हें किस प्रकार वितरित किया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) 9 वें एशियाई खेल 1982 की विशेष आयोजन समिति ने छात्रों तथा सेवारत रक्षा कार्मिकों को सभी खेलों/प्रतियोगिताओं में, जिनमें उद्घाटन और समापन समारोह भी शामिल हैं, टिकटों की कीमत में रियायत की अनुमति देने का निर्णय किया है। यह रियायत निम्न कोटि की कीमत वाले टिकटों पर ही केवल उपलब्ध होगी। इन रियायती टिकटों की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

दिल्ली में छात्रों को ये टिकटें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित निर्दिष्ट बिक्री स्थलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। अन्य राज्यों में छात्रों को ऐसे टिकटों के वितरण का निर्णय संबंधित राज्यों पर छोड़ दिया गया है। सेवारत रक्षा कार्मिकों को ये रियायती टिकटें एक मुश्त में रक्षा प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे और यह नामांकित प्राधिकरण इन कार्मिकों को इन टिकटों की बिक्री का प्रबन्ध करेगा।

विवरण

नौवें एशियाई खेल, 1982

छात्रों और सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए दैनिक रियायती टिकटों की अनुसूची

प्रतियोगिताएँ/खेल	दरें
प्रत्येक उद्घाटन और समापन समारोह	5 रु०
तीर-अन्दाजी, अथलेटिक्स, साइकिलिंग व्यायाम, निशानेबाजी, और भारोत्तोलन जैसे प्रत्येक खेल के लिए	2 रु०
घुड़ सवारी, तैराकी जैसे प्रत्येक खेल के लिए	3 रु०
बैडमिण्टन, बास्केट बाल, हैंडबाल, हथगोला, हाकी (पुरुष) हाकी (महिलाएं) वालीबाल	2 रु० (क्वार्टर फाइनल तक)
कुश्ती जैसे प्रत्येक खेल के लिए	3 रु० (सेमीफाइनल और फाइनल के लिए)
मुक्केबाजी, रोइंग (नौका विहार) और टेनिस	3 रु० (क्वार्टर फाइनल तक)
(लान) जैसे प्रत्येक खेल के लिए	7 रु० (सेमी फाइनल और फाइनल के लिए)
फुटबाल	3 रु० (क्वार्ट फाइनल, प्रमुख स्टेडियम, लोधी रोड एवं अम्बेदकर स्टेडियम)

प्रतियोगिताएं/खेल	दरें
	2 रु० (माडल टाउन स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल)
	7 रु० (प्रमुख स्टेडियम, लोधी रोड में सेमी फाइनल और फाइनल के लिए)
गोल्फ	10 रु० (क्वार्टर फाइनल तक)
	17 रु० (सेमि-फाइनल और फाइनल के लिए)
टेबल टेनिस (प्रातः सत्र)	2 रु० (क्वार्टर फाइनल के लिए)
	3 रु० (सेमीफाइनल और फाइनल)
टेबल टेनिस (सायं कालीन सत्र)	3 रु० (क्वार्टर फाइनल तक)
	7 रु० (सेमीफाइअल और फाइनल के लिए)

एशियाई खेलों से प्राप्त होने वाला राजस्व

134. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी एशियाई खेलों से सरकार को अनुमानतः कुल कितना राजस्व प्राप्त हो जाने की आशा है;

(ख) इस आय का मदवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खेलों पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) एशिलाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के अद्यतन अंतरिम प्राक्कलन के अनुसार खेलों से लगभग 8.60 करोड़ रुपये की कुल आय होने की सम्भावना है। इसमें विभिन्न विदेशी/भारतीय फर्मों से सामान के रूप में प्राप्त खेल सामान की लागत अथवा एक इन्डोरस्टेडियम के निर्माण के लिए कुवैत के एक अमीर से प्राप्त 12 करोड़ रुपये का नकद अनुदान शामिल नहीं है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) एशियाई खेल, 1982 के लिए सरकार द्वारा कुल 54.83 करोड़ रुपये का खर्च वहन किए जाने का अनुमान है जैसा कि इसने नवम्बर, 1980 में अनुमोदित किया गया था। फिर भी, वर्तमान संकेत यह है कि इस प्राक्कलन का संशोधन करने पर कुल प्राक्कलन में वृद्धि होने की सम्भावना है।

विवरण

आय का स्वरूप	1981-82 यथार्थ स्थिति	1982-83 के लिए प्राक्कलन
1	2	3
	(लाख रुपये)	
1. लोगों एवं मैस्कट की रायल्टी/फ्रेंचाइज	20.63	7.29
2. दूरदर्शन अधिकारों एवं स्टेडियमों में एरेना स्थान की बिक्री	—	540.00
3. दान	11.55	20.50
4. भाग लेने वाली टीमों से 16 दिन का 16 डालर प्रति व्यक्ति की दर से भोजन और आवास शुल्क के रूप में आय (भाग लेने वाले 5.000) (1 डालर=9 रुपये)	—	115.00
5. टिकटों की बिक्री।	—	125.00
6. विज्ञापन राजस्व	10.32	10.00
कुल	42.50	817.79

कालम (2) और (3) का योग 860.29 लाख रुपये
अथवा लगभग 8.60 करोड़ रुपये

31 मई, 1982 को राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक

135. **श्री के० ए० राजन :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री कमल मिश्र मधुकर :
श्री के० कुन्हम्बु :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1982 को दिल्ली में राज्य परिवहन मंत्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किस कार्य सूची पर चर्चा हुई थी ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गए और क्या सिफारिशें की गईं; और

(घ) उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन विषयों पर चर्चा हुई वे थे :

(क) सड़क दुर्घटना और सड़क सुरक्षा के उपाय।

(ख) राष्ट्रीय परमिटों और क्षेत्रीय परमिटों के आवंटन की समीक्षा।

(ग) यात्रा के दौरान यात्रियों तथा ट्रक चालकों के लिए सुविधाएं।

(घ) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य।

(ङ) ट्रक उद्योग का विकास।

2. बैठक में परिवहन मंत्रियों ने निम्नलिखित निर्णय लिए :

(i) यातायात नियमों के उल्लंघन की रोक के लिए नियमों और विनियमों के लागू करने वाली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निश्चित और दृढ़ कदम उठाया जाना, सड़क सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति करना और राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोलिंग स्कीम का कार्यान्वयन आदि।

(ii) दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए लम्बी अवधि और अल्पावधि के कार्यक्रम बनाने के प्रश्न की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक छोटी समिति का गठन।

(iii) विभिन्न राज्यों द्वारा वसूल किये जाने वाले मोटर व्हीकिल्स करों को युक्तिसंगत बनाने और राज्यों को अपनाने के लिए उस पर सामान्य दिशा-निर्देश सुझाने के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जाना।

(iv) प्रत्येक राज्य में राज्य सड़क परिवहन निगमों के कार्य की समीक्षा करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र समीक्षा समिति का गठन और उसके द्वारा सुझाए गए उपायों का तत्काल कार्यान्वयन।

(v) यात्रा के दौरान यात्रियों तथा ट्रक चालकों के लिए सुविधाओं के लिए उचित स्कीम बनाना तथा उसका कार्यान्वयन।

(vi) बिना किसी और देरी के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय परमिट के आवंटन को पूरा किया जाएगा।

(घ) जहां तक इन निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का सम्बन्ध है, इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया गया है। सड़क दुर्घटना से बचाव के उपाय सुझाने वाली समिति गठित की जा चुकी है। अन्य समिति गठित की जा रही है।

इस्राइल के बम्बई वाणिज्य दूतावास को बन्द किया जाना

136. **श्री के० ए० राजन :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्राइल की बढ़ती हुई आक्रमणकारी कार्यवाही को देखते हुए भारत सरकार का इरादा इस्राइल को उनके भारत में स्थित वाणिज्य दूतावास को बन्द करवाने के लिए कहने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने बार-बार इस बात की पुष्टि की है कि वह इस्राइल की नीतियों और उसकी कार्रवाइयों के कारण उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने में किसी से पीछे नहीं रहेगी।

इस्राइली कोंसलावास का मुख्य कार्य इस्राइल में अपने सम्बन्धियों से मिल जाने वाले भारतीय यहूदियों की सहायता करना और इससे सम्बद्ध अन्य कोंसली कार्य करना है।

तथापि इस मामले की ओर ध्यान दिया गया है।

भारतीय को संयुक्त अरब अमीरात में सजा दिया जाना

137. **श्री के० ए० राजन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत एक भारतीय को परस्त्री गमन के अपराध में उस देश के शरीयत न्यायालय द्वारा पत्थर से मार-मार कर मार दिए जाने की सजा दी गई थी;

(ख) क्या सजा पाने वाले व्यक्ति ने अपनी सजा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय किया था; और

(ग) यदि हां, तो संयुक्त अरब अमीरात स्थित हमारे राजनयिक मिशन द्वारा अभियुक्त को क्या सहायता दी जा रही है जिससे कि वह अपील कर सके ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां। अपील पर मृत्युदंड की सजा खारिज कर दी गई और उसे एक सौ कोड़ों की सजा और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित किए जाने की सजा दी गई थी।

(ग) संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय राजदूतावास का एक प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रिक से जेल में नियमित रूप से मिलता रहा था और उसने वकील नियुक्त करने तथा अपील करने में भी उसकी सहायता की थी।

दिल्ली परिवहन निगम के बारे में दालवी समिति की सिफारिशें

138. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
श्री सूरज भान :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण और आवश्यकताओं सम्बन्धी दालवी समिति की सिफारिशें क्या हैं और प्रत्येक सिफारिश पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(ख) अन्य महानगरीय सड़क परिवहन निगम की तुलना में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में दिल्ली परिवहन निगम को कितना घाटा हुआ है; और

(ग) घाटे में कमी करने हेतु तत्काल क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दालवी समिति की मुख्य सिफारिशें/निष्कर्ष इस प्रकार है :

(I) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में वृद्धि करने के लिए सड़क क्षमता में कोई बाधा नहीं है।

(ii) 1984-85 तक यातायात की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में 1500 बसों की वृद्धि की जाए;

(iii) एक बार ई० एम० यू० सेवाएं शुरू हो जाएं तो दिल्ली परिवहन निगम को चाहिए कि वह कारगर प्रभावी फीडर सेवा उपलब्ध कराए, और दिल्ली में समन्वित परिवहन पद्धति लागू करने के लिए समन्वय समिति, जिसमें सम्बन्धित एजेन्सियों के प्रतिनिधि हों, समस्याओं का समाधान करे।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में वृद्धि करने के लिए और पर्याप्त फीडर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त योजना प्रावधानों के लिए पहले ही अनुरोध किया गया है। फीडर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीडल स्थलों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम को अन्य महानगरीय सड़क परिवहन निगमों की तुलना में जो घाटा हुआ है वह संलग्न तुलनात्मक विवरण में दिखाया गया है।

(ग) घाटा होने का मुख्य कारण यह है कि भाड़ा बहुत कम रखा गया है। भाड़े में वृद्धि में करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

तुलनात्मक विवरण

	डी० टी० सी०	बेस्ट	कलकत्ता	पल्लवन (एम०)	अहमदाबाद	पुणे
31-3-81 को बसों की संख्या (यात्री बसें)	2754	2049	1079	1794	610	365
1979-80 में हुआ घाटा	1770.58	778.69	1598.86	63.16	98.17	192.68
1980-81 में हुआ घाटा	3064.65	1283.46	1576.00	747.65	175.98	80.68
1981-82 में हुआ घाटा	5115.28	1414.98	—	—	258.00	73.30

लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन

139. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई 1982 से दिल्ली में रिंग रेलवे पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलनी शुरू हो जायेंगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिंग रेलवे परियोजना सम्बन्धी योजना में लक्ष्मीबाई नगर में एक रेलवे स्टेशन बनाने का प्रावधान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की कटौती के कारण अस्पतालों के कार्य में बाधा पड़ना

140. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**
डा० सरदीश राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के अस्पतालों में बिजली की कटौती होती रहती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जायेंगे ताकि अस्पताल के कार्य में बाधा न पड़े ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में कभी-कभी बिजली बन्द होती रहती है किन्तु इन अस्पतालों में अनिवार्य सेवाएं जनरेटरों और एमरजेंसी लाइटों की सहायता से जारी रखी जाती हैं। अस्पतालों में जनरेटरों से सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

कटिहार यानान्तरण यार्ड का बंद किया जाना

141. **श्री तारिक अनवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरीय सीमांत रेलवे के कटिहार यानान्तरण यार्ड को बन्द किया जाएगा और इसे असम में न्यू बंगईगांव में ले जाया जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कटिहार यार्ड, जिसके पहले चार लाइन के ट्रैक थे, के दो ट्रैक रह गए हैं और दो ट्रैकों को उखाड़ दिया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि छोटे स्टेशनों में विभिन्न ट्रेनों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी स्लीपर में कोटा है लेकिन कटिहार, जो उत्तर बिहार का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, ट्रेनों मे कोई आरक्षण कोटा नहीं है और कटिहार को पहले आवंटित की गई कुछ सीटों का कोटा समाप्त कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। कटिहार स्टेशन पर महत्वपूर्ण गाड़ियों का आरक्षण कोटा मौजूद है। कटिहार स्टेशन को पहले से ही आवंटित कोटे में, सिवाय 155 डाउन तिनसुकिया मेल में 1-2-79 से एक वातानुकूल 2-टीयर शायिका के उपयोग न होने के कारण उसे हटा लेने के, कोई कटौती नहीं की गई है।

बरौनी से कटिहार तक मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने के लिये निधि

142. **श्री तारिक अनवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू योजनावधि में उत्तरी सीमांत रेलबे में बरौनी से कटिहार तक मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज में बदलने के लिए आवंटित की गई धनराशि किसी अन्य परियोजना में लगा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को स्थगित करने के क्या कारण हैं हालांकि सर्वेक्षण और अन्य सम्बद्ध कार्य पूरे हो गए थे; और

(ग) यदि नहीं तो इस कार्य को कब तक शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1981-82 के दौरान बरौनी से कटिहार तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए आवंटित धनराशि का भाग बाराबंकी-समस्तीपुर, आमान परिवर्तन परियोजना, जो पूरी हो चुकी है और जिसे जुलाई 1982 में बड़ी लाइन के यातायात के लिए खोल दिया गया है, की धन संबंधी अतिरिक्त तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च करना पड़ा था। बाराबंकी-समस्तीपुर खंड पर अभी भी काफी अवशिष्ट आनुसंगिक कार्य पूरे करने हैं, इसलिए 1982-83 के दौराग पूर्वोत्तर रेलवे को आमान परिवर्तन के लिए आवंटित धन राशि में से उपलब्ध धनराशि का अधिकांश भाग बाराबंकी-समस्तीपुर परियोजना के लिए निर्धारित करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप बरौनी-कटिहार आमान परिवर्तन परियोजना के लिए बहुत कम राशि रह जाती है।

परियोजना को समाप्त नहीं किया गया है। पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस पर कार्य की गति धीमी की गई है। संसाधनों की स्थिति में सुधार हो जाने पर कार्य की गति तेज कर दी जायेगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित ईरानी छात्र

143. **श्री तारिक अनवर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति ने, खोमेनी के समर्थकों तथा विरोधियों के बीच झड़पों के पश्चात, हिंसात्मक गतिविधियां करने, जिनमें एक छात्र मारा गया था, के आरोप में 40 ईरानी छात्रो को निष्कासित करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ईरानी दूतावास अलीगढ़ मुश्लिम विश्वविद्यालय के इन ईरानी छात्रों को वापस ईरान भेजना चाहता था ; और

(ग) इस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्याल द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 57 ईरानी छात्रों को व्यापक अनाचरण तथा अनुशासनहीनता के कार्यों में शामिल होने के कारण 2 वर्ष से 5 वर्ष की बिभिन्न अवधियों के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए ईरानी दूतावास द्वारा विश्वविद्यालय से कोई सम्पर्क नहीं किया गया है ।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ईरानी छात्रों की कुल संख्या 202 है ।

कुष्ठ रोधी टीके का विकास

144. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**
श्री गुफरान आजम :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अनुसंधान वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक सुरक्षित और प्रभावी कुष्ठ रोधी टीके का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस कुष्ठ रोधी टीके का परीक्षण किया है और इसके प्रयोग के लिए अपनी अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और यह टीका बाजार में कब तक उपलब्ध होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

दक्षिण भारत में कुष्ठ रोग में वृद्धि

146. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दक्षिण भारत में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में, कुष्ठ रोग बढ़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि दक्षिण भारत में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में, कुष्ठ रोग की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तथापि, 1979, 1980 और 1981 के दौरान दक्षिण राज्यों में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जा रहे बेहतर कार्य के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कुष्ठ रोगियों का पता चला है और उनका नाम इलाज के लिए दर्ज कर लिया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

घटिया औषधियां

147. **श्री मोहन लाल पटेल** :
श्री नवीन रवाणी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं जहां घटिया किस्म की औषधियों की जांच की जाती है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले पकड़े गए ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं निम्नलिखित हैं :

(1) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता—सीरमों और वैक्सीनों को छोड़कर शेष सभी जीवरासायनिक और गैर-जीवरासायनिक उत्पाद।

(2) केन्द्रीय अनुसंधान, कसौली—सीरम, वैक्सीन, एण्टिजन, आदि।

(3) केन्द्रीय भारतीय भैषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद—कण्डोम और गैर-जीवरासायनिक औषधियां।

(4) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान, संस्थान, इज्जतनगर—पशुचिकित्सा संबंधी जीवरासायनिक उत्पाद।

(5) भारत सरकार का रसायन परीक्षक, कलकत्ता—बी० डी० आर० एल० एण्टिजन।

औषधियां तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत, निम्नलिखित राज्य सरकारों ने भी अपनी-अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित कर ली हैं :

1. महाराष्ट्र
2. गुजरात
3. तमिलनाडु
4. केरल
5. कर्नाटक
6. आन्ध्र प्रदेश
7. बिहार
8. मध्य प्रदेश
9. उड़ीसा
10. पंजाब
11. पश्चिम बंगाल
12. राजस्थान
13. हरियाणा
14. उत्तर प्रदेश

(ख) और (ग) विभिन्न केन्द्रीय राजकीय प्रयोगशालाओं से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

148. **श्री मोहन लाल पटेल :**
श्री नवीन रवाणी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है जिनका विद्युतीकरण किया जा रहा है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इन मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया जायेगा ;

(ख) क्या अगले पांच वर्षों के दौरान पश्चिमी रेलवे में ऐसी प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) भाग (क) के उत्तर में विवरण की मद संख्या 4, 5 और 10 है।

विवरण

भाग (क) उन रेलवे खंडों के विवरण नीचे दिए गए हैं जिन पर विद्युतीकरण का काम हो रहा है या विद्युतीकरण का काम प्रारम्भ करने के लिए अनुमोदन दिया जा चुका है।

क्रम सं०	रेलवे खंड	मार्ग किलोमीटर	लक्ष्य (धन की उपलब्धता पर निर्भर)	
1.	दिल्ली-मथुरा	170	1982-83	काम चालू है
2.	मथुरा-झांसी	276	1983-84	
3.	त्रिवेल्यूर-अरक्कोणम	28	1982-83	
4.	बडोदरा-रतलाम और गोदरा-आनन्द	340	1983-84	
5.	मथुरा गंगापुर सिटी	153	1984-85	
6.	चन्द्रपुरा कम्पलेक्स की कोयला खान लाइनें	134	1984-85	
7.	विजयवाडा-बलहारशाह	454	1985-86	
8.	झांसी-बीना	151	1984-85	
9.	बीना-इटारसी	230	1985-86	
10.	गंगापुर सिटी-रतलाम	437	1984-85	
11	रेणिगुन्टा-गुडुर	94	1984-85	
12.	रेणिगुन्टा-i अरक्कोणम-जोलारपेट्टै	210	1984-85	
13.	भुसावल-नागपुर	393	1986-87	अनुमोदित
14.	इटारसी-भुसावल	301	1985-86	
15.	भोपाल-नागदा	239	1986-87	
16.	इटारसी-नागपुर	298	1987-88	
17.	बलहारशाह-वर्धा	133	1986-87	
18.	काजीपेट-सनतनगर	167	1986-87	
19.	सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	557	1988-89	

खलीलाबाद में रेलवे अस्पताल

149. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय, गोरखपुर में काम करने के लिए हजारो रेल कर्मचारी प्रतिदिन प्रातः खलीलाबाद से गोरखपुर जाते हैं और शाम को लौटते हैं,

(ख) क्या उनके मुख्यालय का प्रस्ताव रेल कर्मचारियों के लाभार्थ एक रेलवे अस्पताल खलीलाबाद में खोलने का था और क्या रेलवे कर्मचारियों को इलाज करने तथा उन्हें दवा देने के लिए खलीलाबाद में तीन दिन के लिए एक डाक्टर भी भेजा गया था,

(ग) यदि हां, तो उस डाक्टर की सेवाएं वापस लेने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या खलीलाबाद में एक छोटा अस्पताल बनाया जायेगा और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। खलीलाबाद से काफी संख्या में रेल कर्मचारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय में काम करने जाते हैं।

(ख) खलीलाबाद में रेलवे अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं था। यह एक छोटा-सा कस्बा है और यहां पर एक डिस्पेंसरी है जो यदा-कदा खुलती है। खलीलाबाद के रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए बस्ती के अपर मंडल चिकित्सा अधिकारी इस डिस्पेंसरी का दौरा करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फिलहाल खलीलाबाद में एक छोटा अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोरखपुर और लखनऊ के बीच रेलों का विलम्ब से चलाना

150. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर और लखनऊ के बीच रेलगाड़ियां प्रायः बिलंब से चल रही हैं,

(ख) क्या पुराने इन्जनों के कारण ये रेलगाड़ियां विलम्ब से चलती है क्योंकि उनमें मार्ग में कुछ-न-कुछ मैकेनीकल खराबी हो जाती है, और

(ग) क्या मंत्रालय पूर्वोत्तर रेलवे के लिए नये इन्जन उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रबंध कर रहा है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) गोरखपुर-लखनऊ खंड की मेल/एक्सप्रेस तथा सवारी गाड़ियां भाप इन्जन से चलती हैं जिनमें नवीनतम मानक श्रेणियां अर्थात् डब्ल्यू० पी० तथा डब्ल्यू० जी० का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रेल इन्जन गतायु नहीं हैं। विभिन्न कारणों से भाप इन्जनों की समयपाबन्दी बरकरार न रहने के मामले हुए जिनमें कोयले की खराब किस्म शामिल है।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे को आवंटित भाप के इन्जन नवीनतम मानक अर्थात डब्ल्यू० पी०/डब्ल्यू० जी० श्रेणियों के हैं। इसके अलावा हाल ही में 10 डब्ल्यू० वी० एम० आई० इन्जन भी आवंटित किए गए हैं और पूर्वोत्तर रेलवे को हस्तांतरित किये गए हैं।

"लिबरेशन टाइगर" नामक संगठन के सदस्यों की वापसी

151. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "लिबरेशन टाइगर" नामक श्रीलंका के संगठन के सदस्यों की वापसी के प्रश्न पर भारत सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा श्रीलंका सरकार के साथ कोई बातचीत की गई थी, यदि हां, तो उक्त समस्या पर श्रीलंका और भारत का क्रमशः क्या दृष्टिकोण है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस प्रश्न पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है और न ही मद्रास शहर में श्रीलंका टाइगर आन्दोलन के सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में श्रीलंका की सरकार से प्रत्यर्पण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। दोनों सरकारों के अधिकारी एक-दूसरे के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं। चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस बारे में कोई टिप्पणी देय उचित नहीं होगा।

पासपोर्ट के आवेदन पत्रों पर संसद सदस्यों के जाली हस्ताक्षर

152. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**
श्री सज्जन कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट के लिये अनेक आवेदन-पत्र पासपोर्ट कार्यालय में विचाराधीन हैं क्योंकि उन पर संसद सदस्यों के जाली हस्ताक्षर होने का संदेह है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं, और

(ग) क्या अनेक व्यक्ति पासपोर्ट के ऐसे जाली गिरोहों में लगे हुए हैं जो संसद सदस्यों के जाली हस्ताक्षर करके पासपोर्ट जारी करते हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) 476.

(ग) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा जाली पासपोर्ट जारी किए जाने की कोई घटना या कोई जाली पासपोर्ट घोटाला हमारी जानकारी में नहीं आया है। अलबत्ता 1981 में दो उदाहरण ऐसे सामने आए जिनमें एक संसद सदस्य के जाली हस्ताक्षर वाला सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके धोखे से पासपोर्ट हासिल किए गए।

सामाजिक संगठनों की धनराशि में कमी

154. **श्रीमती प्रमिला दंडवते**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता कार्यों और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये सामाजिक संगठनों की वितरण धनराशि में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि में ऐसी भारी कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रमों को तेज करने के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जो कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :

(1) "छोटे परिवार के सिद्धांत" को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर अपनाने की बात को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा।

(2) बहु-प्रचार साधनों और वैयक्तिक सम्पर्क के प्रभावशाली तरीके द्वारा छोटे परिवार की धारणा के सम्बन्ध में जागरूकता और जानकारी देने के लिए गहन प्रयास किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक दम्पति को उसके मन-भाता तरीका चुनने की छूट दी जाएगी।

(4) परिवार कल्याण की सेवाएं और सामग्री लोगों को घरों के यथासंभव निकट प्रदान की जाएगी।

(5) यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्या और सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयत्नों का एक अभिन्न अंग बना रहेगा।

(6) महिला साक्षरता की सुविधाओं और इसको तेजी से बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा।

(7) स्कूलों तथा कालेजों में तथा बाहर युवाओं को जनसंख्या संबंधी शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। यह जनसंख्या शिक्षा सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा आयोजित सभी कार्यकर्ता शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरम्भ की जाएगी।

(8) सभी स्तरों पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, निम्नतम स्तर पर ग्रामीण संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को इस कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाएगा और उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा।

(9) अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय करके उसे सुदृढ़ किया जाएगा।

(10) लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु संबंधी कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा।

(11) ग्रामीण अथवा सामाजिक स्तर पर सभी विवाहों का रिकार्ड रखा जाएगा।

(12) सभी स्तरों पर घनिष्ठ मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकारों से परामर्श करके प्रशासनिक तंत्र ठीक करने और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाने के उपाय किए जाएंगे।

हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की गतिविधियां

155. **श्री सुभाष यादव** :
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिन्द महासागर में कुछ बड़ी शक्तियों की बढ़ी हुई नौसैनिक शक्ति से उत्पन्न नई स्थिति का जायजा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। सरकार हिन्द महासागर की स्थिति पर निरन्तर निगाह रख रही है।

(ख) हम हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति के विरुद्ध हैं क्योंकि इससे इस क्षेत्र में तनाव और संघर्ष बढ़ते हैं और यह हमारे आसपास के क्षेत्र की शान्ति और स्थायित्व के लिए खतरा है। भारत सरकार द्विपक्षीय सम्पर्कों के दौरान और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिन्द महासागर में बाहरी सैनिक उपस्थिति के विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाती रही है।

भारत-बंगलादेश सीमा का निर्धारण

156. **श्री सुभाष यादव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगलादेश के बीच सीमा निर्धारण करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उन क्षेत्रों/बस्तियों (इनक्लेव्ज) के नाम क्या हैं जहां सीमा का निर्धारण किया जाना है; और

(ग) दो देशों के बीच सीमाओं का निर्धारण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत और बंगलादेश की करीब 4,000 किलोमीटर लम्बी संयुक्त सीमा है, जिसमें से 30 जून, 1981 तक 3,315 किलोमीटर सीमा अंकित की जा चुकी है। 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाले हाल ही के क्षेत्र-काल के आंकड़े अभी भी संबंधित भू-रिकार्ड व सर्वेक्षण निदेशकों द्वारा एकत्र किये जा रहे हैं, जो वस्तुतः सीमा-निर्धारण कार्य में संलग्न हैं।

(ख) भारत और बंगलादेश के बीच भू-सीमा और संबद्ध मामलों को लेकर 16 मई, 1974 को जिस करार पर हस्ताक्षर हुए थे, उसके अनुसार, मेघालय क्षेत्र में भारत-बंगलादेश सीमा अंकित की जा चुकी है। असम क्षेत्र में केवल 7½ किलोमीटर के करीब क्षेत्र में सीमा निर्धारण किया जाना बाकी है। जहां तक पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों का सवाल है, इनमें क्रमश: 14,596 और 280 किलोमीटर क्षेत्र में सीमांकन बाकी है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में करीब 155.5 किलोमीटर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच की सीमा नदियों की मुख्य धार के मध्य से होकर गुजरती है जिसका निर्धारण नहीं होना है, भारत और बंगलादेश में एक दूसरे के क्षेत्रों में पड़ने वाली बस्तियों का सीमांकन नहीं हुआ है।

(ग) उम्मीद की जाती है कि दो-तीन वर्ष की अवधि में समूची भारत बंगलादेश सीमा को अंकित कर दिया जाएगा।

स्वचालित रिक्शों का डिजाइन तैयार करने के कार्य में हुई प्रगति

157. **श्री निहालसिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्तरिक दहन इंजन (इन्टरनल कम्ब्रश्चन एंजिन) सहित स्वचालित रिक्शे का डिजाइन तैयार करने का कार्य आटोमेटिक रिसर्च एसोसियेशन आफ इंडिया, पुणे को सौंपा है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं, और

(ग) स्वचलित रिक्शा कब तक तैयार हो जायेगा और इसका मूल्य क्या होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) आटोमेटिक रिसर्च एसोसियेशन आफ इंडिया (ए० आर० ए० आई०) पुणे ने मोटर-युक्त साइकिल रिक्शा के उन्नत डिजाइन का एक अपेक्षित प्रोटोटाइप तैयार किया है। वाणिज्यिक उत्पादन के उद्देश्य से टेकनोलोजी का आदान-प्रदान करने के लिए ए० आर० ए० आई० पुणे ने साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया, कलकत्ता, जो एक सरकारी उपक्रम है, से एक करार भी किया था।

(ग) साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया उत्पादन शुरू करने के लिए व्यवस्था कर रहा है। इसका बिक्री मूल्य, प्राथमिक कार्यों के पूरा होने के बाद ही तय किया जायेगा। मूल्य निर्धारण के लिए मुख्य बात यह है कि प्रयोक्ता इन्हें खरीद सकें।

कन्टेनर जहाजों तथा कन्टेनर "फ्रेट स्टेशनों" के लिये विदेशों के साथ हुई बातचीत

158. **श्री निहाल सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय व्यापारियों के लिये कन्टेनर जहाजों की खरीद के लिये तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों/डिपुओं आदि के निर्माण के लिये वित्तीय संसाधन प्राप्त करने हेतु किन्हीं देशों के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां तो उन देशों के नाम क्या हैं, और

(ग) बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

अन्य देशों में शरण ले रहे उग्रवादी सिख

159. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री बी० डी० सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि खालिस्तान परिषद पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद उग्रवादी अब इस प्रतिबन्ध का प्रयोग राजनीतिक अत्याचार के आधार पर अन्य देशों में शरण पाने के लिये कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। तथाकथित खालिस्तान आन्दोलन का समर्थक होने का दावा करने वाले कुछ लोग इसके बहाने से अन्य देशों में शरण लेने की कोशिश करते रहे हैं। वास्तव में खालिस्तान परिषद पर प्रतिबन्ध लगाए जाने से पहले भी यह बहाना बनाया जाता रहा है। भारत सरकार ने संबंधित देशों को बता दिया है कि भारत में राजनीतिक उत्पीडन की कोई बात नहीं है और विभिन्न व्यक्ति तथा अभिकरण अपना मतलब साधने के लिए या संबद्ध देशों में आसानी से प्रवेश पाने के लिए तथाकथित खालिस्तान आन्दोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारत-बंगला देश संयुक्त आर्थिक आयोग

160. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश के साथ मिलकर एक संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) उम्मीद की जाती है कि दोनों सरकारें शीघ्र ही यह निर्णय कर लेंगी कि इसकी संरचना क्या होगी, कितनी-कितनी अवधि पर इसकी बैठकें हुआ करेंगी और निकट भविष्य में इसकी गतिविधियों का दायरा क्या होगा।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगला पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध न होना

161. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगला भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण बंगला भाषी स्कूलों के विद्यार्थियों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली पाठ्य पुस्तकें केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, निचली कक्षाओं में बंगला पाठ्य-पुस्तकों की सप्लाई की जा चुकी है। शिक्षा निदेशालय, अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने VI से VIII तक की कक्षाओं के लिए रा० शै० अ० प्र० प० की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों के बंगला अनुवाद की व्यवस्था की है तथा ये पुस्तकें छप रही हैं और छात्रों को वर्तमान सत्र के दौरान उपलब्ध करा दी जायेंगी। किन्तु IX से XII तक की कक्षाओं के लिए पाठ्य-पुस्तकों के बंगला अनुवाद/ प्रकाशन को शुरू करना सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि बंगला माध्यम वाले छात्रों की संख्या कम है और स्टाफ अपर्याप्त है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए शिक्षक अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध पाठ्य-पुस्तकों की सहायता से बंगला तथा अन्य भाषाओं में नोट लिखवा देते हैं।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी अखिल भारतीय माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक योजना में शिक्षा-माध्यम के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी की अनुमति प्रदान करता है। अतः पुस्तकें केवल अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम में निर्धारित की जाती हैं।

वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि

162. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम की प्रगति की जांच-पड़ताल के लिए कोई सैल है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राज्य/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा उनके अपने बजट में से किए गए खर्च के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा 1981-82 के दौरान 10.23 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी।

(ख) जी, हां।

"प्रवर्तक संघ" द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता

163. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानसिक रूप से शिथिल लोगों की देखभाल करने वाले उन संगठनों की राज्य वार संख्या कितनी है जिनको केन्द्रीय सहायता मिलती है ;

(ख) क्या एक मिशनरी संगठन प्रवर्तक संघ ने, जो पश्चिम बंगाल में चन्दन नगर में मानसिक रूप से शिथिल लोगों के लिये एक संस्था चलाता है, केन्द्रीय सहायता की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस संस्थान को निम्नलिखित अनुरक्षण अनुदान दिए गए हैं :

1980-81	84,623.00 रुपए
1981-82	87,629.00 रुपए

इस संगठन ने 16.52 लाख रुपए का भवन अनुदान भी मांगा था तथा उन्हें सन्तुलित योजना भेजने की सलाह दी गई थी, जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है ।

विवरण

राज्य का नाम	मानसिक रूप से शिथिल लोगों की देखभाल करने वाली उन संस्थाओं की संख्या, जिन्हें केन्द्रीय सहायता मिलती है
1. गुजरात	1
2. जम्मू और काश्मीर	1
3. कर्नाटक	1
4. केरल	3
5. महाराष्ट्र	3
6. तमिलनाडु	2
7. उत्तर प्रदेश	3
8. पश्चिम बंगाल	3
9. दिल्ली	5
	जोड़ : 22

रेल अधिकारियों का चीन का दौरा

164. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों के एक दल ने हाल में चीन का दौरा किया था,

(ख) इस दौरे के क्या कारण हैं और यह कितनी अवधि का था, और

(ग) चीन की रेलवे की स्थिति के संबंध में इस दल के निष्कर्ष क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों के द्विपक्षी आदान-प्रदान का एक भाग था। परिवहन में लगे समय को छोड़कर प्रतिनियुक्ति की अवधि सात कार्य दिवस थी।

(ग) यह दौरा थोड़े समय के लिए था और इसका उद्देश्य चीनी रेलवे प्राधिकारियों के साथ परिचालन और अनुरक्षण के सामान्य क्षेत्रों का मोटे तौर पर निरीक्षण और उनके बारे में विचार-विमर्श करना और विशिष्ट रूप से ऐसा वातावरण तैयार करना था, जिसमें आगे चलकर ये दोनों प्रणालियां सामान्य हित तथा परस्पर सहायता एवं सहयोग के क्षेत्रों को पहचान सकें।

बम्बई पत्तन न्यास क्षेत्र में आग लगना

165. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन न्यास के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान आग लगने की कितनी घटनायें हुई हैं ; और

(ख) आग की इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है, इनके क्या कारण थे और इससे कितनी क्षति हुई ;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बम्बई पत्तन न्यास के माल गोदामों और शेडों में 1 जुलाई, 1979 से लेकर 30 जून, 1982 तक की अविध में आग लगने की पांच बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा, बजरों और जहाजों में आग लगने की तीन घटनाएं हुई हैं ?

(ख) आग लगने की बड़ी-बड़ी घटनाओं संबंधी जानकारी नीचे दी गई है :

आग लगने की तारीख	स्थान	कारण	माल की अनुमानित क्षति	बम्बई पत्तन न्यास की संपति की अनुमानित क्षति
1	2	3	4	5
9-11-1979	शैड न० 2 विक्टोरिया डॉक	मालूम नहीं	39,29,000	75,000

1	2	3	4	5
11-3-1980	शैड न०4 इन्दिरा डॉक	अपने आप ही आग लगी	1,90,000	कुछ नहीं
20-3-80	खतरनाक माल के लिए हाज बन्दर में नया गोदाम	रासायनिक प्रतिक्रिया	22,00,000	5,00,000
18-4-80	हाजी बन्दर में "बी" शैड के पीछे	हाइड्रोजन पैरोक्साईड रिसकर पानी से मिल जाने के कारण	3,94,000	कुछ नहीं
14-6-82	शैड नं० 6 इन्दिरा डॉक	पूछताछ की जा रही है	1,07,50,000	20,00,000

बच्चे के जन्म की सामाजिक लागत

166. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी बच्चे के जन्म की उस सामाजिक लागत का अनुमान कितना है जो परिवार और समाज द्वारा वहन की जानी होती है ; और

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रमों में खर्च होने के रूप में इस प्रकार के जन्म को रोकने में कितनी लागत आती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी) : (क) किसी बच्चे के जन्म पर कितनी सामाजिक लागत आती है इसका ठीक-ठीक विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत-से अकल्पनीय तत्वों जैसे सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नताओं, मूल्य निर्णयों, प्रयुक्त परिभाषा और सिद्धान्तों तथा अस्थायी परिवर्तनों पर निर्भर करती है।

(ख) 1971-72 से 1980-81 के दौरान एक जन्म के रोकने पर अधिकतम 259/-रुपये खर्च आया है। 1971-72 से 1980-81 के दौरान हुए कार्यों से यदि भविष्य में रोके जाने वाले जन्मों को भी शामिल कर लिया जाये तो प्रति जन्म रोकने पर 172/-रुपये का खर्च आएगा। ये

अनुमान कुछ बढ़कर हैं क्योंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम के व्यय में स्थायी तरीकों/ आई० यू० डी० के लिए मुआवजे का भुगतान तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यों का व्यय भी शामिल है और इसे इसीलिए अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि परिवार नियोजन और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं।

उत्तर बंगाल के चाय उद्योग के लिए कोयला रैकों की वार्षिक आवश्यकता

167. **श्री अजय विश्वास :**

श्री आनन्द पाठक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल के चाय उद्योग के लिए कोयला रैकों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कितने रैकों की सप्लाई की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने कभी चाय उद्योगों की मांगों को पूरा किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केवल गत तीन वर्षों की सूचना उपलब्ध है। वर्ष 1979, 1980, 1982 (जून तक) के दौरान उत्तरी बंगाल के चाय उद्योग के लिए कोयले के रैकों का कार्यक्रम तथा आवंटन इस प्रकार था :

वर्ष	कार्यक्रम	आवंटन
1979	110	27
1980	110	31
1981	118	32
1982 (जून तक)	58	23

(ग) और (घ) चाय उद्योग की मांग को पूरा करने में मुख्य बाधा ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा भाप कोयले की कम सप्लाई रही है। तथापि, रेलें हाल ही में 10 रैकों के कार्यक्रम की तुलना में 6 रैक प्रति माह सप्लाई करने को सहमत हो गयी हैं जबकि अन्य भाप कोयला उपयोगकर्त्ता मुश्किल से अपनी मांग का 25% भाग प्राप्त कर पा रहे है।

न्हावा शेवा परियोजना की विस्तृत इंजिनियरी के लिए परामर्श कार्य

168. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय न्हावा शेवा परियोजना की विस्तृत इंजीनियरी के परामर्शदात्री कार्य,

उस सलाहकार को देने पर विचार कर रहा है जिसने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित डिजायन के सम्बन्ध में दूसरे सलाहकार की टिप्पणियों की जांच किये बिना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी;

(ख) क्या किसी विदेशी सहयोग प्राप्त सलाहकार ने परियोजना लागत और निर्माण समय कम करने तथा विभिन्न माल को उतारने तथा चढ़ाने को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दिए गए डिजायन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिया है; और

(ग) क्या डिजायन में सुधार करने और परियोजना लागत कम करने तथा अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्रालय का विचार इस अवसर का फायदा उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) विस्तृत इंजीनियरी कार्यों के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया था जो कि विश्व बैंक के सिद्धान्तों पर आधारित था। जिस परामर्शक ने तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य प्रस्ताव पेश किया था और जिन्होंने कम से कम खर्च बताया था, उन्हें न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना के लिए परामर्शक सेवाओं का काम सौंप दिया गया है। जिस परामर्शक को चुना गया है वह वही है जिसने इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी।

कुछ परामर्शकों ने जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया था, वे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने के बारे में थे और जिन पर इंजीनियरी कार्य करते समय ही कार्यवाही की जा सकती है। ये कार्य ब्यौरा तैयार करते समय चुने गये परामर्शक द्वारा ही किए जाएंगे।

घटिया और नकली औषधियों की रोकथाम हेतु कृतिक बल की स्थापना

169. **श्री जयनारायण रौत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घटिया और नकली औषधियों की समस्या का अध्ययन करने और उनके प्रसार की प्रभावी रूप से रोकथाम करने के उपाय सुझाने के लिए एक कृतिक बल की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को इससे कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) कृतिक बल के गठन की प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4160/82]

सरकार ने इसे अपनी रिपोर्ट दो महीने के अन्दर प्रस्तुत करने को कहा है।

निदेशक लेखा और एस० ए० एस० स्टाफ एसोसिएशन रेलवे बोर्ड के बीच वार्ता

170. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा निदेशक, रेलवे बोर्ड और भारतीय रेलवे एस० ए० एस० स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच 24 फरवरी, 1982 को नई दिल्ली स्थित बोर्ड के कार्यालय में कोई विचार-विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन, कुछ अनुभाग अधिकारियों ने, जो मुख्यत. पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे से सम्बन्धित थे और एक कर्मचारी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते थे, 24-2-82 को दिल्ली में निदेशक, लेखा, रेलवे बोर्ड से अनौपचारिक रूप से भेंट की थी और एक ज्ञापन दिया था। अनुभाग अधिकारियों ने ज्ञापन में अन्तर्विष्ट मांगों के समर्थन में अनौपचारिक रूप से अपना दृष्टिकोण भी प्रकट किया था। ज्ञापन में अन्तर्विष्ट मांगें बोर्ड के विचाराधीन हैं।

कोढ़ संस्थानों में कोढ़ से मुक्त हुए रोगियों की नियुक्ति

172. **श्री के० लकप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों और संघ क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों को उनके द्वारा चलाये जा रहे कोढ़ संस्थानों में कोढ़ से मुक्त हुए रोगियों को नियुक्त करने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने रोगी नियुक्त किए गए हैं; और

(ग) ऐसे रोगियों को अन्य और लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या और कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से 16 जून, 1982 को यह आग्रह किया गया है कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के सभी यूनिटों में (घ) श्रेणी के पदों को अधिमानतः कुष्ठ से मुक्त हुए रोगियों से भरा जाए जो अपेक्षित अर्हताएं और क्षमताएं रखते हों। चूंकि ये हिदायतें केवल हाल ही में जारी की गई हैं, इसलिए उनका कितना प्रभाव पड़ा, उसे इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता।

(ग) शल्य चिकित्सा और डाक्टरी इलाज के अलावा, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जरूरतमन्द रोगियों को रक्षात्मक जूते और कृत्रिम यन्त्र, यात्रा खर्च और कपड़े दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, रोगियों को पुनर्वास के लिए भी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सहायता दी जाती है।

भारत-पार सीमा पर खोकरापार-मुनाबाद चौकियों को पुनः खोलना

173. **श्री के० लकप्पा : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने सिंध-राजस्थान सीमा पर खोकरापार-मुनाबाद चौकियों को पुनः खोलने के लिए भारत द्वारा बार-बार किये गये अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया है;

(ख) क्या 14 सितम्बर, 1974 को भारत-पाक के बीच हुए वीजा करार में एक दूसरे देश में आने-जाने वाले राष्ट्रिकों के लिए सीमास्थल पर दो चौकियों को खोलने के लिए प्रावधान है; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार द्वारा और आगे क्या कदम उठाये गये हैं, तथा पाकिस्तान सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) 14 सितम्बर, 1974 के भारत-पाक वीजा करार में एक दूसरे के देश में स्थल मार्ग से आने-जाने वाले राष्ट्रिकों के प्रवेश/प्रस्थान के लिए सीमा पर दो चौकियों के खोले जाने का प्रावधान है। लेकिन, इस आवागमन के लिए केवल बाघा/अटारी चौकी खोली गई है।

सरकार ने विभिन्न अवसरों पर मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है कि वह खोकरापार-मुनाबाद चौकी को फिर से खोलने पर सहमत हो जाए। लेकिन, पाकिस्तान सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है।

नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन पर निर्माण कार्य

174. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन, जो रेल मंत्रालय के अनुपूरक बजट में शामिल की गई थी और 8 सितम्बर, 1981 को लोक सभा द्वारा अनुमोदित की गई थी, पर निर्माण कार्य इस बीच शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है तथा इस रेलवे लाइन के निर्माण पर अद्यतन कितनी प्रगति हुई है और इसे पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना जिसका शिलान्यास 22 दिसम्बर, 1974 को हिमाचल प्रदेश के उना जिले में अम्ब में तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र द्वारा किया गया था, के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस निर्माण कार्य पर 33.49 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और 1982-83 में इस काम के लिए 25 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। प्रारम्भिक

प्रबन्ध किए जा रहे हैं। अभी तक इस परियोजना पर 50,000 रुपये खर्च हो चुका है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडी, शिमला सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

175. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडी, शिमला के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है और उस पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को उक्त प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था और सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय/कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा और बाद की कार्यवाही कब आरम्भ की जायेगी और विलम्ब के कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति ने अप्रैल, 1981 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा चुकी है और संस्थान के पुनर्गठन की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

जिला मुख्यालयों में स्टेडियमों का निर्माण

176. **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों से खेल-कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने जिला मुख्यालयों से खेल-कूद हेतु स्टेडियमों का निर्माण करने का परामर्श दिया है ;

(ख) कितने जिलों में ऐसे स्टेडियम हैं ; और

(ग) क्या मंत्रालय ने इसके लिए कोई योजना बनाई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं। तथापि, अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा तैयार की गई प्रारूप राष्ट्रीय खेल नीति ने अन्य बातों के साथ-साथ उपयोगी स्टेडियमों सहित जिला स्तर पर खेल सुविधाओं के सृजन की सिफारिश की है।

(ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) स्टेडियमों के निर्माण सहित खेलों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की एक योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/राज्य खेल परिषदों को सहायता प्रदान की जाती है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार के स्टेडियमों के स्थान निर्धारित करना और योजना का लाभ उठाने के लिए निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है।

पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मानदण्ड

177. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) क्या उन क्षेत्रों की विशेष भौगोलिक स्थिति और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मौजूदा मानदण्ड में छूट देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन जोशी) : (क) और (ख) भौगोलिक स्थितियों और अन्य कठिनाइयों को देखते हुए दूसरे राज्यों के 30,000 के प्रतिमान के बजाय पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है। पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिमानों को शिथिल किया गया है।

लेबनान में भारतीयों की जानमाल को हुई हानि

178. **श्री हरीश रावत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायली आक्रमण के कारण लेबनान में कार्य कर रहे भारतीयों को जान-माल का कोई नुकसान हुआ है, और

(ख) वहां कार्य कर रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) बेरुत स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा मुहैया की गई सूचना के अनुसार एक भारतीय राष्ट्रिक के मारे जाने की खबर है। यह सही-सही अनुमान लगाना मुश्किल है कि लेबनान में इस तबाही के कारण संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है।

(ख) भारतीय राजदूतावास से कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रिकों को सभी सहायता प्रदान की जाए। राजदूतावास की सहायता से इनमें से कुछ भारतीय राष्ट्रिक बेरुत छोड़कर जा चुके हैं। कुछ अन्य को पूर्वी बेरुत में अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानों को भेजा गया है जहां राजदूतावास ने उनके लिए, जहां तक संभव हुआ है, रहने की जगह और अन्य सुविधाएं जुटाई हैं। युद्धग्रस्त इलाकों से आने वाले व्यक्तियों को राजदूतावास के फ्लैटों में जगह दी गई है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है।

लेकिन इस समय सुरक्षा की दृष्टि से हालात बहुत खराब होने की वजह से राजदूतावास के लिए लेबनान में रहने वाले सभी भारतीय राष्ट्रिकों के साथ नियमित रुप से संपर्क बनाए रखना संभव नहीं है।

मई, जून, 1982 के दौरान रेल दुर्घटनाएं

179. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) मई और जून, 1982 के महीनों के दौरान कुल कितनी रेल दुर्घटनाए हुईं : और

(ख) उनके परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गये और रेलवे को किस सीमा तक सम्पत्ति का नुकसान हुआ ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मई तथा जून, 1982 में 133 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 53 व्यक्ति मारे गये। रेलवे को हुई क्षति की कीमत अब तक लगभग 93.5 लाख रुपये आंकी गयी है।

पूमपूहर नौवहन निगम द्वारा जहाजों की खरीद

180. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूमपूहर नौवहन निगम ने दक्षिण कोरिया और जापान से तीन जहाज खरीदने हेतु एस० डी० एफ० सी० से अनुमति/स्वीकृति मांगी थी;

(ख) क्या इस सौदे को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) पूमपूहर नौवहन निगम ने दिनांक 19-6-82 के पत्र के द्वारा मैसर्स हिताची शीप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, जापान से 3 जहाजों की खरीद का प्रस्ताव किया है। उन्होंने उक्त शीप बिल्डर्स से जहाज खरीदने का समझौता किया है। नौवहन विकास निधि समिति के विचार के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। नौवहन विकास निधि समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार करने के बाद ही समझौते पर अमल किया जा सकता है।

बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय

181. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से, बिहार के किसी विश्वविद्यालय को समुन्नत कर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने अथवा बिहार राज्य में एक नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, चंडीगढ़ को प्राप्त पारपत्र आवेदनों की संख्या

182. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय को नए पारपत्रों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इन वर्षों के दौरान कितने पारपत्र दिये गये;

(ग) वर्षवार कितने आवेदन अभी बकाया पड़े हैं; और

(घ) वर्षवार कितने आवेदन नामंजूर किए गए ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़

	1979	1980	1981
(क) प्राप्त पासपोर्ट आवेदनपत्रों की संख्या	73504	52849	81604
(ख) स्वीकृत पासपोर्टों की संख्या	72657	50432	76042
(ग) पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर विचार किया जाना है।	5270	7687	13249
(घ) अस्वीकृत पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं	3

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा विदेशों में दौरे के लिए कलाकारों को भेजने हेतु मापदंड

183. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कुछ भारतीय नर्तकों और कलाकारों ने भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद पर आरोप लगाया है कि वह विदेशों में सांस्कृतिक दौरों पर कलाकारों को भेजने के मामले में किसी भी स्पष्ट रूप से निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां, इस प्रकार के आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद अपने मानदण्डों और प्रक्रियाओं से कभी भी विचलित नहीं हुई है। एक मामले में भारत समारोह में भाग लेने लिए विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम जाने को इच्छुक एक कलाकार को कहा गया था कि वे इस समारोह के लिए प्रतियोगियों और कलाकारों के चयन से संबद्ध विशेष समिति से सम्पर्क करें क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद का इस मामले से सम्बन्ध नहीं है। एक अन्य मामले में कलाकार की इच्छानुसार कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसा करना आतिथेय सरकार और कलाकार दोनों के नियन्त्रण से बाहर की बात थी। बहरहाल उक्त कलाकार का कार्यक्रम सितम्बर 1982 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

परिषद को ऐसे संगठनों और कलाकारों से अनेक आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं। ये आवेदन-पत्र नृत्य, संगीत और अभिनय कला के क्षेत्र में सक्षम निकायों को विशेषज्ञ के रूप में उनके परामर्श के लिए भेज दिए जाते हैं। उसके बाद परिषद की कार्यक्रम समिति इन आवेदन-पत्रों की जांच करके इन कलाकारों का अन्तिम रूप से चयन करती है।

कोठारी समिति की सिफारिशें

184. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोठारी समिति द्वारा अप्रैल, 1980 में प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है। कोठारी समिति की रिपोर्ट की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जी हां। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में और नये बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के एक संघटक के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और समाज के

अन्य कमजोर वर्गों में साक्षरता की दर में वृद्धि करने पर बल दिया जाएगा और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम है।

छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 128 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें 60 करोड़ रु० की व्यवस्था केन्द्रीय योजना में और 68 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य योजनाओं में है। योजना दस्तावेज में 1990 तक 15-35 आयु-वर्ग में शत-प्रतिशत प्रौढ़ निरक्षरों को सम्मिलित करने की परिकल्पना है। नए बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रौढ़ निरक्षरता को समाप्त करने हेतु कार्यक्रम में अधिक से अधिक छात्रों और स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करने की परिकल्पना है।

पुस्तक प्रकाशन व्यापार की दुर्दशा

185. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में पुस्तक प्रकाशन व्यापार में आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि धन के अभाव में प्रकाशन उद्योग की दुर्दशा हो गई है और अच्छी किस्म की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) इसे ठीक स्वस्थ बनाने और इसके पुन: काम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सरकार को उस स्थिति की जानकारी है जिसका पुस्तक प्रकाशन उद्योग को सामना करना पड़ता है और इस उद्योग की सहायता के लिये अनेक कदम उठाए गए हैं। जहां तक वित्त पोषण का सम्बन्ध है वाणिज्य बैंकों से पुस्तक प्रकाशकों को उधार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तक प्रकाशन को प्रोन्नत करने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनमें पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता देना, मामूली कीमत पर अच्छा साहित्य उपलब्ध करना, भारत तथा विदेश में पुस्तक मेले तथा प्रदर्शनियों के आयोजन तथा आयोजित करने के लिए सहायता करना, पठन प्रवृत्ति के सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए पुस्तकालयों तथा संस्थाओं को अनुदान देना, पुस्तकों के लिए रियायती डाक दरें देना, शैक्षणिक पुस्तकों के लिए रियायती डाक दरों और छपाई कागज उपलब्ध करना, और लेखकों तथा पुस्तक प्रकाशकों को करों में रियायतें देना है। उपाय जारी रहेंगे।

भारत-पाक संयुक्त आयोग

186. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्रीमती मोहसिना किदवई :
श्री सुभाष यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान द्वारा आपसी समस्याओं को बातचीत द्वारा हल करने के लिए भारत-पाक संयुक्त आयोग की स्थापना में अब तक कोई प्रगति हुई है,

(ख) यदि हां, तो हुई प्रगति का स्वरूप क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) एक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए भारत के प्रस्ताव का मसौदा 26-6-1982 को पाकिस्तान को दे दिया गया है। पाकिस्तान ने हमें यह आश्वासन दिया है कि उस मसौदे पर पाकिस्तान की सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

रानीगंज से बांकुरा बरास्ता मजिया नई रेल लाइन

187. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या रेल मंत्री रानीगंज-बांकुरा ट्रैक नई रेल लाइन के बारे में 18 मार्च, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 365 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रानीगंज से बांकुरा बरास्ता मजिया नई रेल लाइन बनाने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : रानीगंज से बांकुरा तक रेल लाइन के लिए जो पुनर्मूल्यांकन पहले किया जा चुका है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। ज्यों ही रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी और उसकी जांच कर ली जायेगी, त्यों ही धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के बारे में निर्णय लिया जायेगा, बशर्ते कि योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाये।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में किया गया संयुक्त अध्ययन

188. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्रीमती माधुरी सिंह :
श्रीमती संयोगिता राणे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा देश की स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में किये गए संयुक्त अध्ययन से मौजूदा स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में गंभीर असंतुलन और अपर्याप्तताएं सामने आयी हैं;

(ख) क्या अध्ययन में यह तथ्य बताया है कि अधिकांश जनता को, खासतौर पर ग्रामीण तथा शहरी जनता को वर्तमान सेवाओं से वास्तव में लाभ नहीं मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में असंतुलनों और अपर्याप्तताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान

परिषद ने मिलकर जो अध्ययन दल गठित किया था उसने "सबके लिए स्वास्थ्य, एक वैकल्पिक नीति" नामक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उक्त अध्ययन दल ने, ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सेवाएं प्रदान करने की सिफारिशें की हैं। इस अध्ययन दल ने वैकल्पिक नीति की सिफारिश करते हुए वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं की पुनरीक्षा की है और उसकी सफलताओं और असफलताओं के क्षेत्र भी बताये हैं। रिपोर्ट में जो धारणा व्यक्त की गई है उसमें बताया गया है कि जहां "स्वास्थ्य इस मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है वहां उसके प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों और राज्यों का भी राष्ट्रीय उत्तरदायित्व होना चाहिए।"

(ग) स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में असंतुलन और अपर्याप्तता को दूर करने के अभिप्राय से अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और उनके विस्तार पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है। वर्तमान नीति यह है कि चिकित्सा परिचर्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अलग-अलग निपटने के बजाय उनके रोग-निवारक, स्वास्थ्यवर्धक और उपचारात्मक पहलुओं का मिला-जुला विकास किया जाए।

कोचीन बन्दरगाह के विस्तार की योजना

189. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन बन्दरगाह के विस्तार योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस संबन्ध में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन योजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कोचीन पत्तन के विकास के लिए समेकित योजनाओं के मुख्य कार्यों के ठेके दे दिए गये हैं, जैसे मुख्य निकर्षण करना, तेल जेट्टी का निर्माण करना और उर्वरक घाट का निर्माण करना।

भीतर जलमार्ग में निकर्षण का लगभग 40 प्रतिशत कार्य जून, 1982 तक पूरा किया जा चुका है। बाहरी जलमार्ग में निकर्षण कार्य केवल साफ मौसम में ही, जो सितम्बर, 1982 में शुरू होगा, किए जाने की संभावना है।

तेलघाट में पाये धंसाने का काम हो रहा है और लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

प्री-कास्ट पाये धंसाने के लिए प्रारम्भिक कार्य पूरे हो चुके हैं और पाइलिंग का काम शुरू है।

समुद्र के बीचों बीच पाइप लाइन के टैंडरों की समीक्षा की जा रही है।

(ख) 31-5-1982 तक इस परियोजना पर किया गया कुल खर्च लगभग 1605 लाख रुपये है।

(ग) तेल घाट और उर्वरक घाट अप्रैल, 1983 और अक्टूबर, 1983 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाजों की खरीद

190. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जहाजों की खरीद अथवा आयात के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम ने अपनी छठी पंचवर्षीय योजना में कुल 1.23 मिलियन जी० आर० टी० क्षमता के 800 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय तथा विदेशी कंपनियों से 47 जहाज खरीदने का प्रस्ताव किया है । खरीदे जाने वाले प्रस्तावित जहाजों में मिडियम रेंज टैंकर्स, कारगो लाइनर्स, बल्क कैरियर्स, क्रूड कैरियर्स, प्रोडक्ट टैंकर्स, ल्यूब आॅयल टैंकर्स और खाने के तेल के टैंकर्स शामिल हैं ।

मद्रास, बम्बई तथा विशाखापत्तनम बंदरगाहों पर भीड़भाड़

191. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, बम्बई तथा विशाखापत्तनम बन्दरगाहों पर आने वाले जहाजों की भारी भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे बाहर से आने वाले जहाजों पर माल चढ़ाने में परेशानी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) मद्रास, बम्बई और विशाखापत्तनम पत्तनों पर जहाजों का कोई जमाव नहीं है । परन्तु मद्रास पत्तन पर 30 जून, 1982 से कुछ वर्ग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर देने के फलस्वरूप पत्तन पर अस्थायी तौर से कुछ जहाजों का जमाव हो गया है जिसके शीघ्र ही दूर होने की संभावना है ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

न्यूमूर द्वीप के बारे में वार्ता

192. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में हुई भारत बंगलादेश वार्ता में न्यूमूर द्वीप के स्वामित्व के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; इस बारे में किन बातों पर सहमति हुई ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत और बंगलादेश के बीच नई दिल्ली में 13 से 15 जनवरी, 1982 तक कुछ द्विपक्षीय मसलों पर सचिव स्तर पर बातचीत हुई थी जिसमें न्यूमूर द्वीप का मामला भी शामिल था।

(ख) यह पहला अवसर था जब दोनों सरकारों के बीच न्यूमूर द्वीप के बारे में विस्तृत और ठोस बातचीत हुई। अपनी सरकारों के आदेशानुसार दोनों पक्षों ने अतिरिक्त सूचना का आदान-प्रदान किया और उनमें सम्बन्धित तथ्यों और सिद्धान्तों के आधार पर उपलब्ध अतिरिक्त सूचना की जांच करने के बाद इस मसले पर पुनः शीघ्र बातचीत करने पर सहमति हुई।

तीन बीघा क्षेत्र को बंगलादेश को पट्टे पर देना

193. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुई भारत-बंगलादेश विदेश सचिव बैठक में तीन बीघा क्षेत्र को स्थायी रूप से पट्टे पर देने के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप यदि कोई करार हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। भारत और बंगलादेश के बीच नई दिल्ली में 13 से 15 जनवरी, 1982 तक कुछ द्विपक्षीय मसलों पर सचिव स्तर पर बातचीत हुई जिसमें तीन बीघा के बारे में स्थायी पट्टे की शर्तें भी शामिल थीं।

(ख) इस बैठक में पट्टे की शर्तों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। इस विषय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी रहेगी।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के चेयरमैन के साथ हुई वार्ता

194. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई के तीसरे सप्ताह (21 मई, 1982) में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता श्री यासेर अराफात की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने उनके और उनके दल के साथ इराक और ईरान के बीच युद्ध को जारी रखने के मामले और निर्णीत फिलिस्तीनी मामले पर वार्ता की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इन मामलों को हल करने के लिये क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) इसके अनुसरण में इस बीच क्या कदम उठाए गए हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने इराक-ईरान संघर्ष पर अपनी गंभीर चिन्ता

व्यक्त की है और इराक और ईरान से अपने मतभेद तत्काल शान्तिपूर्वक सुलझा लेने का अनुरोध किया है।

फिलिस्तीन के मसले पर भारत और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने अपनी इस दृढ़ धारणा को पुनः दोहराया कि मध्य-पूर्व में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति तभी स्थापित हो सकती है जबकि इजराइली सेना अधिकृत अरब और फिलिस्तीनी प्रदेश से, जिसमें येरूशलम भी शामिल है, तत्काल और पूरी तरह से वापस हट जाएं और फिलिस्तीनी जनता को उनके असंक्राम्य अधिकार बहाल किए जाएं जिसमें उन्हें अपनी मातृभूमि को लौटने और अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अधिकार भी शमिल है। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के एक मात्र और वैध प्रतिनिधि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रति और इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के अन्तर्गत न्यायपूर्ण और स्थायी शान्ति कायम करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों में उसके पूर्ण और बराबरी के हिस्सेदार के रूप में भाग लेने के प्रति अपना पुनः समर्थन किया।

(ग) भारत और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर निकट सहयोग और विचारों के नियमित आदान-प्रदान और सलाह-मशवरे का सिलसिला चल रहा है।

विदेश मंत्री की बंगलादेश की यात्रा

195. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मई, 1982 के तीसरे-चौथे सप्ताह में ढाका की यात्रा की थी और बंगलादेश के चीफ मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर श्री एच० एम० इरशाद के साथ भारत-बंगलादेश संबंधों के बारे में विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मामलों पर हुई वार्ता का क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) बंगलादेश की सरकार के निमंत्रण पर जिसे हाल ही में बंगलादेश के चीफ मार्शल ला प्रशासक महामान्य लेफ्टिनेन्ट जनरल एच० एम० इरशाद ने भी दोहराया था, मैंने 22 से 23 मई, 1982 तक ढाका की यात्रा की। ढाका में मैंने जो बातचीत की वह सामान्य और सकारात्मक प्रवृत्ति की थी। गंगा के पानी के बारे में यह बताया गया कि फरक्का से सम्बन्धित 1977 के करार की अवधि नवम्बर, 1982 में समाप्त हो जाने के कारण दोनों पक्षों के लिए यह वांछनीय है कि दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई भागीदारी व्यवस्था तय की जाए। इसके साथ ही गंगा के प्रवाह में वृद्धि की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। अन्य द्विपक्षीय मामलों पर भी चर्चा हुई परन्तु उन पर विस्तार से विचार-विमर्श नहीं किया गया। यह निर्णय लिया गया कि अनिर्णीत मसलों पर परस्पर सुविधानुसार दोनों सरकारें बातचीत करेंगी।

इस यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4161/82]

यह उल्लेखनीय है कि भारत और बंगलादेश ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और

तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है।

भारतीय मिशनों का निरीक्षण दौरा

196. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एस० के० भूटानी के नेतृत्व वाले चार सदस्यीय दल ने पूर्वी यूरोप स्थित भारतीय मिशनों का निरीक्षण दौरा पूरा किया था, यदि हां, तो इस निरीक्षण दौरे की अवधि कितनी थी और कौन-कौन-से मिशनों का दौरा किया गया ;

(ख) क्या भारतीय मिशनों के कार्य और कार्यकरण के बारे में भूटानी दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; यदि हां, तो कब और उसनें क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) उनके द्वारा दौरा किये गए प्रत्येक मिशन में गत दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार की वृद्धि दर की प्रगति क्या है ;

(घ) क्या उक्त दल ने विदेशों में रहने वाले भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों को विदेश भत्ते में वृद्धि की सिफारिश की है ; यदि हां, तो उस पर कितनी वित्तीय लागत आयेगी और उस पर सरकार का क्या निर्णय है ; और

(ङ) विदेशों में स्थित अन्य भारतीय मिशनों के कार्यकरण का कब तक निरीक्षण करने का सरकार का विचार है और उसकी समय सारणी क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां। श्री एस० के० भूटानी के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय दल ने पूर्व यूरोप स्थित भारतीय मिशनों का निरीक्षण-दौरा पूरा कर लिया है। इस दल ने 16 अप्रैल से 3 मई, 1982 तक बल्गारिया, रूमानिया, जर्मन जनवादी गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड स्थित हमारे राजदूतावासों का दौरा किया।

(ख) सभी रिपोर्टें सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी गई हैं। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों का संबंध मिशन का कार्य-संचालन बजट तथा वित्त-नियोजन क्रिया विधियों, कर्मचारी वर्ग के युक्तिकरण, स्थानीय भर्ती के कार्मिकों और विदेश भत्ते से है।

(ग) इनमें से प्रत्येक देश के साथ गत दशाक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार के विकास संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं :

(दस लाख भारतीय रुपयों में)

	1971	1981
चेकोस्लोवाकिया	400	1611
हंगरी	256	710
जर्मन जनवादी गणराज्य	415	862

रूमानिया	258	1863
पोलैंड	645	1041
बल्गारिया	293	1467

(घ) उपर्युक्त दल ने विदेश भत्ते के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) पिछले सात महीनों में 19 मिशनों का निरीक्षण किया गया है। फिलहाल यह मंत्रालय वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रक्रिया के संस्थापन के लिए एक निरीक्षण योजना तैयार कर रहा है, ताकि हर तीन से पांच वर्ष की अवधि के बाद हमारे मिशनों का निरीक्षण किया जा सके।

सकरी-हसनपुर लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण

197. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री लहेरिया सराय में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए टेंडर के बारे में 1 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकरी-हसनपुर नई रेल लाइन के लिए भूमि के अधिग्रहण और मिट्टी डालने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए आगे क्या कार्यवाही की जाएगी, और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) समूची लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रेलवे द्वारा रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। बिहार राज्य सरकार द्वारा अपनी लागत पर अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के नक्शे तैयार किए जा रहे हैं तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) नयी लाइनों के लिए धन की अत्यधिक कठिन स्थिति को देखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पाया है।

"टेक नो चांस विद रेलवेज" शीर्षक समाचार

198. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मई, 1982 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में "टेक नो चांस विद रेलवेज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बुकिंग खिड़कियों पर आरक्षण में अधिक से अधिक समय लगने, देशभर में और आरक्षण खिड़कियां खोले जाने की आवश्यकता, जहां एक घंटे से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, रेल बुकिंग खिड़कियों से खरीदी गई टिकटों को जारी घोषित किए जाने तथा एक दोषहीन प्रणाली अपनाने

की आवश्यकता, यात्रियों के प्रति रेल कर्मचारियों के गन्दे रवैये तथा तत्काल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता और गाड़ी के छुटने से आधा घंटा पूर्व रेल डिब्बों में रेल टिकट परीक्षक तैनात करने तथा सहायता काउण्टर स्टाफ जुटाने, बुकिंग क्लर्क द्वारा गलत प्रविष्टियां किए जाने सम्बन्धी बातों की ओर ध्यान दिलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और बुकिंग खिड़कियों पर कार्य-करण को सुधारने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जी हां। बुकिंग और आरक्षण प्रणालियों को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें भीड़ की अवधियों के दौरान अतिरिक्त बुकिंग तथा आरक्षण खिड़कियां खोलना, बढ़े हुए कार्यभार के अनुरूप आरक्षण संगठन की संख्या बढ़ाना, निगरानी स्तर का ग्रेड बढ़ाना, आरक्षण संदेशों के शीघ्र पारगमन के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच टेलेक्स सुविधाएं शुरू करना आदि शामिल है। इसके अलावा, रद्द किए जाने की प्रत्याशा में खिड़कियों पर यात्रियों की कुछ अधिक संख्या में बुकिंग की प्रणाली शुरू की गयी है ताकि यात्रा के लिए न आने वाले यात्रियों की शायिकाओं से प्रतीक्षा सूची के कुछ अधिकतम वरिष्ठ यात्रियों के लिए बैठने के स्थान की व्यवस्था की जा सके। इन उपायों से प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को बड़ी संख्या में स्थान सुनि-श्चित हुआ है। मई, 1982 में भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम 1982 के मूर्तरूप होने से एक बड़ी कार्रवाई की गयी है जिसमें रेलवे टिकटों/आरक्षणों के अनधिकृत रूा से प्राप्त करने तथा सप्लाई करने का काम करने वाले तथा अपराध को बढ़ावा देने अथवा कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति को तीन वर्ष कड़ी कैद तथा 1000/-रु० तक के जुर्माने की व्यवस्था है। अनधिकृत यात्रा एजेन्टों के परिसरों में कानून तथा व्यवस्था के प्राधिकारियों के समन्वय से नियमित छापे मारे जाते हैं। बिचौलियों तथा असामाजिक तत्वों को पकड़ा गया है। घर-घर जाकर की जाने वाली जांचों में वृद्धि की गयी है, आरक्षण की मांगों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए वापसी उत्तर शुल्क प्रदत्त पत्र जारी किये गए हैं तथा मार्ग पर्चियों में दिये विवरणों के साथ वास्तव में यात्रा कर रहे यात्रियों के पूर्ववृत्त की प्रति जांच करने के लिए गाड़ियों में व्यापक जांचों का आयोजन किया गया है।

गत वर्षों में आरक्षण कार्य-भार में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसा विशेषकर महानगरों में हुआ है। उदाहरण के लिए दिल्ली क्षेत्र में प्रति दिन लगभग 45,000 शायिकाओं/सीटों की व्यवस्था की जाती है। मानव परिचालित प्रणाली इस आरक्षण स्तर के लिए उत्तरोत्तर अपर्याप्त है। महा-नगरों में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने की सम्भावना की जांच की जा रही है।

दिल्ली और पानीपत के बीच और अधिक यात्री गाड़ियां

199. **श्री सज्जन कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, उत्तर रेलवे के अन्तर्गत दिल्ली से पानीपत के बीच सीजन टिकट वाले यात्रियों के लिए एक और यात्री गाड़ी चलाने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाओं और लाइन क्षमता के अभाव तथा सवारी डिब्बों की कमी के कारण, दिल्ली और पानीपत के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

बम्बई उपनगरीय गाड़ियों के घटाये गये रेकों की संख्या

200. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समय सारणी में हाल के परिवर्तन के अनुसार मध्य रेलवे ने बम्बई वी० टी० और कल्याण के बीच चलने वाली बम्बई की उपनगरीय गाड़ियों के रेकों की संख्या में कमी की है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यात्री तथा दैनिक यात्री भारी भीड़ और विलम्ब के कारण गन्तव्य स्थानों पर पहुंचने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे को दैनिक यात्रियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि गाड़ियां समय सारणी के अनुसार नहीं चलती हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई-दिल्ली मार्ग पर मध्य रेलवे की सेवाएं

201. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई दिल्ली मार्ग पर पश्चिम रेलवे की सेवाओं की तुलना में इसी मार्ग पर पेय जल, खान-पान सुविधाओं, डिब्बों तथा स्टेशनों पर सफाई तथा समय की पाबन्दी के सम्बन्ध में मध्य रेलवे में सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त सुविधाओं में सुधार करने का है,

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य रेलवे के बम्बई-दिल्ली मार्ग पर रेकों की संख्या बढ़ाने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। किन्तु फिर भी सुधार के लिए काफी गुंजाइश रहती है और जब कभी कोई विशेष सुझाव या शिकायत प्राप्त होती है, तो सेवाओं में सुधार करने की हर सम्भव कोशिश की जाती है।

(घ) जी नहीं, बम्बई-दिल्ली मध्य रेलवे मार्ग पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एम० वी० एनस्टासीज

202. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्चेंट नौवहन अधिनियम के अनुसार नौवहन महानिदेशालय में 70 लाख पोत "एम० वी० एनस्टासीज" जो उपयुक्त तथा 1985 तक समुद्री कार्यों के लिए उपयुक्त प्रमाणित हो, पंजीकृत किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके पिछले दो स्वामियों के नाम क्या हैं और उपरोक्त पोत का अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के उपक्रम अर्थात् स्टील इण्डस्ट्रीज केरल लिमिटेड द्वारा उपरोक्त जहाज स्क्रेप के रूप में रद्दी बनाया जा रहा है;

(घ) क्या "एम० वी० एनस्टासीज" की बिक्री और उसके स्वामित्व के मामलों पर न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो स्केप बनाने के लिए एक स्वामित्व विहीन विदेशी पोत लेने के लिए एक सरकारी उपक्रम के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) "एम० वी० एनस्टासीज" एक विदेशी जहाज है। इसलिए यह मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत नौवहन महानिदेशालय के पास पंजीकृत नहीं है और इसके स्वामित्व आदि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

हाजिरा में शिप बिल्डिंग यार्ड

203. श्री आर० पी० गायकवाड़ :
श्री मोती भाई आर० चौधरी :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तह सच है कि विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार गुजरात में हाजिरा के स्थान में एक शिप बिल्डिंग यार्ड की स्थापना के लिए तकनीकी कार्मिक विचार से एक आदर्श जगह है, और

(ख) यदि हां, तो क्या हाजिरा में एक शिप बिल्डिंग यार्ड की स्थापना करने का निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) शिपयार्डों में छोटी पूंजी लगाकर कम समय में अधिक उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता, नवीकरण की आवश्यकता और मौजूदा शिपयार्डों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य में मूल्यांकन के समय देश में अतिरिक्त शिपयार्डों की स्थापना के साथ-साथ गुजरात में हाजिरा में भी शिपयार्ड की स्थापना पर विचार किया जाय। इस संबंध में अंतिम निर्णय संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर ही निर्भर करेगा।

लोक कलाओं का संरक्षण

204. श्री के० ए० स्वामी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण लोक कलायें एवं परम्परागत सांस्कृतिक गतिविधियों तथा ग्रामीण भारतीय मूलक रहन-सहन तेजी से लुप्त होता जा रहा है ; और

(ख) इस प्रकार की परम्परागत ग्रामीण गतिविधियों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) परम्परागत तथा लोक कलाओं के कुछ स्वरूप क्षीण हो रहे हैं और यदि उपयुक्त सहायता नहीं दी गई तो ये लुप्त हो सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने अपने लोक तथा परम्परागत कला के संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं :

(1) प्रलेखन, पुरालेख सम्बन्धी संग्रह और अनुसंधान।

(2) अभिनय कलाओं के दुर्लभ स्वरूपों के लिए प्रोत्साहन और परिरक्षण।

(3) आदिवासीय संस्कृति का विकास।

(4) कठपुतली कला का परिरक्षण और प्रोत्साहन। इनके अतिरिक्त लोक तथा आदिवासी कलाओं के विभिन्न स्वरूपों में प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे सांस्कृतिक संगठनों को अकादमी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा लोक तथा आदिवासीय संगीत के संग्रह तथा परिरक्षण की भी योजना है।

परम्परागत ग्रामीण खेलों के क्षेत्र में, ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना और उनके अनुरक्षण के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता संस्त्रीकृत करती है। ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विदेशों को प्राचीन वस्तुओं की तस्करी

205. **श्री के० के० स्वामी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय मूल की बहुमूल्य मूर्तियां और प्राचीन वस्तुयें विदेशों को चोरी-छिपे भेजी जा रही हैं ;

(ख) क्या विदेशों में स्थित हमारे वाणिज्य दूतावासों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे तस्करी की भारतीय मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं के बारे में इस प्रकार की समस्त बिक्री और गतिविधियों की सूचना दें ; और

(ग) विदेशों में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों द्वारा की जा रही उपचारात्मक कार्यवाही का पूरा ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से हाल में प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों की भारी मात्रा में तस्करी द्वारा भारत से बाहर भेजे जाने के कोई संकेत नहीं हैं। सीमा शुल्क प्राधिकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर कड़ी निगरानी रखते हैं जिससे ऐसी वस्तुओं की भारत से बाहर तस्करी की कोशिशों को रोका जा सके।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय ने ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं। वस्तुत: विदेश मंत्रालय को इस बारे में सलाह देने का काम शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय/वित्त मंत्रालय का है कि विदेश स्थित मिशनों को ऐसे आदेश कब जारी किये जाए। फिर भी, जब कभी ऐसा कोई मामला विदेश स्थित किसी भारतीय मिशन की जानकारी में आता है तो वे विदेश मंत्रालय को उसकी जानकारी देते हैं।

तन्जौर-पुडुकोटई रेलवे लाइन

206. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तन्जौर और पुडुकोटई के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आइलैंड एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर के बारे में रेल सुरक्षा आयुक्त, बंगलौर की रिपोर्ट

207. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सुरक्षा आयुक्त, बंगलौर ने 1981 में बनियमपाड़ी में आइलैंड एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर पर अपनी रिपोर्ट देते समय ऐसी कार्यवाही पहले ही रोकने के बारे में विचार व्यक्त किए थे, और

(ख) यदि हां, तो उनके विचार क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सम्भवत: यह सह संदर्भ 20 अप तिरुवनन्तपुरम-मद्रास मेल के एक मालगाड़ी के साथ टक्कर हो जाने और उसके बाद 11-2-81 को दक्षिण रेलवे के केटन्डापट्टी और वार्णयमवाडी स्टेशनों के बीच पहले से हुई टक्कर के कारण पटरी से उतरे हुए डिब्बों और 69 डाउन यरकाई एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर के बारे में रेल संरक्षा आयुक्त, बैंगलूर की जांच रिपोर्ट के बारे में है।

इस रिपोर्ट में संरक्षा आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला है कि जब उनकी पूछ-ताछ चल रही थी, समाचार पत्रों के साथ-साथ सरकारी फिल्म प्रभाग ने भी इस दुर्घटना के कारण के बारे में विस्तृत रूप से प्रचार किया जो कि तथ्यों पर आधारित नहीं था, ऐसी चीजें वांछनीय नहीं होती, क्योंकि जांच-पड़ताल के मामले में मुगालता उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने सिफारिश की है कि सरकार समाचार पत्रों को, विशेष रूप से फिल्म प्रभाग को किसी दुर्घटना के बारे में असत्यापित बयानों को प्रदर्शित करने और छापने से रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करे। रेल संरक्षा आयुक्त के निष्कर्षों की ओर फिल्म प्रभाग का ध्यान दिलाया गया है जिन्होंने बताया है कि इस दुर्घटना के बारे में उनकी रिपोर्ट कुछ अग्रणी समाचार पत्रों में छपी सूचना पर आधारित थी। फिर भी फिल्म प्रभाग ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में उनके अधिकारी गण और यूनिटों के कर्मचारी और अधिक सतर्क रहेंगे और दुर्घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों की (रिपोर्टों) खबरों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं करेंगे, और कि वे फिल्मों की कमेन्ट्री में उन्हें (समाचार पत्रों की खबरों को) रिकार्ड करने से पहले दुर्घटनाओं के तथ्यों की सरकारी स्रोतों से पक्की जानकारी हासिल करेंगे। क्षेत्रीय रेलों को भी अनुदेश दिये गए हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी जोर दें कि फोटो ग्राफर/ फिल्म प्रभाग के कैमरामैन दुर्घटना के स्थान पर एक जिम्मेदार रेलवे अधिकारी के द्वारा ले जाए जाएं जो यह सुनिश्चित करें कि वे किसी भी अपूर्णता को फिल्म में न उतारें।

दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन

208. **श्री भीखा भाई :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या क्या है जहां समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को पुस्तकें तथा वर्दियां मुफ्त दी जाती हैं;

(ख) क्या पौष्टिक/मध्याह्न आहार के सम्बन्ध में दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों हेतु समान नीति का पालन किया जाता है;

(ग) क्या दिल्ली नगरपालिका द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नई दिल्ली नगरपालिका के मानदण्ड के अनुसार ही दिया जाता है; और

(घ) निशुल्क वर्दियों के वितरण के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका का अनुसरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली नगर निगम के नियन्त्रणाधीन 1565 प्राथमिक स्कूलों में सभी बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं। केवल इन सभी स्कूलों के कमजोर वर्गों के बच्चों को वर्दियां मुफ्त दी जाती हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा संचालित 64 प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन सभी बच्चों को दिया जाता है जबकि दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों में केवल कमजोर वर्गों के बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जाता है ।

(घ) वित्तीय संसाधनों का अभाव ही इसका कारण है ।

क्रेम्स स्टाफ एसोसिएशन, वाणिज्यिक शाखा, मद्रास का ज्ञापन

209. **श्री एम० एम० लारेन्स :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री जी को क्रेम्स स्टाफ एसोसिएशन, वाणिज्यिक शाखा, मद्रास का ज्ञापन मिला है जिसमें उन्होंने प्रशासन के द्वारा क्रेम्स कार्यालय को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ अनुभाग अर्थात् दावा निरोध अनुभाग, कर्मचारी दायिता तथा अन्तर रेलवे दायिता अनुभाग, न्यायालय एवं विधि अनुभाग नयी इमारत में भेज दिये गये हैं। काम और कर्मचारियों का हस्तांतरण करते समय यह ध्यान में रखा गया था कि कार्य का न्यूनतम बिखराव तथा कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो ।

गोंडा डीजल रेल इंजन शेड का निर्माण कार्य

210. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंडा डीजल रेल इंजन शेड का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसकी उत्पादन क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) क्या रेल मंत्रालय ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह रेल इंजन शेड वहां नहीं सौंपा है और क्या इसी कारण इसमें उत्पादन शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस कारण अभी तक कितना नुकसान हुआ है और यह रेल इंजन शेड गोंडा को कब तक सौंप दिया जाएगा और वहां उत्पादन कब से शुरू होगा; और

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों को इसे अब तक न सौंपने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डीजल शेड, गोंडा के निर्माण कार्य का एक बड़ा भाग पूरा किया जा चुका है और 1-4-82 से शेड का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) चूंकि शेड का निर्माण तथा इस्तेमाल पूर्णतया रेल मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इसे रेल मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों के सुपुर्द किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है शेड में डीजल इंजनों को खड़ा करने तथा उनका अनुरक्षण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) तथा (घ) : (क) तथा (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हरियाणा में खुले आम जनतन्त्र की हत्या की जा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारा सदन अपने पैरों पर खड़ा है। मैं तो एक की बात सुन सकता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय पहले हम आपकी बात सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है, मैं बोलूंगा।

मेरे कहने का भाव है, विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि डैमोक्रेसी का अर्थ यह है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो हरियाणा में हो रहा है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप सुनते तो हैं नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप सदन में आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने प्रजातन्त्र या चर्चा के स्थान पर मुक्केदाजी को रख दिया है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो कोई बात नहीं होगी। मैंने इसीलिए···

श्री इन्द्र जीत गुप्त (बसीरहाट) : कहां। यहां नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा यहां हुआ है। मैंने तो इस प्रतिस्थापन को उल्लेख मात्र ही किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कहीं और होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी-अभी इसका उल्लेख किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। मैंने इसीलिए सारे सम्मानित नेताओं से बैठकर बात की है। मेरा आश्वासन रहा है और आज भी आपको आश्वासन है कि हम हर एक विषय को बारी-बारी से हाउस में डिसकस करेंगे।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : रूल्स के मुताबिक।

अध्यक्ष महोदय : रूल्स के मुताबिक, बगैर रूल्स के नहीं हो सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय आपको नियमों की याद दिला रहे हैं। यही तो त्रासदी है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है, कोई भला आदमी रिमाइण्ड करा दे। मुझे तो याद रखना ही पड़ता है। क्योंकि इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : जो मिस-रूल के लिए जिम्मेदार हैं, वे रूल की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप आपस में कर लेना। मैं चाहता हूं कि जब सारे विषयों पर बातचीत हो चुकी है। शास्त्री जी, जो आप कह रहे हैं, उस पर भी डिसकशन होगा। जो दूसरे सारे विषय मेरे पास हैं, जितने भी हैं। मैं उन सारों पर करवा दूंगा। लेकिन एक दिन में··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, भगवान के वास्ते··· (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : डिसकशन कब होगा ?

अध्यक्ष महोदय : होगा तो टाइम से होगा। कहिए तो आज ही करवा दूं। ये सारी बातें हैं, जो बारी-बारी से होंगी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंडल आयोग की रिपोर्ट का मामला है, जो कि पिछले सत्र में भी बराबर चलता रहा और हम लोग··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम सरकार का सेन्सर करना चाहते हैं। आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। आप बैठते क्यों नहीं हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम उनका सेन्सर करना चाहते हैं। आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, कृपया बैठ जाइये, आप तो एक प्रोफेसर हैं। आप जानते हैं कि यदि आप मुझे सहमत करा सकें कि यह स्थगन का मामला है तो मैं इसे स्वीकृत कर लूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कल वायदा किया था। आपके साथ बैठकर वायदा किया था कि इस पर डिसकशन करवाऊंगा और मैं उस पर कटिबद्ध हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह स्थगन का मामला नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : हम लोग कन्विन्स करेंगे। अगर हम आपको कन्विन्स करें, क्योंकि हरियाणा मामला सिरियस है, तो आप उसका स्वागत करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप हमें मौका दीजिए।

आप हमें स्वीकार कराने की अनुमति दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। मुझे नियमानुसार चलना है। इस पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा नहीं हो सकती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आइए, आप मेरे पास आइये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर विचार-विमर्श कीजिए। आपका स्वागत है। आप जैसा चाहें मैं करने को तैयार हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मैं आपके विचार को ठीक कर सकता हूं। ऐसा आश्वासन हमने कभी नहीं दिया कि हम अपने निवेदन नहीं रखेंगे। हमने तो केवल इतना कहा था कि हम विभिन्न नियमों के अधीन विभिन्न मामले उठायेंगे। परन्तु इसी के साथ-साथ, यदि हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना भेजी है तो हमने कहा है कि हम अपने निवेदन करेंगे। आप हमारे निवेदनों पर कतई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कब कहा था। जब चर्चा होगी तो निवेदन भी किया जाएगा। जब मैं आपको आश्वासन दे चुका हूं, चर्चा··· **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमारी यह धारणा है कि हरियाणा का विषय उतना ही महत्व रखता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका तो स्वीकार कर लिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने एक गम्भीर मामले पर काम-रोको-प्रस्ताव दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्रियों की अपीलें वितरित की जा रही हैं···

प्रो० मधु दण्डवते : आप एक-एक करके हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने हम लोगों की बातों को नहीं सुना है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो आप की बात मानी है, बजाय इसके कि आप किसी बात पर झगड़ा करें, उसको डिसकस कर लें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हरियाणा में लोग खरीदे जा रहे हैं।···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मामला कहां उठेगा···

अध्यक्ष महोदय :**मैं सहमत नहीं हूं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस पर बहस यहां नहीं होगी तो कहां होगी ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी इच्छा है, वक्त आपका है, मालिक आप हैं, इसी तरह से चलाइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राष्ट्रपति के चुनाव में सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप हम लोगों की बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : सुन रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कहां सुन रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको डिसकशन का मौका दिया है। मैंने आपको चर्चा का आश्वासन दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राष्ट्रपति के चुनाव में शासन-तन्त्र का दुरुपयोग हो रहा है। क्या इस पर 12 ता० के बाद बहस होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपनी सहमति दे चुका हूं कि हम मामले पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बतलाया था, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। आप जानते हैं गवर्नर को यहां डिसकस नहीं कर सकते हैं।

**कार्यवाही-वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यदि हरियाणा स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है तो फिर और क्या होगा ?··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता है। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा।

जार्ज फर्नान्डीस : हम सरकार का सेन्सर करना चाहते हैं। आप हमें सरकार का सेन्सर करने की कब अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

प्रत्यर्पण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 35 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 416 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 21 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उक्त अधिनियम को, अध्याय-तीन के उपबन्धों को छोड़कर थाईलैण्ड में लागू करने के बारे में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश दिया हुआ है, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 4130/82]

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा तथा पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के बारे में विवरण

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य-मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं : (1) (क) (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4131/82]

(2) (क) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4132/82]

(3) एशियाई खेल 1982 संबंधी विशेष संगठन समिति के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4133/82]

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा तथा आवश्यक सेवायें अनुरक्षण (असम) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री० पी० वेंकट सुब्बैय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, केरल राज्य के सम्बन्ध में 17 मार्च, 1982 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का प्रति संहरण करने वाली संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अन्तर्गत उनके द्वारा 24 मई, 1982 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 24 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 421 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4134/82]

(2) अनिवार्य सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1981 द्वारा यथा संशोधित आवश्यक सेवायें अनुरक्षण (असम) अधिनियम 1980 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत 5 मई, 1982 की असम सरकार की अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 906/82/3 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसके द्वारा खाद्यान्नों तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के भंडारण, प्रति तथा वितरण; कृषि संबंधी निवेश तथा मशीनरी; पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, उत्पादन तथा वितरण; कृषि कार्य के लिये बीजों के भंडारण, पूर्ति तथा वितरण के संबंध में, राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी प्रतिष्ठान या संस्थान में सेवाओं को असम राज्य में अनिवार्य सेवायें अनुरक्षण (असम) अधिनियम, 1980 के प्रयोजनार्थ अनिवार्य सेवायें घोषित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4135/82]

गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन; इण्डियन मैडिसंस फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत के वर्ष 1979-80 की समीक्षा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं : (1) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद

*वार्षिक प्रतिवेदन 18 फरवरी, 1982 को सभा-पटल पर रखा गया था।

के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4136/82]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :

(एक) इंडियन मैडिसंस फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत (उत्तर प्रदेश) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन मैडिसंस फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत (उत्तर प्रदेश) का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4137/82]

(4) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (4) से (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4138/82]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : राष्ट्रपति का चुनाव गम्भीर मामला है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : हरियाणा का मामला इतना गम्भीर है और उस पर सदन में बहस न हो, यह कैसे चल सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं कि आप बात नहीं सुनते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपने यह कहा है कि यदि मैं आपको आश्वस्त कर दूं, तो आप प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। यदि आश्वस्त करने के लिये आप मुझको समय देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं अकेला आदमी हूं और आप 70 हैं। वह जो कुछ भी कहते हैं उसको कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ** (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं कृपया आप बैठ जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा। मैंने हर एक मसले को बहस के लिए एलाउ किया है। जो सब्जैक्ट्स आपने दिए हैं, उन सबको एलाउ कर रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : एडजॉर्नमेन्ट मोशन क्यों एलाउ नहीं कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : एडजॉर्नमेंन्ट मोशन का मसला नहीं है। नही मैं आश्वस्त नहीं हूं।

(व्यवधान)

भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82ञ की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण,) जो 4 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 387 (अ), में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4139/82]

आठवें वित्त आयोग के गठन के बारे में आदेश, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1982 को आठवें वित्त आयोग का गठन करने के बारे में जारी किये गए आदेश की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 21 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 433 (अ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4140/82]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम 1882, जो 27 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 365 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर चौथा (संशोधन) नियम, 1982 जो 29 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 372 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1982 जो, 21 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 433 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आयकर (छठा सशोधन) नियम, 1982, जो 26 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 448 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4141/82]

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सां० का० नि० 397, जो दिनांक 24 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 17 मार्च 1973 की अधिसूचना संख्या 39—सी० शु० के अधिलंघन के बारे में है और जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित मन: प्रभावी द्रव्यों के भारत में आयात और भारत से उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(दो) सा० का० नि० 398, जो दिनांक 24 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित मन:प्रभावी द्रव्यों के भारत से निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 366 (अ) और 367 (अ), जो दिनांक 1 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा पेट्रोलियम संक्रियाओं के सम्बन्ध में भारत में आयातित कतिपय विनिर्दिष्ट माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और सहायक सीमा-शुल्क से छूट दी गई है।

(चार) सा० का० नि० 412 (अ), जो दिनांक 14 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा पैक किये गए माल के यानान्तरण पर खर्च किये गये माल भाड़े को सीमा-शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य से निकाल निकाल दिया गया है।

(पांच) सा० का० नि० 413 (अ), जो दिनांक 14 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा पैक किए गए माल के यानान्तरण पर खर्च किए गए माल भाड़े को सहायक शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य से दिया गया है।

(छः) सा० का० नि० 418 (अ), जो दिनांक 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो टीन की प्लेटों और टीन की चादरों पर सीमा-शुल्क को मूल्यानुसार 55 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 65 प्रतिशत करने के बारे में हैं।

(सात) सा० का० नि० 419 (अ), जो दिनांक 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जिसके द्वारा 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 45 सी० शु० में आगे संशोधन किया गया है जिसके द्वारा ऐसे कतिपय भारी मात्रा में औषधियों के नामों को सही किया गया है, जिन्हें सीमा-शुल्क से छूट दी गई है।

(आठ) सा० का० नि० 443 (अ), जो दिनांक 1 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो काफी पर निर्यात शुल्क को 300 रुपये प्रति क्विंटल से कम करके 120 रुपये प्रति क्विंटल करने के बारे में है।

(नौ) सा० का० नि० 450 (अ) जो दिनांक 8 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जिसके द्वारा 1 मार्च, 1982 की अधिसूचना सख्या

30 सी० शु० में और संशोधन में किए गए हैं जिसके द्वारा सिरेमिक संधारित्रों के निर्माण के लिए आयातित सिरेमिक डाइलेक्टिक पर मूल्यानुसार 45 प्रतिशत रियायती मूल सीमा-शुल्क स्पष्ट किया गया है।

(दस) 1 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना के अधिलंघन में सा० का० नि० 454 (अ), जो दिनांक 16 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो स्विटजरलैंड के फ्रैंक के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में बदलने के लिए विनिमय की संशोधन दर के बारे में हैं।

(ग्यारह) सा० का० नि० 455 (अ), जो दिनांक 17 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिसके द्वारा 11 मई, 1982 को अधिसूचना संख्या 133-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है जिसके द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट अन्तर्दहन पिस्टन इंजनों और उनके पुर्जों पर 10 प्रतिशत रियायती सहायक सीमा शुल्क को स्पष्ट किया गया है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4142/82]

(4) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 365 (अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 30 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा विकासशील देशों के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों को, सम्मेलन की समाप्ति पर, उनको भारत के बाहर किसी स्थान की अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में विदेश यात्रा कर से छूट दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4143/82]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1982, जो 1 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 414 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1982, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 443 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1982, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 483 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1982, जो 5 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 539 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4144/82]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 353 (अ), जो दिनांक 24 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो टिकाऊ डिब्बों की लागत की, नाइट्रोजन,

कार्बन डाइआक्साइड, रेफ्रिजरेटर-गैसों, आर्गन हैलियम, संपीड़ित वायु और हाइड्रोजन के शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य से निकालने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 369(अ), जो दिनांक 6 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो टंकियों, बर्तनों और पाइपों पर पुनः रबड़ चढ़ाने अथवा उनकी रिलाईनिंग करने पर शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 411(अ), जो दिनांक 1 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 31 मई, 1979, की अधिसूचना संख्या 198/79-सीई में कतिपय संशोधन किया है, जिससे वैद्युत मुद्रांकन तथा पटलन के विनिर्माण के दौरान प्राप्त होने वाली इस्पात पिघलन रद्दी पर समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

(चार) सा० का० नि० 370(अ), जो दिनांक 10 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो उद्भासित सिनेमा फिल्मों को उत्पाद-शुल्क में रियायत देने के बारे में है।

(पांच) सा० का० नि० 371(अ), जो दिनांक 10 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों और मूल रूप से भिन्न किसी भाषा में डब की गई फिल्मों पर शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(छः) सा० का० नि० 372(अ), जो दिनांक 10 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो वृहत चित्रों की पहली 600 मीटर तक की लम्बाई को उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(सात) सा० का० नि० 373(अ), जो दिनांक 10 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो ऐसी फिल्मों पर जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है तथा विज्ञापन फिल्मों पर शुल्क की प्रभावी पृथक दर विकसित करने के बारे में है।

(आठ) सा० का० नि० 444, जो दिनांक 15 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 13 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या 53/80-सीई, 54/80-सीई और 55/80 सीई में कतिपय संशोधन किया गया है। जिससे कि उत्पाद शुल्क की रियायतों को इस्पात के डलों और लोह अथवा इस्पात उत्पादकों पर लागू किया गया है।

(नौ) सा० का० नि० 423(अ), जो 26 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जिसके द्वारा 19 जून, 1980 की अधिसूचना संख्या 81/80 के जारी किए जाने से पूर्व की अवधि के लिए "लस्सी" पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की अदायगी को माफ किया गया है।

(दस) सा० का० नि० 485, जो 29 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 23 जून, 1977 को अधिसूचना संख्या 197/77-सी० ई० का अधिलंघन किया गया है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 452 (अ), जो 9 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद 15क की उप-मद(3) के अन्तर्गत आने वाले कड़े पोल्युरेथीन फोम को, उस पर उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट दी गई है, जो मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक हो।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4145/82]

(7) मई, 1982 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणामों तथा 7 प्रतिशत पूंजी निवेश बांडों के निर्गम के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4146/82]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस सदन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित है। विभिन्न ग्रुपों के नेताओं ने आपसे एक बैठक की थी और हमने आपको आश्वासन दिया था कि हम विभिन्न नियमों के अन्तर्गत विभिन्न मामले उठायेंगे। लेकिन उसी समय हमने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कुछ मामलों में सरकार के प्रति अपनी नराजगी प्रकट करने के लिए हम स्थगन प्रस्ताव भी रखना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : राष्ट्रपति का चुनाव···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने अनुमति नहीं दी है।

शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा व विवरण।

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4147/82]

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा। श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। जब भी कभी महत्वपूर्ण घटना घटित होती है—उदाहरण के तौर पर, आज ही एक मंत्रालय ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, जैसे कि पत्र सूचना कार्यालय; कल यह प्रधान मंत्री सचिवालय हो सकता है—इन विषयों पर हम स्थगन प्रस्ताव रखना चाहेंगे। इस पर आप अपना निर्णय क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने आपकी बात को अस्वीकार कर दिया है। कालिंग एटेंशन, श्री वृद्धि चन्द्र जैन। (व्यवधान)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

> "उड़ीसा के कई तटवर्ती जिलों में 4 जून, 1982 को आये भीषण समुद्री तूफान के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और पशुधन की हानि होने तथा बड़े पैमाने पर हुई विनाशलील का समाचार तथा प्रभावित क्षेत्रों में किये गये राहत कार्य"

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, चुनाव का मामला कहां खड़ा किया जाए ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह हमेशा ही आपकी परिपाटी रही है कि हर अधिवेशन के आरम्भ में आप सदन को सूचित करते रहे हैं कि, "मुझे स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं," (व्यवधान) मुझे इन-इन सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव इन-इन विषयों पर प्राप्त हुए हैं।"

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके बाद आप कहते थे, "मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता या मैं इन्हें रद्द करता हूं।"

अबकि तो आप शुरू से ही स्टीम-रोलर चला रहे हैं। आप बताइए कि कौन-कौन-से सब्जेक्ट्स पर एडजॉर्न मोशन्स आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा कभी नहीं किया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमेशा किया है।

अध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, स्टीम-रोलर चलाने की जो आप बात करते हैं, तो सारी बातें मानते हैं, सारे सब्जेक्ट्स मान रखे हैं।

मैं किसी भी विषय पर चर्चा की अनुमति देने को सहमत हूं। यह क्या बात आप करते हैं !

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राष्ट्रपति जी के चुनाव की बात आपने नहीं मानी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कोई विशिष्ट निर्णय जरूर दें।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : राष्ट्रपति का चुनाव 12 तारीख को है। हम मतदाता हैं। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। हमें इसको जरूर रोकना है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)···**

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। हरियाणा में कांस्टीट्यूशनल ब्रैक-डाउन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : यह 1985 का रिहरसल है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते :···पत्र-सूचना कार्यालय का दुरुपयोग हो रहा है। अन्य मंत्रालय भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। श्रीमन्, हम मतदाता के साथ-साथ इस सदन के, जिसकी आप अध्यक्षता कर रहे हैं, सदस्य भी हैं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सूचना मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान) आप उन्हें कहने दीजिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, आप हमें आश्वासन नहीं दे रहे हैं। आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आप इस बात का आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि आप, राष्ट्रपति चुनाव में संसद सदस्य की हैसियत से मतदाता के रूप में वोट डालने के हमारे अधिकार की रक्षा करेंगे। हम दबाव में नहीं आयेंगे। कोई भी प्रसारण मंत्रालय······

अध्यक्ष महोदय : आप पर कैसे दबाव डाला जा सकता है ? दबाव का तो प्रश्न ही नहीं है। मेरे सदस्य स्वतंत्र हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : निर्वाचन आयोग ने माना है। मेरे पास निर्वाचन आयोग का पत्र है। जिसमें उन्होंने माना है कि उनसे एक भयंकर गलती हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक उच्चतम संस्था है। मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, चुनाव आयोग ने कहा है···(व्यवधान)। यह नियमों का उल्लंघन है। श्रीमन्, आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपके राइट्स को कोई खतरे में नहीं होने देंगे। आप बैठिये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : और उन्होंने आश्वासन दिया है कि···

अध्यक्ष महोदय : चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम आश्वासन चाहते हैं कि आगे से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, अगर आप इस मंत्रालय को नहीं रोकेंगे तो बाकी के सभी मंत्रालय भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे। अगर आप प्रसारण मंत्रालय को नहीं रोकेंगे तो प्रधान मंत्री सचिवालय समेत बाकी के सभी मंत्रालय भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे।··· (व्यवधान)। इसीलिए मैं, यह मुद्दा उठा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे अफसोस है कि आपने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं मान रहा हूं, शास्त्री जी, मैं तो मान रहा हूं कि जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वे डिस्कस हो जाएं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सर, आप यह बता दीजिए, एडजॉर्नमेंट मोशन स्वीकार करने में आपको क्या परेशानी है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे परेशानी नहीं होती। मुझे काहे की परेशानी है। लेकिन नियमों के अधीन होना चाहिए। उन्हें केवल नियमों के अधीन ही स्वीकार किया जा सकता है (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हरियाणा के गवर्नर···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे कर नहीं सकते। आप रुल्स तो पढ़िये।

प्रो० मधु दण्डवते : आप पहले वाले मामले में भी अनुमति क्यों नहीं देते ? (व्यवधान) आपकी कठिनाई क्या है ? क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी कठिनाई क्या है ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप हमें अपने केस के बारे में पूरी तरह से बहस करने नहीं देंगे ? क्या हमें हर दफा चिल्लाना पड़ेगा ? आप हमें एक-एक करके सुनते क्यों नहीं हैं और हमें अपने केस के बारे में बहस करने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं ? (व्यवधान)

आप प्रत्येक सदस्य को बारी-बारी से बोलने के लिए कहें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक नियम यह है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : आपको हमें, नियमों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) मुझे ये जुबानी याद हैं। मैं तो यह कह रहा था, कि हमें अपने केस पर बहस करने दें।

(व्यवधान)

आप हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। आप कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठे कि सरकार की रक्षा करें। कृपया यह बात याद रखें कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए इस कुर्सी पर बैठे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपको आश्वासन दे चुका हूं। मैंने आपसे वादा किया है कि सारी चीजें डिसकस कर लेंगे फिर आप क्यों ऐसा करते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ताकि मैं स्वीकार कर सकूं। मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। मैंने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किये है। मैं अब भी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन इस तरह नहीं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप सदन को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप राष्ट्रपति के चुनाव पर चर्चा के लिए सहमत नहीं हुए। (व्यवधान) क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कल हमने तय किया था कि दूसरे ढंग से डिसकस कर लेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं, बाकी सारी चीजें यहां डिसकस हो सकती हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किस ढंग से उठाएं ?

अध्यक्ष महोदय : इलेक्शन कमीशन में।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 12 तारीख को चुनाव हैं।

अध्यक्ष महोदय : इलेक्शन कमीशन में, मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में डिसकस नहीं करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी कैसे ले लूंगा ? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये सरकारी हेलीकाप्टर दे रहे हैं कांग्रेस के कैंडीडेट के लिए। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इलेक्शन कमीशन में जो उठना है वह तो उठेगा ही, वह कैंडीडेट उठाएगा, लेकिन एक मेंबर के नाते, एक वोटर के नाते हम इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। शासन तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है आप शासन को क्यों बचा रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इत्तिला पहुंचेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी आ जाना, आपका चेंबर है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने समझा था कि आप कह रहे हैं कि हमें उन सभी मामलों पर चर्चा की अनुमति देंगे, जिन्हें हमने एक या दूसरी तरह उठाने की कोशिश है।

किसी-न-किसी नियम के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति देने के आप इच्छुक हैं आपने यही कहा है।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री इंद्रजीत गुप्त : जब यहां पर विशिष्ट मुद्दों को उठाया जाता है तो आप हमेशा उनको अस्वीकार कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एडजॉर्न मोशन एडमिट नहीं किया क्योंकि कोई वैलिड नहीं था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कौन-सा रूल है ?

अध्यक्ष महोदय : जो वादा करता हूं उससे कभी पीछे नहीं जाता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें नियम बतलाइये। हम इस पर तर्क करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नियमानुसार कार्य करना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके पास तो अलग-अलग मोशन आए थे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सबको देखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन नोटिसों को अस्वीकार करना चाहते हैं तो आप अस्वीकार कर दीजिये। परन्तु आपके पास नियम हैं। आप हमें नियम तो बताइये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रत्येक नोटिस को पढ़ा है मैंने सबका अध्ययन किया है मैं पहले सबका अध्ययन करता हूं तथा नियमों को उचित तरीके से व सूक्ष्म रूप से पढ़ता हूं और तब मैं अपना कार्य करता हूं, वैसे नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सबको रिजेक्ट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आश्वासन दिया है। मैंने आपको पूरा आश्वासन दिया है और अभी भी दे रहा हूं कि जो भी विषय हमने चुने हैं उन पर उचित रूप से तथा पूर्णरूप से चर्चा की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन विषयों को क्यों नहीं बताते जिनकी आप अनुमति देने जा रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया उन विषयों को बता दीजिए जिन पर हम चर्चा करने जा रहे है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कौन-से विषयों की अनुमति दे रहे हैं और किनकी नहीं दे रहे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता ही दिया है। मैंने डिसएलाउ कर दिया है। जो रखे हैं वे आपसे सलाह करके रखे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ?　　　　(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। प्रोफेसर को भी समझाना पड़ेगा क्या ? हरिकेश जी बैठ जाइए। बैठते क्यों नहीं हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, हमने नियम 56 के अन्तर्गत नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : रूल यह है कि जब स्पीकर खड़ा होता है तो सब मेम्बर बैठ जाते हैं। आपको यह भी पता नहीं है ?

इस वाद-विवाद में जितना समय आपने लगा दिया है इसका हम उपयोग कर सकते थे अपनी आर्गुमेंट्स में......

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमें आर्गू करने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, मैं कोई तर्क-वितर्क नहीं चाहता।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वोट क्लब पर हजारों मजदूर आए हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : मंडल कमीशन की रिपोर्ट जिस तरह से पेश की गई है वह जनतंत्र की हत्या है। आप एलाउ नहीं करते हैं...

अध्यक्ष महोदय : वह भी किया है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : उत्तर प्रदेश-हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वह सरकार की असफलता को सिद्ध करता है। लोगों के जान और माल की हिफाजत नहीं है।　　　　(व्यवधान)

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उड़ीसा में आये भीषण समुद्री तूफान का समाचार तथा प्रभावित क्षेत्रों में किये गये राहत कार्य

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "उड़ीसा के कई तटवर्ती जिलों में 4 जून, 1982 को आए भीषण समुद्री तूफान के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और पशुधन की हानि होने तथा बड़े पैमाने पर हुई विनाशशील के समाचार तथा प्रभावित क्षेत्रों में किए गए राहत कार्य।"

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, इस वर्ष तीन और चार जून की रात को उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में आए विध्वंसकारी समुद्री तूफान की सूचना देते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है।

भारतीय मौसम बिज्ञान विभाग के अनुसार, पहले पारादीप के लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व 1 जून को 14.30 बजे समुद्री तूफान का पता चला था। यह तूफान 3 जून को 08.30 बजे बिना किसी खास रफ्तार के धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम की दिशा में बढ़ा। लेकिन बाद में तूफानी हवाओं के साथ यह काफी तेज हो गया और उसी दिन लगभग 23.30 बजे उत्तरी उड़ीसा के तट को पार कर गया, जिससे कटक, पुरी, बालासोर, धनकनाल, क्योंझर और सम्बलपुर तथा सुन्दरगढ़ जिलों के कुछ भागों में भारी से लेकर अत्यन्त भारी वर्षा हुई।

जून में समुद्री तूफान आना एक असाधारण घटना है और वह तूफान इस शताब्दी में पहली बार आया। इस समुद्री तूफान ने बड़ी तेजी से झंझावत का रूप ले लिया था। हवा की रफ्तार में भी भारी उतार-चढ़ाव था, जो प्रति घंटे 90 किलोमीटर और 220 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। तूफान के इस झोंके से सार्वजनिक और निजी सम्पत्तियों, इमारतों, नारियल के बागानों आदि को भारी क्षति पहुंची। बहुत तेज हवा, ज्वारीय तरंगों और भारी वर्षा के मिले-जुले असर से जान-माल को नुकसान पहुंचा।

भारतीय मौसम-बिज्ञान विभाग ने 2 जून की सुबह मुख्य सचिव तथा अन्य सरकारी तन्त्र को समुद्री तूफान की चेतावनी दे दी थी। इसके पश्चात अनेक संकेत और समुद्री तूफान सम्बन्धी बुलेटिन जारी किए गए। चेतावनी मिलने पर राज्य सरकार ने उसे जिला एवं ब्लाक कार्यकर्त्ताओं के लिए टेलीफोन और वायरलेस पर प्रसारित किया। आकाशवाणी, कटक ने समुद्री-तूफान सम्बन्धी चेतावनी को 2 तथा 3 जून को आधे-आधे घण्टे के अन्तराल से दिन-रात प्रसारित किया और 4 जून की सुबह तक यह क्रम जारी रहा।

उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गए ज्ञापन के अनुसार, तेरह जिलों में से सात जिले प्रभावित हुए हैं। 110 सामुदायिक विकास खण्डों में 15,576 गांव प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र में लगभग 73 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। दुर्भाग्यवश 245 व्यक्ति मारे गए। 11 हजार से अधिक मवेशी भी मारे गए।

प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। 8 लाख से अधिक मकान पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से क्षति-ग्रस्त हो गए। विशेष रूप से कटक तथा बालासोर जिले के दक्षिणी हिस्से में सड़कों तथा इमारतों को भारी क्षति पहुंची। हाई टेन्शन ट्रान्समीशन लाइनें तथा टावर और 1400 किलोमीटर से भी अधिक लम्बी लो-टन्शन लाइनें अस्त-व्यस्त हो गई। समुद्री पानी के आने से कृष्य भूमि में खारा पानी भर गया और पीने का पानी दूषित हो गया।

समुद्री तूफान की चेतावनी मिलने पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उन स्थानों पर तुरन्त गए जहां अधिकतम नुकसान होने की आशंका थी। समुद्री तूफान आनुषंगिक योजना के अनुसार, लोगों को आश्रय देने के लिए सुरक्षित स्थानों का पता लगा लिया गया था। तदनुसार, प्रभावित लोगों को इन स्थानों पर ले जाया गया। बार-बार तथा समय पर चेतावनी देने के कारण कम-से-कम लोगों की जानें गईं।

प्रधान मंत्री ने 11 जून, 1982 को उड़ीसा के समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

किया। उन्होंने केन्द्र से साधनोपाय पेशगी के रूप में 5 करोड़ रुपए की धनराशि और कृषि आदानों के लिए अतिरिक्त अल्पकालीन ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये की और रकम निर्मुक्त करने की घोषण की। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए 8 और 10 जून, 1982 के बीच वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भेजा। राज्य सरकार ने राहत, पुनःस्थापन तथा पुनर्वास के लिए 117.35 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए 17 जून, 1982 को एक ज्ञापन भेजा। एक केन्द्रीय दल ने 22 से 25 जून, 1982 तक उड़ीसा का दुबारा दौरा किया। केन्द्रीय दल ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस दल की रिपोर्ट राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। भारत सरकार, समिति की सिफारिश के आधार पर व्यय की समुचित अधिकतम सीमा मंजूर करेगी।

11 जून, 1982 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई 7 करोड़ की सहायता के अतिरिक्त, समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है। 3000 हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में धान की सामुदायिक नर्सरियां उगाने के लिए भी 45 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को जून में 5,000 मीटरी टन खाद्यान्न दिया गया तथा इस माह 10,000 मीटरी टन और खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने मिट्टी के तेल, पैक किए हुए डामर, लेवी सीमेंट, इस्पात तथा जी० सी० आई० शीट के विशेष नियतन की भी व्यवस्था की है।

मैं जान-माल के नुकसान पर सदन की भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार प्रभावित लोगों के राहत तथा पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है उससे भी यह स्पष्ट है कि 4 जून, 1982 को उड़ीसा के अनेक तटवर्ती इलाकों में आये कथित भीषण समुद्री तूफान से बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। उन्होंने यह भी जिक्र कर दिया है कि 245 व्यक्ति मारे गये, 73 लाख व्यक्ति इससे प्रभावित हुए और 15,576 गांव भी प्रभावित हुए। 11 हजार से अधिक मवेशी मारे गये, 8 लाख से भी अधिक मकान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये और 1400 किलोमीटर से भी अधिक लो-टेंशन लाइन अस्त-व्यस्त हो गई, सड़कों को भारी नुकसान हुआ और समुद्री पानी के आने से कृष्य भूमि में खारा पानी भर जाने से पीने का पानी भी दूषित हो गया। वास्तव में तूफान ने बड़ा भीषण रूप धारण किया है।

इस भीषण तूफान से जो बड़ी भारी क्षति हुई, उसके बारे में प्रोविन्शियल गवर्नमेंट ने 117.35 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत की है और इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि जब 4 जून, 1982 को इस

प्रकार का भीषण तूफान आया, अब 8 जुलाई हो गई, मतलब 1 महीना 4 दिन बीत गए, तो यह तय करने में फाइनली कितना समय लगेगा कि उड़ीसा सरकार को कितनी राहत मिलनी चाहिए ? इसके बारे में मैं स्पैसेफिक् जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कब तक कर लिया जायेगा।

जो भीषण घटना हुई है, उसके कारण जब इतनी क्षति हुई है तो सिर्फ 7 करोड़ रुपये की मदद से, जो कि हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने वहां आन दी स्पाट पहुंचकर एड-हाक घोषणा की है, उससे पूरी तरह वहां की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में जल्द-से-जल्द निर्णय लिया जाना चाहिये।

मैंने अक्सर देखा है कि फैमीन के बारे में भी जब अध्ययन दल की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तब भी बहुत समय लग जाता है। जब इस प्रकार की घटनाएं और नेशनल कैलेमिटीज होती हैं और उनमें सहायता देने में इतना अधिक समय लग जाता है, आवश्यक सहायता समय पर नहीं मिलती है तो उसका बहुत कुप्रभाव पड़ता है। मेरा कहना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करे और फाइनेन्स डिपार्टमेंट का काम फाइनेन्स डिपार्टमेंट करे, लेकिन इसके बारे में युद्ध-स्तर पर एक्शन लेना चाहिए तभी जाकर वास्तविक रिलीफ उन लोगों को पहुंचती है।

जहां तक रिलीफ का सम्बन्ध है, जिनके मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उनको दी जाने वाली 500 रुपये की रकम बहुत अपर्याप्त है। जब मदद की राशि 500 रुपये निर्धारित की गई थी, तब से मंहगाई दस गुना बढ़ गई है। यही स्थिति मकान बनाने के सामान की भी है। इसलिए इस रकम को बढ़ाकर जिन लोगों के मकान ध्वस्त हो गये हैं, उन्हें 5,000 रुपये की मदद देनी चाहिए, ताकि उन्हें वास्तव में कुछ राहत मिल सके। जिन लोगों के मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है, उन्हें दी जाने वाली 200 रुपये की रकम बहुत कम है। इसलिए उसे बढ़ाकर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये कर देना चाहिए।

जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को 1500 रुपये की मदद दी गई है। आजकल 1500 रुपये की मदद से किसी भी परिवार को विशेष रिलीफ नहीं पहुंच सकता है। इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर देना चाहिए।

साइक्लोन से होने वाली क्षति को मिनिमाइज करने के लिए कोस्टल लाइन पर लार्ज-स्केल एफारेस्टेशन के प्रोग्राम को हाथ में लेना चाहिए। जैसा कि डेजर्ट डेवेलपमेंट प्रोग्राम के सम्बन्ध में होता है, इस प्रोग्राम के लिए 50 परसेंट स्टेट कान्ट्रीब्यूट करे और 50 परसेंट सैंटर कान्ट्रीब्यूट करे।

साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंग्दन करने की जरूरत है। इसी तरह पारादीप के रैडार स्टेशन और भुवनेश्वर के बीच नियमित सम्पर्क की स्थापना होनी चाहिए। समय पर साइक्लोन की इनफर्मेशन देने के लिए स्टेट में वायरलैस नेटवर्क स्थापित करने के लिए सैंट्रल असिस्टैंस दी जानी चाहिए।

इस साइक्लोन के बारे में मौसम विभाग और इनसैट-1ए के जरिए 1 जून को सूचना दे दी गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 2 जून को उन्हें सूचना मिल गई। परन्तु 72 घंटे तक

आवश्यक प्रिकाशन नहीं लिए गये। अगर आफिसर्ज को सब जगह भेजकर समय पर इवैकुएशन का काम हाथ में ले लिया जाता, तो इतनी क्षति न होती।

इस प्रकार की घटनाओं को नैशनल डिसास्टर और नैशनल कैलेमिटी समझा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को सोचना चाहिए कि नैशनल डिसास्टर या राष्ट्रीय विपदा के बारे में एक स्पेशल स्कीम बनाई जाए, जिसके लिए सभी स्टेट्स कान्ट्रीब्यूट करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त मदद दी जा सके। केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कदम उठाना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मेरे माननीय साथी श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने कहा वह सारी बातें सरकार की नजर में हैं। नुकसान बहुत भारी हुआ, इसमें शक नहीं लेकिन जैसा मैंने अपने बयान में बताया यह इस तरह का साइक्लोन था जिसमें आम तौर पर जो होता है उसके विरुद्ध हवा की गति बढ़ती गई। ज्यों-ज्यों यह स्टार्म कोस्ट की तरफ बढ़ा। **(व्यवधान)**··· 220 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जब हवा की स्पीड बन जाय तो बहुत ही भारी तूफान हो जाता है। हमारे वार्निंग सिस्टम में कुछ कमियां जरूर हैं जैसा जैन साहब ने कहा और यह इस तूफान के समय खास तौर पर हमारी निगाह में आया। वायरलैस सिस्टम और वार्निंग सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत है। मीट्रियोलाजिकल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आफ सिविल एविएशन के नीचे आता है और मैं अपने साथी मिनिस्टर साहब से इस बारे में बात करूंगा कि वहां कुछ वायरलैस का इंतजाम भी मजबूत हो और गाड़ियां भी कुछ उन लोगों को दी जायें जिससे दूसरी जगह खबर पहुंचाने में आसानी हो क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट की कमी भी नजर आती है। इन सारी चीजों पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी, जो बैठे हैं, ध्यान देंगे क्योंकि ये सब बातें उनके सहयोग से ही हो पाएंगी।

दूसरी बात जो जैन साहब ने कही उसमें भी काफी वजन है। हमारी सेंट्रल टीम साइक्लोन के बाद पहली बार जल्दी ही 8-10 जून को उड़ीसा भेज दी गई प्रेलिमिनरी देखभाल के लिए और उसके बाद सेंट्रल टीम इस मेमोरेंडम के बाद दोबारा गई। तो दो बार सैंट्रल टीम के आफिसर्स गए। उन्होंने जांच भी की और सेंट्रल टीम की रिपोर्ट भी 30 जून को दे दी गई। वह रिपोर्ट मैं देख चुका हूं। उसके बाद वह हाई लेवेल कमेटी के सामने पेश हुई। इसमें आम तौर पर देर हो जाती है, यह मैं मानता हूं। सेंट्रल टीम की रिपोर्ट आने के बाद चाहे वह ड्राउट के बारे में हो या और नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में हो, हमें आखिरी फैसला लेने में देर लग जाती है। उसके लिए मैंने अपने साथी चव्हाण साहब से कहा है जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि हाई लेवेल कमेटी की मीटिंग को वह खुद प्रेसाइड करके जल्दी इसका फैसला करें। इसके लिए मैं तजवीज करूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर साहब भी इस बात के ऊपर खुद विचार करें कि सेंट्रल टीम की रिपोर्ट आने के बाद ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे कि हाई लेवेल कमेटी जल्दी-से-जल्दी बैठ कर इस पर फैसला कर ले और फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्दी ही उसके ऊपर विचार करके अपना फैसला देकर मेमोरेंडम ग्रान्ट कर दे ताकि जो राहत पहुंचानी है उसमें देर न लगे। कई बार देर लग जाती है, यह बात उन्होंने सही फरमायी। मैं इस पर विचार करूंगा और अपने दूसरे साथी मिनिस्टर साहबान से भी विचार करने के लिए कहूंगा ताकि आइन्दा के लिए कोई बेहतर तरीका निकाला जा सके। या तो दोनों मिनिस्ट्रीज के आफिसर्स मिलकर बैठ जाएं और सेंट्रल टीम की

रिपोर्ट आने के बाद जल्दी फैसला हो जाया करे या कोई और तरीका इसके लिए निकाला जाय।

उन्होंने एफारेस्टेशन की बात भी बहुत अच्छी कही। कोस्टल एरियाज में जब तक यह चीज नहीं होगी तब तक विंड ब्रेक नहीं होगा और हवा की तेजी से जो नुकसान हो सकता है उन इलाकों के अन्दर उसको रोकने में दिक्कत पड़ेगी। तो इसके लिए भी हमारी सेंट्रल टीम ने रेकमेंडेशन की है और स्टेट गवर्नमेंट ने जितना पैसा मांगा है वह उसने रेकमेंड किया है। ज्यादा-से-ज्यादा दरख्त कोस्टल एरिया में लगाए जाएं इसकी तरफ ध्यान दिलाया गया है। और बात भी जो आपने कही वह हमने मान ली है। बाकी कोई नयी बात नहीं है।

वार्निंग में हमने जहां तक देखा है साइक्लोन आने के तीन रोज पहले से, मैंने अपने बयान में बताया है, आधे-आधे घंटे पर वार्निंग दी जाती रही। दिल्ली से भी आल इंडिया रेडियो से और टेलीविजन से खबरें दी जाती रहीं। एलर्ट तो पहली जून को ही दे दिया गया था कि स्टार्म बन रहा है और कोस्टल एरिया में आने की संभावना है। ज्यों-ज्यों स्टार्म साइड की तरफ आता रहा, उसके मुताबिक बार-बार वार्निंग और सिगनलिंग दी जाती रही। उसमें जैसा हमारा इंतजाम है उसके मुताबिक कमी नहीं रही और आप देखें कि सन् 71 में जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में उस वक्त जो नुकसान हुआ था उसके मुकाबिले में सन् 82 में जो नुकसान हुआ है वह बहुत कम है। 1971 में जब इसी किस्म का साइक्लोन था, जो इतना तेज भी नहीं था, हवा की रफ्तार भी इतनी तेज नहीं थी उस वक्त 9,665 जानें चली गई थीं लेकिन उसके मुकाबले में इस बार 245 लोग मरे हैं। इसी तरह से पहले जहां एक लाख जानवर मर गए थे, उसके मुकाबले में इस बार उनकी संख्या 11 हजार ही है। पिछली बार जहां अफेक्टेड इलाका बीस हजार स्क्वैयर किलोमीटर था, इस बार के साइक्लोन में अफेक्टेड एरिया 25 हजार स्क्वैयर किलो मीटर है। इस बार रकबा ज्यादा है जिसमें कि नुकसान हुआ है। जितने गांव बरबाद हुए वह भी ज्यादा हैं, जितनी पापुलेशन अफेक्ट हुई है, वह 1971 के मुकाबले में ड्योढ़ी है लेकिन इसके बावजूद इस बार नुकसान कम हुआ है। ऐसा इसीलिए हुआ कि हमने आध-आध घंटे में वार्निंग दी। जो जानें गई हैं वह इस वजह से कि घर गिर गए। जब कुनबे घर छोड़ कर जाते हैं तो पीछे घर में एक आदमी जरूर छोड़ दिया जाता है और जब घर कौलैप्स होता है तो उसकी जान चली जाती है।

मकान बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से जो 500 रुपये की राहत दी जाती है वह वाकई कम है। प्रो० रंगा साहब भी अपना सिर हिला रहे हैं। इतने में तो ईंटें भी नहीं आ सकती हैं। लेकिन पहले के नार्म्स के मुताबिक स्टेट गवर्नमेन्ट ने दिया है। भारत सरकार कितना मंजूर करती है, या हाई लेविल कमेटी तय करेगी और आखिरी फैसला फाइनेन्स मिनिस्ट्री का होगा। इस किस्म के नुकसान का पूरा मुआवजा तो कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। थोड़ी-बहुत राहत देने की कोशिश की जाती है जितनी कि सरकार के पास गुंजायश रहती है। इसमें 75 फीसदी सहायता भारत सरकार देती है और 25 फीसदी स्टेट गवर्नमेन्ट देती है। स्टेट गवर्नमेंट को अपने खजाने की तरफ देखना पड़ता है कि राहत के लिए कितनी राशि दे सकते हैं। भारत

सरकार को भी यह देखना पड़ता है। एक बार जो नार्म्स बन जाते हैं उनको फिर सारे देश के लिये अपनाना पड़ता है।

बहरहाल, आपने जितनी भी बातें कही हैं उनकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है। हम आपके मश्कूर हैं कि आपने कुछ ऐसे मुद्दे यहां पर उठाए हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो तबाही आई है वह अक्सर आती रहती है, यह कोई नयी नहीं है। इसपर इन्सान का काबू नहीं है। इस तबाही में जहां कुदरत का दखल है, वहां मैं समझता हूं सरकार की भी कुछ कोताही हुई है। अगर यह कोताही सरकार की तरफ से न होती तो मुमकिन है कि तबाही इससे कुछ कम होती। मैं जानता हूं उड़ीसा एक ऐसा इलाका है जहां सिर्फ 4 जून को ही ऐसा जबर्दस्त तूफान नहीं आया है, उससे पहले दिसम्बर में भी तूफान आया था और पिछले साल 17 अप्रैल को भी आया था। उससे भी पहले फरवरी, 1980 में जबर्दस्त तूफान आया था। यह ऐसी स्टेट है जहां मुस्तकिल तौर पर समुन्दर के साइक्लोन आते हैं और लोग परेशान रहते हैं। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जहां इस तरह का एक मुस्तकिल फीचर हो तबाहियां आने का उसके लिए हम क्या एक्दामात करें ताकि उसका कोई परमानेन्ट हल निकाला जा सके। वहां नुकसान इस कदर ज्यादा है कि अगर हम यह नहीं सोचेंगे कि यह नेशनल लास है तबतक हम उतनी राहत नहीं दे पायेंगे जितनी कि वहां मिलनी चाहिए।

जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है कि तूफान 4 तारीख को आया लेकिन उसकी वार्निंग पहली और दूसरी तारीख से ही देनी शुरू कर दी गई थी। इसके बावजूद इतनी ज्यादा तबाही होने का मतलब यह है कि हमारे सिस्टम में ही कुछ कमी है जिसको मंत्री जी ने तस्लीम भी किया है। सिर्फ यह काफी नहीं है कि आप रेडियो पर एलान कर दें या जिलों में बैठे हुए अफसरान को इत्तला कर दें। जो तूफान इतनी तबाही मचाएगा। बल्कि कमी यह है कि जिलों के आफिसर्स को इत्तिला हो जाती है और उन आफिसर्स के जरिए, क्योंकि उनके पास मशीनरी नहीं है या आपकी तरफ से कोताही हुई है, उन लोगों को जो तूफान की चपेट में आने वाले हैं, जिनको तूफान से नुकसान होने वाला है, उनको इत्तिला नहीं हो पाती है। इत्तिला नहीं हो पाने की वजह से आप देखते हैं कि इतने लोगों की जानें गई है और इतने हजारों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। 117.35 करोड़ रु० की मांग सरकार से की गई है। इस चीज को देखते हुए हमें अपनी कोताही को दूर करना चाहिए। यह बात मैं इस लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपोजीशन में बैठा हुआ हूं और मुझे सरकार को क्रिटिसाइज करना ही है। जैसा कि कहा गया कि दो तारीख को वार्निंग दी गई, उसके बावजूद इतनी बड़ी तबाही होती है, तो मैं समझता हूं कि जरूर कहीं वार्निंग सिस्टम में खराबी है। लिहाजा सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हमें मुस्तकिल तौर पर ऐसे इलाके जहां पर कि तूफान तबाही मचाते रहते हैं, जैसे उड़ीसा, बंगाल व महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, कम से कम उन जगहों पर एक ऐसी मशीनरी इनवाल्व करनी पड़ेगी, जो कि लोगों को इत्तिला कर सकें। रेडियो पर कह देने से या वायरलैस से इत्तिला दे दी गई, इससे तो बड़े-बड़े आफिसर्स को इत्तिला हो जाती है, लेकिन देहात में रहने वाले लोगों को नहीं पता चल पाता है। इसलिए उन

लोगों के लिए एक ऐसी मशीनरी तैयार करनी होगी जो लोगों को जाकर वहां से हटाने के सिलसिले में मदद कर सके और उनको किसी महफूज जगह पर ले पहुंचा सके। इस दिशा में तमिलनाडु सरकार ने मेरे ख्याल में काफी काम किया है। उन्होंने काम्यूनिटी सेन्टर्स बनाए हैं। उन काम्यूनिटी सेन्टर्स का यह परगज था, मकसद था, कि तूफान में फंसे हुए लोगों की हिफाजत करें। तूफान के आने से पहले ही उनको वार्निग दे। गांव के अन्दर टीम्स को भेजकर उनके सामान को इकट्ठा करने के लिए सरकार की तरफ से इन्तजाम होता था। उनका जो सामान होता था, उनको महफूज जगह पर पहुंचाते हैं। सिर्फ फसल को ही नुकसान पहुंचता है। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है। आपकी वार्निग की कोशिशों के बावजूद, आपके इतने रिलीफ आपरेशन के बावजूद, आज भी वहां के लोग बहुत परेशान हैं। चार-पांच जगहें ऐसी हैं, जैसे राजनगर, राजगणिका, चमूर और चन्द्रबली आदि—ये ऐसी जगहें हैं, जहां छः दिन तक एक भी आदमी रिलीफ के लिए नहीं पहुंचा। अब आप सोच सकते हैं, जिस जगह तबाही हुई हो, नीचे पानी हो और एक भी दरख्त न रहा हो और खाने के लिए कुछ नहीं रहा, बच्चे मर गए, औरतें मर गईं। आपकी सरकार उनको रिलीफ पहुंचाने में बिल्कुल फूल हो गई है। यह बड़े अफसोस की बात हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये बातें मैं इस लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपोजीशन में बैठा हुआ हूं और मेरा काम सरकार के खिलाफ बोलना है। बल्कि मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमें दर्द होना चाहिए, हम लोगों को दर्द होना चाहिए कि अगर तबाही हुई है, तो क्यों हुई है और ईमानदारी के साथ आपको उसको मानना चाहिए। यह मालूम करना चाहिए कि कहां-कहां खराबियां है और उन खराबियों को दूर करने के लिए डिसकशन करना चाहिए कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ सुझाव आपके समक्ष रखे हैं।

दूसरी बात मैं बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीचूट के बारे में कहना चाहता हूं। इसका मकसद यह है कि बिल्डिंग बनाने के ऊपर कम से कम पैसा खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा मजबूत इमारत बने। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में सबसे जरूरी चीज यह है कि ऐसे इलाके जहां पर तूफान आते हैं, जिन छः-सात इलाको का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं—बंगाल, उड़ीसा तमिलनाडु का इलाका, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, जिसमें की मुस्तकिल तौर पर तूफान आते हैं···

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश भी।

श्री रशीद मसूद : मध्य प्रदेश का भी इलाका है, लेकिन मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं, जहां पर कि समुद्री तूफान आते हैं। उन इलाकों के लिए रिसर्च बिल्डिंग इन्स्टीचूट का फायदा उठाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ऐसे इलाकों के लिए ऐसे मकान बनवाए जाएं, जिनकी कि तबाही कम हो, जिनको तूफान से बचाया जा सके। मैं समझता हूं कि अगर इस दिशा में रिसर्च की गई तो यह इमपासिबल बात नहीं है, नामुमकिन बात नहीं है।

जब आप ने वार्निंग्ज देनी शुरू कर दीं और आप के डिस्ट्रिक्ट लेबल तक के आफिशियल्ज को इत्तला हो गई थी, उसके बावजूद लोग महफूज जगहों तक क्यों नहीं पहुंच सके ? उसकी वजह यह थी कि उनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आप दो बजे के बाद बोल सकते हैं। परन्तु यदि आप तुरन्त समाप्त करने जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं।

श्री रशीद मसूद : मैं केवल दो मिनट लूंगा ।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तूफान आते हैं तो इमीडिएट मदद की जरूरत होती है । बदकिस्मती से स्टेट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि उस मदद को वे एक दम उन तक पहुंचा सकें । मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि कोई भी सरकार मुकम्मिल नुकसान को कम्पेन्सेट नहीं कर सकती, लेकिन फौरन रिलीफ मिल जाय तो उससे मुश्किलात काफी कम हो जाती हैं । ऐसे लोगों के लिए जो तूफान-जदा हैं या तूफान-जदा इलाकों से ताल्लुक रखते हैं अगर वहां रिलीफ का काम फौरन शुरू कर दें, आपकी जो हाईलेवल कमेटी जाती है, उसकी रिपोर्ट का इन्तजार न रहे, कैबिनेट के फैसले का इन्तजार न रहे, तो वह उनकी तकलीफों को कम करने में ज्यादा मदद दे सकता है । यह ठीक है कि आप उनको उनके पुराने हालात में नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इतना जरूर करें कि वे अपने फील्डस को फौरन बो सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें । मैं जानना चाहता हूं कि इस काम में कितना वक्त लगेगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, इन सारी बातों को तफसील से मैं अपने बयान में कह चुका हूं । आनरेबिल मेम्बर ने जो बातें कही हैं उनका जिक्र यहां पर काफी हो चुका है । जहां तक हमारे वार्निंग सिस्टम का ताल्लुक है हमारी तरफ से वार्निंग देने में कोई कमी नहीं की गई । बदकिस्मती से ता० 3 की शाम को, 4 बजे के करीब जो हमारा वायरलैस-टेलीफोन का लिंक पारादीप और भुवनेश्वर के बीच में है, हवा की तेजी की वजह से, उसका एन्टीना टूट गया, जिस की वजह से 4 बजे के बाद ज्यादा वार्निंग नहीं दे सके । दूसरी बात यह कि साइक्लोन भी रात के साढ़े-ग्यारह बजे या 12 बजे के आस-पास आया, आधी रात के करीब आया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वह ऐसा वक्त था जब लोग शेल्टर में जाने के बजाय अपने घर में ही रहना चाहते हैं । दिन में शेल्टर में जाना आसान होता है । वह वक्त ऐसा था जिसमें लोग अपने मकानों में फंस गये और इतनी जानें चली गईं, वर्ना इस नुकसान को बचाया जा सकता था ।

जहां तक पैसे का सवाल है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसे की वजह से दिक्कत नहीं होती है, वे जल्द से जल्द राहत के काम शुरू कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह की कैलेमिटीज के लिए मार्जिन-मनी होता है । उड़ीसा सरकार के लिए 8 करोड़ 71 लाख रुपया मार्जिन-मनी का मन्जूर किया हुआ है, जिसको इस तरह की कैलेमिटीज में वे जिस तरह चाहें खर्च कर सकते हैं । इसके अलावा उनके पास रूरल मिनिस्ट्री की एन० आर० ई० पी० की स्कीम है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टुर) : इनके लिए एक स्थायी निधि की आवश्यकता है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : परन्तु धन का प्रावधान करने में कोई कठिनाई नहीं है ।

इसी तरह उनके पास दूसरे प्रोग्राम्स हैं, जैसे वाटर-सप्लाई के लिए उनके लिए 9 करोड़ रुपया मन्जूर हो चुका है । हाउसिंग के लिए 5 करोड़ का प्रावीजन है और जैसा मैंने बतलाया था—प्राइम मिनिस्टर साहिबा वहां गई थीं, उन्होंने वहीं पर "वेज-एण्ड-मीन्ज-एडवांस" के तहत 5 करोड़ रुपये का ऐलान कर दिया । 2 करोड़ रुपया शार्ट-टर्म लोन में मन्जूर किया है । खाद और बीज के लिए सब्सिडी का इन्तजाम किया है । शार्ट-टर्म लोन के तहत अगर उड़ीसा सरकार

को और ज्यादा रुपये की जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा रुपया देने के लिए भी तैयार हैं। सेन्ट्रल कमेटी की रिपोर्ट पर अभी कैबिनेट की हाई-लेवल कमेटी में गौर होना बाकी है। वह भी अगर देखेंगे कि कोई कमी है तो पूरा करने की कोशिश करेंगे। कम्यूनिटी सीड नर्सरीज के लिए पनीरी लगाने के वास्ते 45 लाख रुपया उड़ीसा सरकार को दिया है। जहां समुद्र का पानी रुक जाता है उसके निकास का सवाल है। इसके लिए मैं प्लानिंग कमीशन और इरिगेशन मिनिस्ट्री से दरख्वास्त करूंगा कि वे इसके बारे में फौरन गौर करें। हमारी तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कोताही नहीं हुई है। इसके लिए आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। जब कोई मुसीबत आती है तो हमारे अफसर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अफसरों ने भी जगह-जगह पहुंचने में कोई कमी बाकी नहीं रखी लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि आधी रात के वक्त यह तूफान आया और उससे 15 हजार से ज्यादा गांवों के अन्दर तबाही हुई। इतने सारे गांवों में एकदम से अफसरों का पहुंचना और वहां से लोगों का निकालना और उनका बन्दोबस्त करना मुश्किल बात है

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट तक के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 19 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : पहली बार देर हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी नहीं से देर से ही अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामस्वरूप राम। कृपया जितना सम्भव हो सके कम समय लगाइये क्योंकि मैंने पहले ही आपका समय ले लिया।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें उड़ीसा में साइक्लोन के चलते समुद्री तूफान आया और उसमें 114.73 करोड़ का नुकसान हुआ। फिर भी यह एक प्राकृतिक विपदा थी, लेकिन अगर समय से सूचना और वार्निंग दी गई होती तो इतना बड़ा डैमेज नहीं हो सकता था। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 3 तारीख को रात में 11 बजे समुद्री तूफान आया और उसी वक्त 3 बजे दिन में वार्निंग दी गई चीफ सेक्रेटरी को लेकिन वह वार्निंग प्रखंड में समय पर नहीं पहुंच सकी जिसकी वजह से वहां जो आबादी थी जिसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का समय मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल सका। मंत्री जी ने कहा कि काफी रिलीफ कार्य चलाये हैं और लोगों को रीहैबिलिटेट करने की कोशिश में हैं, इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन यह जो आपने कहा कि 1 तारीख को ही सूचना दे दी गई थी, इसकी आप पुनः जांच करें कि वाकई में 1 तारीख को वार्निंग दी गई थी या 3 तारीख को दी गई थी ? जैसे 1971 का उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि उस समय बहुत जानें गयी थीं इसी तरह के समुद्री तूफान में, लेकिन सरकार के टाइमली ऐक्शन से और रिलीफ मेजर्स से उस कम्पेरिजन में उतना हादसा नहीं हो सका। लेकिन यह एक ऐतिहासिक

हादसा है और इसके लिये हमें जितने रिलीफ मेजर्स चलाने चाहिये, जैसे गरीबों के घर बरबाद हुए तो उनको आप 500 रु० दे रहे हैं और आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि इतने में घर नहीं बन सकता। और रस्मी तौर पर कहते हैं कि जो नियम है उससे आगे आप नहीं जा सकते। हमारी मांग है कि आप उसमें परिवर्तन लाइये और उदार होकर मैक्सिमम रिलीफ दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मंत्री ने इसका उत्तर दे दिया है अतः नये प्वाइन्ट प्रस्तुत कीजिए, कुछ नये सुझाव दीजिए।

श्री रामस्वरूप राम : मेरी मांग है कि झोंपड़ी बनाने के लिये कम से कम 5,000 रु० की तत्काल सहायता दें ताकि वह अपना घर बना सकें। दूसरी समस्या कोस्टल एरिया में यह हो गई है कि खेती लायक जमीन जो थी वह सैलाइन वाटर से भर गई और आप जानते हैं कि सारे देश में सूखा है, और यहां पानी न पड़ने की वजह से सैलाइन सेडीमेंट घुल नहीं पाया जिसकी वजह से वह जमीन खेती लायक नहीं रह गई है। अगर पानी पड़ जाता तो यह सैलिनिटी घुल जाती। इसलिये इस सैलाइन वाटर से काफी नुकसान पहुंचा है। इस दिक्कत की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

वहां पर डैमेजेज बहुत हुए हैं, इलैक्ट्रिक लाइन रैस्टोर नहीं है, एक टेलीफोन एक्सचेंज 8 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारे वहां के माननीय सदस्य श्री दास कह रहे हैं कि हमारा टेलीफोन 8 किलोमीटर पर भी कनैक्ट नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को देखने से लगता है कि जितना मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है, उसमें थोड़ा और तवज्जह देने की जरूत है। इस पर अगर वह ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को काफी राहत पहुंच सकेगी।

विरोधी दल के लोगों ने कैसे घड़ियाली आंसू बहाये हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब-जब भी देश पर विपदा पड़ी है, नैचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, सबसे पहले वहां कांग्रेस के वालन्टियर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां जाकर लोगों को देखा है तथा राहत पहुंचाने की कोशिश की है। आप भले ही घड़ियाली आंसू बहा लें, लेकिन मुझे गर्व है कि कहीं पर भी अगर प्राकृतिक विपदा हो जाती है तो कांग्रेस के सिपाही और हमारी प्रधान मंत्री वहां जाकर सारी बातें देखती हैं। आप देखें, मैं इसका उदाहरण देता हूं।

एक माननीय सदस्य : इंदिरा दल है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वरूप, कृपया मुझे सम्बोधित कीजिए, मेरा तात्पर्य है अध्यक्ष पीठ को, विपक्ष को सम्बोधित मत कीजिए। कृपया मुझे सम्बोधित कीजिए।

श्री रामस्वरूप राम : वहां पर वालन्टियर्स क्या करते हैं, यह अखबारों की कटिंग से साबित होता है कि किस तरह से प्राकृतिक प्रकोप में फंसे लोगों को उन्होंने सहायता पहुंचायी लेकिन हमारे श्री बीजू पटनायक कहते हैं कि वहां सरकार सड़ा हुआ चावल दे रही है। कैसे वह वहां की सरकार को बदनाम करते हैं? उसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है :

> "लोक दल नेता श्री बीजू पटनायक के इस आरोप के सम्बन्ध में कि जो चावल बदबूदार तथा मनुष्यों के खाने लायक नहीं था वह समुद्री तूफान से

प्रभावित लोगों में बांटा जा रहा था, मंत्री ने कहा कि जो नमूना श्री बीजू पटनायक ने संवाददाता को दिखलाया वह राजगर क्षेत्रों के एक डीलर से लिया था और उस डीलर पर, जो कि लोकदल से सम्बन्धित था, इस प्रकार के सामान को बेचने के लिए मुकदमा चलाया गया था।" (**व्यवधान**)

वहां भी आप लोगों को कहीं न कहीं से एक्सप्लायट करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : विषय पर आइये। मैं चाहता था कि आप नये मुद्दे प्रस्तुत करें। यह नया मुद्दा नहीं है।

श्री रामस्वरूप राम : मैं इनकी बात कह रहा था, इन पर कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण में कोई बहस का विषय मत लाइए। तब उनको उत्तर देना पड़ेगा। आप विवादास्पद विषय को क्यों ला रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप राम : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

मैं कृषि मंत्री को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहता हूं कि वह रिलीफ मेयर्स को बहुत तेजी से लागू करें। जो रिलीफ रस्मी तौर पर वह दे रहे हैं, उसको थोड़ा बदलें और प्लानिंग कमीशन के सामने वकालत करें कि 500 रुपए से घर नहीं बनते हैं। हर परिवार को 5,000 रुपए दिये जाने चाहिए।

खेती के लायक जमीन में जो सैलाइन वाटर भर गया है, जिसकी वजह से जमीन खेती करने लायक नहीं रह गई है, अगर बरसात का पानी पड़ता तो वह सैलाइन वाटर निकल जाता और वहां पौधे उग सकते थे, लेकिन वहां की स्थिति विचित्र है। जो सलाइन वाटर खेती योग्य भूमि में भरा हुआ है, उसको साफ करने के लिए क्या सरकारी स्तर पर कोई प्लानिंग है या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : डिपुटी स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर ने जो सवाल पूछे हैं, उनमें से कुछ का जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं। माननीय सदस्य के खयाल में वक्त पर वार्निंग नहीं दी गई। मैं उनकी इत्तिला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे पहले 1 तारीख को आल-इण्डिया रेडियो और टी० वी० से खबर दी गई कि बंगाल की खाड़ी में तूफान बन रहा है और उससे साहिली इलाकों में नुकसान हो सकता है। उसके बाद भुवनेश्वर और दूसरे केन्द्रों से 2 जून को 1 बजे वार्निंग दी गई कि बहुत ज्यादा तेज बारिश का अंदेशा है। उसके बाद 2 जून को फिर सुबह $7\frac{1}{2}$ बजे यह वार्निंग भी दी गई कि 65 किलोमीटर की स्पीड पर हवा चल सकती है और यह वार्निंग 2 तारीख को रेडियो से सात बार ब्राडकास्ट की गई। 3 जून को आध-आध घंटे के वक्फे पर 26 वार्निंग्ज दी गई हैं। 4 जून को फिर दस वार्निंग्ज दी गई।

वार्निंग देने में कोई कमी नहीं रही। इसके बावजूद नुकसान हुआ। सब उपाय कर लिए गए थे, लोगों को खबरदार कर दिया गया था। लेकिन रात 12 बजे तूफान आया और हवा की स्पीड बढ़ती चली गई। जहां 220 किलोमीटर फी-घंटा की स्पीड से हवा चले और हरीकेन की स्पीड का

ऐसा जबर्दस्त आंधी-तूफान हो, वहां नुकसान की सम्भावना थी और काफी नुकसान हुआ, जिसका ब्यौरा मैं दे चुका हूं। हमारी तरफ से वार्निंग देने में कोई कमी नहीं रही।

माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल यह उठाया है कि घर के नुकसान का जो मुआवजा दिया जाता है, वह नाकाफी है। मैं राय दे चुका हूं कि वह नाकाफी है, लेकिन इस तरह का नार्म चल रहा है। सरकार इस पुराने नार्म के बारे में नये तरीके से फिर से सोचेगी। फिनांस मिनिस्टर यहां बैठे हैं। सरकार इस बारे में गौर करेगी कि इसके लिए कितनी पूंजी दी जा सकती है। लेकिन अभी इसी कायदे के मुताबिक सहायता दी जाती है। मकान को नुकसान होने पर भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए मन्जूर होते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एक मकान के लिए 500 रुपये तक बांट रही है—उस नार्म से ज्यादा दे रही है। मैं मानता हूं कि इतने रुपए से मकान नहीं बनता है और मरम्मत भी नहीं होती है। मैं इस मामले में कब बहस कर रहा हूं?

समुन्दर के खारे पानी से जमीनें खराब हो गई हैं, उन्हें ठीक करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने तजवीज की है, जिसको हमारी सेंट्रल टीम ने देखा है। उस जमीन को किस तरह उपजाऊ बनाया जा सकता है, सेंट्रल टीम की वह सिफारिफ सरकार के जेरे-गौर है। हम उसके लिए काफी रकम दे सकेंगे। स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में पहले से काफी उपाय कर रही है और पैसा खर्च कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है। राहत के काम चल रहे हैं। भारत सरकार से जो रकम मिलेगी, उसका जल्द फैसला हो जाएगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में जो तूफान आया था, उससे बहुत भयंकर क्षति हुई है, यह बात माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कही है और माननीय सदस्यों ने भी बताया है। आवश्यकता इस बात की है कि जो क्षति हुई है, उसको सही तौर पर आंका जाए। ऐसा न हो कि क्षति को कम करके आंकने की कोशिश की जाए। इससे सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता भी कम हो जाएगी। भारत सरकार ने इस बारे में सहायता देने की कोशिश की है, लेकिन जितनी सहायता वहां मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल पा रही है।

साइक्लोन की वजह से समुद्र के किनारे के गांव करीब-करीब पूरी तरह से तहस-नहस हो गए हैं, एकदम बह गए हैं और खारी पानी दूर तक खेतों में फैल गया है। इस खारी पानी, सैलाइन वाटर, से धान और दूसरी चीजों की खेती को केवल इस वर्ष ही क्षति नहीं पहुंचेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में भी उससे नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि खेतों में वह खारापन पहुंच चुका है। तो एक तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि खेतों के इस खारेपन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे वैसे इसके लिए लांग टर्म मेजर्स लेने होंगे तत्काल तो कोई काम हो नहीं सकता है लेकिन कृषि विशेषज्ञों को इस तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि खेतों का वह खारापन दूर किया जा सके नहीं तो हमेशा के लिए पैदावार कम हो जाएगी।

जहां तक इस समय सहायता की बात है उस सहायता के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर कुछ हमारे दूसरे दलों के सांसद गए थे, उन्होंने बताया है कि सहायता का जो काम चल रहा है उसमें बहुत-सी अनियमितताएं हैं, विशेष रूप से जो सहायता सरकार ने दी है उसका वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। वितरण में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हो यह रहा है कि जो

लोग इससे पीड़ित हैं उनकी एक लिस्ट बनायी जा रही है। वह लिस्ट वहां के रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लेवेल के अधिकारी बना रहे हैं। लेकिन यह सूचना मिली है, जो लोग वहां पर गए हैं उनको बताया गया है कि वह अधिकारी बगैर पैसा लिए लोगों का नाम उस लिस्ट में लिख नहीं रहा है। एक फार्म लोगों को दिया जा रहा है फिल अप करने के लिए, वह मुफ्त दिया जाना चाहिए। वहां की प्रदेश सरकार की योजना यही है कि इसे लोगों को मुफ्त दिया जाय और लोग उसमें अपना नाम, पता, पिता का नाम वगैरह भर दें। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस फार्म के लिए भी दस रुपये लिए जा रहे हैं। बगैर पैसा लिए फार्म नहीं दिया जा रहा है। फार्म का अभाव दिखाया जा रहा है और फार्म की ब्लैक मार्किटिंग हो रही है। इसलिए सरकार को तत्काल इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हमको यह पता चला है कि एक तो यह फार्म देने में ही भ्रष्टाचार चल रहा है, दूसरे, उसके बाद जो सहायता वितरित की जा रही है उसमें से 20 प्रतिशत जो सहायता बांटने वाले अधिकारी हैं वह ले रहे हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य समर मुखर्जी साहब वहां पर गए थे, उनका कहना यह है कि उनकी उपस्थिति में एक ऐडीशनल तहसीलदार उस सहायता को बांट रहा था। वहां पर एक बुढ़िया आई, उसने कहा कि हमारा नाम तो इस लिस्ट में लिखा ही नहीं है। उन्होंने जानकारी करने की कोशिश की तो नायब तहसीलदार ने कहा कि यह लिस्ट रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने बनायी है और जो लिस्ट हमें दी गई है उसी के मुताबिक हम सहायता बांट रहे हैं। उस बुढ़िया ने कहा कि हमें पता चला है कि पैसा लेकर ऐसा हो रहा है, हम भी पैसा दे रहे हैं और हमारा फार्म हमें दे दिया जाना चाहिए। इतने में वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ ने इसके विरोध में काफी आवाज उठायी। नतीजा यह हुआ कि 27 जून को इस मामले को लेकर बालासोर जिले के भद्रक सब डिवीजन में फायरिंग हुई। उन्हीं लोगों के ऊपर फायरिंग हुई जो लोग साइक्लोन से पीड़ित हैं। उसमें एक आदमी मरा भी। यह स्थिति है। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका नतीजा यह है कि वहां पर जो जनरोष है उसको दबाने के लिए पुलिस फायरिंग कर रही है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि इस वितरण व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि वह इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे क्योंकि जहां-जहां भ्रष्टाचार है, अगर जनता उसके विरोध में प्रदर्शन करेगी, आवाज उठाएगी तो कितनी जगह गोली चलाएंगे ? वैसे यह बात सही है कि सरकार ने गोली चलाकर पिछले दो-ढाई सालों के अन्दर देश के हजारों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन यह कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। गोली चलाकर देश की समस्याओं को या जनता की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। दूसरे सदस्यों ने भी कहा कि घर बनाने के लिए जो रुपया दिया जा रहा है वह पचास रुपये से 500 रुपये तक है। आज कोई भी मकान इतने पैसे से नहीं बन सकता है। एक हजार ईंट भी कोई खरीदेगा तो उसको कहीं-कहीं चार सौ, कहीं पांच सौ रुपया ईंट खरीदने के लिए देना पड़ता है। इसलिए इस सहायता को अवश्य बढ़ाया जाए। मेरी भी यह मांग है और मैं चाहता हूं कि कम-से-कम दस हजार रुपया इसके लिए दिया जाए।

एक बात रामस्वरूप राम जी कह रहे थे कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी सक्रियता से इस प्रकार के कामों में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं उनकी सूचना के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस लिस्ट को बनाने में जो धांधली हो रही है उसमें उनकी पार्टी के लोग भी शरीक हैं, उन अधिकारियों से मिलकर वह भी यह कर रहे हैं, यह भी सूचना उन लोगों ने दी है जो वहां पर गए हैं। इसलिए इस बात को रोकने के लिए भी वह लोग अपनी पार्टी के लोगों से कहें।

तीसरी बात कहना चाहता हूं कि जब सहायता देने की बात हो रही थी तो यह घोषणा की गई थी रडियो से और दूसरे माध्यमों से कि सात दिन का राशन तत्काल दे दिया जायेगा लेकिन वह राशन नहीं दिया गया। जो राशन दिया गया वह आदमी के खाने लायक नहीं था, उसमें कंकड़-पत्थर और कीड़े-मकोड़े थे। (व्यवधान) हमारे पास जो सूचना है वह हम मंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं ताकि वे इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। वहां पर बाजारों में भी राशन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भारी संख्या में लोग पीड़ित हुए हैं और उनको जितने राशन की जरूरत है वह बाजारों में उपलब्ध नहीं हो रहा हैं। जो उपलब्ध भी है वह रद्दी किस्म का है। उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठायेंगे, इसकी जानकारी वे सदन को देने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त जो तूफान आया उसमें मछुओं की नावें डूब गईं। बहुत-से मछुआरे आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं। क्या उनको नावें प्रदान कराने के लिए सरकार कोई सहायता दे रही है ? साथ ही जो स्कूल वगैरह के भवन गिर गए हैं उसके निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

साथ-ही-साथ मैं एक प्रश्न और मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। जब इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए राज्य सरकारों के पास जो धन होता है वह बहुत कम होता है। राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अधिक खर्चा नहीं कर सकती हैं और केन्द्रीय सरकार यदि पर्याप्त सहायता न दे तो राज्य सरकारें ठीक ढंग से उसका प्रबन्ध नहीं कर सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या वे इस मामले को आठवें वित्त आयोग के समक्ष रखेंगे और यह सुझाव देंगे कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाए ? साथ ही सहायता देने के जो सिद्धान्त हैं उनको और अधिक उदार बनाया जाए। क्या मंत्री जी आठवें फाइनेन्स कमीशन के समक्ष इस सवाल को रखेंगे ताकि अधिक सहायता दी जा सके और नियमों को भी अधिक उदार बनाया जा सके ?

अन्त में मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके तमाम इलाके समुद्रों के किनारे बसे हुए हैं। वहां पर भी तूफान आते हैं। क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि जब उन मुल्कों में ऐसे तूफान आते हैं तब उनकी पूर्व सूचना देने के लिए क्या तरीके अख्तियार किए जाते हैं तथा तूफान के बाद किस प्रकार से सहायता दी जाती है ? साथ ही अगर कोई नयी टेक्नीक अन्य देशों में डेवलप हुई हो तो क्या भारत सरकार उसका लाभ यहां भी उठाने का प्रयास करेगी ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बंगलादेश, वगैरह, जहां पर इस प्रकार के तूफान आते हैं उनके पास तो शायद कोई महत्वपूर्ण तकनीक न हो लेकिन अन्य विकसित देशों के

पास यदि कोई नयी तकनीक हो तो क्या उसका अध्ययन करवाकर उसका लाभ यहां पर उठाने का प्रयास किया जायेगा ?

यही चन्द प्रश्नों के उत्तर मैं मंत्री जी से चाहूंगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जितने भी ज्यादा-से-ज्यादा आधुनिक तरीके दूसरे देशों में अपनाए गए हैं उनका लाभ हम भारतवर्ष में भी उठाते हैं । इन्सैट से पता लगता है और दूसरे देशों ने जो उपग्रह छोड़ रखे हैं उनसे भी जानकारी ली जाती है । दूसरे देशों में जितने भी बड़े साइक्लोन वार्निंग सेन्टर्स हैं उनको जो जानकारी हासिल होती है उसका भी लाभ हम यहां पर उठाते हैं । सारे देशों में आपस में सम्पर्क रहता है । इसलिए इस मामले में कोई कमी नहीं है । बाकी अपने सिस्टम को जो स्ट्रेंग्थेन करने की जरूरत है उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं । अगर कहीं पर वायरलेस स्टेशन बनाने की जरूरत है या ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है तो उसकी तरफ मिनिस्ट्री पूरा ध्यान देगी और जो कुछ भी बन सकेगा हम आगे करेंगे ।

आपने भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की है कि फार्मों के लिए भी पैसा लिया जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह बुरी बात है। आपने जो कुछ भी कहा है उसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे और स्टेट गवर्नमेन्ट का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करेंगे । अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक हो, वह आप हमें बतायें, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे ।

श्री समर मुखर्जी : मैं वहां पर उपस्थित था, वहां पर फायरिंग भी हुई है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : फायरिंग जहां हुई है, उसका हम पता कर लेंगे लेकिन भ्रष्टाचार के कोई ऐसे केसेज जिनमें हम उन आदमियों को पकड़ सकें तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आपने हमें इत्तिला दी, हमने कुछ सुधार किया । 20 प्रतिशत कट कहीं होता है । यह हो सकता है कि कोई-कोई आफिसर करप्ट हो । लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे मुसीबत के मामले में स्टेट सरकार सख्ती के साथ अमल करती है और जल्दी से किसी आफिसर की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह उसमें खाएगा । अगर कहीं किसी ने ऐसा किया है, तो उससे रजिस्टेंस हुआ होगा । इस वजह से लोगों ने शिकायत की और लोग उठे तथा एजीटेशन हुआ और झगड़ा हुआ होगा । जहां रजिस्टेंस होगा, वहां झगड़ा होगा । अगर कहीं पर करप्शन है, तो लोग रजिस्ट करते हैं और वह बात छिपी नहीं रह सकती है ।

सेन्टर टीम उड़ीसा में गई, तो उन्होंने खास तौर से इस बात की तरफ तव्वजह दी थी कि स्टेट सरकार की तरफ से क्या इन्तजाम किए गए हैं और सही तौर पर पता लगाया जाए कि लोगों को नुकसान हुआ है और जो हकदार है, उसको राहत पहुंचाई जाए और गलत किस्म के आदमी कहीं पैसा न लेकर भागे । उसके लिए भारत सरकार की तरफ से थ्री-टायर सिस्टम चल रहा है, जिससे कि उनको तसल्ली हुई है । गांव का प्रधान लिस्ट तैयार करता है कि किस-किस के घर में कितना-कितना नुकसान हुआ है । उसके बाद वहां का रिवैन्यू इंस्पेक्टर उसको चैक करता है और उसकी रिपोर्ट को बीस परसेंट तक चैकिंग करके वहां का ताल्लुक तहसीलदार कलेक्टर को रिपोर्ट करता है और फिर कलेक्टर रिपोर्ट को देखता है और जब उसकी तसल्ली हो जाती है, तब वहां पर राहत का पैसा दिया जाता है । इसमें हो सकता है कि कहीं पर गलती हो जाए । इस सम्बन्ध में हम

स्टेट सरकार को भी कहेंगे और इस चीज के लिए आप साहेबान से भी दरख्वास्त करूंगा कि जो पैसा इस काम के लिए खर्च हो रहा है, वह सही तौर पर खर्च हो और हकदार को मिले। मैं इस बात पर खास ध्यान दे रहा हूं और आगे दूंगा।

फिशरमैन की बोट्स को जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी इसी तरह से पैसा दिया जा रहा है। ग्रान्ट्स दे रहे हैं। सौ रुपया दिया जाता है, जिसकी कि बोट खो गई हो, टूट गई हो या डूब गई हो।...(व्यवधान)...मकान के लिए भी जितना हो सकता है, दिया जा रहा है। वहां भी 500 रु० स्टेट सरकार दे रही है। यह बात यहां पर बराबर आ चुकी है। इसके अलावा भी राहत के काम बहुत-से हो रहे हैं। चन्द बातों का जिक्र यहां पर आया है। छः साल तक के बच्चों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है। दवाइयां वहां पहुंच गई हैं। काफी तादाद में ऐसा मैटिरियल वहां पहुंचा दिया गया है, जिसकी कि वहां पर जरूरत थी। 1500 टन स्पेशल तौर पर लैवी सीमेंट भेजा है और 1500 टन कैरोसिन आयल भेजा है और 50000 टन लैवी सीमेंट यहां पर से सप्लाई किया गया है, राहत के काम के लिए। इस तरीके से बेशुमार सीमेंट भी भेजा जा रहा है। जी० सी० आई० और ए० सी० शीट्स सप्लाई की गई है। सैलाइन वाटर से जो नुकसान हुआ उसके अमेंडमेंट के लिए मैंने पहले ही जिक्र किया कि अभी से सब कुछ किया जा रहा है। पानी खड़ा रहेगा, तो उससे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जहां से पानी निकल सकता है, स्टेट सरकार पम्प करके उसको निकालने की कोशिश कर रही है। जहां जमीन खराब हो गई है, वहां सैलाइन मैटीरियल का इस्तेमाल करके उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। इन सब चीजों की तरफ हमारी पूरी-पूरी तवज्जह है, मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इस बात से इत्तिफाक करेगा कि भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती और राहत पहुंचाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है।

सदस्य द्वारा त्याग पत्र

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि हरियाणा के सोनीपत चुनाव क्षेत्र से चुने गये सदस्य श्री देवी लाल से लोक सभा सचिवालय में 31 मई, 1982 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा की सीट से त्याग पत्र दिया है। अध्यक्ष महोदय ने 31 मई, 1982 को उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्रियों द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य।

श्री प्रणब मुखर्जी।

राज्यों द्वारा अधिविकर्षों (ओवर ड्राफ्टों) के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी : जैसा कि सदन को विदित ही है राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने का मामला अब कुछ समय से चिन्ता का विषय बना हुआ है। 14 मार्च, 1982 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में मैंने ओवरड्राफ्टों की इस समस्या पर चिन्ता व्यक्त की थी और राज्यों को सचेत किया था कि उनके ओवरड्राफ्ट इतने अधिक हो

गये हैं कि इस समस्या को अब और अधिक समय तक नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता इसलिए मैंने कहा कि वित्तीय अनुशासन लागू करना मेरे लिए दुखद और अरुचिकर कर्तव्य बन सकता है। दुर्भाग्यवश इस चेतावनी के बावजूद ओवरड्राफ्टों में कोई कमी नहीं आई।

राज्य सरकारों द्वारा ओवरड्राफ्ट लिये जाने की प्रथा को कम करने की दृष्टि से योजना आयोग और मेरा मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ लगातार बात-चीत करते रहे हैं। वार्षिक योजना 1982-83 के सम्बन्ध में आयोजनागत विचार-विमर्शों के दौरान यह निर्धारित किया गया था कि जो 20 राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन रखते हैं उनमें से 11 राज्यों के लिए वर्ष 1981-82 के अन्त में घाटे की स्थिति रहेगी किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त 1981-82 के लिए वर्ष के अन्त के घाटे के आंकड़ों से यह देखने में आया कि इन 11 राज्यों में से अधिकांश के मामले में स्वीकृत सीमा से ऊपर घाटे की स्थिति रही थी और इस आश्वासन के बावजूद कि वर्ष के अन्त में कोई घाटे की स्थिति नहीं होगी 7 अन्य राज्यों के मामले में भी घाटे की स्थिति रही इसलिए यह महसूस किया गया है कि जब तक इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय नहीं किये जायेंगे तब तक इसके परिणामस्वरूप अत्यन्त स्थितिकारी स्थिति उत्पन्न होगी।

जैसा कि सदन को पता ही है ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना 1972 में लागू की गई थी जिसमें 1978 में थोड़ा-सा संशोधन किया गया था। यह आशा रखते हुए कि राज्य अपने आप को सुधार लेंगे भारत सरकार ने इस योजना को अभी तक कड़ाई से लागू नहीं किया है। सुधार का कोई संकेत न मिलने की स्थिति में केन्द्र ने इसके बाद ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है।

तथापि, भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि राज्य सरकारों से यह अपेक्षा करना अवास्तविक होगा कि वे अपने ओवरड्राफ्टों को रातों-रात समाप्त कर दें और इस प्रवृत्ति को केन्द्र से सहायता के किसी बड़े उपाय के बिना सहसा उलटा दें। इसलिए योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके भारत सरकार ने कुछ उपायों के बारे में फैसला किया है ताकि राज्य 1 जुलाई, 1982 से कोरे खाते से शुरुआत कर सकें। यह उपाय इस प्रकार हैं :

(i) 1981-82 के अन्त में राज्यों के अन्तिम घाटों को निपटाने के लिए कुल मिलाकर 1743.46 करोड़ रुपये के सावधि ऋणों की मंजूरी विशेष वर्ग के राज्यों के लिए (अर्थात् असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, और त्रिपुरा, जम्मू तथा काश्मीर और सिक्किम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेनदेन नहीं रखते) यह ऋण 10 वर्ष की अवधि के लिए होंगे और दूसरे राज्यों के लिए यह ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए होंगे जिसमें मूलधन और ब्याज की वापस अदायगी पर एक साल का विलम्बन शामिल नहीं होगा अर्थात् ब्याज सहित ऋण 1984-85 से आगे वापसी अदायगी योग्य होंगे।

(ii) 1 अप्रैल, 1982 और 30 जून, 1982 के बीच राज्यों के लिए जो कोई अतिरिक्त घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई हो उसके निपटान के लिए केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से, राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तथा जहां कहीं आवश्यक हो अर्थोपाय अग्रिम की पेशगी

अदायगी के रूप में अल्पकालिक सहायता किन्तु यह सभी रकमें वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान समायोजित की जाएंगी।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्यों की जो अर्थोपाय सीमाएं हैं उनको 1 जुलाई, 1982 से दो गुना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यवाही ताकि उनकी प्राप्तियों और व्यय में अस्थायी असन्तुलन को दूर करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक गुंजाइश की व्यवस्था की जा सके।

यदि 1 जुलाई, 1982 से इस व्यवस्था के प्रभाव में आने के बाद भी कोई राज्य ओवर-ड्राफ्ट विनियमन योजना के उल्लंघन में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ फिर भी किसी अनधिकृत ओवरड्राफ्ट में आ जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा कि वह उसके चैकों और बिलों की राज्य सरकार को अदायगियां बन्द कर दे जैसा कि इससे पहले मई, 1974 में दो अवसरों पर करना पड़ा था।

चूंकि इन व्यवस्थाओं के बारे में केवल हाल ही में फैसला किया गया था इसलिए 1982-83 के बजट में राज्यों को सावधि ऋणों की मंजूरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं शीघ्र ही अलग से इस प्रयोजन के लिए अनुदानों के लिए पूरक मांगों के लिए इस सदन से अनुरोध करूंगा किन्तु साथ ही मैं सदन को यह भी आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि यद्यपि इससे केन्द्र का बजट संबंधी घाटा बढ़ जायेगा लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्यों का यह घाटा अर्थव्यवस्था में पहले ही खप चुका है।

ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना जो अब लागू है वह संक्षिप्त में इस प्रकार है :

(क) यदि किसी राज्य सरकार पर 45 दिन से अधिक समय तक भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण है, भले ही वह अर्थोपाय अग्रिम की सीमा में हो, तो इस असन्तुलन को ठीक करने के लिए सबसे पहले इस स्थिति के बारे में अधिकारी स्तर पर राज्य सरकार के साथ चर्चा की जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो मुख्य मंत्री के स्तर पर की जायेगी ताकि यथा अपेक्षित सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(ख) ज्यों ही किसी राज्य सरकार ने 75% अधिकृत अर्थोपाय सीमा का लाभ प्राप्त कर लिया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को सचेत करेगा और यदि इस प्रकार के सचेतन के बावजूद राज्य सरकार का खाता 7 से अधिक कार्य दिवसों के लिए ओवरड्राफ्ट में रहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक स्वत: ही राज्य सरकार की अदायगियों को निलम्बित कर देगा जिनको तब तक फिर से चालू नहीं किया जायेगा जब तक ओवरड्राफ्ट समाप्त नहीं हो जाते।

चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक पर राज्यों के ओवरड्राफ्टों को आवश्यक रूप से जून के अन्त तक समाप्त किया जाना था इसलिए इस व्यवस्था के बारे में सरकार के निर्णय की घोषणा 1 जुलाई, 1982 को कर दी गई थी। राज्यों में अत्यावश्यक वित्तीय अनुशासन लाने के लिए सरकार ने इस अवसर को प्रयोग में लाने का निर्णय किया है।

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के बारे में चर्चा का उत्तर देते हुए दी गई सूचना में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैंने निर्माण उद्योग के श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा योजना, 1948 की प्रयोज्यता सम्बन्धी कतिपय तथ्यों के बारे में 26 फरवरी, 1982 को श्री एम० एम० लारेंस द्वारा रखे गए गैर-सरकारी सदस्य प्रस्ताव का उत्तर देते हुए सदन के समक्ष सूचना प्रस्तुत की थी। तथ्यों की पुन: जांच करने पर, मैंने यह पाया कि मेरे वक्तव्य में कुछ वास्तविक त्रुटियां हुई हैं। अत: मैं यथाशीघ्र अवसर मिलने पर सदन के ध्यान में यथार्थ स्थिति ला रहा हूं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के उपबंधों का 31 अक्तूबर, 1980 से निर्माण उद्योग में विस्तारण किया गया। मैंने पहले अपने वक्तव्य में यह कहा था कि निर्माण श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लाभ तब प्राप्त करता है, जबकि वह दो वर्ष से अधिक समय से कार्यस्थल पर कार्य कर रहा हो। मुझे माननीय सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार की अधिसूचना सा० का० नि० 130, तारीख 31 जनवरी, 1981 द्वारा किए गए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के पैरा 6 के नवीनतम संशोधन के अनुसार, ऐसे कारखाने / प्रतिष्ठान, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू होती है, में या उसके कार्य के संबंध में नियोजित प्रत्येक ऐसा कर्मचारी, जो 1600 रुपये प्रतिमास तक मजदूरी पाता है, उस मास के बाद के मास के शुरू से निधि का सदस्य बनने का हकदार होगा और उसे निधि का सदस्य बनना होगा, जिसमें ऐसे कारखाने/ प्रतिष्ठान में उक्त पैरा लागू होता है, यदि उस तारीख को उसने उसी नियोजक के अधीन उस कारखाने/ प्रतिष्ठान में या आंशिक रूप से प्रतिष्ठान में और आंशिक रूप से दूसरे प्रतिष्ठान में तीन मास की लगातार सेवा पूरी की हो या तीन मास या कम की अवधि में कम से कम 60 दिन तक वास्तव में काम किया हो या ऐसे किसी कारखाने/प्रतिष्ठान में स्थायी घोषित हो चुका हो जो भी पहले हो।

मैंने अपने पहले के वक्तव्य में यह भी कहा था कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध निर्माण श्रमिकों पर लागू हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में यह व्यवस्था है कि समुचत सरकार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से धारा 1 (5) के अधीन अधिनियम के उपबंधों का किसी उद्योग में विस्तार कर सकती है। राज्य सरकार इस मामले में समुचित सरकार है। गुजरा सरकार और दिल्ली राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त की है। उन्हें भवन और निर्माण उद्योग में धारा 1 (5) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के उपबन्धों का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी करनी है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम भवन और निर्माण उद्योग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार के लिए गुजरात सरकार और दिल्ली प्रशासन तथा अन्य राज्य सरकारों के साथ यथोचित कार्यवाही कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों को जो असुविधा हुई है उसके लिए मुझे हार्दिक खेद है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पुलिस आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों की सिफारिशों की क्रियान्विति

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भारत सरकार का ध्यान पुलिस कमीशन, जो 15 नवम्बर, 1977 को मुकर्रर किया गया था, की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस पुलिस कमीशन के टर्म आफ रिफ्रेन्स में करीब-करीब पुलिस से मुताल्लिक तमाम मामलात आ गये थे और इसी वजह से इसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा थी। पुलिस के महकमे में जो खराबियां हैं और पुलिस के लोगों की जो परेशानियां हैं, उनको देखते हुए हमें उम्मीद थी कि पुलिस कमीशन की रिपोर्टों पर फौरन अमली कदम उठाया जायेगा क्योंकि पुलिस की हौसलापरस्ती तसल्लीबख्श न होने की वजह से ही अवाम के यकीन पर भी असर पड़ा है, जिस को खुद पुलिस कमीशन की पहली रिपोर्ट, जो सरकार को 7 फरवरी, 1979 को पेश की गई थी, ने भी कबूल किया है। पुलिस कमीशन ने अपनी बाकी सात रिपोर्टें भी हुकूमत को पेश कर दीं जिनमें पुलिस की परेशानियों को दूर करने और अवाम में पुलिस के लिए एतमाद बहाल करने के लिए बहुत-सी सिफारिशात की हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि पुलिस कमीशन की रिपोर्टों पर जल्द-से-जल्द अमल कराया जाए ताकि मुल्क में बढ़ रही ला-कानूनियत पर काबू पाया जा सके और पुलिस की जायज शिकायत को दूर किया जा सके।

(दो) प्राचीन स्मारकों के रखरखाव के लिए पृथक मंत्रालय बनाने और एक निश्चित नीति अपनाने की आवश्यकता

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : मैं भारत सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के बारे में दिलाना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति एवं भारत को, एक समय यहां के धार्मिक केन्द्रों, तीर्थों तथा चमत्कारिक आकाशीय शक्तियों से सम्पन्न मंदिरों के कारण जाना जाता था। आज हमारे तीर्थों, धार्मिक केन्द्रों एवं अन्य सांस्कृतिक धरोहरों का भविष्य खतरे में दिखाई देता है। वैज्ञानिक-औद्योगिक प्रगति ने हमारे मस्तिष्क पर कुछ ऐसा प्रभाव जमाया है कि हम उन धार्मिक धरोहरों को सहेज रख सकने में अक्षम साबित होने लगे हैं जिससे देश को एक विशिष्ट पहचान, एक विरासत मिली है।

हमारा देश इन सांस्कृतिक धरोहरों से परिपूर्ण है। चारों तीर्थ धामों के अलावा महाराज की नगरी उज्जैन, हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, मथुरा-वृन्दावन, सुदूर दक्षिण के मंदिर, राजस्थान की गाथा गाते हुए बहुत से पुराने किले ये सब हमारी संस्कृति का माथा आज भी ऊंचा उठाये हुए हैं। लेकिन खेद का विषय है कि हम इन राष्ट्रीय धरोहरों की लगभग उपेक्षा कर रहे हैं। इनके रख-रखाव एवं समुचित मरम्मत आदि की स्पष्ट एवं दृढ़ व्यवस्था नहीं है।

हमारे देश के आर्थिक, औद्योगिक विकास के लिये कितने ही आवश्यक कदम उठाये गये हैं। विभिन्न मंत्रालय भारत सरकार में इस बारे में हैं और ये आवश्यक भी हैं। इसी तरह से ही हम आज देश को इस तरह उन्नत कर सके हैं और कर रहे हैं।

मेरा यह अभिन्न मत है और सुदृढ़ विचार है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के

लिए हमें एक लम्बी अवधि की नीति बनानी पड़ेगी। यथासमय किये हुए कार्य काफी नहीं हैं। ये कार्य तभी हो सकते हैं जब एक अलग से मंत्रालय इस कार्य की देखभाल करे।

मैंने एक मामला पिछले सत्र में माता वैष्णो देवी के यात्रियों की सुविधा के लिये उठाया था। भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने मुझे ये उत्तर दिया कि उन्होंने यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया है। कितनी आश्चर्य की बात है हजारों-लाखों लोगों की सुविधा का सवाल राज्य सरकार से उठाया गया है कह कर टाल दिया गया।

इन सब बातों से मेरी यह धारणा बिल्कुल पक्की हो गई है कि इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कदम उठाने बहुत आवश्यक हैं और यह कार्य एक अलग मंत्रालय ही कर सकता है।

(तीन) नदियों के जल और वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मैं सम्बन्धित मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं। पर्यावरण प्रदूषण—नदियों के पानी के या समुद्र के किनारों पर नदियों के मुहानों के या वायु के प्रदूषण—से गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। नदियों के किनारों पर लगे उद्योगों द्वारा उद्योगों की गन्दगी तथा दूसरी गन्दगियां नदियों में बहा दी जाती हैं। उसी प्रकार से बड़े-बड़े शहरों की गन्दगी पास के दरियाओं में बहा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की अधिकांश अनुपचारित घरेलू गन्दगियां यमुना में बहा दी जाती हैं, कलकत्ता की हुगली में, मद्रास की कूडयम नदी में। यही हाल दूसरे राज्यों आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, गुजरात तथा राजस्थान की नदियों का है।

वाराणसी के पास पवित्र गंगा का पानी बहुत अधिक दूषित बताया जाता है। इस बात से सागर तट भी मुक्त नहीं है। ऐसा अनुमान है कि बम्बई में महीम क्रीक तट पर प्रतिदिन कई लाख लिटर औद्योगिक गन्दगी के अतिरिक्त लगभग 3000 लिटर घरेलू अनुपचारित गन्दगी प्रतिदिन पड़ती है। पानी में इस प्रकार के प्रवाहों से पारे का संदूषण हो जाता है और इस संदूषण में रह रही मछलियां इस प्रकार के संदूषण से प्रभावित होती हैं।

नदियों के पानी के अतिरिक्त बहुत-से स्थानों पर भूमि क्षेत्र भी इस प्रकार के संदूषण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि औद्योगिक गन्दगियां बिना किसी संरक्षण के खुली छोड़ दी जाती हैं।

फिलहाल भारत में केवल लगभग 3000 शहरों व मुख्य कस्बों में ही उचित जल-मल निकासी सुविधायें उपलब्ध हैं, और बाकी कस्बों के लोगों को हमेशा विषाक्त गन्दगियों से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है।

उद्योगों की वृद्धि के साथ-साथ हमारे शहरों तथा बड़े कस्बों में वायुप्रदूषण भी होता रहता है जो कि उद्योगों व चलती हुई मोटर गाड़ियों द्वारा छोड़े गए विषाक्त प्रदूषणकारी तत्वों से होता है। हाल ही में दिल्ली में वजीरपुर क्षेत्र में औद्योगिक गन्दगियों से अत्यधिक संदूषण होने तथा हैदराबाद में न्यूक्लियर फ्यूएल काम्पलैक्स के आस-पास की जगहों में उससे निकलने वाले गन्दे पदार्थों से बहुत अधिक प्रदूषण होने के समाचार मिले हैं। ऐसे ही समाचार इस बारे में मिले हैं कि बंगलौर स्थित

'ग्रेफाइट इन्डिया लिमिटेड' के कारखाने से निकलने वाली काली ग्रेफाइट की धूल कई किलोमीटर तक फैली हुई वायु का प्रदूषण करती है।

यह एक राष्ट्रीय समस्या है तथा इसको तुरन्त सुलझाने की आवश्यकता है। जिन राज्यों ने अब तक 'जल प्रदूषण' (निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम को नहीं अपनाया उनको इसे अपनाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण तथा पानी के प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण तथा इसमें कमी के लिए केन्द्र तथा राज्यों को संयुक्त प्रयत्न करने चाहिए। जिन मुख्य कस्बों में ये सुविधाएं नही हैं वहां पर सीवेज सुविधायें प्रदान करने के लिए योजनायें बनाई जानी चाहिएं तथा तुरन्त क्रियान्वित की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अध्यादेश अथवा कानून को अपनाया जा सकता है।

(चार) उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों की बिगड़ती आर्थिक दशा

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश में बुनकर इस समय गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। गरीब बुनकरों के माल की बिक्री नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ बैंकों से वर्षों पहले लिए गए कर्जों की वसूली काफी तेज हो गई है।

गरीब बुनकरों की जीविका का प्रमुख साधन जनता धोती "साड़ी" बनाना था जिसे उत्तर-प्रदेश हैंडलूम कारपोरेशन खरीदता रहा है। इस समय उत्तरप्रदेश हैंडलूम कारपोरेशन ने जनता धोती "साड़ी" की खरीद प्राय: बन्द कर दी है इससे लाखों की संख्या में बुनकरों के करघे बन्द हो गए हैं। पिछले दिनों मैंने गाजीपुर और आजमगढ़ में बुनकर आबादियों का दौरा किया था। वहां आजम-गढ़ के मऊ, कोपागंज तथा गाजीपुर के बहादुरगंज और जंगीपुर में बुनकरों ने काफी संख्या में मुझे बताया था कि हैंडलूम कारपोरेशन के खरीद सेंटर बन्द पड़े हैं। इसके अलावा 3-4 महीने से बुनकरों का पैसा हैंडलूम कारपोरेशन द्वारा बुनकरों को नहीं दिया गया है। यही दशा प्राय: उत्तरप्रदेश में सभी स्थानों की है। यदि शीघ्रातिशीघ्र उत्तरप्रदेश हैंडलूम कारपोरेशन बड़ी संख्या में बुनकरों द्वारा तैयार जनता धोती "साड़ी" की खरीद नहीं करता तो बुनकर भुखमरी के कगार पर खड़े हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश हैंडलूम कारपोरेशन की यह भी आम शिकायत है कि वह गरीब बुनकरों से जनता धोती "साड़ी" की खरीद न करके बिचौलियों से थोक में खरीद करता है। एक-एक आदमी से 4-4, 5-5, 6-6 हजार धोती साड़ियां खरीदी जाती हैं और दूसरी तरफ करघे के पीछे काम करने वाला बुनकर तैयार साड़ियों की बिक्री के लिए मारा-मारा फिरता है।

कुछ वर्षों पहले बुनकरों ने बैंकों से कर्जे ले रखे थे। बुनकरों को अपना काम शुरू करने में जितने कर्जे की आवश्यकता थी, उससे केवल 1/3 पूंजी कर्जे के रूप में दी गई थी। इन कर्जों को लेने के लिए भी बुनकरों को अवैध रुपए खर्च करने पड़े थे। नतीजा यह हुआ कि इस कर्जे से वे कोई काम शुरू नहीं कर सके और कर्जे अदा नहीं हुए। इस समय बड़ी संख्या में बुनकरों पर कर्जे का बोझ चढ़ा हुआ है। इनमें से अधिकतर बुनकर बैंकों का कर्जा चुकाने में सर्वदा असमर्थ हैं। सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे बुनकरों को इन कर्जों से मुक्ति मिल सके और वे फिर से अपने पैरों पर खड़े किए जा सकें।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्रातिशीघ्र उत्तर प्रदेश के बुनकरों की गिरती आर्थिक दशा की तरफ ध्यान दे और ऐसी कार्यवाही करे जिससे उनके तैयार माल की खरीद की व्यापक व्यवस्था हो तथा उन्हें कर्जों से मुक्ति दिलाने का कोई रास्ता निकल सके।

(पांच) बिहार में आटा मिलों को गेहूं का कम कोटा दिये जाने के कारण उनके बन्द होने का समाचार

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : देश के सभी राज्यों में बड़ी चक्कियां तथा रोलर फ्लोर मिल्स के द्वारा जन वितरण हेतु गेहूं पीसने के लिए केन्द्र सरकार मासिक गेहूं आवंटित करती रही है। अप्रैल 1982 में भारत सरकार ने बिहार की 22 बड़ी चक्कियों को 2610 मी० टन तथा 20 रोलर फ्लोर मिलों को 16390 मी० टन गेहूं आवंटित किया। मई 1982 से केन्द्र सरकार ने बड़ी चक्कियों के कोटे काट कर केवल बड़ी मिलों के लिए गेहूं आवंटित किया। इससे 28 बड़ी चक्कियां बन्द हो गई हैं। ये सभी बड़ी चक्कियां लघु उद्योग के अन्तर्गत निबंधित हैं और इन चक्कियों में कार्यरत सैकड़ों लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की जनता फ्लोर मिलों का आटा व्यवहार में कम से कम पसन्द करती है क्योंकि उससे अच्छा बड़ी चक्कियों का आटा स्वास्थ्यवर्द्धक समझती है। छोटा नागपुर का क्षेत्र इस वर्ष अकाल से पीड़ित है। इन चक्कियों से सैंकड़ों मजदूरों को रोजी-रोटी मिलती थी। वे बन्द हो गई हैं। बिजली की मिनिमम गारंटी एवं बैंक ऋण जमा तथा अनावश्यक सूदखोरी इन छोटे उद्योगों पर वज्राघात के समान है।

अस्तु, श्रीमन् कृषि एवं आपूर्ति मंत्री से आग्रह है कि अन्य राज्यों की तरह तुरन्त बिहार की बड़ी चक्कियों को 3226 मी० टन मासिक गेहूं का कोटा चालू किया जाए और सौतेला व्यवहार बिहार के इन लघु उद्यमियों के साथ नहीं किया जाए।

(छः) बिहार के चावल और गेहूं के कोटे में कथित कमी

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वर्षा नहीं होने के कारण सम्पूर्ण बिहार तपती धूप और भीषण गर्मी में जल रहा है। आर्द्रा नक्षत्र की वर्षा में किसान धान का बीज खेतों में डालते थे। परन्तु उसके फेल हो जाने से किसानों में सर्वत्र कुहराम है। जिन इलाकों में नहरें हैं, उनमें भी पानी नहीं रहने से स्थिति और भी खराब हो गई है। उधर नहर विभाग के अधिकारी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। नलकूपों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जो कुछ नलकूप ठीक हैं भी उनसे काम नहीं चल पा रहा है।

ऐसी स्थिति में थोक और खुदरा दोनों मूल्यों में वृद्धि हो रही है। गल्ला चोर और मुनाफाखोर जनता को लूटने की ताक में लगे हुए हैं। बिहार में खाद्यान्न की स्थिति गम्भीर बनती जा रही है।

बिहार में राशन की दूकानों में गल्ला सप्लाई करने के लिए भारत सरकार प्रत्येक माह पचास हजार टन चावल और चौबीस हजार टन गेहूं देती थी जो वहां की आवश्यकता को देखते हुए कम था। परन्तु आश्चर्य और दुख की बात है कि भारत सरकार ने उसमें भी कटौती कर दी है। चावल का कोटा पचास हजार टन से बीस हजार टन और गेहूं का कोटा चौबीस हजार टन से बीस हजार टन प्रतिमाह कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि सरकार आम उपभोक्ताओं को संकट

की इस घड़ी में मुनाफाखोरों और गल्लाचारों के रहमोकरम पर छोड़ देना चाहती है। इसका परिणाम स्पष्ट है। न मालूम कितने लोग भूखों मर जाएंगे क्योंकि उन्हें राशन की दूकानों से खाद्यान्न मिलेगा नहीं और क्रय शक्ति में ह्रास होने के कारण बाजारों से वह आवश्यक सामग्री खरीद नहीं सकेंगे।

बिहार सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने भारत सरकार की खद्यान्न कटौती की इस नीति का विरोध कर बिहार की करोड़ों जनता की आवाज को बुलन्द किया है।

मेरा भारत सरकार के कृषि मंत्री से अनुरोध होगा कि वह बिहार को मिलने वाले पचास हजार टन चावल और चौबीस हजार टन गेहूं के कोटे में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करें। मेरा यह भी अनुरोध होगा कि वह बिहार की वर्तमान गम्भीर स्थिति को देखते हुए उसके कोटे में और वृद्धि करें ताकि कोई भूख से नहीं मरने पाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते। प्रो०, आपके द्वारा यह पढ़े जाने के बाद मंत्री महोदय इसका उत्तर देने के लिए सहमत हो गए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, यह बहुत अच्छा समाचार है। इससे हमें···

उपाध्यक्ष महोदय : वह आए थे और उन्होंने मुझे यह बताया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उनकी बड़ी कृपा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इस तरह की बातों का स्वागत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विशेषकर उस समय जब आप बहुत कठोर बातें कह रहे हैं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने उस व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

(सात) राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार श्री एच० आर० खन्ना के टेलीफोन का कथित अन्तःक्षेप

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह समाचार प्राप्त हुआ है कि जब से न्यायमूर्ति श्री खन्ना का नाम 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विरोधी उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किया गया है तब से उनका टेलीफोन चोरी-छिपे सुना जा रहा है। यह भी पता चला है कि श्री खन्ना का टेलीफोन दिन में कम-से-कम तीन घंटे खराब रहता है, तथा एस० टी० डी० में भी व्यवधान डाला जा रहा है।

इससे राष्ट्रपति के चुनाव के अभियान में सरकार के हस्तक्षेप तथा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में अतिक्रमण का पता चलता है।

संचार मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए तथा उन्हें सदन को आश्वासन देना चाहिए कि सरकार राष्ट्रपति के निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : हमारे टेलीफोन के बारे में क्या विचार है? **(व्यवधान)**

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : महोदय, सामान्यतः यदि मुझसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कोई टेलीफोन विशेष टेप किया जाता है अथवा नहीं, तो मैं न तो इसकी पुष्टि करूंगा और न ही खंडन। सामान्यता मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन इस विशेष मामले को मैं अपवाद के रूप में लेते हुए सदन को स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं।

जब यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो मैंने तुरन्त निर्देश दिए कि स्थिति का पता लगाया जाये कि क्या उनका टेलीफोन टेप किया गया है। और इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि यदि मैं किसी टेलीफोन विशेष को टेप करता हूं, तो मैं निर्धारित अधिकारी के आदेश के अंतर्गत ही ऐसा करता हू और वह आदेश लिखित होता है तथा उसमें इसके कारण दिए होते हैं। और केवल तभी ही टेलीफोन टेप किया जा सकता है। इस मामले में, कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया तथा टेलीफोन को बिल्कुल टेप नहीं किया गया।

मैंने 198 नम्बर पर की गई शिकायतों को देखकर यह भी जानना चाहा कि क्या यह टेलीफोन खराब हुआ था। उनकी राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में घोषणा किए जाने के बाद हमें 198 पर केवल 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं—एक दो तारीख को और दूसरी 3 तारीख को। 2 तारीख की शिकायत में, यह पता चला कि उसमें कोई खराबी नहीं थी। 3 तारीख को की गई शिकायत पर, जो हमें शाम को की गई, यह पाया गया कि वितरण स्थल पर तार अपनी जगह से थोड़ी-सी हिल गई थी। उसे अगले दिन सुबह ठीक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उनके टेलीफोन की खराबी के बारे में हमारे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। मुझे उच्चाधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि यह टेलीफोन एकदम ठीक काम करता रहा है और उसमें कोई व्यवधान नहीं है। टेलीफोन को चोरी-छिपे सुने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। टेलीफोन केवल विशेष आदेश मिलने पर टेप किया जा सकता है और इस तरह की कोई बात नहीं हुई है।

मैं सदन को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल श्री खन्ना के उम्मीदवार बनने मात्र से ही उन्हें कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं मिल गया है कि उनके टेलीफोन को विशेष रूप से टेप किए जाने पर हमारा विशेष तौर पर ध्यान जाये। (**व्यवधान**) मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कृपया इस तथ्य पर ध्यान दीजिए कि मंत्री महोदय ने कहा है कि श्री खन्ना को विशेष महत्व नहीं मिल गया है जिससे कि उनके टेलिफोन को विशेष रूप से टेप किया जाये। क्या वह हमें बतायेंगे कि माननीय मंत्री द्वारा टेलिफोन टेप करने के लिए क्या विशेष महत्व प्राप्त होने की आवश्यकता है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : महत्व सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। और यह एकदम महत्त्वहीन भी हो सकता है। जहां तक इसका सम्बन्ध है, इसका कोई महत्त्व नहीं है— न सकारात्मक और न ही नकारात्मक (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : (जादवपुर) : यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। विशेष टेपिंग से क्या अभिप्राय है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : हर टेपिंग विशेष होती है। मैंने उस अर्थ में कहा था। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है।

(आठ) अकाल राहत कार्यों के लिए राजस्थान सरकार को अधिक तथा तुरन्त सहायता देने की आवश्यकता

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : मान्यवर, राजस्थान प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति से हालात अब बदतर हो गए हैं। गांवों में मनुष्यों के लिए धान व पशुओं के लिए चारे की भयंकर कभी बनी हुई है। पशुओं को बचाना अब मुश्किल हो गया है। मानसून के अभी तक नहीं आने से एवं साधारण से कम वर्षा होने की मौसम विभाग की भविष्यवाणियों से राज्य के लोगों में चिन्ता फैल गई है। अकाल राहत कार्यों के कारण लोगों को थोड़ी मजदूरी मिल पायी है परन्तु राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मजदूरी पर लगने के इच्छुक सभी मजदूरों को अकाल राहत के कार्यों पर नहीं लगाया जा सका है। कई अकाल राहत शिविरों को अभी से बन्द किया जा रहा है जिसके कारण गांव में बैठे किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग के लोग अपनी आजीविका चलाने में असहाय हो गए हैं। इसका कारण एक यह भी है कि पिछले चार वर्षों से लगातार सूखे से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि गांव का साहूकार व व्यापारी उनको नगद या सामग्री के रूप में उधार देने से कतराने लगे हैं, क्योंकि उनकी निकट भविष्य में वसूली की कोई उम्मीद नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अकाल के मद में आवंटित धनराशि से राज्य सरकार ने लाखों मजदूरों को समय पर रोजगार देकर भूख से मरने से तो बचाने में सफलता प्राप्त की है लेकिन समय पर मानसून नहीं आने से अभी लम्बे समय तक अकाल राहत शिविरों को चलाने की आवश्यकता पड़ गई है। क्योंकि मानसून के आजाने के बावजूद भी अविलम्ब खेतिहर व भूमिहीन मजदूरों को रोजगार नहीं मिल सकेगा, जिसके कारण उन्हें अकाल राहत कार्यों के आधार पर ही रोजगार देना आवश्यक है।

मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि राज्य सरकार को अकाल कार्यों के लिए अविलम्ब और अधिक राशि उपलब्ध करायें एवं राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि जब तक कोई मजदूर काम में आना चाहे उन्हें मजदूरी पर लगाया जाना चाहिए। मानसून के आने तक एक भी अकाल राहत शिविर बन्द नहीं करें।

(नौ) राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों का मतदान का अधिकार देने हेतु संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री एडुआर्डो फैलीरी (मारमागाओ) : 12 जुलाई, 1982 को, राष्ट्र इस गणतंत्र के राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। यद्यपि गोआ, दमन और दीव, पांडिचेरी, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य-क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन अन्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की भांति ही किया जाता है, फिर भी वे निर्वाचक-मंडल के सदस्य नहीं माने जायेंगे तथा उन्हें इस महत्वपूर्ण चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा। उन संघ राज्य क्षेत्रों की

विधान सभाओं के सदस्यों को इस चुनाव में मतदान करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 54 में यह अधिकार केवल संसद सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं को प्रदान किया गया है। यह प्रावधान उस समय किया गया था जब संघ राज्य-क्षेत्रों की अपनी विधान सभाएं नहीं थीं। वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रावधान संघ राज्य-क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए आपत्तिजनक, असंगत तथा अनुचित भेदभावपूर्ण है और वास्तव में उन राज्य-क्षेत्रों के लोगों के विरुद्ध है जो राष्ट्रपति चुनने के लोकतंत्रीय अधिकार से वंचित रह गए हैं। वास्तव में राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है जो लोकतांत्रिक प्रणाली में देश की एकता तथा वचनबद्धता का प्रतीक है। अतः, मैं सरकार से इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून प्रस्तुत करने का निवेदन करता हूं जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 54 में संशोधन किया जाए और संघ राज्य-क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इस अधिकार से और अधिक समय तक वंचित न रहना पड़े।

(दस) उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों, विशेषकर सहकारी चीनी मिलों तथा राज्य सरकार द्वारा अपने प्रबन्ध में चलाई जाने वाली मिलों ने फरवरी, 82 के पश्चात् गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक नहीं किया है, जिससे गन्ना उत्पादकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। एक ओर तो गन्ना कृषकों को करोड़ों रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, दूसरी ओर विभिन्न ऋण-दात्री समितियों, भूमि विकास बैंक, राजस्व अधिकारियों, क्षेत्र विकास समितियों आदि द्वारा कुर्की, नीलाम की कार्यवाही की जाकर कृषकों से जबरन ऋण वसूली की जा रही है जिससे कृषकों में अत्यन्त भय व असंतोष व्याप्त हो गया है।

खलिहान से गेहूं उठाने से पहले ही वर्षा के कारण गेहूं पहले ही खराब हो चुका था, अब भयंकर सूखे की स्थिति के कारण कृषक की आर्थिक अवस्था शोचनीय हो गई है और वह किंकर्तव्य-विमूढ़ की स्थिति में आ गया है। चीनी के अधिक उत्पादन के पश्चात् भी गन्ना कृषक को उसके गन्ने का मूल्य न मिलना सरकार की असफलता का द्योतक है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत ब्याज व हरजाना समेत गन्ने का मूल्य कृषकों को तुरन्त दिलाने की व्यवस्था करे।

नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि मृत व्यक्तियों के नेत्रों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1980 इस सदन में 1 दिसम्बर, 1980 को प्रस्तुत किया गया था तथा इसे बम्बई कार्निअल ग्राफ्टिंग अधिनियम, 1957 का स्थान लेना है, जिसका विस्तार 1964 में संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में किया गया था।

कुछ समय से, संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में, विशेषकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में, मृत व्यक्तियों की आंखों का उपयोग शल्य-चिकित्सा और अन्य व्यक्तियों की आंखों में उनके प्रतिरोपण के लिये किया जा रहा है। बम्बई कार्निया ग्राफ्टिंग अधिनियम 1957 में कुछ कमियां सामने आई हैं।

बम्बई अधिनियम के अन्तर्गत आंखें किसी भी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निकाली जा सकती हैं, जो किसी भी चिकित्सा प्रणाली में कहीं प्रैक्टिस कर रहा हो तथा पंजीकृत चिकित्सक के रूप में मान्य हो।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आंखें भागलपुर जेल में भी निकाली जा सकती हैं।

श्री बी० शंकरानंद : चूंकि आंखों को निकालने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष निपुणता तथा विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है, अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक समझा गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अधीन केवल योग्यता प्राप्त पंजीकृत डाक्टरों को जो नेत्रविज्ञान में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त हों अथवा जिन्हें इस कार्य में पर्याप्त अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त हो, मृत व्यक्तियों के शरीर से आंखें निकालने की अनुमति हो।

यद्यपि बम्बई अधिनियम में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किसी अस्पताल अथवा चिकित्सा या प्रशिक्षण संस्थानों में मृत व्यक्ति के शरीर से आंखें निकालने का प्रावधान है तथापि मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों की इच्छा का आदर करने और उन्हें मृत शरीर को लेने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि मृत व्यक्ति के शरीर से आंखें निकाले जाने को तब तक रोका जाए जब तक कि वे क्षतिग्रस्त न हो जाएं और उसके बाद भी उस समय तक प्रतीक्षा की जाए जब तक मृत व्यक्ति के शरीर की उसके सम्बन्धियों द्वारा मांगे जाने की कुछ संभावना हो। विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है तथा वह भी प्रावधान किया गया है कि यदि उस मृत व्यक्ति ने अपने जीवन काल में किसी भी समय लिखित अथवा मौखिक रूप से दो या उससे अधिक गवाहों के सामने, जिनमें से कम से कम एक उसका निकटतम सम्बन्धी हो, यह प्राधिकार दिया हो तब मृत व्यक्ति के शरीर से आंखें निकाली जाएं।

इस विधेयक में यह प्राधिकार भी दिया गया है कि किसी अस्पताल, जेल, परिचर्या गृह अथवा किसी अन्य संस्थान में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका मृत शरीर किसी के द्वारा मांगा नहीं जाता है तो पर्याप्त सुरक्षा से उसकी भी आंखें निकाली जा सकती हैं।

इस विधेयक में यह भी प्राधिकार दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना से अथवा किसी अन्य अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है तथा मृत शरीर चिकित्सा एवं कानूनी प्रयोजनों के लिये शव-परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है तो उसकी भी आंखें निकाली जा सकती हैं।

दिसम्बर 1980 में विधेयक प्रस्तुत करने के बाद इस बात पर भी विचार किया गया कि हमें विधेयक में उस व्यक्ति के मृत शरीर से भी आंखें निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए जिन्होंने अपनी आंखें रोग सम्बन्धी जांच अथवा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए दान कर दी हों।

अतः मैं इस प्रयोजन के लिए ऐसे मामलों में भी आंखें निकालने का प्राधिकार देने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि सदन को जानकारी है हमारे देश में नेत्रहीन या बाधित दृष्टि वाले व्यक्तियों में से 20 या 25 प्रतिशत व्यक्ति कार्निया के अंधेपन से ग्रस्त है। मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि करीब 2 करोड़ लोगों की कार्निया ग्राफ्टिंग आपरेशन करके सहायता की जा सकती है। भारत सरकार ने इस समस्या की महत्ता तथा आवश्यकता और इसके कारण होने वाली आर्थिक हानि को पूरी तरह महसूस करते हुए, अंधेपन पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसे प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का भी एक अंग माना गया है।

कार्निया के अंधेपन का इलाज कार्निया ग्राफ्टिंग आपरेशन के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं किया जा सकता था। विज्ञान की उन्नति ने अब यह संभव बना दिया है कि मृत व्यक्ति के शरीर से निकाली गई आंख या कार्निया को परिष्कृत किया जा सकता है तथा पूरी सफलता से उसका प्रतिरोपण किया जा सकता है।

प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और चंडीगढ़ राज्यों में भी कार्निया ग्राफ्टिंग के लिए ऐसे ही कानून बनाए गए हैं।

श्री सोम नाथ चटर्जी (जादवपुर) : पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा कानून पारित किया है। आप ठीक सूचना नहीं रखते।

श्री बी० शंकरानन्द : अब मैं इस सूचना को स्वीकार करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस पर एक प्रवर समिति ने विचार किया है।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे यह आशा है कि इस विधेयक के अधिनियमन का उन राज्यों में भी अनुकरण किया जाएगा जहां ऐसे कानूनों को अभी अधिनियमित किया जाना है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक पर विचार करने तथा सदन द्वारा इसे पारित किए जाने की सिफारिश करता हूं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

> "कि मृत व्यक्तियों के नेत्रों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों पर किये जा रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों पर किए जा रहे अत्याचारों पर चर्चा करेंगे :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : राम विलास जी, आप के वास्ते स्पीकर साहब स्वयं आए हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : प्रधान मंत्री को भी आना चाहिए था। स्पीकर तो आते ही हैं। प्रधान मंत्री जब तक नहीं आएंगी तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आपका भाषण वह सुन रही हैं।

श्री राम विलास पासवान : हमारा भाषण क्या सुनेंगी ?

रक्षा तथा गृहमंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं ध्यान रखूंगा।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, इसको अदरवाइज न लिया जाय, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्कशन होता हैं, उस डिस्कशन क कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता नहीं है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी इस तरहा का डिस्कशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर कभी यहां नहीं आई हैं। जब यह एक नेशनल डिजीज हो गया है और उस पर हम लोग विचार करते हैं तो कम से कम प्रधान मंत्री को यहां पर होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आपके दल के नेता हैं ?

श्री राम विलास पासवान : हमारे दल के नेता प्रधान मंत्री होंगे तो आपसे पहले बैठेंगे।...

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, आज पुनः हम लोग एक ऐसे मसले पर विचार करने के लिए यहां बैठे हैं जिस मसले के सम्बन्ध में जितनी निन्दा की जाय, जितना कुछ कहा जाय कम है। मैं अभी दण्डवते साहब से आज बात कर रहा था, मैंने कहा कि अब नया इस पर क्या कहा जाय ? इतनी बार चर्चा हो चुकी है, इतनी बार सदन में इस पर डिस्कशन हो चुका है, उसके बाद भी मर्ज घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उसका क्या उपाय है ?

एक ही चीज हमारे जैसे लोगों के दिमाग में आती है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। हम इस सवाल को बार-बार उठाने की कोशिश करते हैं, समूचे देश के नक्शे को देखें तो मामला बढ़ता जा रहा है। बिहार में रोज घटनाएं घटती हैं, उत्तर प्रदेश में रोज घटती हैं, मध्य प्रदेश में घट रही हैं, तमिलनाडु में घट रही हैं, महाराष्ट्र में घट रही हैं, कोई भी जगह बाकी नहीं रही है कि जहां यह बीमारी फैल न रही हो। आजादी के 35 वर्ष के बाद जब हम यह कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं जो सभ्यता के विकास की दिशा है, तो उसके साथ-साथ हमारे माथे पर यह कलंक जुड़ता जा रहा है और सबसे दुखद स्थिति यह है कि कल तक तो यह होता था कि ऐसी घटनाओं के होने के बाद हत्यारों के दिमाग में सजा का डर भी

रहता था, लेकिन आज उसके दिमाग में सजा की बात बिल्कुल खत्म हो गई है। कोई ऐसी घटना आप नहीं बता सकते जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के ऊपर ऐसी घटना घटी हो, उसकी हत्या हुई हो और उसमें किसी को पनिशमेंट मिला हो। कफल्टा के सम्बन्ध में पिछली बार मैंने कहा कि जज ने अपने जजमेंट में कहा है कि यह देश के ऊपर कलंक है कि दिन दहाड़े हत्या होती है, कत्ल किए जाते हैं। 18 शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी मार दिए जाते हैं चूंकि वह बारात लेकर जा रहे थे और एक आदमी को एक घंटे के लिए भी सजा नहीं हो पा रही है महज इसलिए कि कोई एविडेंस नहीं है। देहुली की घटना घटी, साधोपुर की घटना घटी, मैनपुरी की घटना घटी, और इस ईश्यू को लेकर रिजाइन किया गया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को धन्यवाद देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यहां के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, अब तो वह गृह मंत्री प्रोमोशन पाकर जाने वाले हैं···बिहार के मुख्य मंत्री वगैरह को भी थोड़ा-बहुत इसका अनुकरण करना चाहिए, इससे लेसन लेना चाहिए। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि गैनी में घटना घटी तो बिहार के मुख्य मंत्री ने, बजाय उस पर थोड़ी-बहुत सान्त्वना देने के लिए यह कहा कि शायद शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने भड़काने का काम किया और यह विभिन्न अखबारों के एडिटोरियल में आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि :

> "पटना जिले के गैनी ग्राम में जमींदारों द्वारा पिछेले सोमवार को 6 हरिजनों की हत्या के लिए बिहार के मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र ने हरिजनों और असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। हरिजन केवल कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे थे और समाचार है कि वे समझौते से हट गये थे।"

आपने बीससूत्री कार्यक्रम बनाया जिसमें एक सूत्र मिनिमम वेजेज दिलाने के सम्बन्ध में है। लेकिन वहां पर जब लोग मिनीमम वेजेज की मांग करते हैं तो उनको गोली से उड़ा दिया जाता है। उसके बाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी लैण्डलार्डस का ही साथ देता है। यहां पर हमारे गया के साथियों को मालूम होगा, औरंगाबाद जिला पुराने गया जिले का ही भाग था। इसी गया जिले में इसके पहले घटना घटी थी। 6 फरवरी, 1980 को पारसबीघा में घटना घटी जहां पर दर्जनों लोगों को गोली से उड़ा दिया गया था। इसी सदन में 26 अप्रैल, 1982 को डिस्कशन हुआ था। बेला में चार हरिजनों को मार दिया गया था। जस्टिस भोले यहां पर बैठे हैं, हम लोग मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में गए तो वहां के एस० पी० कमेटी के सामने नहीं आए। हमने कह दिया था कि इस प्रकार से घटनायें घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी। जिस जिले का डी० एम० और एस० पी० इतनी भी जिम्मेदारी महसूस न करे कि पार्लमेन्ट की एक कमेटी आई हुई है उसके सामने जाकर हम कुछ बतलावें तो फिर उस जिले की हालत और क्या हो सकती है? उसके बाद देहुली में घटना घटी, साढूपुर में घटी और फिर रामपुरा में घटना घटी। इस तरह से एक ही डिस्ट्रिक्ट में तीन घटनायें घटीं।

इसी प्रकार से महाराष्ट्र की बात है। चार लोगों के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने की बात थी—शिवाजी यूनिवर्सिटी, फूले यूनिवर्सिटी, तिलक यूनिवर्सिटी और डा० अम्बेदकर यूनिवर्सिटी। डाक्टर अम्बेदकर के नाम पर यूनिवर्सिटी खुलती है। उस वक्त शरद पवार की मिनिस्ट्री थी और

उस समय इसके लिए प्रस्ताव पास करके दिया गया लेकिन फिर जो होता है वह किसके दिमाग की उपज है।

इसी तरह से देश के अन्य भागों में कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहां पर ऐसी घटनायें घटती हैं। मैं तमिलनाडु गया था। वहां पर द्रविड कजगम की बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पेरियार को जिन्होंने वहां पर ब्राह्मणवाद व्यवस्था पर कुठाराघात किया था। वहां पर भी सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इस प्रकार की घटनायें घटित होती हैं, जैसे रामनाथपुरम है, तिरुनालवेली है और मीनाक्षीपुरम है। कुछ सर्टेन स्पाट्स हैं जहां पर धर्म परिवर्तन होते हैं और ऐसी घटनायें घटती हैं लेकिन फिर भी यह सरकार उस पर काबू नहीं पा रही है। जब कोई चीफ मिनिस्टर ही एक घटना के बारे में उल्टा बयान देगा तब क्या ऐसी घटनायें घटेंगी ? नहीं, वह तो और भी बढ़ती जायेंगी।

हमको यह शिक्षा दी गई थी कि अगर कोई कमजोर आदमी कभी किसी बलवान को लप्पड़ भी मार दे तो भी बलवान को ही दण्डित करना चाहिए क्योंकि शोषण के कारण उसमें बौखलाहट रहती है। लेकिन बिहार में चीफ मिनिस्टर ही इंस्टीगेट करते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने ऐसा किया। नतीजा यह होता है कि पहले 6 हत्याएं हुई थीं और बाद में 12 हो गईं।

हम लोग यहां पर कांस्टीट्यूशन की कसम खाते हैं लेकिन क्या वीकर सेक्शन के लोगों को उसपर कोई विश्वास रह गया है ? आज सिविल राइट्स क्या हैं और अनटचेबिलिटी क्या है, इसको कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता कि आज भी गांवों में छुआछूत चलती है, कुएं से वीकर सेक्शन के लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता है। महाराष्ट्र में अन्तुले साहब ने कह दिया था कि अगर डा० अम्बेदकर यूनिवर्सिटी के नाम पर रिजेन्टमेन्ट है तो 70-75 लाख रुपया मैं देता हूं, आप नयी यूनिवर्सिटी खोल लें। यह तो वही बात है कि अगर एक कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाए तो कह दिया जाए कि पैसा लेकर दूसरा नया कुआं खोद लो।

नई यूनिवर्सिटी खोलो—क्यों ? आप भी यह बात जानते हैं कि आज भी गांवों में लोगों को पानी नहीं मिलता है। मैं कमेटी के साथ मीनाक्षीपुरम गया था। एक शेड्यूल्ड कास्ट का लड़का, जो बम्बई में रहता था, बम्बई से आया था, वह वहां चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर गया। वहां उसको चाय तो मिल गई, चाय पीने के बाद उससे पूछा गया कि तुम किस जाति के हो; जब उसने जाति नाम बताया तो उसको लप्पड़ मार दिया गया। हमें उस कमेटी में यह भी बताया गया कि उन्हें चाय ठण्डी करके ऊपर से मुंह में डालनी पड़ती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने अछूत निवारण कानून बनाया है, सिविल राइट्स कानून बनाया है, उसके तहत कितने लोगों को सजा हुई है ? एक महीने की जेल या 500 या 1000 रुपया जुर्माना। लोग आकर थप्पड़ मारते हैं, गोली मार देते हैं, जितना ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, वह करते हैं और फिर जाकर 500 रु० दे दिया। आज तक अछूत निवारण कानून के तहत मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को सजा हुई है ? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको आप यदि इन्फोर्स करना चाहते हैं, कानून को इन्फोर्स करना चाहते हैं, तो इस दिशा में आपको सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा। आर्टिकल-17 में कहा गया है :

"अस्पृश्यता" समाप्त हो गई है और किसी भी प्रकार इसका पालन करना

करना मना है। "अस्पृश्यता" के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार एक दण्डनीय अपराध होगा।"

मेरे विचार में आज तक एक आदमी को भी सजा नहीं हो पाई है। जब इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और एक रुटिन-सा बन जाएगा तथा लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमें इन लोगों से निपटना है, तो काम नहीं हं सकता है।

बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट है, वह राजधानी का हैडक्वार्टर है। वहां पुलिस जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा, जिसको मन में आएगा, पकड़कर गोली मार दी जाती है, नक्सलाइट के नाम पर। यह एक साधारण बात हो गई है कि यदि बिहार में किसी को मारना हो, तो कह दो कि यह नक्सलाइट है। उत्तर प्रदेश में किसी को मारना है तो कह दो डाकू है। एक ही डाकू जेल में बन्द रहता है, वही डाकू के लिए कहा जाता है कि गोली से मार दिया गया और कुछ ही दिन के बाद उस डाकू के सम्बन्ध में कहा जाता है कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। यह बात समझ में नहीं आती है कि मरने वाला कौन था, जेल में कौन बन्द था। इसका मतलब यह है कि वह निर्दोष व्यक्ति है। इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं।

मैं मानता हूं कि जो नीचे की चट्टान है, वह ऊपर आने की कोशिश कर रही है। आज जो समाज का सबसे दबा-कुचला व्यक्ति है, वह अपने अधिकारों को महसूस करने लगा है कि इस देश में भी उसका अधिकार है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो एक शोषण की मनोवृत्ति जकड़ी हुई है, उसके दिमाग में ढीलापन नहीं आया है। और वह ढीलापन आएगा भी नहीं, जब तक कि हमारी मनोवृत्ति में कहीं न कहीं सुधार नहीं होगा। जब तक हम फिर से उस पर अंकुश लगाने की बात नहीं करेंगे।

मैं आपको एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली दफा गुजरात के बारे में यहां पर डिसक्शन हुआ था। उस वक्त गुजरात के बारे में एक पार्लियामेंट में शब्द आया था—मैरिट शुड नाट बी-इग्नोर्ड। हमने उस समय भी कहा था कि मैरिट कीबात हमेशा आप मत उठाइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैरिट का क्या अर्थ होता है। आप बिहार में चले जाइए, बिहार में एक मिथिला विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में दूसरा कोई एडमिशन नहीं पा सकता है। पंडित पाएगा और पंडित में भी मैथिल पंडित जो होगा। पता नहीं पांडे जी मिथिला में आते हैं या नहीं आते हैं। मेरे ख्याल में नहीं आते हैं। बिहार में संस्कृत स्कूल खोला गया है। वहां एक वक्त में 20000 शिक्षकों की बहाली होगी। क्या उसमें कोई एक आदमीशैड्यूल्ड कास्ट का हो सकता है, बैकवर्ड का हो सकता है, अदर दैन ब्राह्मण, वह भी मैथिल ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र का होगा, लगुवे-भुगुवे, तो रिजर्वेशन किसके लिए है, क्या मेरे लिए है।

अध्यक्ष महोदय : लगुवे-भगुवे।

श्री राम विलास पासवान : मतलब अलग-बगल वाले।

यहां हमने अभी देखा कि जगद्गुरू शंकराचार्य जी यहां आए थे, तो सब के सब मंत्री उसमें मौजूद थे।

एक माननीय सदस्य : आप अध्यक्ष जी का नाम नहीं ले रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : वह तो उनके स्वागतार्थ वहां गये थे। आप मुझ को एक बात बतलाइये—क्या किसी शंकराचार्य की पोस्ट पर कोई शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी बैठ सकता है? शंकराचार्य की पोस्ट को एक जाति-विशेष के लिये बना दिया गया है। मैंने कई बार कहा है कि आप एक रिलीजर्स इंस्टीचूशन खोल दीजिए, जहां धर्म की व्याख्या हो। कोई भी आदमी उसमें हिन्दूधर्म को सीख सकता हो, कुरानशरीफ और बाइबल सीख सकता हो, दूसरे धर्मों को सीख सकता हो, उसके बाद जब वहां से निकले तो उस धर्म के मन्दिर में पुजारी बन जाय, शंकराचार्य की गद्दी पर बैठ सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई व्यक्ति एक अक्षर वेद का नहीं जानता, लेकिन मन्दिर में जाकर, हरे राम, हरे कृष्ण कह कर मन्दिर का पुजारी बन सकता है, जमीन को हड़प लेता है, हमारी ही जमीन है उस पर कब्जा करके हमारे ही लिए मन्दिर का दरवाजा बन्द कर देता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता।

श्री राम विलास पासवान : ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : शंकराचार्य ने शूद्र को कुत्ता कहा था।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, कुत्ता कहा था। ब्राह्मण गाय और शूद्र कुत्ता।

एक माननीय सदस्य : ऐसा आदमी गया का महन्त बन सकता है।

श्री राम विलास पासवान : बिलकुल बन सकता है और यह झगड़ा वहां चल रहा है। संघर्ष वाहिनी के लोग लड़ रहे हैं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : क्यों एक्सपंज किया जाय। यह तो शंकराचार्य ने कहा है।

हमारे यहां बिहार में बौधगया है, वहां के महन्त के पास 15 हजार बीघे जमीन एक्स्ट्रा है। सरकार को सब मालूम है कि उस लैंडेड प्रापर्टी का विवाद चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता है। एक फुरसैला महाराज हैं, जो बिहार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं उनके पास 20 हजार बीघा जमीन फालतू है, लेकिन क्या होता है? धर्म की आड़ में सब कुछ चलता है। दूसरी जाति का आदमी शंकराचार्य क्यों नहीं हो सकता? अगर जाति-विशेष का आदमी ही शंकराचार्य बन सकता है तो निश्चित रूप से जो पिछड़ी जाति का है, शैड्यूल्ड कास्ट है, उसके दिमाग को धक्का पहुंचता है।

इस देश में गाय को माता कहा जाता है लेकिन जब वह मर जाती है तो अपने कन्धों पर उठा कर उस माता को क्यों नहीं फेंकते? वहां हमारी जरूरत पड़ती है। उसका दूध तुम पियो, उसको फेंकने का काम हम करें। कहा जाता है कि इसमें मानिटरी-इन्कम का प्रश्न है। मानिटरी इन्कम तो और भी बहुत सी चीजों से होती है, कोठे पर बैठने से भी होती है। आज हम लोगों को एक आदमी का दर्जा नहीं दिया जाता है, जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। आज स्वीपर से लोग घृणा करते हैं क्योंकि वह पाखाना साफ करता है। मेहतर का काम पाखाना साफ करने

का क्यों बनाया गया है ? अगर पाखाना साफ करना ही इसका उद्देश्य है तो प्रत्येक मां अपने बच्चे का पाखाना साफ करती है, उससे भी घृणा करें। इसलिए इस देश में जब तक आउटलुक नहीं बदलेगा, काम नहीं चलेगा। इसकी जड़ में मूल चीज है जाति-व्यवस्था। एक मां के यहां लड़का पैदा होता है तो वह सोचती है कि एक दिन मेरा बेटा जज बनेगा, लेकिन एक स्वीपर के घर में लड़का होता है, तो उसकी मां सोचती है कि मेरा बेटा एक दिन झाड़ू लेकर सफाई करेगा। यहां जन्म के साथ अमल जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक इस जाति व्यवस्था को चोट नहीं की जाएगी, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए

हम देख रहे हैं कि जाति-व्यवस्था बजाय टूटने के बढ़ती जा रही है। जब आरक्षण का सवाल आता है तो आपको एक उदाहरण बतलाता हूं—कल हमारे पास एक लड़का आया और बोला कि हमको केन्द्रीय विद्यालय में एडमीशन चाहिए। हमने कहा—ले लो। उसने बताया कि मेरे टोटल मार्क्स में केवल 5 मार्क्स जोड़े जाते हैं। मान लीजिए—कुल 1000 मार्क्स हैं, उनमें मेरे 500 मार्क्स हैं, तो कुल 5 मार्क्स उसमें जोड़कर 505 हो जायेंगे। यानी 0.62 परसेन्ट। इसके लिए हमने पत्र भी लिखा है कि यह क्या रिजर्वेशन हमारे लिए रखा हुआ है। आप इस तरह के रिजर्वेशन को खत्म कर दीजिए क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि पता नहीं शेड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों को कितनी अधिक सुविधा मिल रही है। टोटल मार्क्स अगर 500 हैं, तो उसमें 5 मार्क ही जुड़ते हैं और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं। पिछली बार हमने एक प्रश्न किया था पटना हाई कोर्ट के बारे में कि वहां पर चतुर्थ श्रेणी में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोग हैं। पार्लियामेंट में यह सवाल किया था और उसके जवाब में हमें यह बतलाया गया था कि वहां पर 265 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में एक भी चपरासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शैड्यूल कास्ट्स का नहीं है। तो फिर यह रिजर्वेशन किस के लिए है, मेरे लिए रिजर्वेशन है ? हम लोगों ने आंकड़े निकाल कर दिये थे कि एक जाति विशेष के कितने लोग किस जगह पर हैं। भारत सरकार में कैबिनट के अगर 18 मंत्री हैं, तो उन 18 मंत्रियों में से 9 एक जाति के मंत्री हैं। जहां गवर्नर/लैफ्टीनेंट गवर्नरों की कुल संख्या 27 है, तो उनमें से 13 ब्राह्मण हैं, गवर्नर और लैफ्टीनेंट गवर्नरों के सचिवों की जहां कुल संख्या 24 है, वहां उनकी संख्या 13 है, चीफ सेक्रेटरी जहां कुल 26 हैं, वहां वे 14 हैं, भारत के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी जहां 49 हैं, वहां वे 34 हैं, सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं उनके समकक्ष जहां करीब 500 हैं, वहां वे 320 हैं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जहां कुल संख्या 98 है, वहां वे 50 हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और एडीशनल जजों की कुल संख्या जहां 336 है, वहां वे 169 हैं, राजदूत और उच्चायुक्त जहां 140 हैं, वहां वे 58 हैं, स्टैन्डिंग कारपोरेशन आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज के चीफ एक्जीक्यूटिव्ज जहां केन्द्र में 158, वहां इनकी संख्या 91 है। इतनी संख्या एक विशेष जाति के लोगों की इनमें है और 35 साल की आजादी के बाद भी हमारा 15 परसेन्ट 16 परसेंट रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है और उसके लिये भी आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि सूटेबिल कैंडीडैट एवेलेबिल नहीं है। हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी सुटेबिल नहीं है।

जब श्री वेंकटरामन फाइनेन्स मिनिस्ट्री में थे, तो उस समय मैंने एक प्रश्न किया था कि जितने नेशनेलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनमें शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के

कितने लोग हैं और कितने बैंकों ने रिजर्वेशन के कोटे को पूरा किया है। इसका जो जवाब हमें मिला, उसमें यह था कि एक भी ऐसा बैंक नहीं है, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कोटा चतुर्थ श्रेणी में भी पूरा हो। जब चतुर्थ श्रेणी में ही हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ है, तो फिर दूसरी श्रेणियों की हम क्या बात कह सकते हैं। हमें यह भी बताया गया था कि होम मिनिस्ट्री 1980 में डाइरेक्ट एक सर्कुलर जारी कर रही है, जोकि रिजर्वेशन के बारे में है। वेंकटसुब्बय्या जी यहां हैं और वे तो शुरू से ही इस मिनिस्ट्री में हैं। इसी पार्लियामेंट में 21-3-82 को मैंने एक प्रश्न किया था, जिसमें यह पूछा था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टोटल स्ट्रेंग्थ क्या है और उसमें हमारा कोटा पूरा हुआ है या नहीं। इसका जवाब हमें यह दिया गया कि उसकी टोटल स्ट्रेंग्थ 80,408 है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का कोटा पूरा नहीं है। सीमा सुरक्षा बल की टोटल स्ट्रेंग्थ 84,598 है और उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं है, असम राइफल्स का पूरा नहीं है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का पूरा नहीं है और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का भी पूरा नहीं है और दूसरी तरफ आप यह कहते रहते हैं कि 50 परसेन्ट ले लो, 60 परसेन्ट ले लो। हमारा जो 12 परसेन्ट, 14 परसेन्ट कोटा है, वही आप नहीं दे रहे हैं और सिपाहियों की केटेगिरी में नहीं दे रहे हैं, जिसमें हम जिन्दगी भर काम करते आए हैं, तो फिर इस तरह की बातें क्यों कही जाती हैं। दूसरे लोगों को समझाने के लिए, उनको भड़काने के लिए आप रोजाना अखबारों में कहते हैं, रोज रेडियो पर कहते हैं कि 40 परसेन्ट रिजर्वेशन दे रहे हैं, 50 परसेन्ट दे रहे हैं और 60 परसेन्ट दे रहे हैं और रोजाना हमको गाली देते हैं। आप हमें इस तरह से गाली देते हैं लेकिन कभी आपने अपने मन में हिसाब लगाकर देखा है कि कितना रिजर्वेशन हमको मिल रहा है। आप यहीं देख लीजिए कि बिहार में जब श्री कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त कितने हरिजन एस० पी० थे और कितने हरिजन डी० एम० थे और आज आपने कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को डी० एम० या एस० पी० लगा रखा है। पहले जो वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग डी० एम० या एस० पी० थे, उनको भी बाहर कहीं-न-कहीं भेज दिया है और आप अपने भाषणों में 'हरिजनों की जय', 'आदिवासियों की जय' और 'मुसलमानों की जय' करते हैं और रेडियों पर यह कहते रहते हैं लेकिन रेडियो बन्द हो जाने पर इन सारी बातों को भूल जाते हैं। केवल भाषणों में ही ये बातें रहती हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं अखबार खोज रहा था लेकिन मुझे वह मिला नहीं। आज से 4-5 दिन पहले अखबार में यह निकला था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट्स को सर्कूलर भेजती है लेकिन वे उसको मानती नहीं हैं। यह क्या बात है?

जो मैंने शुरू में ही कहा था कि आप एक काम कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट और एस० पी० पर आप इसकी रेस्पोंसीबिलिटी फिक्स कर दीजिए। बिहार में बेलछी की घटना घटी थी, तो उस समय हमारी वहां पर सरकार थी। उस समय हमने यह किया था कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक अधिकारी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होगा चाहे डी० एम० शेड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे एस० पी० हो, चाहे एस० डी० ओ० हो और चाहे ए० एस० पी० हो। इनमें से एक तो हरिजन या आदिवासी होगा ही। और चारों में से एक शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का अफसर रहेगा और प्रत्येक जिला स्तर पर रहेगा। यह कार्यवाही की गयी थी। उसका नतीजा हुआ था।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : आपके समय में बेलछी में घटना घटी थी, उसके लिए आपने किसी को चार्जशीट नहीं किया, वह हमने किया ।

श्री रामविलास पासवान : बेलछी घटना का जो मेन अभियुक्त श्री इन्द्रदेव चौधरी, निर्दलीय एम० एल० ए० था उसकी जेल में मृत्यु हुई थी । क्या आपके पास में कोई भी ऐसा उदाहरण है ? क्या आपने कफल्ता में एक भी आदमी को सजा दी ? देवली काण्ड में आपने क्या ऐसे लोगों को सजा दी ? देवली काण्ड वाला तो प्रधान हो गया । सादुपुर में क्या एक भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया ? आपको तो शर्म आनी चाहिये कि आपके चीफ मिनिस्टर तो आपके मुंह पर तमाचा मार कर चले गये । वह यह कह कर चले गये कि मैं अक्षम हो गया हूं । अब आप लाख ढिंढोरा पीटिए, आप लाख कहिए कि सुधार हुआ है । आपके ऐसे लोगों द्वारा आपका सारा पर्दाफाश होता चला जाएगा । आप लाख कहिए कानून और व्यवस्था में सुधार हो रहा है, हम शेड्युल्ड कास्ट्स के लिए यह बना रहे हैं, यह कर रहे हैं लेकिन उत्तरप्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सब बता दिया है । इसी तरह से बिहार के चीफ मिनिस्टर की बात है । मैं उसको छोड़ता हूं क्योंकि अनपार्लियामेंटरी लैंगुएज हो जाएगा । अगर उनमें भी जरा सी हया-शर्म होती तो उनको भी चीफ मिनिस्टरी को छोड़कर चल देना चाहिए था ।

मैं रामस्वरूप राम जी आप से कह रहा हूं । मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी तब तक आप कुछ करना भी चाहेंगे तो भी नहीं होगा । इसीलिए आज हम जैसे आदमी को दुःख हो रहा है । आज जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है वह अच्छा नहीं है । आज शेड्युल्ड कास्ट्स के लोगों में, गरीब वर्ग के लोगों में वे चाहे किसी भी जाति के लोग हों, उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ गया है । आप उन्हें लाख शिक्षा दीजिए, आपकी वे शिक्षा सुनने को तैयार नहीं है । जब पेट में आग लगती है तो उसे कुछ नहीं सूझता है । हम जैसे आदमी के लिए तो यह बात हो सकती है कि देश बहुत बड़ी चीज है, नेशनलिटी बहुत बड़ी चीज है लेकिन जिस आदमी के सामने जीवन-मरण का प्रश्न हो उसके लिए इन सब बातों पर सोचने का वक्त कहां है ?

धर्मपरिवर्तन के सम्बन्ध में बहुत बात कही जाती है । हम मीनाक्षीपुरम् गए थे । वहां के बारे में कहा गया कि पेट्रो डालर की ताकत काम कर रही है, विदेशी ताकत काम कर रही है । जब उनमें पेट्रो डालर काम कर सकता है तो आपका डालर क्यों नहीं काम करता है ? जब आपका चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर धर्म परिवर्तन करता है तो क्या उसके पीछे एक हजार या पांच सौ रुपये काम करते हैं ? हमने वहां हजारों आदमियों से बात की । इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, बजाए उसको पहचानने के, आदमी को आत्म सम्मान देने के दूसरे कारण ढूंढे जाते हैं । हमने उन लोगों से कहा कि जब तुम मुसलमान हो जाओगे या ईसाई हो जाओगे तो क्या तुम्हारा ह्यूमिलेशन नहीं होगा । उन्होंने कहा कि हमें कम-से-कम यह तो फक्र है कि हमने उस हिन्दू धर्म को छोड़ दिया जिसका मतलब ब्राह्मण होता है, जिसका मतलब राजपूत होता है, जिसका मतलब वैश्य होता है या जिसका मतलब शुद्र होता है । प्रत्येक दूसरे धर्म में व्यक्ति के प्रति समानता का भाव होता है लेकिन हिन्दू धर्म में समानता का भाव नहीं है, इसमें सभी के लिए अपनापन नहीं है । हिन्दू धर्म में अपनापन नाम की चीज ही नहीं है । इसमें व्यक्ति की बुनियादी स्वतन्त्रता नहीं है । विदेश में

अगर कोई चमड़े का कारोबार कर रहा है तो वह नीच नहीं, लेकिन अपने देश में कोई चमड़े का या जूता बनाने का काम करता है तो वह अमुक जाति का है, अगर कोई झाड़ू मारने का काम करता है तो वह अमुक जाति का है। 35 साल की आजादी के बाद कभी-कभी हमको ऐसा लगता है कि अगर इस देश में अंग्रेज नहीं आये होते तो कोशल इक्विलिटी और इक्विलिटी बिफोर ला जैसे कानून को इस देश में बनाने के लिए हमें चार जेनरेशन लड़ना पड़ता। नहीं तो यहां ऐसे कानून नहीं बनने वाले थे। यहां ब्राह्मण के लिए अलग कानून बनते, राजपूत के लिए अलग कानून होते, वैश्य के लिए अलग कानून बनते और शूद्र के लिए अलग कानून बनते और मनुस्मृति के मुताबिक बनते।

श्री केयर भूषण (रायपुर) : वर्ण व्यवस्था को तो अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया।

श्री रामविलास पासवान : वर्ण व्यवस्था की जननी मनुस्मृति है। मैं यह कह रहा था कि इक्विलिटी बिफोर ला को बनाने का जो एक कलम से अंग्रेजों ने काम किया, एक कलम से कानून के सामने सबको बराबर घोषित किया, बराबर बना दिया वह हम लोग नहीं कर पाते। आज हम लोग उस कानून को इम्प्लीमेंट तक नहीं कर रहे हों। आज क्या होता है दिन दहाड़े आदमी का खून होता है। बिहार में मेरी कांस्टीच्युन्सी में दिन दहाड़े एक एम० एल० ए० मारने के बाद खुले आम घूम रहा है, उसको पकड़ा तक नहीं गया। किसकी शामत आई है जो उसको पकड़े।

(व्यवधान)

इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। जब तक जातिव्यवस्था पर चोट नहीं करेंगे, उसको खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक यह रोग दिन-ब-दिन बढ़ता ही जाएगा।

हम लोग जब लाइसेंस देने की बात करते हैं, गरीबों को लाइसेंस देने के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है कि इससे उत्पात बढ़ेगा। क्या अब उत्पात घट रहा है। एक आदमी जाता है और सबको भूंजकर चला आता है। लाइसेंस देने के बारे में आप क्यों नहीं गंभीरता-पूर्वक सोचते ? कम-से कम पढ़े-लिखे नौजवानों को लाइसेंस दिया जाए। क्यों नहीं प्रत्येक गांव में एक फोर्स—"ग्राम सुरक्षा दल" बनाते, जिनमें सभी जाति के लोग रहें और ग्राम की रक्षा का उनका दायित्व रहे। ऐसे जिलों में डी० एम० और एस० पी० शेड्यूल कास्ट के क्यों नहीं रखे जाते। खासकर जिन जिलों में घटनाएं होती हैं। देश में कुल 8-10 जिले हैं। यहां पर एक्सपेरीमेंट करके देखिए। जिसे एस० पी० या डी० एम० के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी पड़ेगी। गया के बारे में जहां पर शेड्यूल कास्ट के लोगों पर ज्यादती हुई है, रामस्वरूप राम जी यहां पर बैठे हैं, क्या इन्होंने नहीं लिखा था डी० एम० को और चीफ मिनिस्टर को। इसके बावजूद वहां पर सुरक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ? तब चुनचुन झा और जगन्नाथ मिश्र के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकती ? इस तरह से जब तक पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है।

लैण्ड रिफार्म का कानून बिल्कुल खोखला है। इस कानून के जरिए गरीबों को मत मरवाइए। इस बारे में जनप्रतिनिधि बार-बार लिखते हैं; लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं

की जाती। जब गरीब जमीन के लिए जाता है तो उसे गोली का शिकार होना पड़ता है। इसलिए आप लैण्ड रेफार्म एक्ट का कड़ाई से पालन करवाइए।

सभापति महोदय, यह एक तरह की बदबू है, इसको जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, जितना लीपा-पोती करने की कोशिश की जाएगी, उतना ही यह फैलेगी।

जब मैं ब्राह्मणवाद के सम्बन्ध में कहता हूं तो मेरे सामने दयानन्द सरस्वती का चेहरा आ जाता है, जो ब्राह्मण थे और जिन्हें जहर खाना पड़ा। यहां पर भी मधुलिमये और कई माननीय लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़े, लेकिन जो भी इसके खिलाफ लड़ेगा उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा। सब उसके शिकार हुए हैं। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक क्यों नहीं किया गया था ? कहा गया था कि यह राजा होने के लायक नहीं है। मैं जब महाराष्ट्र गया था तो मुझे लोगों ने बताया कि काशी बनारस से गागा भट्ट को वेदमंत्रों का जाप करने के लिए बुलवाया गया था। इसके बाद पंडितों ने कहा कि ये राजा तो बन सकते हैं, लेकिन वेद मंत्र इनके कान में नहीं जा सकता। इसी तरह मैं गुजरात गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रधानमंत्री बनने में एक बाधा जाति की भी थी। कामराज के मार्ग में भी जाति व्यवस्था बाधक थी। इसलिए इस जाति व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा, इस ब्राह्मणवाद को तोड़ना पड़ेगा।

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, जो रेजोल्यूशन है, उसको छोड़-कर दूसरी बातें कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

हमारी जो व्यवस्था है वह सिखाती है जानवरों से प्यार करो, चींटी को चीनी खिलाओ, गाय को मां कहो, सांप को दूध पिलाओ लेकिन आदमी को प्यार न करो। इस व्यवस्था को तोड़ना होगा। नहीं तोड़ेंगे तो ये जो एट्रासिटीज हैं ये कम नहीं होगी। जो एट्रासिटीज करने वाले हैं उनकी हम सबको जरूरत है, चाहे वे किसी भी पक्ष के लोग हों, किसी भी जाति या सम्प्रदाय के लोग हों, मन बनाकर एक स्वर से निन्दा करनी होगी। साथ ही साथ कड़ी सजा की व्यवस्था करनी होगी।

क्या कारण है कि यह बीमारी रुक नहीं रही है बल्कि बढ़ती जा रही है ? सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कत्ल करने वाला है, जो अत्याचारी है उसके मन से भय दूर हो गया है। भय नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वह समझता है कि पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है और जाति का बल मेरे साथ है तो मैं किसी का भी कत्ल कर सकता हूं, मुझे रक्षा मिलती रहेगी। जब तक यह चीज रहेगी तब तक अत्याचार रुक नहीं सकते हैं।

प्रत्येक स्तर पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को रिप्रिजेटेशन मिलना चाहिये। इनका कोई आदमी एस० पी० बन जाता है तो उससे उनकी रक्षा कम होती है लेकिन दूसरे लोगों के मन में भय अधिक होता है। यही काफी होता है मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि 1980 में केन्द्र ने जो गाइड लाइंज भेजी थी उनके ऊपर यदि ठीक से अमल किया गया होता, उनका अगर ठीक से पालन किया गया होता तो आज यह बीमारी खत्म होने के कगार पर होती। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पुनः आज यह बीमारी कई गुना बढ़ गई है। हमारी आबादी देश की कुल आबादी का पच्चीस प्रतिशत है। जिस दिन ये पच्चीस प्रतिशत लोग जाग

गए तो आप साफ समझ लीजिए कि गृह युद्ध की सम्भावना हो सकती है। जीवन की इज्जत, आबरू सब स्टेक पर लगा हुआ है। मरता क्या नहीं करता ? सभी जगह राक्षस भी हैं, ग्रह भी हैं गज भी हैं। समय की नब्ज को पहचानिए। उनके अधिकारों की आप रक्षा कीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक समय आएगा जब वे कहेंगे, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। पूरा देश डूबेगा।

आप संविधान की बात करते हैं। आप कहते हैं कि संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, वीकर सैकशंज को राइट दिया गया है। जब यह राइट दिया गया था उसके पहले भी देश के टुकड़े हो सकते थे। लेकिन यह कहा गया है कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि संविधान की बात सिर्फ पन्नों में दबकर ही रह गई है। न्याय मिलने की कोई आशा नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि लोग कहें कि तुम नक्सलाइट हो। तब वे बन्दूक उठाने के लिए भी तैयार हो जाएं। जो मर रहा है वह कहेगा कि मरो भी और मारो भी। यह सर्वोच्च सदन है। पार्लियामेंट है। यहां आप कोई रास्ता निकालें, कोई दिशा निकालें, जिससे आज के बाद इस पर ब्रेक लग सके। जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है पहले ही दिन इन एट्रासिटीज की चर्चा उठती है। बिहार असैम्बली या उत्तर प्रदेश असैम्बली जिस दिन शुरू होती है तो पहले ही दिन इस बीमारी को लेकर हल्ला होता है। क्यों होता है ? इसको आप देखें। नए गृह मंत्री जी ने कार्यभार सम्भाला है। इनके कार्यकाल में, इनके मंत्रित्व काल में, कम से कम आज के बाद हिन्दुस्तान का जो दबा, कुचला हुआ समाज है, वह थोड़ी राहत की सांस ले, इसकी कोशिश उनको करनी चाहिए और उसको इनको आश्वस्त करना चाहिए कि अब इसके बाद उसके ऊपर एट्रासिटीज नहीं होगी।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : मैं बहुत दुख के साथ आज इस बहस में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। अनुसूचित जातियों के भाइयों के साथ अत्याचार की जो घटनाएं देश के विभिन्न भागों में हो रही हैं उससे भारत के प्रत्येक नागरिक का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। जब भी संसद का अधिवेशन शुरू होता है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ऊपर किए गए अत्याचारों की बात प्रभावकारी ढंग से उठाई जाती है। करने के लिए तैयार नहीं हैं। वह तिलमिला रहे हैं, उनकी भौंहें फड़क रही हैं और समाज के दूसरे वर्गों के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। उनके अन्दर आर्थिक चेतना आ चुकी है, सामाजिक चेतना आ चुकी है, वह समाज के विभिन्न अंगों में बराबरी के भागीदार बन चुके हैं। और ऐसी हालत, जाहिर है कि, हमारे समाज में कुछ लोग जो रूढ़िवादी हैं, जिनको यह चीजें अच्छी नहीं लगतीं, उनको इस जाति के लोगों का बढ़ना बुरा लगता है। और हम समझते हैं कि सरकार इन अत्याचारों को रोकने के सम्बन्ध में पूरी तौर से सचेत है और उसकी रोकथाम के लिए प्रभावकारी कदम भी उठा रही है।

सभापति जी, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि इन जातियों पर जो अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं वह कोई नए नहीं हैं। अभी हमारे माननीय पासवान जी बता रहे थे कि किस व्यवस्था के अन्तर्गत इन जातियों के साथ व्यवहार किया गया है। हजारों सालों से उनको नीचा समझा गया। उन पर जुल्म हुए लेकिन यह बेचारे खामोशी के साथ उसको बर्दाश्त

करते रहे, उनको बर्दाश्त करने की आदत सी बन गई। देश के हजारों साल के इतिहास में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि हरिजनों ने सवर्णों के इस अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज उठाई हो, कोई संघर्ष किया हो। अगर उसके लिए आवाज उठायी भी गई, संघर्ष किया भी गया तो सवर्ण लोगों में से ही स्वामी दयानन्द सरस्वती पैदा हुए और दूसरे बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने उनको न्याय दिलाने की बात की। लेकिन उस वर्ग ने आदत बना ली थी बर्दाश्त करने की, उसका जीवन उसी बर्दाश्त में ढल चुका और उन्होंने कभी सर नहीं उठाया। लेकिन आजादी के साथ इस देश में और उसके पहले महात्मा गांधी ने यह महसूस किया, आह्वान किया इस वर्ग के लोगों का कि वह बराबर हैं, उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उनको विशेष सहूलियतें देकर उनको समाज के दूसरे वर्गों के साथ लाना है। महात्मा गांधी का यह विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रमुख अंग बना दिया गया और हरिजनों को यह अहसास होता गया, वह इस बात को समझने लगे कि उनको बराबरी मिलेगी। आज वह जिस अन्धकारों में हैं उससे ऊपर उठेंगे, उनको एक रोशनी मिलेगी।

आजादी के बाद 35 साल में हम खुशी के साथ यह बात महसूस करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने उनकी इतनी सहायता की, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से कि आज वह अपने को बराबर महसूस करने लगे हैं। बर्दाश्त करने की जो उनकी आदत थी, सदियों से अपमान बर्दाश्त करते थे, आज उसकी वह बर्दाश्त खत्म हो गई।

वह इस बात से समझौता नहीं कर रहे हैं। अभी उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया है कि हजारों साल का हरिजनों का अपमान इतिहास के पन्नों से गायब हो चुका है। अब उनके सामने एक नई रोशनी जाग चुकी है। अब उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता है और ना ही वह इसको बर्दाश्त करने वाले हैं जो उनके पूर्वजों ने उनके साथ किये थे। ऐसी स्थिति में कन्फ्रन्टेशन अवश्यम्भावी है जो कि कहीं न कहीं जरूर होगी, लेकिन यह खुशी की बात है कि वह कन्फ्रन्टेशन बहुत कम है। एतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह कन्फ्रन्टेशन तो बहुत अधिक होनी चाहिये थी लेकिन धन्य है यह देश और इस देश में इसे बर्दाश्त करने वाले लोग, यह कन्फ्रन्टेशन जितना वाजिब आज होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। कहीं न कहीं यह घटना अवश्य घटती है।

आप अन्दाजा लगाइये, 35 वर्ष पूर्व जब आजादी आई थी, तो एक-आध हरिजन के खिलाफ क्राइम हो सकता था लेकिन इस प्रकार की घटनाएं कहीं नहीं होती थीं। इधर 8,10 साल में जैसे ही हरिजनों में जागरूकता आई है, चेतना बढ़ी है, जैसे-जैसे बराबरी के लिए वह ललक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे कुछ रूढ़िवादी लोगों से उनका टकराव होता है। जो घटनाएं उत्तरप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या देश के दूसरे भागों में हो रही हैं, यह उसका नतीजा है। इसमें किसी पार्टी या किसी सरकार को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा। यह एक सामाजिक करवट है। हमारा देश एक करवट ले रहा है और इसके जो परिणाम होंगे वह इस देश को भुगतने पड़ेंगे, इस देश के लोगों को और हम सबको भुगतने पड़ेंगे।

इसलिए मैं श्री रामविलास जी से बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि यह अच्छी बात है, हम अच्छी तरफ आगे बढ़ रहें हैं, देश में बराबरी का, इक्वैलिटी का माहौल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन सदियों से हजारों सालों का जो अन्याय है, जसको आप चाहें कि 35 वर्षों में

एकाएक समाप्त हो जाये तो न यह इतिहास में कभी हुआ है और न आज होने की उम्मीद है। लेकिन मुझे आशा है कि जब सदी बदलेगी, यह सदी समाप्त होगी तो यह मामला कहीं न कहीं आगे पहुंच चुका होगा। मैं समझता हूं कि इस शताब्दी के अन्त तक हम उस बात को पा लेंगे, जिस चीज के लिये हम आज कोशिश कर रहे हैं।

बिहार में 1977 में बेलछी की बड़ी जबर्दस्त घटना हुई। मैं इसके लिए वहां की सरकार को दोषी नहीं ठहराता। सरकार ने कुछ आदमी नियुक्त नहीं किए थे कि बिहार के हरिजनों को बेलछी में मार दें लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद वहां की सरकार की प्रतिक्रिया होती है। यह देखने की बात है कि वह प्रतिक्रिया क्या होती है। मुझे दुःख है कि बेलछी की घटना के बाद, पासवान जी के नेता, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, वह बेलछी नहीं गये। केन्द्र के उनके मुख्यमंत्री वेलछी नहीं गये। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उस समय वहां मुख्यमंत्री कोई नहीं था, प्रैजीडेंट रूल था। (व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : कर्पूरी ठाकुर साहब वहां नहीं गये थे।

श्री राम विलास पासवान : वह उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे।

श्री जैनुल बशर : वह वहां नहीं गये थे।

उस घटना के बाद जो कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वह शुरू नहीं की गई। 1980 में उसका चार्जशीट हुआ और बाद में जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, उसको सजा दिलवाई गई।

1980 में ही 6 घटनाओं के मुकदमें चले। एक कफाल्टा को रामविलास जी कहते हैं, लेकिन 6 में से 5 में सजा हुई। एक कफाल्टा में सजा नहीं हुई तो उसके बारे में वह चिल्लाते हैं लेकिन दूसरी 5 जगहों को भूल जाते हैं।

फैजाबाद में भी अभी हरिजनों के विरुद्ध जुल्म के खिलाफ मुकदमा चला था जिसमें 35 आदमियों को आजीवन कारावास हुआ है। (व्यवधान) साढ़ूपुर और देवली के मुकदमें चल रहे हैं और जिस तरह सरकार मुकदमों की पैरवी कर रही है, मुझे उम्मीद है कि उससे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। प्रश्न यह है कि सरकार ने इन घटनाओं के बाद क्या किया है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। केन्द्रीय सरकार, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की हमेशा यह कोशिश है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन इन घटनाओं को रोकने के साथ-साथ हरिजनों और आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए भी प्रभावकारी ढंग से कार्यवाही करनी पड़ेगी। जब तक उन्हें आर्थिक दृष्टि से ऊंचा नहीं उठाया जाएगा, तब तक वे बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। इस दिशा में अभी तक बहुत कुछ हुआ है; लेकिन जितना किया जाना चाहिए था, उतना अभी तक नहीं हुआ है।

इस सरकार की मन्शा इस बात से जाहिर होती है कि जहां पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में केवल गृह मंत्रालय में हरिजनों के लिए 85 करोड़ रुपये रखे गए थे, वहां छठी पंच-वर्षीय योजना में यह रुपया बढ़ा कर 800 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा और बहुत-सी योजनाएं हैं। जैसे

हरिजनों के लिए स्पेशल काम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपया रखा गया है। (व्यवधान) जब रुपया रखा गया है, तो वह खर्च जरूर होगा। सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से सचेष्ट है कि हरिजनों को 20-सूत्री कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऊपर उठाया जाए।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लैंड रिफार्म्ज किए गए हैं। दुनिया में पहली बार शान्तिपूर्ण तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में भूमि को भूमि के मालिकों से लिया गया और उसे भूमिहीन किसानों में बांटा गया, जिनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा हरिजन और आदिवासी थे। हो सकता है कि भूमि सुधार के कानून को लागू, प्रभावकारी ढंग से लागू करने में कुछ कमी रही हो। लेकिन एक बड़ी जबर्दस्त शुरुआत हुई है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा हरिजनों और आदिवासियों को पहुंचा है। इसलिए श्री पासवान का यह कहना सत्य से परे है कि हरिजनों के लिए कुछ नहीं हुआ है। (व्यवधान) आज जगह-जगह प्रोफेसर दिखाई दे रहे हैं, राजनैतिक नेता दिखाई दे रहे हैं। 35 वर्ष पहले यह स्थिति नहीं थी। अब तो बहुत से लोगों को जलन हो गई है कि सब कुछ हरिजनों को दिया जा रहा है, दूसरों को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए टेन्शन भी पैदा हो रही है।

यह कांग्रेस की सरकार थी, जिसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हरिजनों को ऊंचा उठाने का व्रत लिया था। वह हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए कटिबद्ध है।

पासवान जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का जिक्र किया। मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हरिजनों पर, कमजोर वर्गों पर जो अत्याचार हुए उससे वह प्रभावित हुए, द्रवित हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं कि उनके मुख्य मंत्री हो, चाहे उनके केन्द्र के गृह मंत्री हो, उन्होंने यह कभी नहीं किया था। यह काम भी एक कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने ही किया। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं बड़े अदब के साथ राम विलास जी और विरोधी पक्ष के लोगों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल को किसी मुख्य मंत्री के विरुद्ध या गृह मंत्री के विरुद्ध एक गैंग तैयार और वह गैंग किसी गांव में जाकर बीस या पन्द्रह आदमियों को जान से मार डाले, फिर कल को कहें कि मुख्य मंत्री इस्तीफा दें तो यह कोई उचित परम्परा नहीं होगी कि दो-चार या दस-पांच आदमियों को मार कर मुख्य मंत्री से यह कहा जाय, उस पर दबाव डाला जाए कि वह इस्तीफा दे। यह बात कल आप के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अच्छी नियत से इस्तीफा दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि सार्वजनिक दृष्टि से यह बात उचित नहीं होगी।

आज जो अत्याचार हो रहे हैं उनको केवल राजनैतिक तरीके से या सरकारी जोर दबाव डालकर नहीं रोका जा सकता। हमें अपने समाज की मनोवृत्ति को भी बदलना होगा। क्या राम विलास जी को नहीं मालूम है कि हरिजनों पर जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उसमें अधिकतर उन वर्गों के द्वारा वह की गई हैं जो कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप लोगों ने किया है या जिन्होंने किया है वह आप लोगों के हमदर्द हैं। लेकिन विरोधी पार्टियों में बैठने वाली एक पार्टी के वह विशेष रूप से हमदर्द हैं। तो उन लोगों को रोकने की आवश्यकता है··· (व्यवधान)···

मैं अपने विरोधी साथियों से भी अपील करूंगा कि ये घटनाएं···

सभापति महोदय : आप उनकी बात मत सुनिए, अपनी बात जो कहनी है वह कहिए।

श्री जैनुल बशर : मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि उनके समर्थकों द्वारा जो हो रहा है··· **(व्यवधान)**···कांग्रेस के वह समर्थक नहीं हैं, उन्हीं के समर्थक हैं।

श्री राम विलास पासवान : हमारे समर्थक हैं तो उनको पकड़ कर बन्द क्यों नहीं करते हैं ?

श्री जैनुल बशर : कर रहे हैं।

तो उनको भी आप समझाने की कोशिश करिए।

एक बात और कह कर मैं खत्म करता हूं कि तमिलनाडु में जो घटनाएं हो रही हैं अत्याचार की, वह भारत के अन्य स्थानों की घटनाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। तमिलनाडु और देश के कुछ अन्य भागों में जैसे गुजरात में और महाराष्ट्र में भी एक नया संगठन खड़ा हो रहा है—विश्व हिन्दू परिषद्। इस संगठन के लोग हरिजनों को टेररराइज कर रहे हैं, इस प्रकार का वातावरण पैदा कर रहे हैं कि अगर वह कन्वर्ट होंगे, अगर वह धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनको उजाड़ दिया जाएगा, उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। इससे न केवल हरिजनों में आतंक पैदा हो रहा है बल्कि इस देश के अल्पसंख्यकों में भी आतंक फैला हुआ है चाहे वह मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों चाहे वह बौद्ध हों चाहे दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में जो घटनाएं हो रही हैं या महाराष्ट्र और गुजरात में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें विश्व हिन्दू परिषद के नाम से जो संगठन खड़ा हो गया है उसका भी हाथ है। कल को उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वह अपनी यह भूमिका शुरू करेगा। तो इस पर भी रोक लगायी जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। यह बड़ी लज्जा की बात है कि इस सभा को इस मामले पर अर्थात् हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों की घटना पर लगभग प्रत्येक सत्र में विचार करना पड़ता है क्योंकि स्थिति में कोई कमी नहीं आई है और अत्याचार अभी भी किए जा रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के साढ़े तीन दशकों के पश्चात् भी हम अब तक जाति-विहीन समाज की स्थापना नहीं कर पाए हैं, वर्गहीन समाज की तो बात ही क्या कही जाए। संविधान निर्माताओं ने यह अनुभव किया था कि देश के हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कुछ विशेष उपबन्ध करने आवश्यक हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में प्रशंसनीय उद्देश्य रखे गए हैं।

आप जानते हैं कि एक उपबन्ध अनुच्छेद 46 में है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। ऐसा महसूस किया गया था कि इसके लिए 10 वर्षों का समय पर्याप्त होगा जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था रहेगी; परन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र में शासक दल की यह असफलता स्वीकार की जाती है। शासक दल स्वयं प्रत्येक दशक के बाद आवधिक संशोधन रखता रहा है। अब यह अवधि बढ़ाकर 40 वर्ष हो गई है। इससे स्पष्ट होता

है कि स्थान आरक्षण अभी भी आवश्यक है जिससे सिद्ध होता है कि केन्द्र सरकार जिसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का ध्यान रखने का भार सौंपा गया था बिल्कुल असफल रही है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकी है।

न केवल इतना ही कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियां और हरिजन अभी भी निर्धन हैं, बल्कि कई स्थानों पर उन्हें मानव ही नहीं समझा जाता। उनकी यह इच्छा होना स्वाभाविक है कि उनके साथ सम्मानपूर्ण ढंग से व्यवहार किया जाए। उनके भाग्य में तथाकथित सवर्णों और धनी लोगों द्वारा शोषण किया जाना तथा निरन्तर कष्ट झेलना ही लिखा है। उनके साथ द्वितीय दर्जे के नागरिकों से भी घटिया व्यवहार किया जाता है।

यह स्थिति है। इस सबके अतिरिक्त न केवल आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, बल्कि उनके सामाजिक पिछड़ेपन का भी शोषण किया जा रहा है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। कमजोर वर्गों अर्थात् हरिजनों और आदिवासियों को शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं और उन पर अत्याचार किये जाये हैं। आज उन्हें अपने जीवन और स्वतन्त्रता तथा अपनी थोड़ी से सम्पत्ति की रक्षा हेतु पीड़ा में चिल्लाना पड़ता है।

प्रत्येक सत्र में हम इस पर चर्चा करते हैं और प्रत्येक सत्र में हमें यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। श्री राम विलास पासवान ने उन जिलों के नाम पता लगाने का कष्ट किया है जहां ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, परन्तु यह तो दृष्टिकोण का प्रश्न है। इस तथ्य के अतिरिक्त कि हमें स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्षों के पश्चात् भी हो रहे इस प्रकार के अत्याचारों के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करना है। हमें इस सम्मानित सभा में जो देश में विधि निर्माण का सर्वोच्च मंच है, इस बात का विश्लेषण करना है कि इस बुराई का मुकाबला करने के मामले में प्रशासनिक एजेंसियों का क्या दृष्टिकोण रहा है। क्या वर्तमान सरकार, जिसकी उन सभी राज्यों में अपनी सरकारें हैं जहां ये घटनाएं हो रही है अपने उत्तरदायित्व से इन्कार कर सकती है? क्या उनके लिए इस बात से इन्कार करना सम्भव है कि वे इन पददलित समुदायों की स्थिति में सुधार के लिए रचनात्मक कार्यवाही नहीं कर सके हैं?

मैं अनेक उदाहरण दूंगा, क्योंकि यह स्मरण कराना आवश्यक है कि क्या हुआ है। हम जानते हैं कि कई स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं—पिपरा से बेलछी, विश्रामपुर, धर्मपुर, बीजापुर, देवली, माढ़ूपुर। ये घटनाएं यहीं समाप्त नहीं हो जाती। पिछले दिनों ये गैनी में हुई हैं। इन घटनाओं की एक पूरी शृंखला है और विशेषरूप से यह संकेत दिया गया है कि इन सभी मामलों में इस प्रकार के कत्ल किए गए हैं कि उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कई मामलों में कानून लागू करने वाले तन्त्र अर्थात पुलिस की जमींदारों के साथ अथवा अनुसूचित जातियों को कष्ट देने वालों के साथ सक्रिय सांठगांठ रही है। महिलाओं के सिर काट दिए गए हैं और उन्हें जिन्दा भी जलाया गया है। क्या हमें इन कृत्यों के लिए शर्मसार नहीं होना चाहिए जबकि हम मानते हैं कि देश में एक सभ्य सरकार की प्रणाली है? उनका केवल एक अपराध है कि वे गरीब हैं, कुछ स्थानों पर उनका अपराध यह है कि वे न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं, कुछ स्थानों पर उनका अपराध यह है कि वे अपने हितों की रक्षा हेतु संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ स्थानों पर उनका अपराध यह है कि वे निरन्तर पूर्ण शोषणवादी प्रणाली के अधीन नहीं

रहना चाहते, कुछ स्थानों पर उनका अपराध यह है कि वे अनिश्चित काल से चली आ रही बन्धुआ मजदूरी पर आपत्ति कर रहे हैं।

सभापति महोदय : उनका एक और अपराध यह है कि वे अपने जन्म का प्रबन्ध पहले से नहीं कर सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें आप से यह बहुत ही संगत टिप्पणी मिली है। उन अपराधों के लिए जिनके लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं यह देश, यह समाज, प्रशासन उन्हें न्यूनतम सुरक्षा, न्यूनतम राहत प्रदान नहीं कर सकता। देवली में क्या हुआ ? 24 हरिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया, और हमारी प्रधान मंत्री जी ने इसका कारण एक गांव की एक मामूली दुश्मनी बता दिया। आज मैं '**हिन्दुस्तान टाइम्स**' पढ़ रहा था। प्रधान मंत्री ने अपने दल की बैठक में कहा है कि इसमें राजनीति लाई जा रही है। मुझे खेद है कि मुझे यह कहना पड़ा क्योंकि समाचार पत्र में यह सब प्रकाशित हुआ है ? प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित बात कही है :

> "इस प्रकार का प्रचार करके कि हरिजनों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं में तब से वृद्धि हो रही है, जब से वे सत्ता में आई हैं, कांग्रेस (इ) को लोगों से दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।"

ऐसा प्रधान मंत्री ने कहा बताते है। मैं 8 जुलाई, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स से उदाहरण दे रहा हूं। यह निम्न प्रकार हैं।

> "यह बिल्कुल झूठा प्रचार है, इस प्रकार का जैसा कि हिटलर ने किया था।"

मैंने सोचा कि उन्होंने हिटलर के बारे में अपने विचारों को बदल लिया है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिटलर की प्रशंसा कर रहे थे जो हाल ही में सुने गए थे।

फिर भी इन पद्दलित लोगों, सताए गए लोगों, मारे गए लोगों और उनके सम्बन्धियों के प्रति सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा गया; प्रधान मंत्री के रूप में इस बुराई से लड़ने का निश्चय प्रकट करने की तो बात तो दूर रही। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विषय के महत्व को देखते हुए सत्र के पहले दिन इस पर चर्चा की अनुमति देकर ठीक किया है। इसे विपक्षी दलों द्वारा चलाया जा रहा केवल राजनीतिक प्रचार ही नहीं कहा जा सकता। दूसरे पक्ष के सदस्यों को, चाहे उनका इन अत्याचारों से कोई संबंध नहीं है, इस बात पर लज्जा का अनुभव नहीं होता कि उनके शासन काल में, जब उनकी सरकार अस्तित्व में है, न्यूनतम सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। क्या उन्हें इस बात पर लज्जा नहीं आती कि उनके एक मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है ? इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वे कमजोर वर्गों, हरिजनों और आदिवासियों के जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इनके कल्याण की विशेष जिम्मेवारी केन्द्रीय और राज्य सरकारों पर डाली गई है। जहां आपका शासन है वहां आप इस पर नियन्त्रण नहीं रख सके। बहुत से कारण दिए गए हैं परन्तु वास्तविक कारण यह कि प्रशासन पूर्णतया असफल हो गया है तथा जिन क्षेत्रों में ये घटनाएं हो रही हैं, वहां राजनीतिक स्तर पर दृढ़ इच्छा का अभाव है। परन्तु जो कारण बताए गए हैं और इन घटनाओं के जो कारण बताए जा

रहे हैं वे यह हैं, कई स्थानों पर स्थानीय विवाद चल रहे हैं जो परम्परागत रूप से चलते चले आ रहे हैं। यह कहा जाता है कि वहां आर्थिक विवाद हैं। यह भी कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर हरिजन सामुदायिक पूजा और ग्राम सुविधाओं आदि बातों के अपने अधिकार पर अड़ जाते हैं।

श्री पासवान कह रहे थे कि हल यह दिया जाता है कि जहां अस्पृश्यता मानी जाती है वहां हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिए पृथक कुंए हों। यदि इस दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं किया जाता है, लोगों के दृष्टिकोण को बदला नहीं जाता है तो इस समस्या का तब तक कोई समाधान नहीं होगा जब तक सरकार कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं करती।

महोदय, हाल ही में लिखे गए एक सम्पादकीय में बहुत ही संगत टिप्पणी की गई है। मैं 6 जुलाई, 1982 के 'पेट्रियट' से पढ़ रहा हूं। उसमें यह कहा गया है:

> "इन अत्याचारों को रोकना मुख्यत: राजनीतिक कार्य है। यह उन सभी राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व है जो लोकतान्त्रिक और समानता की व्यवस्था में अपनी आस्था रखते हैं। ये दल जो कहते हैं और जो कुछ ये गम्भीरतापूर्ण करते हैं उसमें जो भारी अन्तर है उससे हमारी व्यवस्था के आडम्बर का पर्दाफाश होता है। इस प्रकार के कपटपूर्ण व्यवहार का कारण स्पष्ट है। हरिजन हमारे देश के अधिकांश ग्रामों में अल्पसंख्या में है और इसलिए समाज के इन पददलित वर्गों के प्रति किए गए अत्याचारों की। जो लोग बड़े स्पष्ट शब्दों में निन्दा करते हैं वही लोग बड़ी धूर्तता से उच्च जातियों के कट्टरपन का, जिनका समर्थन चुनावों में महत्व बहुत रखता है, समर्थन करते हैं। हरिजनों पर किए गए अत्याचारों की मौन स्वीकृति को व्यवहारिक राजनीति समझा जाता है और इस विषय पर उत्तेजना विरोधियों को हताश करने के लिए प्रकट की जाती है। इसलिए उनके प्रति आंसू बहाने वाले सभी लोगों के प्रति एक दोषदर्शी दृष्टिकोण बन जाता है। समाज में और राजनीति में प्रमुख रूप से छाए हुए लोगों की ईमानदारी के प्रति विश्वास के इस अभाव के कारण हरिजन युवा वर्ग में अत्यधिक निराशा पैदा होती है और वे अपनी समस्या का उग्रवादी अतिवादी हल ढूंढते हैं।"

परन्तु यह एक बहुत ही संगत कारणों में से एक है, यदि वास्तव में दृढ़ राजनीतिक इच्छा और प्रशासनिक इच्छा हो, परन्तु इसका प्रयोग राजनीतिक चाल के लिए किया जाए, क्योंकि जहां तक राजनीतिक हिसाब का, मतदान के हिसाब का सम्बन्ध है। वे अल्पसंख्या में हैं और इसी कारण उन्हें केवल चुनावों के समय याद किया जाता है और उस समय बहुत-सी बातें कही जाती हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनमें कुछ सूत्र हरिजनों के उत्थान के लिए रखे जाते हैं और उनके लिए काफी धन का प्रावधान किया जाता है, तो इनके लाभ उन तक नहीं पहुंचते हैं।

यह चुनावों के लाभ के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो हम पाते हैं कि रवैया बिल्कुल उलट जाता है, क्योंकि यह कुछ लोगों के लिए राजनीतिक रूप में, तथा कुछ राज्यों में कुछेक राजनैतिक दलों के लिए अधिक लाभजन्य होता है कि धनिक वर्गों और उच्च वर्ग के लोगों को अपनी ओर मिलाकर रखा जाए।

जहां तक इस देश के लोगों का सम्बन्ध है, भूमि सुधारों के मामले का वचनबद्ध होकर पालन किया जाना चाहिए। हम यह स्वीकार करते हैं और विनम्रतापूर्वक हम इसके श्रेय का दावा भी करते हैं कि जो कुछ पश्चिम-बंगाल में हुआ है, वैसा हम और कहीं भी नहीं पाते हैं और इसलिए एक बार फिर विनम्रतापूर्वक हम श्रेय का दावा करते हैं कि पश्चिम-बंगाल में हरिजनों पर अत्याचार की ऐसी घटनाएं यदि पूरी तरह से नदारद नहीं हुई हैं तो उनकी संख्या न्यूनतम अवश्य है। परन्तु अन्य राज्यों में, पड़ौसी राज्य बिहार में जहां के कि आप रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में यह हो रहा है और महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में यही हो रहा है। यह सब कहकर मैं प्रसन्न नहीं हूं। मैं इससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहता हूं। परन्तु लोग जानते हैं कि इन राज्यों में कौन लोग सत्तारूढ़ हैं और कौन प्रशासन चला रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : आनन्दमार्गियों पर हुए अत्याचार के बारे में आपका क्या कहना है ?

सभापति महोदय : इस समय हम हरिजनों पर अत्याचार की चर्चा कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कभी भी गम्भीर रहना नहीं सीखेंगे। कृपया उन्हें कुछ सिखाइए।

क्या इन मान्यवर सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होती है कि 1981 में नवम्बर तक हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाओं की संख्या 11,743 थी ? क्या उन्हें इस पर गर्व का अनुभव होता है ? इनमें से 2,637 घटनाएं तो अकेले उस उत्तर प्रदेश में घटी जहां उनका दल 1980 से सत्तारूढ़ है, तो क्या उन्हें इस पर गर्व का अनुभव होता है ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : हम इस पर लज्जित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः, ऐसा रवैया हो गया है कि जब हम अपने समाज की एक ऐसी बीमारी पर, जिसका कुछ मामलों में राजनैतिक उद्देश्यार्थ उपयोग किया जाता है, सत्यभाव से चर्चा कर रहे हैं तब इस प्रकार की छिछोरी बातें बीच में कही जा रही हैं।

आप कृपया मुझे 'स्टेटसमैन' के सम्पादकीय से उद्धरण पढ़कर सुनाने की अनुमति दीजिए। ये वामपन्थियों के समाचारपत्र नहीं हैं। उसमें यह बात कही गई है। मैं 'स्टेट्समैन' के सम्पादकीय से एक परिच्छेद उद्धृत कर रहा हूं :

> "त्रासदी यह है कि इन शिक्षाओं की उन लोगों द्वारा निरन्तर अवहेलना की जाती है जो कि वास्तविकता को पकड़ने के बजाय उनके दुःखों, उन पर हुए अत्याचारों का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए शोषण करते हैं। श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने यह आश्चर्यजनक आरोप लगाया कि संभवतः विपक्ष द्वारा कांग्रेस (इ) को बदनाम करने के लिए "पूर्वी उत्तरप्रदेश में बड़े पैमाने पर हरिजनों की हत्या का गहरा षड्यन्त्र" रचा गया है। उत्तरप्रदेश सरकार तो सहजरूप से उस परिस्थितिजन्य साक्ष्य को यह जताने के लिए साफ कर चुकी है कि साढ़ूपुर में किया गया घोर अत्याचार जिसमें दस हरिजनों की हत्या की गई थी, डाकुओं का काम था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी केवल छः सप्ताह पूर्व ही देवली में हुए 24 हरिजनों के हत्याकाण्ड को "साधारण ग्रामीण प्रतिद्वन्द्विता" का परिणाम

बताकर दबा दिया था। यदि बिहार में श्री जगन्नाथ मिश्रा इस प्रकार के विविध छल-कपट का सहारा नहीं ले रहे हैं तो इसका कारण यही है कि उन्होंने धनबाद जिले में शस्त्र जमींदारों द्वारा की गई तीन हरिजनों की हत्या को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता के लिए पर्याप्त गम्भीर अपराध नहीं माना था। परन्तु भोपाल ने गत रविवार के घोर हत्याकाण्ड को दो दलों में शत्रुता का परिणाम नाम देने में थोड़ा ही समय लगाया, जिसमें समाज की सुरक्षाविहीन निम्न जातियों और खून की प्यासी ऊंची जाति के हिन्दुओं की उत्तेजित-भीड़ को जिसने 13 पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को जीवित जला दिया या उनका शिरोच्छेदन कर दिया, एक समान ही बताने का प्रयास किया।"

हाल ही में आप जानते हैं जून में क्या हुआ है। 30 जून, 1982 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में यह कहा गया है :

"जमींदारों द्वारा प्रतिशोध लिए जाने के एक अन्य दूसरे मामले में भी कम से कम छः हरिजनों को, जिनमें दो महिलाएं और एक छः वर्ष का बच्चा भी सम्मिलित है, सोमवार को औरंगाबाद जिले के ओबरा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गिआनी गांव में निर्ममतापूर्वक गोली से उड़ा दिया गया है।"

जब राज्य विधान सभा में मामले को उठाया गया तो मुख्य मन्त्री महोदय ने, जो कि वहां उपस्थित थे, चुप रहना ही ठीक समझा। उनके पास अपनी ओर से कहने को भी कुछ नहीं था। उन्होंने इतना तक नहीं बताया कि पुलिस क्या कार्यवाही करने जा रही है। श्री रामविलास ने यह बिल्कुल ही ठीक पूछा है कि कितने मामलों में कार्यवाही की गई है और कितने मामालों में दोषसिद्धि की गई है ? यह बात कैसे है कि पुलिस के विरुद्ध ऐसे गम्भीर आरोप लगाए गये हैं कि वह आक्रमणकारियों के साथ मिली हुई है ? बहुत से मामलों के बारे में हमारे नेता श्री समर मुखर्जी गत डेढ़ मास से मन्त्री महोदयों को लिखते रहे हैं। उन्होंने उत्तर-प्रदेश और बिहार के मुख्य मन्त्रियों, प्रधान मन्त्री महोदया और हमारे नये गृह मन्त्री महोदय को लिखा है।

श्री आर० वेंकटरामन : इस सत्र के अन्त तक।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु इस समय मैं आपको ही गृह मन्त्री मानता हूं। मैं उर्दू के शेयरों से वंचित रहकर काम चला सकता हूं। मुझे इसका दुःख नहीं है।

हमारे पास यहां अनेकों शिकायतें आ रही हैं। वे मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री जैसी हस्तियों के पास प्रेषित की जाती रही हैं। परन्तु उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है ? क्योंकि कुछ लोग गरीब हैं और तथाकथित निम्न-जाति के हैं तथा सुरक्षाविहीन है इसलिए उन पर किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रूरता और अत्याचार किया जा सकता है। घर के घर जला दिए जाते हैं। कुछ घटनाओं में मैंने पाया है कि बच्चों को जीवित जला दिया गया है। कुछ का शिरोच्छेदन कर दिया गया है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग छिछोरे बनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग यहां-वहां आरोप लगाते फिर रहे हैं। प्रधान मन्त्री महोदया का कहना है कि जो कुछ आरोप लगाए गए हैं वह सब हिटलरी प्रचार

है। यदि प्रधान मन्त्री महोदया का ही ऐसा रवैया है तो यह बड़े ही शर्म की बात है। संसदीय सत्र आरम्भ होने की पूर्वसन्ध्या को वह इसे विपक्ष का प्रचार बताती है। वह सत्र आरम्भ होने से पूर्व, इन लोगों के बारे में एक भी शब्द कहे बिना, अपने दल के मंच का आयोग विपक्ष पर बहानों के गोले दागने के उद्देश्यार्थ करती है।

सभापति महोदय : आप अपने निर्णायक स्वयं है। मैं समझता हूं कि कुल ढाई घण्टे का समय दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपकी बात से कतई सहमत हूं।

प्रो० मधुदण्वते (राजापुर) : वह जब पीठासीन थे तब उन्होंने समय आवंटित किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सामग्री का तो अभाव है नहीं, परन्तु समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल और उन राज्यों में भी जहां यह सब नियमित रूप से और बारम्बार हो रहा है, कांग्रेस (इ) दल अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता है। उन्हें उत्तरदायित्व स्वीकार करना ही होगा। उन्हें अपनी राजनीतिक इच्छा-शक्ति और प्रशासनिक इच्छा-शक्ति को दर्शाना होगा।

ये घटनायें इन राज्यों में ही विशेषकर क्यों हो रही हैं ? यदि ऐसा सोचा जाता है कि तथा-कथित उच्च जाति के लोगों या अमीर लोगों के साथ व्यवस्था या समझौता करके वे सदैव-सदैव के लिए हरिजनों को वश में कर लेंगे तो वे गलतफहमी में है, क्योंकि इन लोगों की संख्या बहुत अधिक है और उनमें से बहुत-सों को एक सभ्य देश के नागरिकों के उन अधिकारों और उस सभ्य रहन-सहन के बारे में पता है जिनका सुख उठाने से उन्हें वंचित रखा गया है। मुझे आशा है और पूरी आशा है कि उचित राजनीतिक शिक्षा और जागरुकता से, जो उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों, मानव के अधिकारों और न्यायिक अधिकारों के बारे में दी गई है, वे इन मार-काटों का मुकाबला कर सकेंगे और आर्थिक विषमताएं दूर हो जायेंगी। यदि ये घटनायें आगे भी होती रहती हैं और यदि यह विवृत्ति बढ़ती ही जाती है और यदि प्रशासन यह सोचता है कि लोगों के उस धनी एवं प्रभावशाली वर्गों की सहायता करके जो कि सदैव इस बात को लेकर चिन्तित रहते हैं कि प्रगति के लाभ कमजोर वर्गों को मिल रहे हैं या नहीं, पिछड़े वर्गों को मिलते हैं या नहीं और इसीलिए प्रभावशाली धनी वर्गों द्वारा, समाज के तथाकथित सामाजिकरूप से स्थायी वर्गों द्वारा इसका विरोध किया जाता है उन्हें सदैव यह डर खाये रहता है कि प्रगति के लाभ यदि कोई है तो, निम्न स्तर के उन वर्गों तक न पहुंच जायें जो कि सदैव शोषण का शिकार रहे हैं और इसीलिए उनके द्वारा सदैव इसका विरोध किया जाता है और यदि सरकार धनियों के उन वर्गों का समर्थन देने की वर्तमान नीति को चालू रखती है तो वह इस समस्या को हल नहीं कर पायेगी।

अत: इन पद-दलित लोगों में विश्वास जमाने के लिए कुछ रचनात्मक कदम उठाने होंगे। निस्सन्देह उनमें से एक कदम है भूमिसुधार, जो कि इन लोगों को स्थायी अधिकार प्रदान करता है। भूमि सुधारों को उचित ढंग से लागू किया जाना चाहिये।

प्रशासनिक सेवाओं की बात करते हुए, जहां तक पुलिस सेवा का सम्बन्ध है, मैंने पाया है

कि उत्तर-प्रदेश में पुलिस बल में हरिजनों का प्रतिशत केवल 15.24 है इतना होते हुए भी अधिक संख्या सिपाहियों और पुलिस-बल के निम्न स्तरों की है तथा मुश्किल से उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछेक लोग ही पुलिस-अधीक्षक या इसी प्रकार के पदों पर हैं। अतः कुछ ऐसी कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिये जिससे वे यह अनुभव कर सकें कि ऐसे लोग भी हैं जो मुसीबतों और कष्टों में उनका साथ देंगे।

अतः हम जोर देकर यह आग्रह करते हैं कि यदि संवैधानिक घोषणा या नीति निर्देशक सिद्धान्तों को केवल राजनीतिक प्रचार और चुनाव के समय के लिए उपयोगी नहीं समझा जाता है और यदि सरकार उनके बारे में वास्तव में ही सही रूप में चिन्तित है और उन्हें चुनावों के समय कठपुतली के रूप में काम में लाने की इच्छुक नहीं है, तो हमें यह देखना है कि क्या-क्या प्रशासनिक कार्यवाहियां की जाती हैं, कौन-कौन से भूमिसुधार लागू किए जाते हैं और मुख्य मंत्रियों या उन सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध जो कि उनके राजनीतिक कुकर्मी हैं और जो इन बातों को प्रोत्साहन देते हैं और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, क्या कार्यवाही की जाती है। अतः, मैं अनुभव करता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसे पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और मैं सरकार से इस मामले में उपयुक्त कदम उठाने का निवेदन करता हूं।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, आज यह सदन एक ऐसे गंभीर मसले पर विचार कर रहा है जो एक मानवता का मसला है। जो हत्याएं होती हैं या जो एट्रासिटीज होते हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और देश पर कलंक है। इसी सदन में एट्रासिटीज आफ हरिजन्स के नाम पर कई बार वाद-विवाद हुआ, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। आखिर इस सामाजिक कोढ़ को कैसे दूर किया जाए, यह सोचने के बजाए राजनीतिक रोटियां अधिक सेंकी जा रही हैं।

अभी भाई रामविलास जी बोल रहे थे। मैंने उनकी बातों को बड़े गौर से सुना, लेकिन दुःख हुआ कि समस्याओं के दृष्टिकोण को छोड़कर उन्होंने ब्राह्मणवाद की व्याख्या कर डाली। मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि जाति पर आधारित सभी बातें खराब हैं, चाहे ब्राह्मणवाद हो या पिछड़ावाद। समस्याओं का समाधान वाद से सम्बद्ध नहीं है। रामविलास जी की बात के बारे में, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद की बड़ी आलोचना की है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1931 में हट्टन साहब सेंसस कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने एक किताब लिखी है "कास्ट आफ इंडिया"। उसमें लिखा है कि रामनाथ-पुरम और तिरुनल वैली के जो रहने वाले लोग हैं, उनमें 63 प्रतिशत तेवर जाति के लोग हैं। उन्होंने 8 सूत्री प्रोग्राम बनाया, हरिजनों का दमन करने के लिए। जिसमें जूते न पहनना, घुटने के नीचे धोती का न होना, छतरी न लगाना आदि बातें शामिल थीं। 1950 में अमानुल नामक लड़का पैदा हुआ, जिसने क्रिश्चियन धर्म मान लिया। उसने जब ये पाबन्दियां तोड़नी चाहीं तो 8 के बदले 12 पाबन्दियां लगा दी गईं। ये तेवर जाति के लोग कौन थे। ये ब्राह्मण नहीं थे बल्कि पिछड़ी जाति के थे। यह इतिहास है। इसलिए जाति पर आधारित बातों की हमें कंडेम करना चाहिए, तभी सोल्यूशन हो सकता है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : पिछड़ी जाति किसने बनाई है? **(व्यवधान)**

श्री रामस्वरूप राम : "मनुस्मृति" के आधार पर समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और आज "मनुस्मृति" पढ़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं है ।

अभी तक हम यह पाते हैं कि 1978 में सबसे अधिक अत्याचार हुए—15070 क्राइम्स हुए जो हरिजन-आदिवासियों से सम्बन्धित थे ।

मैं आंकड़ों की बात नहीं करना चाहता हूं । असल बात मैं कहना चाहता था । लेकिन आंकड़ों की बात जो आपने रखी है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि 15070 क्राइम्ज हरिजनों और आदिवासियों पर 1978 में हुए थे ? आपको याद होगा राम विलास जी कि आपकी ही सरकार तब सत्तारूढ़ थी—

श्री राम विलास पासवान : कितने लोग तब मारे गए थे ? अभी कितने मारे गए हैं ?

श्री रामस्वरूप राम : तब क्राइम्ज पराकाष्ठा पर थे । शुरूआत वहीं से होती है ।

मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तब बेलछी की घटना घटी थी । यह ठीक है कि तब कर्पुरी ठाकुर की सरकार बिहार में नहीं थी । लेकिन केन्द्र में श्री मोरारजी देसाई की रिएकशनरी सरकार बन गई थी जो जातपात में विश्वास रखती थी और उसको बढ़ावा देती थी और चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे । आपको यह भी याद होगा कि आपने बेलछी के हरिजनों की बात यहां लोक सभा में उठाई थी और आपने कहा था कि बेलछी के हरिजनों की जो हत्यायें हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए । तब आपने अपने ढंग से यह लड़ाई लड़ी थी । लेकिन चौधरी चरण सिंह हरिजनों के बारे में कैसी तीखी टिप्पणी की थी, यह भी शायद आपको याद होगा। इस वास्ते घड़ियाली आंसू बहाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है ।

श्री राम विलास पासवान : आप क्यों नहीं लड़ते हैं यह लड़ाई ?

श्री रामस्वरूप राम : हमारे देश का नेतृत्व इसके लिए परेशान है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इसको खत्म किया जाए । आपको मैथिलीशरण गुप्त की एक लाइन याद होगी :

बड़ी जलन है इस ज्वाला में जलना कोई खेल नहीं
जिधर देखो करुणा से मानवता का मेल नहीं ।

यह मानवता का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न नहीं है । इसका समाधान हो इसके लिए हम को कदम उठाने होंगे ।

जो एट्रासिटीज आज हरिजनों पर हो रही हैं देश में वे इस कारण भी हो रही हैं कि वे जागृत हो गए हैं अपने अधिकारों के प्रति और उनको लेने का एक बहुत बड़ा साहस उनमें पैदा हो गया है । वह साहस जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पेश किया गया है श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ से उसकी वजह से हुआ है । मिनिमम वेजिज, लैंड रिफार्म्ज आदि सब कार्यक्रम उनके लिए बनाए गए हैं और उनको दिए गए हैं । वह गांव में बैठा है ।

खेत मजदूर हो या अन्य कामों में लगा हुआ, अपने हक लेने के लिए तैयार हैं । प्रतिक्रियावादी ताकतें जो हैं, जो सामन्त हैं, जो जाति में नहीं बल्कि वर्ग में पलते हैं, वे उनका गला घोटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं ।

मैं उदाहरण देता हूं। हरिजनों की समस्याओं को हल करने के आपके इरादे नेक हैं। लेकिन प्रशासन की वजह से, सामाजिक बनावट की वजह से हरिजनों पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको आपको गम्भीरता से लेना चाहिए। सदन में वाद-विवाद करने से और रस्मी जवाब दे देने से हरिजनों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। बिहार में हरिजनों और आदिवासियों को रस्मी तौर पर थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती है। इंदिरा गांधी जी ने उनका—आह्वान किया, तुम आगे बढ़ो, सरकार तुम्हारे साथ है। जब यह नारा उनको दिया तो उस नारे का सहारा लेकर गायनी गांव, मेरा गांव, रक्षा गांव में मैं गया हूं जहां के लोगों को उग्रवादी कह दिया जाता है, वहां पर सामन्तवादियों ने—

सभापति महोदय : शान्ति। समय पर भी ध्यान रखें। दो-चार मिनट में समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप राम : आपकी आज्ञा हो तो दो-चार मिनट और मिल जायें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री रामविलास पासवान : जिले के मंत्री के संबंध में भी तो बोलिये।

श्री रामस्वरूप राम : औरंगाबाद का जो गायनी गांव है, जहां यह घटना घटी है, बिहार के मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने अपनी परसनल जानकारी के लिए पांच आदमियों की एक कमेटी भेजी जिसमें भोलासिंह बेगुसराय के एम० एल० ए० थे, राजहंस नारायण सिंह थे एम० एल० ए०, मैं भी था, जमना राम जी थे, रामनारायण राम थे और हम सब गए थे। चूंकि वह पर्सनल जानकारी करना चाहते थे। वहां जाकर मैंने देखा, जो मुझे बताया गया था कि उग्रवादी हरिजन थे, तो मैंने देखा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री प्रोग्राम को लागू करवाने के लिये कटिबद्ध थे और वह उसको लागू कराने के लिए लड़ रहे थे। गैनी गांव के सामन्तों ने पहले तो लाठी, भाला, गंडासा और अन्य संगीन हथियार लेकर सुरेश के घर में उन्होंने आग लगायी और जब सभी हरिजन चंदली गांव की तरफ भागने लगे तो बलदेव जो कि काफी वृद्ध था, और उसके नाती को जिसकी उम्र 6 साल की थी, उनको मारा। क्या 6 साल का बच्चा उग्रवादी हो सकता है ? तो हरिजनों को उग्रवादी नहीं कहना चाहिये, इसको रोकना चाहिए। वह अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारी सामन्तों के प्रभाव में आकर कहते हैं कि यह नक्सलवादी हैं और इसलिये उनको मार रहे हैं। हरिजनों के बच्चे जो बी० ए० में पढ़ते हैं—सालिगराम पासवान, अवधेश पासवान, रामरतन दास इनको पुलिस ने नक्सलाइट कहकर जेल में बन्द किया। 3 तारीख को मैंने वहां मीटिंग की वह नेशनल स्ट्रीम में आने के लिये तैयार हैं, लेकिन प्रशासन उनको उग्रवादी का नाम देकर परेशान कर रहा है। इसको तुरन्त रोका जाना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने 20 लाख लोगों को ओल्ड एज पेंशन देकर साबित कर दिया कि वह प्रोग्रेसिव मैथड्स अडाप्ट कर रहे हैं। यह सोशियो इकोनामिक प्रौबलम है और इसको उग्रवादी की संज्ञा देकर लोगों को मारा न जाए। प्रशासन को इसकी गहराई में जाकर देखना चाहिए और खामख्वाह सामन्तियों का इन गरीब लोगों को शिकार न बनने दें।

3, 4 दिन पहले मैंने अपने गृह मंत्री का बयान अखबार में पढ़ा था जो शायद उन्होंने मद्रास में दिया था कि हरिजनों को अब बन्दूकें नहीं दी जायेंगी। जबकि पहले गृह मंत्री ने कहा था कि उनको अपनी रक्षा के लिए बन्दूकें दी जायेंगी और ग्राम सुरक्षा दल में 2, 4 बन्दूकें रहेंगी। तो जब उन

पर अत्याचार बढ़ रहे हैं समाज की व्यवस्था के कारण, राम विलास जी के शब्दों में जाति पर आधारित समाज होने के कारण, इसलिये हरिजनों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिये उनको सरकार आर्म्स दे, व्यक्तिगत रूप से न सही, क्लेक्टिव रूप से दे। 10, 20 घरों की एक टोली बनाकर आप उनको आर्म्स दें ताकि ग्राम सुरक्षा दल बन सके। पिछले बीराकांड के समय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम ग्रामीण सुरक्षा दल बनायेंगे। लेकिन अभी तक उसको कार्य रूप नहीं दिया जा सका।

सभापति महोदय : आप इसी से अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप राम : मैं दो मिनट में सारी बात कह दूंगा।

मैं सिर्फ बिहार की ही बात नहीं करता हूं, देश के हर भाग की बात करता हूं। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों की प्रतिष्ठा की जो बात होनी चाहिए, उनको जो प्रोटेक्शन देना चाहिए, वह प्रोटेक्शन इन लोगों की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री तपासे, जो कि हरिजन गवर्नर थे, लोकदल के लीडर श्री देवी लाल ने जाकर उनके तमाचा मारा। क्या श्री तापसे, ब्राह्मण थे ? वह तो बैकवर्ड थे ? आप कहां हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं, यह इसका इलजाम नहीं हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : श्री तपासे एक्सैप्ट नहीं करते हैं तमाचे की बात।

श्री राम स्वरूप राम : सारी बातें अखबारों में आई है, अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मुझे हुई है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं।

देश में हरिजनों की आबादी 25 प्रतिशत है। उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि देश में गरीबी कोई दूर कर सकता है, उनको कोई सुरक्षा अगर दे सकता है तो वह प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही दे सकती हैं।

मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि पिपरा में जो घटना घटी, आज 98 आदिवासी जेल में हैं। देहुली में जो अत्याचार हुआ आज 43 आदमी जेल में बन्द हैं। मैं कोई नम्बर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत कह रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि वह हरिजनों के लिए आर्म्स का लाइसेंस दे। उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाये ताकि जस्टिस में डिले न हो। अगर जस्टिस में डिले होता है तो वही एट्रोसिटीज का कारण बनता है। मेरा सुझाव है कि हर स्टेट में स्पेशल कोर्ट्स बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह पूरी मुस्तैदी से 20-सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए आदरणीय स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूं कि सैशन के पहले दिन ही उन्होंने हरिजन आदिवासियों पर अत्याचार के बारे में बहस मान ली।

मैं एक बात कहने पर मजबूर हूं, लोक-सभा में यह रिवाज है कि जब नया सैशन शुरू होता है तो पुराने एम० पी० जो मर जाते हैं उनके बारे में पहले कन्डोलैंस रैज्यूलूशन लाया

जाता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब कभी नया सैशन शुरू हो, इंटर-सैशन पीरियड में अब हरिजन आदिवासी बहुत ज्यादा तादाद में मारे जाने लगे हैं, इसलिए उनके लिए एक कंडोलैंस और रैंज्यूलूशन पहले दिन ही लाना चाहिए। (व्यवधान)

जो बाकी सैशन में घटनाएं होती हैं, उसको बाद में डिस्कस करें।

यह रैंज्यूलूशन महूदद है, लिमिटेड है एट्रासिटीज पर जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज पर हुई हैं। उनके मसले ऐसे बहुत हैं, इकनामिक्स के, सर्विसेज के जिन पर इस रैंज्यूलूशन पर बहस नहीं हो पाएगी। मैं मांग करता हूं कि कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और कमीशन फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्ज इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स दे दी हैं, उन रिपोर्ट्स पर भी इसी सैशन में बहस होनी चाहिए ताकि हरिजन आदिवासियों के दूसरे मसलों पर भी बहस हो सके। यह महूदद मामला है, लेकिन इसके बारे में जितना कहा जा सकता है, मैं कहने की कोशिश करूंगा। इस तीन महीने के अरसे में—इस इन्टरसेशन पीरियड में—एट्रासिटीज के सैकड़ों वाकिआत हुए हैं, लेकिन मैं केवल दस पन्द्रह का जिक्र करूंगा, जो प्रामिनेंट हैं।

बिहार में गैनी में, जिसका जिक्र श्री रामस्वरूप राम ने किया है, 6 हरिजन गोली से उड़ा दिए गए, 7 को जख्मी किया गया और 29 घर जला दिये गए। दानापुर में 13 हरिजन लैंडलेस लेबरर्ज को जून में मारा गया।

तामिलनाडु में इस बार हद हो गई है। 30 मई को विल्लकापाक्कम में एक शिड्यूल्ड कास्ट टीचर को जान से मार दिया गया और 40 हरिजनों को जख्मी किया गया। उनका कुसूर सिर्फ इतना था कि गांव में पानी का नया कनेक्शन आया था और वे उससे पानी लेने लगे थे। पुलियन्गुड़ी में जून के पहले हफ्ते में 9 हरिजनों को जिन्दा जलाया गया और 20 आदमी जलने के कारण जख्मी हो गए। उन लोगों की 30 झोंपड़ियां जला दी गई। मिन्नाल गांव में एक शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी सुब्रह्मण्यम् को—हमारे सुब्रह्मण्म् नहीं; ये स्वामी हैं, वह स्वामी नहीं था—जिन्दा जलाया गया। मैंने आज **इंडियन एक्प्रैस** में पढ़ा है कि सैट्टूर नाम के गांव में एक हरिजन को मारा गया है, एक को अगवा किया गया है और एक को पीटा गया है।

वैस्ट बंगाल में तीन ट्राइबल लेडीज को गैंग-रेप किया गया है।

मध्य प्रदेश में केसतारा नामक गांव में 13 हरिजनों को मारा गया। खंडवा में 35 झोंपड़ियां जलाई गई। राजगढ़ जिले के टोका गांव में एक हरिजन को मारा गया, 4 को जख्मी किया गया। उनका कुसूर यह था कि वे मवेशी चरा रहे थे।

राजस्थान में टोंक जिले में राजमहा गांव में दो हरिजनों को मारा गया और बस्ती के सब घर जला दिए गए।

केरल में सुल्तान बैटरी गांव में 5 ट्राइबल्ज को अबुबकर नाम के आदमी ने गोली से मार दिया। उनका कुसुर यह था कि उन्होंने पास ही अपनी जमीन लेकर बस गए थे।

इस तरह की बहुत सी एट्रासिटीज गिनाई जा सकती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन एट्रासिटीज के कारण क्या हैं और उनकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, जब तक हम इस पर

गौर नहीं करेंगे, तब तक वे जारी रहेंगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस हाउस में जो डिसकशन होता है, उसका फायदा क्या है। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने पहले इन डिसकशन्ज में जो सुझाव दिए हैं, क्या उनमें से किसी सुझाव पर कोई कार्यवाही हुई है। इस सदन में रेलवे मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों पर डिसकशन होता है और वे सब मेम्बरों द्वारा उठाए गए पायंट्स का जवाब उन्हें भेजते हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे पास कभी कोई जवाब नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि यहां पर जो कुछ कहा जाए, होम मिनिस्ट्री उस पर कुछ एक्शन ले।

सभापति महोदय : आप नए मिनिस्टर को भी परख लें कि वह क्या जवाब देते हैं।

श्री सूरजभान : इन एट्रासिटीज के कुछ कारण हैं। लेकिन एक कारण यह भी हो गया है कि बेलछी में एट्रासिटीज हुईं, हरिजन मारे गए और उसके बाद उस गांव को सड़क मिली। यानी अगर किसी गांव तक सड़क बनवानी है, तो वहां हरिजन-आदिवासियों को मारो ! देवली में हरिजनों का कत्लेआम किया गया, उसके बाद उस गांव तक सड़क बनी। क्या गांवों में सड़कें बनवाने के लिए हरिजनों की हत्या जरूरी है ? ज्ञानी जी के ढाई साल के रेजीम में हरिजनों पर जो एट्रासिटीज हुई हैं, क्या उन्हीं के लिए उनको प्रोमोशन मिल रहा है, उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा रहा है ? हमने जितने भी सुझाव दिए, ज्ञानी जी ने कभी हमें किसी बात का जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से उम्मीद करूंगा कि वह मेहरबानी करके पिछली गलतियों को न दोहराएं। जो कुछ हम कहते हैं, वह उन पर कुछ तो कार्यवाही करें।

कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की जगह कमीशन फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज दोनों हैं। दोनों ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, उनमें कान्ट्राडिक्शन्ज हैं। लेकिन कमीशन के लिए कोई कांस्टीट्यूशनल प्राविजन नहीं है। कमिश्नर की कोई वकत नहीं है क्योंकि कमीशन बैठ गया और कमीशन का कोई कांस्टीच्यूशनल स्टेटस नहीं है। जनता पार्टी के समय में एक बिल आया था कि उसको रेगुलराइज किया जाएगा। आप भूल गए हैं, मेहरबानी करके वह बिल लाइए और उसका कोई कांस्टीच्यूशनल स्टेटस तो बनाइए। माइनारिटीज कमीशन का भी यही स्टेटस है।

मैं कुछ रीजन्स देना चाहता हूं कि, क्यों यह अत्याचार ज्यादा होते हैं। पहली वजह है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जाति-पांति जब तक इस मुल्क से नहीं जाएगी यह एट्रासिटीज रहेंगी। महज विधान में लिख देने से जाति-पांति खत्म नहीं हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि सिविल राइट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट जो कई साल पहले बन चुका था उसके तहत कितने आदमियों को सजा दी गई है ? यह हाउस को बताया जाए। बदकिस्मती की बात है कि यह एट्रोसिटीज और अनटचेबिलिटी बात आज आम मासेज की निस्बत सर्विसेज में ज्यादा आई है। सर्विसेज का कोई आदमी लिखता है कि मेरे साथ यह एट्रासिटीज हुई हैं तो क्या उसको कोर्ट में जाने की परमिशन मिलती है ? जब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगी वह कोर्ट में नहीं जा सकता। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सिविल राइट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट को पूरी तरह से इम्पलीमेंट किया जाए। एक दूसरा पहलू है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का और वह यह कि हमारे यहां धर्म के अन्दर कुछ ऐसे शास्त्र हैं

जिसके अन्दर ऐसी बातें हैं। हम तो कहते हैं कि जाति-पांति खत्म करो, पार्लियामेंट में भी कहते हैं और बाहर भी कहते हैं लेकिन मन्दिरों में रोज प्रोपेगंडा किया जाता है कि—

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी ॥

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह कौन से मन्दिर में आपने सुना है ?

श्री सूरजभान : सब में होता है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए।)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : नहीं, बिलकुल ऐसा नहीं होता है।···**(व्यवधान)**···

श्री सूरजभान : सभापति महोदय, मैंने सोशल लेवेल पर सोशल गैदरिंग्स में यह सुझाव दिया है, वह अपने लेवेल पर उसको ठीक करेंगे। लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में इसको खत्म करना चाहते हैं तो रेलीजस बुक्स का रिवीजन किया जाय और उनमें जो ऐसे पोर्शन्स हैं जो इनको रेलीजस सैक्शन देते हैं, उनको हटाया जाए। उनको शुद्ध किया जाए। जब तक यह नहीं होगा यह अनटचेबिलटी जाएगी नहीं।

कुछ एकोनामिक रीजन्स भी हैं। मिनिमम वेजेज ऐक्ट हैं। उसके ऊपर उनका झगड़ा होता है। वह पैसा ज्यादा मांगते हैं, लैंडलार्ड देता नहीं है, जिससे उनमें आपस में झगड़ा होता है और उनके ऊपर एट्रासिटीज होती हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के ऐक्ट्स को सरकार को स्ट्रिक्टली इम्पलीमेंट करना चाहिए।

लैंडरिफार्म्स ऐक्ट जितने भी बने हैं हिन्दुस्तान में उन सबको नाइन्थ शेड्यूल में शामिल किया जाय। जब तक उनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये झगड़े होते रहेंगे। इसलिए मैं यह मांग करता हूं इनको उसमें शामिल किया जाए।

एक और सुझाव मैं देता हूं आपको। सुल्तान बटेहरी जहां पांच ट्राइबल्स को मारा गया था उस जगह मैं गया था और मैंने यह कहा कि केरल में तो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज लैंड एलियनेशन ऐक्ट बना हुआ है कि ट्राइबल की जमीन कोई गैर-ट्राइबल खरीद नहीं सकता। 1976 में वह ट्राइबल लैंड एलियनेशन ऐक्ट बना था। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि उसके ऊपर अमल की बात तो दूर रही, आज तक उसके रूल्स नहीं बने। जो ऐक्ट 1976 में बना था, उसके बाद वहां पर कांग्रेस की हुकूमत भी रही है, कम्यूनिस्ट हुकूमत भी रही है, लेकिन उस ऐक्ट की वही हालत है। कम से कम उसके रूल्स तो बनाए जाने चाहिए। जब तक वह नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी।

कुछ महिलाओं को तंग करने की बात को लेकर भी यह होता है और जनरल ला एण्ड आर्डर सिचुएशन जो मुल्क में है उसके कारण भी हरिजन और आदिवासियों की यह हालत है। आज पूरे देश में जो माहौल है उसका असर इन गरीबों पर ज्यादा होता है। वह बेबस हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, इसलिए उनकी हालत सुधारने के लिए आपको पूरे मुल्क की ला एण्ड आर्डर की हालत भी सुधारनी होगी।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं क्योंकि महज दर्द बता दिया जाए दुख बता दिया जाए, उससे बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं और ये सुझाव अगर इम्पलीमेंट हो जाएं तो शायद कुछ हालत ठीक हो जाए। पहला सुझाव देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब रिजर्वेशन के बारे में एजीटेशन शुरू हुआ था तो प्रधान मंत्री ने एक अजीब बात कही थी कि रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन मेरिट विल नाट बी इग्नोर्ड। मेरिट इग्नोर नहीं होगी तो रिजर्वेशन कैसे रहेगा ? वही बात उन्होंने फिर कही है एट्रासिटीज के बारे में, जिसका जिक्र चटर्जी साहब यहां पर कर रहे थे, कि अखबार वाले इन एट्रासिटीज को बढ़ा-चढ़ाकर हाईलाइट करते हैं। लेकिन इनको तो हाईलाइट होना ही चाहिए। बल्कि आजकल जितनी ऐसी घटनायें होती हैं वह भी नहीं छप पाती हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो चाहती हैं कि यह घटनायें रिपोर्ट न हों, इससे यह मिनिमाइज नहीं होंगी। इन घटनाओं को बिल्कुल छिपाना नहीं चाहिए बल्कि इनको रोकने की कोशिश होनी चाहिए।

मेरा सुझाव है कि इन एट्रासिटिज को बन्द करने के लिए कुछ प्रिवेन्टिव और प्यूनिटिव मेजर्स लेने चाहिए। जहां पर भी ऐसी एट्रासिटीज हों उस पूरे क्षेत्र पर सामूहिक जुर्माना होना चाहिए। आज तो जहां पर ऐसी घटनायें होती हैं वहां पर आप सड़क मंजूर करते हैं जिससे कि उनको उल्टे और बढ़ावा मिलता है।

दूसरी बात यह है कि इन एट्रासिटीज में जो हरिजन मरता है वह अपनी फेमिली का ब्रेड अर्नर होता है। दूसरी तरफ अगर कोई लैण्डलार्ड है तो उसे पता होता है कि अव्वल तो वह सजा से ही बच जायेगा। वह समझता है अगर उसकी मौत भी हो जाएगी तो भी उसके परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कानून में संशोधन होना चाहिए कि उसकी प्रापर्टी भी कान्फिस्केट की जाए ताकि उसके बच्चों को भी कुछ भूख का अहसास हो सके जोकि किसी हरिजन आदिवासी के बच्चों को ऐसी हालत में होता है।

तीसरी बात यह है कि जो ऐसे एट्रासिटी प्रोन एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। इस प्रकार की जो स्टेट्स हैं वह तो पहले से ही आइडेंटिफाइड हैं जैसे कि यू० पी० है, बिहार है, तामिलनाडु है या मध्यप्रदेश है। इन स्टेट्स में एट्रासिटी प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया जाए। मैं समझता हूं मुश्किल से ऐसे 35-40 डिस्ट्रिक्ट्स ही होंगे। इस प्रकार के जो डिस्ट्रिक्ट हों उनमें आप छांटकर अच्छे आई० ए० एस० डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और आई० पी० एस० सुप्रिटेन्डेन्ट पुलिस लगा सकते हैं। जनता पार्टी के जमाने में मोरारजी की तरफ से ऐसे इंस्ट्रक्शन्स इश्यु किए गए थे कि अगर किसी जिले में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज पर एट्रासिटीज होंगी तो उसके लिए वहां के डी० एम० और एस० पी० को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्या आपने उन इंस्ट्रक्शन्स को वापिस ले लिया है ? अगर वापिस नहीं लिया है तो उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा है ? मैं जानना चाहूंगा कि अब तक आपने कितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० इस सम्बन्ध में सस्पेण्ड किए हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक यह एट्रासिटीज होती रहेंगी। मैं समझता हूं हर एट्रासिटी प्रोन जिले में डी० एम०, एस० पी०, ए० डी० एम० और डी० एस० पी० इनमें कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट जरूर होना चाहिए। साथ ही पुलिस में इनकी भर्ती ज्यादा की जानी चाहिए।

इसके अलावा मेरा सुझाव है कि नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की एक स्पेशल मीटिंग इस पर विचार करने के लिए होनी चाहिए और साथ ही इनके लिए सेप्रेट मिनिस्ट्री का गठन किया जाना चाहिए ताकि पिन प्वाइंट किया जा सके कि ऐसी घटनायें क्यों हो रही हैं।

अन्त में कन्वर्जन के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। इस बात की चर्चा है कि यहां पर विदेशों से पैसा आता है जिसके कारण ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। अभी होम मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में जो नोट प्रावाइड किया गया वह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मीनाक्षीपुरम का जिक्र करते हुए उसमें कहा गया है :

> "वर्ष 1981 में अब तक कुल लगभग 2000 हरिजनों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया है। तमिलनाडु में यह धर्म-परिवर्तन मुख्यतः तिरुनेलवेली, मदुराई, रामनाथपुरम तथा तंजौर जिलों में हुआ है। हाल ही में नार्थ-अर्काट जिले में भी धर्म-परिवर्तन प्रारम्भ हुआ है।"

इसके आगे थोड़ा-सा जिक्र और करना चाहूंगा। इस नोट के पैरा (7) में लिखा है :

> "ईशातियल इस्लाम सभा तथा तहलीग जमात जैसे क्षेत्रों में जमात-ए-इस्लामी-हिन्दू तथा इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग के सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा धर्म-परिवर्तन कराने वाली एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है। वे हरिजनों को धर्म-परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित करते हैं और यह विचार उत्पन्न करते हैं कि यही एक ऐसा उपाय है, जिसके द्वारा हरिजनों को समाज में स्थान तथा शक्ति प्राप्त हो सकती है।"

ऐसी कुछ चीजें इसमें लिखी हैं। मैं शार्ट कर रहा हूं :

> "अल आलम अल इस्लामी (वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस) ने मीनाक्षीपुरम में तथा इसके आस-पास भारी संख्या में धर्म-परिवर्तन कराने का दावा किया है।
>
> यह बताया गया है कि वर्ष 1981 के लिये 50,000 हरिजनों को इस्लाम धर्म-परिवर्तित कराने का लक्ष्य था जिनमें से 1700 ने पहले ही अपना धर्म-परिवर्तन करा लिया है। व्यक्तियों की यह संख्या वर्ष 1982 के अन्त तक बढ़कर 2,00,000 हो जाने की आशा है।
>
> यह बताया जाता है कि लन्दन स्थित इस्लामिक कल्चरल सेन्टर द्वारा भारत में 1200 लाख हरिजनों में से 800 लाख को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने की योजनाएं तैयार की गई हैं। जिसके लिए तेल के धनी खाड़ी के मुस्लिम देशों तथा अन्य अरब राष्ट्रों द्वारा दान स्वरूप वित्तीय सहायता दी जा रही है।
>
> इस कार्य को करने का यह उद्देश्य बताया जाता है कि भारत के अगले दशक में मुस्लिम जनसंख्या को 800 लाख से बढ़ाकर 2000 लाख किया जाए।"

यह कन्सलटेटिव कमेटी के होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है। जिसमें से मैंने कुछ अंश पढ़े हैं। (व्यवधान) मैं सदन के पटल पर पत्र रख सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : कौन से दिन ?

श्री सूरज भान : सितम्बर, 1981

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। होम मिनिस्टर साहब से मैं इस बात की उम्मीद करूंगा, क्योंकि फारन कन्ट्री के पैसे का भी जिक्र किया गया है जो पैसा फारन कन्ट्री से जिस परपज के लिये आता है, वह उस परपज के लिए खर्च हो। एक हरिजन अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अख्तियार करता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यदि लालच देकर या किसी और ढंग से कन्वर्ट किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है।

प्रो० मधु दण्डवते : जो लोग यह समझते हैं कि विदेशी पैसा लेकर ये कन्वर्ट होते हैं, तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि जो लोग कन्वर्ट होते हैं वे काफी इकानामिक कन्सैशन लूज करते हैं। हरिजन ऐसा है कि बिकाऊ आदमी है। फौरन पैसा लेगा, कन्वर्ट होगा और साथ-ही-साथ इकानामिक कन्सैशन लूज करेगा।

श्री सूरजभान : सभापति महोदय, कोई हरिजन डायरेक्टली पैसा लेकर कन्वर्ट नहीं होता है। उनमें एजेन्ट्स क्रिएट होते हैं, जो उनको बरगलाते हैं, गलत प्रोपैगंडा करते हैं। उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है।

मैं मांग करना चाहता हूं कि जहां कहीं एट्रासिटीज होती है, शेड्यूल्ड कास्ट् और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज विकटिम्स होते हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। उनके बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जाए। यह एट्रासिटीज कोई एक दिन में नहीं होती है। इसके लिए काफी अर्से से माहौल होता है। उनकी जो ग्रिवैंसिस पैंडिग होती हैं, उनको प्राम्प्टली सौल्व किया जाए। अगर इन सुझावों पर अमल करेंगे, तो शायद कुछ कमी हो सके, बिल्कुल खत्म होना तो नामुमकिन है, जब तक कि यह कांग्रेस है।

श्री कुसुम कृष्णमूर्ति (अमालापुरम) : सभापति महोदय, मेरा यह निजी अनुभव है कि अनुसूचित जाति का विषय एक बहुत ही सुविधाजनक विषय है। जो प्रत्येक राजनैतिक दल को प्रत्येक समय सभी कुछ प्रदान करता है और किसी भी समय अपने राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इससे लाभ उठाया जा सकता है। उनकी सामाजिक असमानता तथा आर्थिक पिछड़ापन तो प्रत्येक राजनैतिक दल का प्रत्येक चुनाव में मुख्य विषय रहता है। प्रत्येक सरकार चाहे वह किसी भी दल के द्वारा गठित की जाये, नीतियों को निर्धारित करते समय उनके उत्थान को महत्वपूर्ण मुद्दा मानती रही है। 'हरिजनों पर अत्याचार' का विषय एक नियमित कृत्य रहा है, जिस पर प्रत्येक सत्र में इस सभा में विचार किया जाता है तथा एक आश्वासन दिया जाता है कि वे इस विषय को राजनीतिक रंग नहीं देंगे। लेकिन जब हम उनके भाषणों तथा उसके वास्तविक सार का अध्ययन करते हैं, तो उससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये इस विषय को निश्चय ही राजनीतिक रंग दे रहे हैं। परन्तु जब वे इस प्रकार के व्यापक वक्तव्य देते हैं कि 'हरिजनों पर अत्याचार' मामले पर एक विशेष दल का उत्तरदायित्व है अथवा

यह पूर्णतः सरकार की ही जिम्मेदारी है तब मैं उनके वास्तविक उद्देश्यों को नहीं समझ पाता हूं। जब वे इस प्रकार की बातें करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी एक राजनीतिक दल पर है, तो इससे केवल यह प्रदर्शित होता है कि वे इस सारे विषय को समझ नहीं पाये हैं।

सभापति महोदय, अपना भाषण देते समय आपने एक सम्पादकीय पढ़ा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस समस्या को हल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी दलों की है। यदि ऐसा है, यदि यह सच है, तो हम किसी सरकार अथवा किसी राजनैतिक दल को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं ? वे इस विषय को राजनैतिक दृष्टिकोण से लेते हैं। अनुसूचित जातियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये जब मैं संसदीय समिति के साथ देश भर में दौरे पर गया, तो मुझको यह जानकारी प्राप्त हुई कि इन समस्याओं को गलत तरीके से लिया गया है। इन निर्दोष व्यक्तियों पर जहां हाल ही में अत्याचार किए गए हैं, मैंने उन स्थानों का भी व्यक्तिगत रूप से दौरा किया है। अधिकतर मामलों में मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि वास्तविक उद्देश्य हरिजनों को मारने का नहीं है, बल्कि केवल उनको आतंकित करने का है। जब कभी भी ये लोग अपने अधिकारों को जताने की कोशिश करते हैं, तभी वे इनको सबक सिखाना चाहते हैं। इसके कारण बहुत ही स्पष्ट हैं। मैं इनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इस विषय पर सदन में कई बार चर्चा की जा चुकी है लेकिन मैं केवल इस समस्या के मूल कारण को ही बताना चाहूंगा।

महोदय, जब कभी भी अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लोगों ने हठी बनने की कोशिश की है, अथवा बन्धुआ मजदूरी न रहने पर जोर दिया है, अथवा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का जब उन्होंने प्रतिरोध किया है अथवा अपनी महिलाओं की इज्जत को बचाने की कोशिश की है, जिसको कि हमारा समाज समग्र रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो वे इन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने विल्लुपुरम, बेलची, पवाड, धर्मपुर तथा मराठ स्थानों का दौरा किया है। इन स्थानों पर उन्होंने हरिजनों को मारा नहीं बल्कि उनको मारते समय किये गये दर्दनाक कार्यों से उनको आतंकित किया है। समग्र रूप से इसका पूरा दोष समाज पर जाता है। तथा इस प्रकार के अत्याचारों के लिए हमारा समाज जिम्मेदार है न कि राज्य सरकारें अथवा वह दल जिसने सरकार बनाई है। अत. इस समस्या की ओर सम्पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये तथा सच्चे दिल से इसका हल खोजने की कोशिश की जानी चाहिये। अत: यह कहने का नहीं बल्कि दृष्टिकोण अपनाने का प्रश्न है। केवल कुछ व्यापक वक्तव्य देने तथा भाषणों के देने से समस्या हल नहीं होगी। मेरे मित्र, श्री पासवान जी, सरकार के दृष्टिकोण की बात कर रहे थे। मुझे यह जानकर वास्तव में बहुत ही खेद हुआ है कि लोग इन समस्याओं का कुछ ठोस हल सुझाने के बजाय सरकार के साथ झगड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ माननीय सदस्यों ने आर्थिक पिछड़ेपन की बात कही है। संसदीय समिति की एक बैठक में यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट की गई है कि योजना व्यय के लाभ हरिजनों तक भली-भांति नहीं पहुंच पाये हैं। योजना व्यय के लाभ जिन पर विभिन्न योजनाओं के रूप में हजारों करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, उनका लाभ समाज के अनुसूचित जातियों के लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। अतः हमने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए सरकार कोई विशेष आवंटन नहीं करती है तब तक समस्या हल नहीं हो सकती। तद्नुसार सरकार द्वारा एक विशेष घटक योजना लागू की गई, जिसके लिए

पर्याप्त धन आवंटित किया गया। इसके अलावा इन योजनाओं को लागू करने का प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए भी जाति पर आधारित नौकरशाही भी रुकावट पैदा करती है। श्री पासवान जी ने कहा है कि सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने स्वयं ही परस्परविरोधी वक्तव्य दिया है। जिसमें कहा गया है कि सरकार अर्थात् प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री ने हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की समस्या को हल करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा है। इन विभिन्न उपायों में निवारक, ऐहतियातों तथा दण्डनीय कानूनों को बनाना शामिल है। दण्डनीय उपायों के बारे में, स्थिति यह है कि वे उनको अच्छी तरह से कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जहां पर भी जिला मजिस्ट्रेटों तक पुलिस अधीक्षक को उत्तरदायी ठहराया गया है, वहां पर सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जहां पर जिला कलक्टरों तथा पुलिस अधीक्षक को हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है वहां पर सही ढंग से कार्य नहीं हो सका है। जिसका परिणाम यह होता है कि वे अपने क्षेत्रों में इन लोगों पर होने वाले अत्याचारों का जवाब नहीं दे पाते हैं। वे किये गये अत्याचारों का केवल उत्तर देकर उनको न्यायोचित ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे समस्या को हल करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः यह एक ऐसी समस्या है जिस पर अति गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार ने पहले ही विभिन्न उपाय सुझाए हैं और जैसे ही इन उपायों के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को बताया जाता है, उनमें से कुछ राज्यों ने पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश में इन मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है, लेकिन इन विशेष न्यायालयों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उद्देश्य पूर्ण कार्य करना चाहिए, बजाय इसके कि अपने कार्य द्वारा वे अन्य समस्यायें उत्पन्न करें। अतः यह भी कार्यान्वियन का ही प्रश्न है। कुछ राज्यों में जहां पर अत्याचार किए गए हैं, उन्होंने मामलों को शीघ्रता से निपटाया है तथा दिए गए निर्णयों के द्वारा बहुत से अपराधियों को दण्ड दिया गया, जिसके बारे में श्री पासवान ने इन्कार किया है इसके लिए श्री पासवान ने इंकार किया है। मैं यह दावा नहीं करता कि सरकार ने समस्या को हल कर दिया है, लेकिन सही दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसके द्वारा काफी कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अतः महोदय, यह आरोप गलत है कि सरकार पूर्णतः असफल रही है।

महोदय, वे वर्तमान सरकार तथा इसके नेता को इसके लिए दोष दे रहे हैं। पिछली लोकसभा में जब मैं विपक्ष में बैठा हुआ था, तब मैंने अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय पर इस पक्ष के मित्रों से बातचीत की थी। उस समय आरक्षण विधेयक पूर्णतः समाप्त हो रहा था तब मैंने उस दल में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित अपने मित्रों से यह निवेदन किया था कि आरक्षणों के लिए एक विधान लाने को अपनी सरकार से कहो। लेकिन, महोदय वे सफल नहीं हो सके। उसी समय श्रीमती गांधी की सरकार सत्ता में आई। उनके द्वारा सबसे पहले जो विधान लाया गया, वह इस विषय से सम्बन्धित था तब उनका यह प्रश्न था कि अनुसूचित जातियों के कौन लोग हैं और उन्होंने यह पूछा कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सुरक्षा क्यों आवश्यक है। जब श्री पासवान जी के नेता श्री चरण सिंह वर्ष 1978 के दौरान गृह मंत्री थे उस समय अनुसूचित जातियों पर देश के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में अत्याचार किए गए। जिनकी संख्या

लगभग 50,000 थी। वर्तमान सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की कोशिश कर रही है। मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार के अत्याचार केवल अनुसूचित जातियों पर ही क्यों किये गये? जब कांग्रेस के समय में इस प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं, तब इसका कोई औचित्य नहीं है। जनता सरकार के समय में भी ये अत्याचार हुए, लेकिन इसके लिए कोई औचित्य नहीं हैं। ये अत्याचार केवल अनुसूचित जातियों पर ही क्यों किये जाते हैं?

जब श्री चरण सिंह गृह मंत्री थे, तो वे मानवीय पीड़ा का अनुमान प्रतिशत में लगाया करते थे। वे गणना किया करते थे कि अगर आरक्षण 12 से 15 प्रतिशत होता है तो अत्याचार 2 से 5 प्रतिशत तक ही होंगे। अगर वे समस्या को इस तरह टालते हैं, तो वे समस्या का कभी भी समाधान नहीं कर सकते।

जब श्रीमती गांधी सत्ता में आयी, तो उन्हें जो भी सुझाव दिये गये, उन्होंने उस पर अमल किया। आपने जब कभी भी गृह मंत्रालय को अत्याचारों के बारे में लिखा तो आपको जवाब मिला। सरकार ने मामलों की जांच करते समय जब कभी यह पाया है कि इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, तो इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए इसने हर सम्भव कदम उठाये हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे जल्द कार्यवाही करें। अब एक विशेष तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि जल्द व सही कार्यवाही की गई है। यह कोई प्रचार नहीं है। इसलिए, मैं कहती हूं कि जब श्रीमती गांधी सत्ता में आईं तो, उन्होंने समस्या को समझा, उन्होंने कानून बनाया, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए और यह भी कार्यवाही की गई कि उन पर सामाजिक अत्याचार कम हों।

श्रीमन्, इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाना चाहिए और सभी दलों को इस समस्या के समाधान के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। जब तक आप एक कड़ी में, कमजोर भाग को मजबूत नहीं बनायेंगे, तो आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास विफल हो जायेंगे। हमारी स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए समाज के सबसे अधिक दुर्बल वर्ग को मजबूत करना जरूरी है। इन लोगों के उत्थान और इनकी सहायता के लिए राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना आवश्यक है, मात्र आरोप लगाने से इस समस्या का कभी भी हल नहीं खोजा जा सकता। उनको इस सदन में इस विषय से लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी दलों को ईमानदारी से प्रयत्न करके एकजुट होना चाहिए और इस समस्या को अपने हित में व सारे राष्ट्र के हित में हल करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : सभापति महोदय, सदन में इस विषय पर कई दफा चर्चा हुई है, लेकिन अब तक हमें इस चर्चा से कोई वास्तविक परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। इसके मजाक की बात यह है कि जब कभी देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की घटनायें होती हैं तो केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों से रिपोर्ट मंगाती है। राज्य सरकारें भी कुछ आंकड़े और अन्य रिपोर्टें भेज देती है, जिनकी जानकारी संसद सदस्यों को है। मामला यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करती हैं।

जैसा कि श्री पासवान ने कहा हम इस समस्या पर पिछले तीन दशकों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हरिजनों और आदिवासियों की हालत वही है। जैसा कि कृष्णमूर्ति ने पूछा है कि क्या

सरकार की इच्छा कोई नीति बनाने और हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए नए उपाय करने की है ?

सारे भारत में हो रही घटनाओं को, मैं यहां कहना नहीं चाहता। लेकिन उनके आर्थिक विकास के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। मिसाल के तौर पर, अधिकांश हरिजन भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। श्रीमान्, जैसा कि आपने कहा इन गरीब हरिजनों को भूमि वितरण करने का प्रश्न है। यह छोटा-सा कार्य भी अभी तक नहीं हो सका है। मुझे कारणों का पता नहीं है। यह ठीक है कि सारी शक्तियां और हल राज्य सरकारों के पास हैं। हर समय राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विनिमय किया जाता है। मुख्य मंत्री अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ भी आंकड़े देते हैं। लेकिन जब हम असलियत में देखते हैं तो पाते हैं कि उपलब्धियां कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए इस सदन में यह मांग उठाई जा रही है कि हरिजनों को औद्योगिक क्षेत्र में भी सही स्थान मिलना चाहिए। आजकल सरकारी-क्षेत्र के कारखाने भी इन लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते हैं। दूसरे गैर-सरकारी क्षेत्र तो इन लोगों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं और हरिजनों को रोजगार देने से मना करता है। इसलिए सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में इन लोगों के आरक्षण की व्यवस्था के लिए आगे आना चाहिए। मैंने इस मांग के लिए 1972 में एक गैर-सरकारी विधेयक, इसी सदन में रखा था।

गैर-सरकारी इकाइयों में, जिन्हें राज्य या केन्द्र या वित्तीय संस्थाओं से सहायता मिलती है, इनके लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण जरूर रखना चाहिए। जिससे हरिजनों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके।

जहां तक कृषि क्षेत्र का प्रश्न है, जमींदार लोगों का हरिजनों पर सीधा प्रभुत्व है। हरिजन जमींदारों के अधीन कार्य करते हैं। ये उन पर अपनी मर्जी थोप सकते हैं। जानवरों की तरह, हरिजनों को किसी भी कार्य के लिए लगाया जा सकता है। मान लीजिए, अगर हरिजन को एक उद्योग में काम मिल जाता है तो उसका मालिक उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। इसलिए मैंने कहा कि हरिजनों को औद्योगिक क्षेत्र में सही स्थान मिलना चाहिए। यह हो सकता है।

हालांकि प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे हरिजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करवायें। यह तो मुख्य मंत्रियों से मात्र एक अपील है। मैं नहीं समझता कि इससे हरिजनों को लाभ होगा। इससे तो सरकार की भी संतुष्टि भी नहीं होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे हरिजनों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कराने के लिए अलग से एक कानून लायें। अगर इस विषय में केन्द्रीय कानून होगा, तो इससे सहायता मिलेगी। अगर कोई गैर-सरकारी इकाई, योग्यता, दक्षता और अन्य बातों की वजह से हरिजनों को रोजगार देने से मना करती है तो इसे लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत से लोग अहिंसा योग्यता, और अन्य बातों की चर्चा करते हैं। मेरे राज्य के कन्याकुमारी जिले में घटित एक घटना की मुझे याद आती है। 13 छात्रों ने पुजारी की परीक्षा पास की। 13 में से 3 हरिजन थे और 10 अन्य जातियों के थे। 10 छात्रों को किसी भी मन्दिर में काम मिल जायेगा। क्योंकि इसकी उनको अनुमति है। हालांकि हरिजनों ने यह परीक्षा पास कर ली है, फिर भी उनको पुजारी, नहीं नियुक्त किया जाता ? क्योंकि एक हरिजन पुजारी नहीं बन सकता। इसीलिए जब मेरा दल सत्ता

में था तो हमने तमिलनाडु विधान सभा में एक कानून पेश किया था कि जो कोई भी, चाहें वे ब्राह्मण हो या गैर-ब्राह्मण, अगर वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे 'पुजारी' नियुक्त किया जायेगा। उस विधेयक को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया जाए। हम यह नहीं चाहते कि प्रत्येक हरिजन को पुजारी बना दिया जाए, बल्कि उस समाज को हमें मान्यता देनी ही होगी।

जहां तक अत्याचारों का प्रश्न है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं करती है। मिसाल के तौर पर वेलुपुरम में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। अनेक मकान जलाए गए हैं। संसदीय समिति को भी वहां जाना था। परन्तु वर्तमान मुख्य मंत्री ने उसको रोक दिया वह संसदीय समिति के वहां जाने के विरुद्ध हैं, क्योंकि उनके अनुसार संसद सदस्यों या संसदीय समिति को घटना-क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। फिर अचानक ही उन्होंने 28 जुलाई, 1978 को एक आयोग के गठन का आदेश दिया। जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट मुख्य मंत्री को दे दी हैं। परन्तु आज तक राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। हाल ही में मैंने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से इस पर बातचीत की। अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मैंने भी मांग की सरकार रिर्पोट को सदस्यों के पास उपलब्ध करवाये और देखें कि राज्य सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर सकती है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। हमारे वर्तमान गृह मंत्री ब्यौरों को जानते हैं, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है। निश्चय ही वह इस पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा है कि, मीनाक्षीपुरम में धर्म परिवर्तन हुआ है। धर्म परिवर्तन क्यों हुआ ? इसलिए नहीं कि हरिजन इस्लाम धर्म ग्रहण करना चाहते थे, परन्तु स्थानीय परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने पर विवश किया। पुलिस सवर्ण हिन्दुओं के सहयोग से हरिजनों पर जुल्म करती थी। जहां कहीं भी वे जाते थे, उन्हें पीटा जाता था। पहले उन्होंने सरकार व मुख्य मंत्री से अपील की। उसके बाद वे मुस्लिम बन गये। जब वे मुस्लिम बन गये, तो उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। अब उनको संरक्षण मिल गया है। इसलिए उन्होंने इस्लाम को अपनाया है। उदाहरण के तौर पर मैं, श्री मकवाना के साथ पारमाकुडी के दौरे पर गया। मैं एक गांव गया। वहां मैंने एक लड़के से पूछा, "तुमने इस्लाम धर्म को क्यों अपनाया है।" उसने जवाब दिया, "अगर मैं सिर पर टोपी रख लेता हूं तो कोई भी मुझे छुएगा नहीं। अगर किसी ने मारा भी तो मैं पारमाकुडी चला जाऊंगा और उसके विरुद्ध मुस्लिमानों को इकट्ठा करूंगा। जब तक मैं हिन्दू हरिजन था। मुझे सताया जाता रहा और मेरा अपमान किया जाता रहा।

ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्री ने कहा है कि धर्म-परिवर्तन में पैसे ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगर यह सत्य है तो, मुझे दुःख है कि इस प्रकार के वक्तव्यों से कोई अर्थ नहीं निकलता है।

अगर पैसे से मीनाक्षीपुरम में सर्वनाश का खेल खेला जा सकता है तो इसी पैसे से अन्य गांवों में हरिजनों को क्यों नहीं आकर्षित किया जा सकता ? यह आजकल कैसे हो गया है ? गृह मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए। जब एक हरिजन, हिन्दू हरिजन रहता है तो उस पर अत्याचार किया जाता है। अगर वह दूसरे धर्म में जाता है, तो उस पर फिर भी अत्याचार किया जाता

है। अगर पैसा लेकर धर्म-परिवर्तन करता है तो फिर उस पर अत्याचार किये जाते हैं। उनके साथ पशुओं के समान व्यवहार किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने वक्तव्य में संशोधन करे या अपने कथन को ठीक करे। इसलिए, हरिजनों के खिलाफ इस प्रकार के आरोप फिर न लगाए जायें।

जहां तक पुलयानगडी घटना का संबंध है, यहां भी पुलिस जिम्मेवार है। अगर पुलिस उचित समय पर हस्तक्षेप करती तो इस संघर्ष को रोका जा सकता था। पुलयानगडी में करीब नौ व्यक्ति मारे गये। मेरे राज्य के मुख्य मंत्री इन बातों की परवाह नहीं करते। उनको कुछ और काम करना होता है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : आप उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आप उनकी मुश्किल के लिए जिम्मेवार हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, जैसा कि मेरे से पहले के वक्ता ने कहा है, सरकार को इन स्थानों का पता लगाना चाहिए। इस मामले में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह रामानाथपुरम और त्रिरुनेलवेली जिलों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करे। सरकार इन्हें विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करे। केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और हरिजनों की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो बहुत से हरिजन मारे जायेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : पूरे जिले को या इसके कुछ भाग को ?

श्री सी० टी० दण्डपाणि : पूरे रामानाथपुरम और त्रिरुनेलवेली जिलों को, जहां इस प्रकार की घटनायें आमतौर पर होती रहती हैं।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए तथा उनके कल्याण के लिए क्या कदम उठा रही है ?

एक और महत्वपूर्ण मसला है। प्रत्येक राज्य में, चाहें वहां कांग्रेस की सरकार हो या विरोधी दल की सरकार हो, केन्द्रीय सरकार के अधीन पुलिस बल का एक विशेष सेल स्थापित किया जाना चाहिए। यह विशेष पुलिस बल सेल, इन मामलों पर राज्य सरकार के जरिए मामले में जल्द कार्यवाही कर सके, और केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की रिपोर्ट और उसके द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतीक्षा न करनी पड़े। मैं पुनः माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ कदम इन तत्वों के विरुद्ध उठायें, जो कि इन क्षेत्रों में इस प्रकार का साम्प्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, ताकि उन पर रोक लगाई जा सके।

एक माननीय सदस्य : उनके नाम बतायें।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : उदाहरण के तौर पर, विश्व हिन्दू परिषद। इस परिषद् को आर० एस० एस० के लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह डा० कर्ण सिंह का मुद्दा है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : नहीं, नहीं वह भिन्न है। पुलिगडी के लिए यह 'विशाल हिन्दू परिषद' उत्तरदायी है। यह कहकर कि वे हिन्दू धर्म का प्रचार कर रहे हैं उन्होंने पुलिगडी में हरि-

जनों के विरुद्ध गड़बड़ी की है इस प्रकार के तत्वों की गतिविधियों पर देश में प्रतिबन्ध लगाना चाहिए ।

समाप्त करने से पहले मैं एक बार मंत्री से फिर निवेदन करता हूं उन्हें सरकार के द्वारा इन तत्वों से निपटने के लिए भावी कार्यक्रम की रूप रेखा बनानी चाहिए ।

सभापति महोदय : श्री चन्द्रशेखर सिंह ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य राम विलास पासवान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने देश के एक जलते हुए सवाल को यहां पर पेश करने की चेष्टा की और जो कुछ भी उन्होंने कहा है उनके दृष्टांतों से और विवरण से मतभेद हो सकता है, परन्तु आमतौर से जो दृष्टिकोण उन्होंने उपस्थित करने की चेष्टा की उसमें मतभेद की बहुत गुंजाइश नहीं है । हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि आज आजादी के 35 वर्ष बाद भी जहां सामाजिक रूप से हरिजन सर उठाकर चलने की कोशिश करता है, या आर्थिक रूप से अपनी हालत सुधारने के लिए कोई प्रयास करता है, या सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास होता है उसकी बड़ी ही तीव्र प्रतिक्रिया दूसरे वर्गों पर होती है और ऐसी भावना उनके मन में जगती है कि जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था चल रही है उसके परिवर्तन से उनके हितों पर आघात होगा, और इसलिए उसको रोकने के लिए वह बर्बर और क्रूर व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए ढाई घंटे का समय निर्धारित किया गया था और अब वह समाप्त हो गया । आप कितनी देर तक बैठ रहे हैं ।

श्री सुन्दर सिंह (पिल्लौर) : 7 बजे तक ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है हम 7 बजे तक बैठेंगे । छः सदस्यों को बोलना है हरेक सदस्य 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : अनेक जगहों पर सद्भाव के भी उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि आम्तौर से वह अपवाद के रूप में हैं और जो आज सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसमें हरिजन और गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलने में जो बाधायें हैं उससे हम सभी लोग अच्छी तरह अवगत हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी बोलते हुए यहां कहा था कि यद्यपि सरकार की ओर से शुरू किए गए कार्यक्रम के प्रभाव से गरीब तबकों की हालत में सुधार हुआ देखने में आता है, लेकिन आज जो आर्थिक कार्यक्रम और विशेषतौर से किसान वर्ग को सहायता देने का कार्यक्रम हम अपना रहे हैं उसका मुख्य लाभ बड़े जमीनधारियों और बड़े लोगों को मिल रहा है जिसकी वजह से आज देहात में आर्थिक विषमता और दूरियां और बढ़ती गयी हैं और उसकी वजह से तनाव भी बढ़ता गया । आज इन सभी बातों का प्रमाण देखने में आता है जिससे सारा सदन चिन्तित है और इस सदन के सभी हिस्सों के लोग इस बात से सहमत हैं कि इस अवस्था में परिवर्तन लाने और स्थिति में सुधार लाने के लिए कारगर कार्यवाही होनी चाहिए । इसके पहले कि इसके सम्बन्ध में मैं कुछ

अपने विचार आपके सामने उपस्थित करूं यह जानना आवश्यक है कि आज की स्थिति क्या है ? क्योंकि कई हमारे माननीय सदस्यों ने कहा यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, या मुद्दों पर हालत और बिगड़ रही है ।

श्री राम विलास पासवान ने भी इस बात की चर्चा की कि केन्द्रीय सरकार ने व्यापक निर्देश इस सम्बन्ध में दिया है जिससे इस प्रकार की घटनाएं रुकें और अगर घटना हो जाये तो सजा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है । केन्द्रीय सरकार ने केवल निर्देश देकर ही संतोष नहीं किया है, उसने इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसको लागू करवाने की कोशिश की है जिससे उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन हो और राज्य सरकारें उस पर तत्पर रहें ।

हमारे माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जिले में यह आदेश होना चाहिए कि जो प्रमुख अधिकारी 4,5 हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति हरिजन होना चाहिए । मैं बतलाना चाहता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार ने यह साफ आदेश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर सुपरिन्टैंडेंट आफ पुलिस, सुपरिन्टैंडेंट आफ पुलिस, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ओर सब-डिवजनल पुलिस आफिसर इन पांचों में से कोई एक हरिजन होना चाहिए और इस आदेश का पालन होना चाहिए । इस तरह से आज सरकार की ओर से जो कार्यवाही की जानी चाहिए, वह सरकार कर रही है ।

इस बात का जिक्र किया गया कि अनेक घटनाएं इस तरह की हुई हैं । बेलछी से लेकर देहुली, कफाल्टा आदि तमाम जगहों में जो ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, जिनकी चर्चा सदन में अनेक बार हुई है, लेकिन केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर राज्य सरकारों ने अनेक जगहों पर खासतौर से आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और राजस्थान में स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की है और उसका नतीजा यह हुआ है कि जिन मामलों के निष्पादन में वर्षों लग जाते थे, आज उसमें काफी तेजी आई है और अनेक मामलों में सजा काफी तेजी के साथ हो रही है । मैं अनेक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं लेकिन बेलछी की चर्चा, जिसका जिक्र श्री राम विलास जी ने भी किया, उसका मामला हमारे सामने मौजूद है । आज जब हमारी सरकार अधिकार में आई तो उसने सख्त और कारगर कार्यवाही की, जिसका नतीजा है कि दो अभियुक्तों को मृत्यु-दंड की और अनेकों को आजीवन कारावास की सजा हुई है ।

मैं याद दिलाकर विपक्षी दल के माननीय सदस्यों को तकलीफ नहीं देना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में जब यह घटना हुई तो किसी मंत्री ने बेलछी गांव में कदम रखने का कष्ट तक भी नहीं किया । आप जानते हैं कि उस समय जो विरोधी लोग थे उनमें ही वह निर्दली सदस्य थे । जिनका उसमें मुख्य हाथ था, और आमतौर पर धारणा यह है कि उनकी सरकार अवांछनीय तत्वों को प्रोत्साहन दे रही है । चाहे कफाल्टा हो, विश्रामपुर हो, पिपरा हो इन तमाम जगहों पर एक वर्ष में सजाएं हुई हैं और सख्त सजाए हुई हैं, कहीं-कहीं पर तो 35 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, जिसका असर पड़ता है ।

मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, यह बात सिद्ध करने के लिये कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को इस दिशा में जो कदम उठाने चाहिएं, वह जागरूक हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आरूढ़ हैं ।

एक माननीय सदस्य, खासतौर से हमारे श्री सोमनाथ चटर्जी ने बार-बार यह कहा कि हमारे कार्यकाल में यह घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि सबसे अधिक हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अगर किसी समय में हुई तो वह जनता पार्टी के राज्य में हुई। किस वजह से हुई, आप सीधे इसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं। मैं तो तथ्यों का वर्णन कर रहा हूं, किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। लेकिन आंकड़े इस प्रकार हैं। 1976 में, जब हम लोगों की सरकार थी, 59681, 1977 में 10879 जस्ट दि डबल। 1978 में 15070। 1979 में हम लोगों की सरकार बनी, तो इस संख्या में गिरावट आई, कमी हुई, कम से कम जो उसकी रफ्तार बढ़ रही थी, वह रुक गई। हम इसमें अपनी असफलता मानते हैं कि हम इसमें जितनी कमी करना चाहते थे, उसमें हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन फिर भी उसमें कमी आई है। 1979 में 13975, 1980 में 13866 और 1981 में 14308। इससे स्पष्ट है कि पिछले दस वर्षों में सबसे कम घटनाएं 1976 में हुई और सबसे अधिक घटनाएं 1978 में हुई। मैं नहीं कहना चाहता कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है और इसके लिए इस सदन में कौन दोषी हो सकते हैं।

लेकिन मैं मंजूर करूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर इसकी जिम्मेदारी किसी पर है, तो सबसे अधिक हम लोगों पर है, कांग्रेस पार्टी पर है और हमारे नेतृत्व पर है। जब हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी है इन बाधाओं को लांघने, मिटाने और हटाने की। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि अगर वे समझते हों कि उनकी बात का, उनके विचार का, उनकी कार्यवाही का, उनकी गतिविधि का कोई असर नहीं पड़ता है और सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आज के कनटेकस्ट में जितना वे समझते हैं, उतनी दूर तक उन्हें इर्रलिवेंट मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज की दशा के लिए उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है, यह भी मैं दो चार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि हर सत्र में बहसें होती हैं और सदन के सभी हिस्सों से लोग कहते हैं कि इस स्थिति में सुधार और परिवर्तन होना चाहिए, इन वर्गों के साथ इन्साफ होना चाहिए, भूमि-सुधार का कानून लागू होना चाहिए, उनको वाजिब मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन यह परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता है। यह परिवर्तन इसलिए नहीं हो पाता है कि पोलीटिकल पार्टीज के आर्डर आफ प्रायटीज में, प्राथमिकताओं की सूची में, इसका स्थान बहुत नीचे है। हमारे लिए राजनीति सर्वोपरि है। अगर हरिजन-आदिवासियों को, गरीब तबकों को, इन्साफ दिलाने के लिए साहस के साथ कदम उठाने की बात हो, तो हमारे पांव कांपने लगते हैं। हम इन्साफ को दबाकर राजनीति को जिन्दा रखना चाहते हैं।

आज विरोधी दलों और विरोधी दलों के माननीय सदस्यों की क्या गतिविधियां हैं और उनकी तरफ से क्या चेष्टाएं हो रही हैं? कल मैं टी० वी० पर देख रहा था, और गौर से सुन रहा था प्रो० चक्रवर्ती की बात। हम समझते हैं कि इस सम्बन्ध में सी० पी० आई० (एम) काफी आगे है। लेकिन उनके अनुसार पार्लियामेंट में सबसे पहले इस प्रश्न पर बहस होनी चाहिए कि हरियाणा में गवर्नर साहब ने क्या किया। (व्यवधान)

श्री जयपालसिंह कश्यप : यह प्रजातन्त्र की सरासर हत्या है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : वह विषय अपनी जगह पर है। मैं नहीं कहता कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्यों हरियाणा की तरफ दौड़ती है ? कारण यह है कि आज उन राजनैतिक प्रश्नों की खोज में लगे हैं, जिनपर आप सभी इकट्ठे हो सकें। आर्थिक प्रश्नों को उठाने से विरोधी दलों में दरार पैदा हो जाएगी, दीवारें खड़ी हो जाएंगी। सब गुट अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए आप आर्थिक प्रश्नों को छूने का साहस नहीं करते हैं। सी० पी० आई० (एम) जैसी पार्टी भी सबसे पहले मंत्र-पाठ करती है, तो हरियाणा के श्री तपासे का नाम लेती है और गरीबों का सवाल उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आप कुछ करके दिखाइए।

चन्द्रशेखरसिंह : मैं अगर नहीं कर पाता हूं तो मैं आपसे ईमानदारी के साथ कहता हूं और अपनी असफलता को मंजूर करने के लिए तैयार हूं। कम से कम इतनी ईमानदारी आज कांग्रेस पार्टी में मौजूद है। हम समझते हैं कि हरिजनों, आदिवासियों और गरीबों को इन्साफ दिलाने के लिए हमने आज तक जो कुछ किया है वह बहुत नगण्य है, मंजिल से बहुत दूर है। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस देश में अगर किसी पार्टी ने या किसी नेता ने हरिजनों और गरीब तबके की हालत में सुधार करने के लिए हिम्मत के साथ कदम उठाया है तो वह कांग्रेस पार्टी है और श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व है। कोई दूसरा नेतृत्व नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जो कुछ आप कहते हैं क्या आप उसमें वास्तव में ही विश्वास करते हैं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : हां, निश्चित रूप से।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या आपकी इस आशय के बारे में शंका है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती जी से कहता हूं कि हर आदमी का इम्तहान होता है और मैं केवल माननीय सदस्य नहीं रहा हूं, मैं अपने सूबे में मंत्री भी रहा हूं, मैं आज यहां कह रहा हूं, लेकिन मौके पर मैंने ईमानदारी से इसको लागू करने के लिए चेष्टा भी की है। मैं उसका जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज मैं यह समझता हूं कि हरिजनों की हालत में सुधार लाने के लिए अगर कुछ करना जरूरी है तो बुनियादी तौर पर उनके लिए आर्थिक प्रश्नों का समाधान निकालना है। यह सबसे बड़ा सवाल है। आज इस सदन में कोई भूमि सुधार की चर्चा नहीं करता है। धीमी आवाज में चर्चा करता है। आज कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रेम्यु-नरेटिव प्राइस की चर्चा करते हैं। बड़े-बड़े फारमर्स को पूरी प्राइस मिले इसके लिए परेशान हैं। आज डी० एस० पी० के नेता धरना देने के लिए तैयार हो जाते हैं इसलिए कि कुलकों को ज्यादा दाम क्यों नहीं मिलता है ? आज ये सवाल उनके लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। हमारी भी कमजोरी है और जो देश का वातावरण है हम लोग भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। प्रोफेसर चक्रवर्ती बराबर हमसे पूछते हैं कि हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, समाजवाद से भटक रहे हैं। मैंने आज भी उनको उत्तर दिया है कि आप इस बात को समझते हैं कि आपकी पार्टी में वह ताकत नहीं है, मैं कोई आक्षेप के ख्याल से नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह तथ्य है कि आप आज राष्ट्रीय स्तर पर

आर्थिक नीतियों का कार्यान्वयन करा सकें, यह ताकत आपकी पार्टी में नहीं है। इसलिए आपके लिए भी यह उचित है कि देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है और समाजवादी और प्रगतिशील पार्टी है उसको समर्थन देकर अपनी नीतियों को हमारे द्वारा कार्यान्वित करवाने की चेष्टा करें। आज देश का और समाज का कल्याण इसी में है। और कोई रास्ता नहीं है।

आज हमारी जिम्मेदारी जरूर है, इस देश में अगर हरिजनों पर कोई अत्याचार होता है, अगर उनको इन्साफ नहीं मिलता है, गरीबों को सताया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के लोग अपने माथे पर लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें इस काम को पूरा करना है। इस देश में कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा दल या कोई दूसरा नेतृत्व इस काम को नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि राजनैतिक दल के लोग भी इस बात को याद रखें, यह हमारा पेरिफेरल प्रोग्राम हो जाता है। और सारे प्रोग्राम हैं लेकिन किनारे पर का यह कार्यक्रम हो जाता है। जिस दिन आप तमाम लोग अपने कार्यक्रमों में इसको केन्द्र बिन्दु बनाकर आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल प्वाइंट इसे बना देंगे उस दिन हरिजनों की हालत में जरूर सुधार होगा और जो अत्याचार और अन्याय की कहानियां रोज सुननें में आती हैं वह बन्द हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। सारे सदन के लोग इसमें शामिल हो जाएं, एक राय से काम करें और सभी लोगों का विश्वास इस पर है तो क्या कारण है कि हमारा विश्वास कार्यरूप में परिणित न हो सके और जमीन पर वह साकार न हो सके।

आज तमाम जगह जो अत्याचार हो रहे हैं वह जमीन के नाम पर हो रहे हैं। उनको कोई जमीन सरकार देती है, पट्टा देती है, वह कब्जे में दूसरे के है, वह चढ़ने नहीं देता है। हरिजन गरीब उस जमीन पर जाने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन उतारी जाती है। अगर वह गरीब हरिजन वाजिब मजदूरी मांगते हैं, हिम्मत करते हैं, संगठन करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से भी सशस्त्र हमले किए जाते हैं, उसको दबाने के लिए, हमेशा के लिए उसको रोकने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमारा और आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि हम आप मिलकर अपने कार्यक्रमों में खास तौर से इस कार्यक्रम में राजनीति से हटकर इसको केन्द्र बिन्दु बनाकर काम करें तो हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे और यह अभिशाप जो देश के माथे पर है वह अभिशाप दूर होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह और भी कारगर कार्यवाही सदन के सामने स्पष्ट करे, साफ करे। और किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में, भूमि सुधार के मामले में, न्यूनतम मजदूरी दिलाने के मामले में सख्त कार्यवाही की जायेगी, इसका विवरण इस सदन के समक्ष दिया जाए जिससे कि इस देश को संतोष हो सके, इस सदन को संतोष हो सके, गरीबों को संतोष हो सके तथा हरिजन आदिवासियों को संतोष हो सके कि उनकी रक्षा करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व और इन्दिरा गांधी की सरकार मौजूद है और वह उनको हमेशा प्रोत्साहन और मदद देने के लिए तैयार रहेगी। धन्यवाद।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के बारे से मुझे नहीं मालूम वे कितने समय तक इस कार्य को सम्भालेंगे क्योंकि वे पहले ही रक्षा मंत्री भी हैं—हम आशा करते थे कि वे राष्ट्रपति भवन में होंगे। परन्तु दुर्भाग्य से हमें वह अवसर नहीं

मिला। मैं आशा करता हूं कि जितने समय तक वे गृह मंत्रालय में हैं तब तक कार्य प्रणाली में कुछ मूल परिवर्तन आना चाहिए।

जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह सभा के लिए नया नहीं है। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। एक बात जिसके लिए मैं आभारी हूं वह यह है कि अब हम इस विषय पर आधी रात से पहले चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने इस विषय पर हमेशा उस समय रात के 9 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक चर्चा की है जबकि सारा देश सोया हुआ रहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर सबसे पहले दिन ही चर्चा कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम इस पर पहले दिन चर्चा कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि अन्तिम दिन भी इस पर चर्चा करेंगे। यह एक विश्वसनीयता का प्रश्न है। यदि वे देश के कार्यों का प्रबन्ध कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक कर सकते हैं और यदि वे हरिजनों को सुरक्षा दे सकते हैं तो अच्छा है और हम सभी खुश होंगे। परन्तु यदि वे नहीं कर सकते तो उन्हें ईमानदारी से यह कहना चाहिए कि हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। फिर कुछ तर्क संगत निष्कर्ष निकाले जायेंगे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में उनके दल के साथी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि वह हरिजनों की जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा "मैं नहीं कर सकता।" यह श्री वेंकटरामन तथा उनके वरिष्ट साथियों, केवल एक ही वरिष्ठ साथी है—को निश्चित करना है।

श्री आर० वेंकटरामन् : क्या आप इस तरफ आने का कोई सरल तरीका ढूंढ रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : आपने जुलाई 1979 में सरल तरीका ढूंढा था हम भी कुछ वैसा ही ढूंढ रहे हैं।

अतः यह तो उन्हीं को निर्णय करना है तुलना पत्र को देखिये। उन्होंने 1976, 1977, 1978, 1979 तथा 1981 के आंकड़े उद्धृत किये हैं। परन्तु उन्होंने 1974 के आंकड़ों को उद्धृत नहीं किया है। 1976 में लोग पुलिस स्टेशन जाने तथा मामलों को दर्ज कराने से डरते थे। यदि कोई थाने में जाता तो उसकी तुरन्त नसबन्दी कर दी जाती थी। अतः लोगों ने दर्ज ही नहीं कराये। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 1974 को देखिये और मुझे बतायें कि 1977 की तुलना में 1974 में कितने अधिक मामले थे। अब केवल आंकड़े उद्धृत करना ही पर्याप्त नहीं है हमें पता है कि यह सब हो रहा है और बड़े तरीके से हो रहा है। यह क्यों हो रहा है ? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी नीतियों से इसको प्रोत्साहन मिल रहा है मैं कहता हूं और मैंने पहले भी कहा है कि हमारे समाज में दो मूल विवादास्पद तनाव के बिन्दु हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : 1978 में संख्या 8,860 थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अच्छा अब आप इन आंकड़ों को, जिस भी वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं जनसंख्या के आंकड़ों के अनुपात में देखिए। (**व्यवधान**) महोदय, यह बिल्कुल ठीक है। हमें बीस ज्यादा या बीस कम में खुश नहीं है। अतः मैं कहूंगा कि हमें जो कुछ हो रहा है उसकी सामाजिक दशाओं को समझना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी नीतियां इसके लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु जो कुछ हो रहा है उसकी मूल गतिशीलता को नहीं समझ रहे हैं। हरिजनों को

मतदान के लिए राजनैतिक समानता दी जा रही है परन्तु उसके अनुरूप उनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखा है और मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि अब बेरोजगारी की बात आती है, जब ऋणग्रस्तता की बात आती है, जब गरीबी की बात आती है तो 71% से अधिक हरिजन जनसंख्या बेरोजगार है 75% से अधिक गरीबी रेखा से नीचे है। वास्तव में आश्चर्यजनक यह है कि इस समुदाय में 75% से अधिक लोग ऋणग्रस्तता में हैं।

अब एक तरफ तो आपके पास संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता का अधिकार है और दूसरी ओर इस प्रकार की आर्थिक स्थिति है। इससे तनाव पैदा होगा। यही डा० अम्बेडकर ने शुरू में कहा था। उन्होंने ही यह कहा था कि आपने सारे मामले में एक टाईम बम रख दिया है। राजनैतिक समानता है परन्तु दूसरी ओर आर्थिक स्थिति में आप पर्याप्त परिवर्तन नहीं कर रहे हैं यह एक मुद्दा है जिस पर गृह मंत्री को इसका सामना करना चाहिए। उनको कैसे करना चाहिए उसके बारे में मैं शीघ्र ही कुछ सुझाव दूंगा।

दूसरी बात यह है कि युवा हरिजन अधिक संख्या में शिक्षित होते जा रहे हैं और जो अब इस बदतमीजी को सहने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा यह अपना अनुभव है। मैं मीनाक्षीपुरम् एक बार नहीं कई बार गया हूं और वहां ठहरने का मौका भी मिला है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वयोवृद्ध हरिजन अनादर सह रहे थे परन्तु युवा हरिजन उसके लिए तैयार नहीं थे। मीनाक्षी पुरम में जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है वे युवा हरिजन थे। यही बात मैंने पहले भी कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूं, इंजीनियर, डाक्टर तथा पुलिस उपनिरीक्षक ने धर्म-परिवर्तन किया। क्या ये लोग पैसे के लिए धर्म-परिवर्तन करेंगे ?

माननीय सदस्य श्री सूरज भान ने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को उद्धृत किया है। मैं चाहूंगा कि क्या गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट का समर्थन करता है। यह अपमान है यदि यह सत्य है तो इसका तात्पर्य है कि गृह मंत्रालय में कोई राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इसका क्या प्रमाण है कि पैसे के बदले उन्होंने धर्म-परिवर्तन किया है ? मेरे माननीय मित्र प्रो० मधु दण्डवते ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति विशेष रूप से एक युवा व्यक्ति अपना धर्म-परिवर्तन करता है तो वह वे सब आर्थिक सुविधायें छोड़ रहा है जो उसको संविधान ने प्रदान की हैं तथा जिनका वह खुद लाभ उठा सकता है। यदि वह फिर भी अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसका तात्पर्य है कि कुछ भयानक बात हो रहा है।

मुझे आज ही किसी अम्बा सुन्दरम का पत्र मिला है। यह त्रिरुनेलवेली के सबसे अधिक ग्रस्त जिले के बारे में है। माननीय मंत्री को इसे देकर मुझे खुशी होगी। यह तमिल में लिखा है बड़ी कठिनाई के बाद मैंने इसको पढ़ा है यह द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिल में लिखा है। ब्राह्मण तमिल में नहीं है। इसमें क्या लिखा है ? यह एक विशेष समुदाय के बारे में है। जो लगातार अत्याचार कर रहा है, दुर्भाग्य से यह वह समुदाय है जिसका काफी बड़ा लाभ एम० जी० रामाचन्द्रन के साथ विधान सभा में प्रतिनिधित्व करता है इसलिए उनके सामने कुछ करने में एम० जी० आर० भी डरता है। कारण यही है।

एक वर्ग है जो बहुत अधिक समृद्ध नहीं है। परन्तु यह वर्ग निश्चित रूप से यह महसूस करता है कि वह शक्ति में हैं। वे पुलिस में है, वे यहां हैं वहां हैं, और वे जो चाहें कर सकते हैं।

मैं मीनाक्षीपुरम गया था। यदि वहां कोई हत्या हो तो मीनाक्षीपुरम् के लोगों ने मुझे क्या बतलाया ? उन्होंने मुझे बतलाया कि यदि कोई हत्या हो जाए तो पुलिस को यह दिखाना है कि हमने इतने साक्षियों से पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि गांव में आयेंगे उनको पीटेंगे और रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे कि हमने अमुक-अमुक व्यक्ति से पूछताछ की है और वे सभी हरिजन होते हैं वे बोल नहीं सकते। एक घटना इतनी दर्दनाक थी कि वहां पर हरेक आदमी को पीटा गया और वहां पर लोग खड़े भी नहीं हो सके। युवा पीढ़ी आगे आयी और दूसरी ने उनका अनुसरण किया।

यहां पर प्रश्न विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति का है। वे अपने से यह नहीं पूछ रहे हैं। इसमे मैं निश्चित रूप से राजनैतिक तर्क कर सकता हूं कि हम उनसे अच्छे थे, मैं, प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने जो कुछ किया उसके बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। परन्तु यह काफी नहीं है। होना यह चाहिए कि उन्हें इस समस्या का गम्भीरता से सामना करना चाहिए।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट को ले लीजिए। क्या इसको किसी ने पढ़ा है ? वस्तुत: कई वर्ष पहले इलाइपेरुमल समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिसमें संदर्भ के रूप में ग्रंथों को उद्धृत किया गया। इस रिपोर्ट की पूर्णरूप से अवहेलना की गयी है या क्या गृह मंत्री ने इसको पढ़ा है ? जब भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करने आते हैं तो क्या वे कभी इसका संदर्भ देते हैं ? क्या कभी मंत्रीमंडल ने इस पर रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एक दिन भी लगाया है ? ऐसी कोई बात नहीं है। एक भाषण दिया गया और भुला दिया गया। मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे वाद-विवाद के उत्तर में कोई ठोस सुझाव प्रस्तुत करेंगे। ये टाईम-बम हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हरिजनों की युवा पीढ़ी ऐसी बात सहन करने नहीं जा रही है। यह व्यक्ति एक शान्त हरिजन है। यह केवल जोर से बोलता है परन्तु कुछ ऐसे हैं जो उससे भी अधिक गुस्से वाले हैं मैं आपको बता सकता हूं कि जब वे वही शिक्षा प्राप्त करके आते है तो उन्हें एक जाति से दूसरी जाति में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर वह इन्हें नीचे कैसे माने ? फिर वे भयानक तरीकों को अपनायेंगे। हमें इसी को देखना है। मैं कहता हूं यह समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना समस्त भारत है। सात राज्य ऐसे हैं जिनमें बाहुल्यता है···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके क्या सुझाव हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं बतला रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : इस लड़ाई में क्या आप हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्यों नहीं रहेंगे ? जरूर रहेंगे। हम तो हरिजन हैं, आनरेरी हरिजन।

मुझे बताया गया है कि मैंने अपनी जाति से बाहर से शादी की है ? इसलिए मैं भी हरिजन हूं···

एक माननीय सदस्य : वे अल्पकालीन हरिजन हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : अत: सरकार क्या कर सकती है ? यह प्रश्न आपने मुझसे पूछा है और मैं आपको बता सकता हूं सात राज्य हैं तमिलनाडु, उ० प्र०, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि ऐसे राज्य हैं। इन राज्यों में केवल 45 जिले हैं जो ऐसी बातों के शिकार हैं। सबसे पहले

उन्हें एक निगरानी केन्द्र खोलना चाहिए क्योंकि जब भी हरिजनों के ऊपर कोई अत्याचार किया जाता है तो यह कभी भी अचानक नहीं होता। यह तो सप्ताह सुलगने के बाद होता है। कभी-कभी थानों में पूर्व सूचना होती है। यहां तक कि एक महीना पहले भी होती है परन्तु वे इसके बारे में कुछ नहीं करते जैसा कि मीनाक्षीपुरम् में हुआ। उन्हें दुर्घटना से काफी पहले पूर्व सूचना थी।···

एक माननीय सदस्य : गया में भी हुआ है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : सब जगह उन्हें पूर्व सूचना होती है। हमें मालूम है। मेनपुरी में भी लोगों ने यही बात कही है। लोगों को इसका पहले से पता होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी सूचना के लिए बताइये कि निगरानी केन्द्र में कौन होने चाहिए—स्थानीय लोग या कोई दूसरी पुलिस ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे केन्द्र से विशेष खुफिया पुलिस का प्रबन्ध कर सकते हैं उनको वहीं रहना चाहिए। उनको सूचना प्रदान करनी चाहिए। उन्हें उन जिलों की हालत के सम्बन्ध में निगरानी रिपोर्ट की तरह होना चाहिए। आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। केवल 45 जिले हैं, 400 जिलों में से केवल 45 जिले। वे इन रिपोर्टों को पढ़ने के लिए रोज समय निकाल सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या हो रहा है।···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उसे शक्ति दें तो वह समाधान भी ढूंढ़ निकालेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अभी प्रधान मंत्री बनना चाहता हूं यदि उनके नेता उससे सहमत हो जायें। मैं नहीं चाहता कि आप गृहमंत्री बने रहने का अवसर खोयें।

श्री रामस्वरूप राम : उपाध्यक्ष महोदय, गया में सुब्रह्मण्यम साहब के जाने के बाद से एट्रासिटी बढ़ी है, वहां पहले एट्रासिटी नहीं थी। इन्होंने जमीदारों और कलक्स की मीटिंग बेला गांव में बुलाई थी तब से बढ़ी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वास्तव में मेरे जाने से नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद तो उस क्षेत्र के हरिजनों में बहुत विश्वास हो गया था। वह उनके मंत्री थे श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह के जाने से गड़बड़ी हुई है।

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने उसके विरूद्ध शिकायत की है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह राम जानते हैं कि दूसरे 'राम' ही सारी कठिनाइयां खड़ी कर रहे हैं लेकिन वह आगे नहीं आएंगें और वह कहते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं हरिजनों को विश्वास दिलाने के लिए जिम्मेदार हूं।

महोदय, यदि वह यह नहीं कर सकते तो वह अलग मंत्रालय हैं- हरिजनों के लिए मंत्रालय बना सकते हैं तथा 'राम' को उस मंत्रालय का मंत्री बना सकते हैं। उनका एक निगरानी कक्ष होना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यह सुझाव मैंने पहले भी दिया है। गृह राज्य मंत्री-श्री लास्कर ने, मैं नहीं जानता, वह कहां गए हैं, मेरे पिछले भाषण के बाद मुझे एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा, कृपया मुझे बताएं कि वे 45 जिले कौन-कौन से हैं, मैं गृह मंत्री नहीं हूं जो कि मुझे 45 जिलों की जानकारी हो। मैंने कहा आप अपने अधिकारियों को मेरे पास भेजिए।

मैं उनके साथ बैठूंगा तथा रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बताऊंगा कि वे 45 जिले कौन-कौन से हैं। उसके बाद मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। इसमें वे कुछ कर सकते हैं और यह प्रभावी होगा।

दूसरे में, मैं यह कहूंगा कि अनुसूचित जाति के आयुक्त को आयोग का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा उसे जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने की शक्ति मिलनी चाहिए। वह जांच कर सकता है। उन्हें उनका इंतजार नहीं करना चाहिए और न ही उनके सहयोग पर निर्भर करना चाहिए। उसे जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सभी शक्तियां मिलनी चाहिए। यह एक दूसरा सुझाव है।

तीसरा सुझाव यह है कि वे कहते हैं कि यह राज्य नीति है। यह राज्य का मामला है और 'हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते' महोदय, यह सब गलत है। यहां संविधान रखा है और मैं संविधान के अध्याय' 1 खंड 11 विद्या की शक्तियों का वितरण तथा संघ और राज्यों के बीच संबंध को पढ़ता हूं।

अनुच्छेद 247 के अनुसार—

> "इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद-निर्मित विधियों के, अथवा किसी वर्तमान विधि के, जो संघ सूची में प्रमाणित विषय के बारे में हैं, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए संसद किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी।"

इसका अर्थ है वह संसद की सहायता से अनुच्छेद 247 के अधीन मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकते हैं जिनका वरिष्ठता में राज्य के सभी मैजिस्ट्रेटों से पहले स्थान होगा। इसका यह अर्थ भी है कि मैजिस्ट्रेट वहां जाते हैं तथा वे वहां कार्य कर सकते हैं। वे स्थानीय मैजिस्ट्रेटों की परवाह नहीं करते क्योंकि वे सभी मैजिस्ट्रेटों में वरिष्ठ हैं तथा वे तुरन्त कार्यवाही कर सकते हैं। क्या उन्होंने किसी भी अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में जो वहां हुई हैं तुरन्त कार्यवाही की है? (**व्यवधान**) यह राज्य का मामला नहीं है। यह ऐसा मामला है जिसके लिए संविधान में बताया गया है कि इसे प्रथम प्राथमिकता प्राप्त है। अस्पृश्यता अधिनियम, 1955 में आपको ऐसा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अत अनुच्छेद 247 का प्रयोग करते हुए, वे राज्य सरकार की भी उपेक्षा कर सकते हैं। उनकी सीधी पहुंच हो सकती है। अतः यह मेरा अन्य सुझाव है। मैं यह कहूंगा कि हमें अपनी सारी केन्द्रीय सहायता इस आयोग के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक पहुंचानी चाहिए। उन्हें धन दीजिए और खर्च करने दीजिए लेकिन वह धन मंत्रालयों को मत दीजिए। मंत्रालय हमेशा उस धन को कम खर्च करते है अथवा किसी तरीके से उसका दुरुपयोग करते हैं। यदि गृह मंत्री इस तरह की रिपोर्ट लिखते हैं कि विदेशी धन तथा अमुक संस्था द्वारा एक वर्ष में चार बार किये गये दौरे ही धर्म परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, इससे पता चलता है कि यह एकदम बेतुका है। मैं नहीं जानता कि उस मंत्रालय में कौन जिम्मेदार है। आपको उसका पता लगाना चाहिए। यहां भी धन खर्च ही नहीं किया जा रहा है। यह काम आयोग द्वारा किया ही जाना चाहिए। केवल तभी आयोग को कुछ प्राधिकार, कुछ दृढ़ता, कुछ धन और कुछ शक्ति प्राप्त होगी। यह काम किया ही जाना चाहिए।

मैं यह कहकर अपना भाषण खत्म करना चाहूंगा कि हमने वास्तव में पिछले 30 वर्षों में जाति-प्रथा के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। जाति-प्रथा ही सब बुराइयों की जड़ है। मैं समझता हूं कि जाति-प्रथा एकदम राष्ट्र विरोधी है। जब तक जाति-प्रथा रहेगी, राष्ट्रीय एकता परिषद का कार्य धीमा पड़ता जाऐगा। जाति-प्रथा का विरोध किया जाना चाहिए। सबसे पहले जाति-प्रथा व्यवसाय से शुरू हुई थी और तब इसका जन्म हुआ था। हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। सारे शास्त्र जन्म की बात कहते हैं। बाद में, जन्म के साथ-साथ जाति भी जुड़ गई। जन्म और व्यवसाय का जाति-प्रथा से कोई संबंध नहीं। अब तो ब्राह्मण भी बाटा शू कम्पनी के कार्यकारी निदेशक हैं। यह ब्राह्मणों का काम नहीं है। हो सकता है वे वातानुकुलित कमरों में बैठे हों। वे जूते बना रहे हैं। कई क्षत्रिय हैं जो व्यापारी बन गए हैं और कई वैश्य प्रोफेसर बन गए हैं। अतः अब व्यवसाय और जाति का संबंध समाप्त हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती" प्रोफेसर एक वैश्य हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं। वह मार्क्सवादी हैं। और परिभाषा के अनुसार मार्क्सवादी वैश्य हैं वे द्वन्द्वात्मक मार्क्सवाद में विश्वास करते हैं। ऐसी वैश्यों की धारणा है।

महोदय, अब हम देखते है कि पिछले तीस वर्षों में जाति और व्यवसाय के बीच का संबंध टूट चुका है। अब जन्म से ही अध्यारोपित जाति होती है। उसे हटाना ही चाहिए। उसे आन्दोलन से ही हटाया जा सकता है। आप धार्मिक मठों की सहायता ले सकते हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य के साथ गृह मंत्री की तस्वीरें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उन कपड़ों में मैंने उन्हें काफी समय से नहीं देखा था। उन्हें संसद में उसी ड्रेस में आना चाहिए। उसमें कोई हानि नहीं है। इस धर्मनिरपेक्ष सरकार में सब धर्मों के लोगों को बुलाने और उन्हें प्रेरित करने में कुछ बुराई नहीं है अथवा आप उस कार्य के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रयोग कर सकते हैं। सरकार की सहायता से जाति प्रथा के विरुद्ध युद्ध करना होगा। यदि शंकराचार्य इस पर आपत्ति करें तब आप उन्हें भी छोड़ दीजिए। लेकिन, यह प्रयास करना है बिना प्रयास किए यह संभव ही नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : वे राष्ट्र विरोधी हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक हैं उनमें से कुछ लोग राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं। वास्तव में कांची के शंकराचार्य ने हरिजनों को पुजारी बना दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। मैंने उनसे पूछा कि वह मीनाक्षीपुरम हरिजनों के बारे में क्या करना चाहते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और पुनः अपने धर्म में आ गए। मैंने उनसे पूछा कि वे किस जाति के हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी भी जाति के हो सकते हैं। मैंने उनसे पूछा-'क्या आप उन्हें ब्राह्मण बना सकते हैं ? उन्होंने कहा 'हां', उन्हें किसी जिले में चले जाना चाहिए और अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर देना चाहिए। उन्हें कौन रोक सकता है ? कोई उच्चतम न्यायालय भी उन्हें नहीं रोक सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें संस्कृत नहीं आती वे मेरे मठ में आएं मैं उन्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा। आपको शंकराचार्य का इतना भूत नहीं लगना चाहिए। एक दो ऐसे हैं, सब नहीं हैं। अत: उन्हें यह सब करना है लेकिन वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं।

महोदय, रेडियो से इन पौराणिक गाथाओं के विरुद्ध ठीक प्रचार करना चाहिए। श्री दंडवते ने, जब वह रेल मंत्री थे, मामले की जांच की थी और उन्हें पता चला कि आरक्षण और पदोन्नति

में कोई संबंध नहीं है और न ही किसी तरह से हरिजनों के बच्चे अन्य बच्चों से भिन्न हैं। ये सब अंधविश्वास और झूठा प्रचार है। रेडियो को ठीक प्रचार करना चाहिए। उसके विपरीत वह यह प्रचार कर रहा है कि हरिजन खरीद की वस्तु बन गई हैं। एसा कोई ठीक प्रचार नहीं हो रहा है जिससे पता चलता हो कि सरकार की इस मामले में दिलचस्पी नहीं है। महोदय, यदि गृह मंत्री अपने पूर्व मंत्री से कुछ भिन्न करना चाहते हैं तो वह ठोस सुझाव लेकर संसद के समक्ष आयें और तब विपक्ष को इस मामले में उनको सहयोग देने में बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने सहयोगियों डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी एवं श्री पासवान का वक्तव्य बड़ी दिलचस्पी से सुना है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बहुत उपयोगी सुझाव दिए हैं तथा मैं समझता हूं, उनकी सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिए। लेकिन, महोदय जिस समस्या पर यहां चर्चा हो रही है वह इतनी आसान नहीं है। हम सब जानते हैं कि समस्या शताब्दियों से चली आ रही है। बहुत से सुधारक आए और चले गए। संभवत: भगवान बुद्ध पहले विद्रोही थे जिन्होंने परम्परागत समाज में ऊच-नीच तथा जाति प्रथा का विरोध किया था लेकिन भगवान बुद्ध जैसे महान व्यक्ति तथा उनके धर्म को शंकराचार्य ने इस देश से बाहर कर दिया गया। यह कहां तक ठीक है, इसकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि ऊंच-नीच का यह वह रुख, जो कि एक धार्मिक प्रवृति है, आज भी बना हुआ है।

स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे देश में लोगों का एक ऐसा वर्ग था, जो कहते हैं कि राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक क्रान्ति भी होनी चाहिए। लेकिन हमें अहिंसात्मक संघर्ष से केवल राजनैतिक स्वतंत्रता ही प्राप्त हुई। बापू जी की नीति का हमें धन्यवाद करना चाहिए जिनके साथमुझे उनके आश्रम में एक वर्ष रहने का सौभाग्य भी मिला है। लेकिन राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के 35 वर्ष बाद भी हमारी क्या उपलब्धि रही है ? क्या वास्तव में हम इस ऊंच और नीच के भेदभाव को मिटाने में सफल हुए ? क्या हमें अपने देश के नागरिकों में समानता लाने में सफलता मिली है क्या हम सामाजिक पक्षपात के अन्तर को कम कर पाए हैं ? क्या हम आर्थिक असमानता को ही कम कर पाए ? मुझे यह बताते हुए दु:ख होता है कि यद्यपि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, हम देखते है कि कुछ सर्वेक्षणों से साफ पता चलता है कि प्रयासों के अनुकूल हमें परिणाम नहीं मिले हैं। जितना धन खर्च किया गया है, परिणाम उसके अनुकूल नहीं रहे है।

हम आज केवल अनुसूचित जातियों की समस्या पर ही विचार कर रहे हैं। 10-3-80 को हमारे गृह मंत्रालय द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे। उनमें कहा गया है कि :

> "एहतियात के लिए, रोक थाम के लिए, दंड संबंधी, पुनर्वास के लिए, तथा कार्मिक नीतियों के लिए व्यापक मार्ग दर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की व्यापक रूप से जांच करने के लिए ये उपाय किये जाने ही चाहिए।"

अत: मंत्रालय द्वारा ये मार्गदर्शी सिद्धांत दिये गए थे। महोदय, अपनी पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमने 85 करोड़ रुपए खर्च किए। अपनी छठी पंचवर्षीय योजना में हम 800 करोड़ रुपए

खर्च करेंगे। इसके अतिरित एक विशेष योजना है जिसके अन्तर्गत राज्यों द्वारा 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। मैं केवल वह राशि बता रहा हूं जो हमने खर्च की। हमारे यहां 20 सूत्री कार्यक्रम है जिसमें एक विशेष सूत्र अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में और उनके हित संबंधी है। इसमें एक विशेष सूत्र इन वर्गों के लोगों एवं हर व्यक्ति को न्यूनतम वेतन देने के बारे में है। एक और सूत्र है जिसमें इन वर्गों के लोगों एवं हर व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उन्हें भूमि देने के बारे में है। उसमें सब योजनाएं हैं। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा राज्य सरकारों की योजनाओं के अनुसार खर्च किए जाने वाले धन का पूरा परिणाम मिल रहा है? जैसा कि मैंने पहले कहा है। सदियों पहले जो हमारी मनोवृत्ति थी, वह हमारे बड़े शहरों और नगरों में एक हद तक समाप्त हो चुका है। औद्योगीकरण के कारण, नगरों और शहरों में लोगों के रहने के तरीकों से यह भेदभाव की प्रवृत्ति कुछ कम हुई है और कुछ हद तक समस्या का समाधान हुआ है। मैं नहीं जानता कि मेरे सहयोगी डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जनेऊ पहनते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने जनेऊ नहीं पहना हुआ है।

श्री आर० आर० भोले : मुझे खुशी है कि आपने नहीं पहना है। महोदय, व्यक्ति एक बार ही जन्म लेता है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग जो जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं वह निश्चय ही मां के गर्भ के बिना ही दूसरी बार जन्म लेते हैं। हमारे यहां यह बहुत ही हास्यास्पद मनोवृत्ति है। कुछ लोग कहते हैं: 'मैं किसी दूसरे से उच्च हूं।' ये सब बातें इसीलिए होती हैं कि पुराने काल से चले आ रहे षड्यंत्र ने धर्म की स्वीकृति से ऊंच-नीच का पट्टा लगा दिया है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपने से नीचे वाले से कुछ बड़ा है। इस स्थिति के कारण हर व्यक्ति अपने आपको उस स्थिति पर बनाये रखना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि कुछ लोग उससे नीचे हैं ताकि वह उसे धक्का मार सके। इसका यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। अतः इतना अधिक पैसा खर्च करने तथा इतने प्रयत्न करने के बाद भी इससे अच्छे परिणाम तथा लाभ नहीं मिल रहे हैं। कारण यह है कि नौकरशाही—मैं समझता हूं कि काफी सीमा तक यह बुर्जवा वर्ग है, की अब भी वही परम्परायें हैं, वही उपनिवेशवादी परम्परायें हैं। नौकरशाही वही है, जो अंग्रेजों के समय थी। नौकरशाही में वे लोग भी आते हैं जो अधिकांश बड़े घरानों और कुछ छोटे घरानों के होते हैं। यदि किसी साधारण व्यक्ति, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति के लिये कोई राहत या लाभ के लिये कहा जाये तो जो नौकरशाह वहां बैठता है—यदि वह आवेदक के वर्ग से किसी भिन्न वर्ग का हो—तो वह 101 बाधायें पैदा करता है और राहत प्रक्रिया के जाल में फंस जाती है, जिसे हम अभी भी अपना रहे हैं। इसी कारण सैकड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी हमें पूरे लाभ नहीं मिले हैं और उन गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ प्राप्त नहीं होते हैं।

मेरे विचार में, मैं अपनी बात कह चुका हूं। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जब सभा में दो अथवा तीन विधेयक पुरःस्थापित किये हैं। एक यह है कि संविधान की धारा को अस्पृश्यता निवारणंय संशोधित किया जाये। मैंने कहा है कि जातिवाद और अस्पृश्यता समाप्त की जानी चाहिए। मेरे विचार में यह सभा इन विधेयकों पर चर्चा करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें 'ख'

श्रेणी के अन्तर्गत लाया गया है। सलाहकार समिति के अध्यक्ष के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें 'क' श्रेणी के अन्तर्गत लाया जाए।

मैंने इस सभा के सामने एक दूसरा विधेयक भी रखा है। मैं उस विधेयक में कह चुका हूं कि जो अधिकारी इन गरीब वर्गों की जो अनुसूचित जाति के हैं, समस्याओं सम्बन्धी कार्यवाही करते हैं वे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि यह पता चले कि उसके अधिकारी की लापरवाही अथवा उसके दृष्टिकोण के कारण लाभ नहीं मिले हैं तो उस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उसके लिए जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा। यही कुछ बातें है जिन्हें मैं सोचता हूं कि प्रकट करना आवश्यक है लेकिन साथ-साथ मैं कहूंगा कि अनुसूचित जाति के असंख्य लड़कों तथा लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है। मेरे विचार में 1980 में इन विद्यार्थियों को 5 लाख छात्रवृत्तियां दी गयीं थीं जबकि पांचवें दशक में 44 ही दी गयी थीं। अब बहुत से नौजवान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसे लड़कों के बारे में जानता हूं जो मैट्रिक पास करने के बाद वनों में श्रमिक का काम कर रहे हैं। अतः अनुसूचित जाति के शिक्षित युवक भी बेरोजगार हैं। अतः इस समस्या को नौकरशाही के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर बड़ी सावधानी से हल करना है। नौकरशाही की छानबीन की जानी चाहिये और यह देखना चाहिए कि वे इस राष्ट्रीय हित के लिए क्या करते हैं।

अंत में, मैं कहूंगा कि जहां तक गृह मंत्रालय के परिपत्र का सम्बन्ध है। मुझे मालूम नहीं कि क्या यह सही है क्योंकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी संसदीय समिति वहां गयी थी और उन्होंने तमिलनाडु सरकार से पूछताछ की है। जहां तक मुझे याद है, सरकार मुख्य सचिव तथा अन्य लोगों ने हमें बताया है कि उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि इस्लाम धर्म अपनाने के लिये उन्हें कोई पैसा दिया गया है। हमने संसद को रिपोर्ट दे दी है। अतः इस परस्पर विरोधी बात की जांच करनी पड़ेगी।

श्री सुन्दर सिंह : उपाध्यक्ष जी, हमारी मैजोरिटी है, हमारी तरफ से दो आदमियों को बुलाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक सत्तारुढ़ दल से तथा एक विपक्ष से। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं आपको बुलाने जा रहा हूं। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं। विपक्ष के लिए यह एक अवसर है, मैं आपको बुलाऊंगा श्री कोडियन के बाद मैं आपको बुलाने जा रहा हूं।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हम सब के लिए शर्म की बात है कि आजादी के 35 वर्षों के बाद भी कमजोर वर्गों तथा हरिजनों पर अत्याचार जारी हैं। मैं उन अनेक घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहता जो हुई हैं। मेरे से पहले के वक्ता इन घटनाओं की चर्चा कर चुके हैं।

मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर इस सभा में जो चर्चा हो रही है उसका केन्द्र तथा राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। मैं यह सब इसलिए कहता हूं कि इस सभा में चर्चा के बावजूद भी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के बावजूद भी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा अनेक सुझावों से युक्त कई प्रतिवेदनों के बावजूद भी हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर हो रही हिंसा तथा अत्याचार की घटनाओं

को नियंत्रित करने की दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा है। श्री भोले उन विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों का जिक्र कर रहे थे जो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को जारी किये हैं ये मार्गदर्शी सिद्धान्त बहुत विस्तृत हैं लेकिन इन्हें कार्यान्वित करने की कौन परवाह करता है ? क्या गृह मंत्री ने कभी यह देखने की कोशिश की है कि इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में राज्यों में क्या हो रहा है ? कहा गया है कि अत्याचार-ग्रस्त जिलों में हरिजनों की सामूहिक हत्या जैसे बड़े-बड़े अत्याचारों को रोकने में असफल होने के लिए जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधिक्षक को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। क्या मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं कि क्या इस प्रकार की असफलता के लिए किसी एक जिला कलेक्टर अथवा पुलिस अधीक्षक को निलम्बित किया गया है या उनके विरुद्ध इस विशेष असफलता के लिए कार्यवाही की गई है ? मेरे विचार में मंत्री महोदय एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे पायेंगे। इसी कारण मैं बार-बार कहता हूं कि "बार-बार मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजने की क्या आवश्यकता है जब उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता है ? दूसरी ओर ऐसे उदाहरण भी हैं जहां जिला कर्मचारियों को किसी घटना के बाद स्थानांतरित किया गया लेकिन कुछ सप्ताह अथवा महीनों के बाद वापिस लाया गया।

आपको उत्तर प्रदेश के नारायणपुर गांव की दुखदायी घटना की याद होगी। गोरखपुर रेंज के डी० आई० जी०, जो समूचे क्षेत्र के प्रभारी थे, तथा पुलिस अधीक्षक को स्थानांतारित किया गया। 15 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मामले थे। इन मामलों की जांच भी हुई थी। बाद में हुआ यह कि इस विशेष डी० आई० जी० को मुरादाबाद रेंज में भेजा गया और पुलिस अधीक्षक को राज्य सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में भेजा गया जबकि यह भी रिपोर्ट है कि दोनों अधिकारियों को किसी जिम्मेवारी के पद के अयोग्य घोषित किया गया है। उदाहरण के लिए कफल्टा में एक बारात में 19 हरिजनों की हत्या को ही लीजिए। वहां कुछ अपराधियों को गिरफ्तार करने वाले एक डी० एस० पी० को पदोवनत किया गया। वह एक हरिजन था फिर केशतारा की घटना को लीजिए जहां एक सतनामी हरिजन परिवार की हत्या की गयी। जिला कलेक्टर अब भी वहीं है; वह दुर्ग का कलेक्टर था। उनका कुछ नहीं हुआ। केवल औपचारिकता के लिए पुलिस अधीक्षक को दूसरे स्थान को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक जिला कर्मचारी यह अनुभव न करें कि अत्याचार निवारण सम्बन्धी उनकी असफलता के फलस्वरूप उनकी मुअतली तथा बर्खास्तगी भी हो सकती है, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। सरकार को इस समस्या के बारे में दृढ़ रहना चाहिए। जो भी जिला कर्मचारी अत्याचारों का निवारण करने में असफल हो अथवा विकट स्थिति में कोई कर्मचारी अपनी जिम्मेवारियों को न निभाए, उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री सुन्दर सिंह : उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए।

श्री पी० के कोडियन : कई माननीय सदस्य जाति प्रथा के बारे में बात कर रहे थे और श्री पासवान ने स्वयं सुझाव दिया कि जाति प्रथा को ही समाप्त किया जाए। निस्संदेह यह एक साधारण सुझाव नहीं है। लेकिन बात केवल जाति की ही नहीं है। आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक विस्फोटक स्थिति है क्योंकि हरिजन तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं--उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे हैं—जाति भेदभाव तथा अन्य असमंथताओं के

होते हुए भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं अथवा उन्होंने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। यह बात सच नहीं है कि केवल नौजवान हरिजन ही हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नई पीढ़ी के हरिजनों की प्रेरणा से पुरानी पीढ़ी के हरिजन भी अब इन अन्यायों तथा अत्याचारों जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है, का सामना करने के लिए तैयार हैं।

अत: यह प्रश्न उपेक्षित तथा शोषित वर्ग को जागने तथा अपने अधिकारों को जताने का है। इस घटना से नीहित स्वार्थों के लोग, जिमीदार तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अमीर लोग नाराज हुए हैं। वे वास्तव में वर्तमान जातीय विद्वेष का उपयोग आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों के संघर्ष को कुचलने के लिए करते हैं। सरकार तथा प्रशासन की क्या भूमिका है ? आपने कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी की घोषणा की है। जब उन्होंने इसे कार्यान्वित करने की मांग की तो जिमीदारों ने तुरन्त गोली चलाना, मारना तथा उनके झोंपड़ों को आग लगाना शुरू किया, उनकी महिलाओं पर बलात्कार भी किया जाता है। इन शोषित लोगों की रक्षा करना क्या राज्य तथा प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है ? दुर्भाग्यवश, प्रशासन उनकी सहायता के लिए सामने नहीं आता, जो साधारणत: निचले स्तर पर विशेषकर पुलिस स्तर पर नीहित स्वार्थ वाले लोगों से सांठ-गांठ करता है और कृषि मजदूरों के विरुद्ध किए गए अपराधों को प्रोत्साहन देते हैं। अत: मेरा सुझाव है कि सरकार को शोषित वर्ग सम्बन्धी कानूनों को गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वित करना चाहिए। बिहार के औरंगाबाद में वे अधिसूचित न्यूनतम मजूरी को कार्यान्वित करने लिए लड़ रहे हैं। वे कुछ और के लिए नहीं कह रहे हैं। अत: न्यूनतम मजूरी का कार्यान्वयन, भूमि सुधार तथा ऐसे अन्य आर्थिक उपायों को जोरशोर से लागू किया जाना चाहिए। मैं उन सभी विभिन्न सुझावों से सहमत हूं जो विशेषकर उन क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं जहां अत्याचार हमेशा ही होते रहते हैं।

किसी ने सुझाव दिया है कि एक विशेष संस्था अत्याचार सम्बन्धी कार्य को देखे। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन वह केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। यह विस्फोटक स्थिति सभी ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है। अत: सरकार को न्यूनतम मजूरी कार्यक्रमों, भूमि सुधार उपायों तथा अन्य आर्थिक उपायों के कार्यान्वित करने के लिए ठोस सदम उठाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा कर चुका हूं कि मंत्री 7 बजे उत्तर देंगे। लेकिन अब यह सम्भव नहीं है। अब सत्तारूढ़ दल से दो तथा विपक्ष से दो सदस्य बोलेंगे, प्रत्येक माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेगा और फिर मंत्री लगभग 7 बजकर 30 मिनट पर उत्तर देंगे। **(व्यवधान)**

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मेरा अनुरोध यह है कि मैं उन सदस्यों के लिए बाधा नहीं उत्पन्न करता जो काफी समय तक बोलते हैं और कई साथ-साथ बोलते हैं। साथ में बैठने के लिए हमारे लिए कोई सीट होनी चाहिए। यह हमारा पहला दिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव क्या है ? क्या आप चाहते हैं कि मंत्री अभी उत्तर दें ?

श्री एन० के० शेजवलकर : हम इसे कल ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सम्भव नहीं है। इसका प्रभाव अन्य कार्य पर पड़ेगा। मुझे खेद है

कि मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मैं आपको बता चुका हूं कि केवल सत्तारूढ़ दल से दो तथा विपक्ष से दो सदस्य बोलेंगे। उसके बाद मंत्री उत्तर देंगे। अब श्री सुन्दर सिंह।

श्री सुन्दर सिंह : मैं श्री राम विलास पासवान का शुक्रिया अदा करता हूं जो यह रेजोल्यूशन लाए हैं। मगर साथ ही मैं कहता हूं कि जो हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं वह सूरज भान की वजह से, राम विलास पासवान की वजह से, रामस्वरूप राम की वजह से, चौधरी सुन्दर सिंह की वजह से और आर० आर० भोले की वजह से। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो आदमी जुल्म सहता है वह ज्यादा निकम्मा है उससे जो जुल्म करता है। यह बात है। मगर यह कहा है कि जहां किसी पर बीतती हो वहां उसको लड़ाई करनी चाहिए। 1947 में डाक्टर अम्बेडकर ने कहा था, 33 करोड़ आबादी थी हिन्दुस्तान की उस समय डाक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि जो मुसलमान हैं उनसे मिलकर अपना हिस्सा बंटा लो। उस समय 9 करोड़ मुसलमानों की आबादी थी, 6 करोड़ हमारी थी और 34 करोड़ सारी थी। 9 और 6 पन्द्रह करोड़ और 34 करोड़ सारी। क्या कर लेते ? अब हम कहते हैं कि हमें यह दे दो, हमें मारते हैं, हमें मारा है। उस वक्त हम हिन्दुओं के साथ पड़ गए। हमें क्या पता था कि ऐसे जालिम लोग हैं। उस वक्त हमने गलती की हम मान जाते तो सत्यानाश कर देते तुम्हारा। क्या जरूरत थी हमें मांगने की ? यह बात ठीक है या नहीं ? उस वक्त वह हमें कहते थे हम तुम्हें मिनिस्ट्रीज दे देंगे, सारी जमीन दे देंगे, हमने कहा कि जाओ जाओ, हम महात्मा गान्धी को मनाने हैं, हम हिन्दुस्तान में रहेंगे, चाहे कुछ हो जाय हम हिन्दुस्तान में रहेंगे। हमें क्या पता था कि हिन्दुस्तान ऐसा है कि जहां वह मार-मार कर सब अपने लिए ही ले लेते हैं। एक यह हैं कृष्णमूर्ति इनका नाम है, यह कहते हैं कि यह जो हरिजनों की प्राबलम है यह नेशनल प्राबलम है। किधर है वह नेशनलिटी ? मैं कहता हूं कि कहां है नेशनलिटी ? है कहीं ? यों ही बातें करते हैं, लम्बे-लम्बे लेक्चर करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं 1947 से चला आ रहा हूं, मैंने देखा है कि हरिजनों का भला कैसे हो सकता है, जब तक लैंड रिफार्म न हो, कोई बात नहीं बन सकती है। गांवों में कोई रह नहीं सकता है क्योंकि जिसके पास जमीन है उसके पास लाठी होती है, जिसके पास जमीन नहीं होती है उसके पास लाठी नहीं होती है। मैंने सबसे पहले जब देखा कि यह लैंड रिफार्म नहीं हो रहा है तो उस समय सरदार प्रतापसिंह कैरों और सच्चर साहब थे, मैंने सच्चर साहब से कहा इसके लिए तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, सब कुछ दे देंगे, लैंड आपको नहीं दे सकते।

मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि जिनके पास जमीन है वे जबर्दस्त हैं और जो मांगने वाले हैं वे कमजोर हैं। मैंने कहा, फिर आप छोड़ो। मैं जाकर पं० जवाहर लाल नेहरू से मिला और इस तरह से जमीन ली। मैं कहता हूं पंजाब में हरिजनों को कोई हाथ लगा कर देखे, कोई एक मारे तो हम दो मारें। हरियाणा में भी यही हाल है। यह जो बड़े-बड़े लीडर हैं, चिट्टी-धोतियां पहने हैं, चिट्टे कपड़े पहने हैं, बिहार में और यू० पी० में और मैं कहता हूं—ये जो मिनिस्टर हैं, जो 35-35 साल से मेम्बर बने हुए हैं, वे देहातों में जाकर लड़ाई क्यों नहीं करते हैं ? इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी ? मैं आपको बतलाऊं—मैं इन्दिरा जी से मिला था। उन्होंने कहा—सुन्दर सिंह, तुम्हें क्या चाहिए ? मैंने कहा—बूटा सिंह सबसे गरीब है, इसकी बिरादरी बड़ी गरीब है। मैं चाहे गरीब हूं, लेकिन आप इसको कुछ दे दो। उन्होंने कहा—उनको दे दूंगी, लेकिन तुम्हें

क्या चाहिए ? मैंने कहा – मुझे तो पंडित जवाहर लाल नेहरू के वक्त का स्टेटस चाहिए । जब मैं चलता था तो सारी दुनिया कांपती थी । इसलिए मैं वही चाहता हूं । मिनिस्ट्री की मुझे कोई जरूरत नहीं है । मैं आपको बतलाता हूं—हरिजनों को डिवाइड-एण्ड-रूल किया जाता है जिससे वे एक्सप्लाएट होते हैं । यहां पर तारीफें करते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, लेकिन आदमी आपके मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ? अगर कुछ नहीं करते हो तो जूतियां खाओ …(**व्यवधान**)…चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इधर की हो या उधर की हो,**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा ।

श्री सुन्दर सिंह : मैं कहता हूं—मुझे वहां ले चलिए जहां तकलीफें होती हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि वहां कैसे लोग हैं ? जहां 24-24 कत्ल होते हैं, फिर भी लोग चुप रहते हैं । आप क्यों नहीं उनका कत्ल करते हैं ? कौन आपको बचायेगा ? कोई नहीं बचायेगा । सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, गरीब की कोई परवाह नहीं करता है, सब पैसे के पुत्तर हैं । कोई एक-आध आदमी सुन्दर होता है जो अकेले स्टैण्ड करता है । पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद मैं आपको बतलाऊं, थोड़ी सी सहानुभूति इन्दिरा जी के साथ क्यों है ? इसलिए है कि उनके अन्दर निःस्वार्थ भावना है । जो बड़े-बड़े आदमी हैं वे उनसे कहते हैं कि इसको टिकट दे दो, उसको टिकट दे दो, लेकिन वे सब हार जाते हैं । हमारी बात मानती नहीं हैं…(**व्यवधान**)… ये बड़े-बड़े जो लीडर हैं, जो जाट हैं, इनको जाट भी वोट नहीं डालते हैं । सबसे ज्यादा खतरनाक जमींदार हैं । मेरा उनके साथ शुरू से ही मुकाबला रहा है । जमीन के लिए मैं उनसे लड़ाई करता रहा हूं लेकिन मैं हैरान हूं कि बिहार में इतने आदमी मरे हैं, हमारे बाबू जगजीवन राम ने वहां क्या किया । वहां उन्होंने इन लोगों को जमीन क्यों नहीं दी ? यू0 पी० में इनको जमीन क्यों नहीं दी ? इतने दिन से लीडर बने रहे लेकिन किया कुछ नहीं । आप यह कहते हैं कि स्पेशल कोर्ट बना दो, लेकिन कौन बनायेगा, कोई नहीं बनायेगा ।

अब मैं पंजाब की बात बतलाऊं—वहां पर 90 फीसदी पुलिस में हैं, हिन्दू बहुत कम हैं । उनके लड़के कत्ल करते हैं, लेकिन उनको कौन पकड़ेगा ? कोई नहीं पकड़ सकता है । इनको मरते देखकर सभी लोग खुश होते हैं । 100-50 रुपया देकर कहते हैं कि हमने बड़ी मदद कर दी, लेकिन मैं बतलाऊंगा जो हरिजन अफसर हैं । निकम्मी पोस्टों पर उनको रखा हुआ है । पंजाब और हरियाणा में यह हालत है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने रिज़ोल्यूशन आप एडाप्ट करते रहें, आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है । हरिजन का हरिजन भी कुछ नहीं करेगा । कई हरिजन** हैं, जो कि आफिसर बने हुए हैं । कोई आदमी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है । मैं पासवान से कहना चाहता हूं कि इस संबंध में हमें और आगे बढ़ना होगा, हमें लड़ाई करनी होगी, लड़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता है । सरदार पटेल ने लिखा है—

यदि शान्ति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

आप चाहे कोई चीज कर लो, लेकिन आपका भला नहीं होने वाला है। ब्राह्मण, खतरी सब मुसलमान बने, लेकिन हम उस वक्त भी मुसलमान नहीं बनें, हमने सब मिल कर गुजारा कर लिया। राजपूत, जाट खतरी सब बने हैं, हम में से कोई नहीं बना है। ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ज्ञानी जी की जगह आप ले लो।

श्री सुन्दर सिंह : बात नजदीक आ रही है। अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक हरिजन नहीं बनेगा, तब तक महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं होने वाला है। वह भी बैकवर्ड है, इसके बाद हमारी बारी आएगी। यह सरकार आपकी वजह से कमजोर है। हमें श्रीमती इंदिरा गांधी पर फेथ है, हम उनको अपना लीडर मानते हैं। लेकिन आपके 18 लीडर बने हुए हैं।

जिनमें विश्वास का अभाव है, उसमें प्रत्येक चीज का अभाव है। भगवान में विश्वास करने से ही चमत्कार होते हैं क्योंकि विश्वास ही जीवन है और सन्देह मृत्यु है।

मैं कहता हूं कि आप अपना एक लीडर चुनिए, तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इधर आ जाइए।

श्री सुन्दर सिंह : मैं भी आ जाऊंगा, पहले आप एक तो बन जाएं। न तुम एक बनोगे और न मैं उधर जाऊंगा। आया राम गया राम वाला हिसाब चल रहा है। मैं श्री पासवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सत्र के शुरूआत में इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं इलैक्शन लड़ रहा था, तो मेरे विरोधी पक्ष में बी० ए०, एल० एल० बी का कैंडिडेट था। मैंने कहा—मुझे बी० ए०, एल० एल० बी हरा नहीं सकता है कोई* तो हो सकता है। लेकिन* कोई नहीं है। वह मुझे हरा नहीं सकता। ये यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, यह बनाओ, वह बनाओ, लेकिन कौन बनायेगा ? हमें खुद बनाना होगा, हमें खुद सारा सिलसिला सम्भालना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं संभालेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। लेक्चर सुनाने से कुछ नहीं होगा। महात्मा गांधी का आदर्श तब पूरा होगा, जब हम बरसरे-इक्तदार होंगे, गवर्नमेंट हमारे हाथ में होगी। ये 20 करोड़ आदमी मर रहे हैं, सताये जा रहे हैं।

इन शब्दों के साथ आखिर में यही कहूंगा कि हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। जहां लड़ाई होती है उसका मुकाबला करना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं कोई बात कहूं, मैं सदन के माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सदन के शुरू के दिन ही इस देश तथा सदन, दोनों का ध्यान कमजोर वर्गों के ऊपर होने वाले अत्याचारों की तरफ ध्यान दिलाया है। इसमें कोई शक नहीं, यदि इस देश में परियार रामास्वामी न होते, बाबा साहेब डा० अम्बेडकर न होते, डा० राम मनोहर लोहिया न होते और महात्मा गांधी न होते तो इस देश में कमजोर वर्गों के जो लोग हैं, जिनको हरिजन और शूद्र कहा जाता है, जो पिछड़े

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

हुए, दलित और शोषित हैं, शायद वे इस तरफ कोई कदम न उठा पाए होते, अपनी तरक्की के बारे में सोच भी न पाये होते। आज हम गरीबों पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यही स्थिति जारी रहेगी तो इसके क्या नतीजे होंगे ? अभी पिछले दिनों 12-13 जून को मैं और भाई रामविलास पासवान तथा हमारे भाई डी० पी० यादव मद्रास के त्रिचुरापल्ली में द्रविड़ कजगम की एक कान्फ्रेंस में गए थे। जहां कई लाख स्वयं सेवक काले कपड़े पहने हुए, काले अंग-वस्त्र डाले हुए, पेरियार रामास्वामी और डा० अम्बेडकर के फोटो लेकर जलूस में चल रहे थे। उनके दिल में इस वर्णव्यवस्था के प्रति एक आग थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने के लिए, जात-पांत के बन्धन को समाप्त करने के लिए, इस देश में समानता लाने के लिए वे दृढ़ संकल्प थे। उनका कहना था कि हमें पेरियार, बाबा साहेब और डा० लोहिया के विचारों को देश के कोने-कोने में फैलाना होगा वरना ये दलित और शोषित इसी तरह से मारे और काटे जाते रहेंगे। इनके लिये बचाव का कोई अवसर नहीं मिलेगा।

हमें उस समय एक घटना याद आती है। पासवान जी और मैं तमिल दलपति वीरमणि जी के साथ डायस पर बैठे हुए थे और लाखों स्वयंसेवकों का जलूस हमारे सामने से निकल रहा था। वहां एक ब्राह्मण अपनी वेषभूषा में जलूस के सामने आता है और कुछ हस्तक्षेप करता है। एक तरफ से लोग उस पर टूट पड़ते हैं और सैकड़ों पुलिस वाले उसको बचाकर हमारे सामने लाते हैं, हमें उसकी चोटी छुपानी पड़ती है, उसके जनेऊ छुपाने पड़ते हैं, उनको छुपाने के लिये अपने अंग-वस्त्र देने पड़ते हैं। तमिल दलपति वीरमणि जी की मेज के नीचे उसको छुपाना पड़ता है, तब उसकी जान बचा पाते हैं।

अगर इनके घर जलेंगे, इस तरह से हरिजन जलेगा, उनके साथ अत्याचार होते रहेंगे, तो क्या वह समय नहीं आएगा जब ये लोग आगे बढ़कर उस जुल्म का मुकाबला करेंगे। जब इन्सान मजबूर हो जाता है तो वह भी उसी युद्ध की तरफ बढ़ने लगता है जिनसे वह बचना चाहता था। हम लोग कानून में पूरी आस्था रखते हैं, देश की परम्पराओं में हमने बराबर आस्था रखी है, लेकिन हम आज मजबूर किए जा रहे हैं। हम लोगों के लिए जो भी योजनायें दी जा रही हैं, वे हमारे लिए लागू नहीं होती हैं। चाहे कोई सरकार रही हो, किसी की नीयत साफ नहीं रही है इन कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कुछ करने के लिए। अगर अनुसूचित जातियों और जन-जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ करना होता, तो आज इस देश में इनके लिए एक अलग से मंत्रालय होता, एक अलग से मिनिस्ट्री होती लेकिन आज तक इनके लिए कोई अलग से मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई है। इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। इस देश में करोड़ों-करोड़ की संख्या में ये लोग हैं और इतने बड़े प्रतिशत की यह स्थिति हो और उसके लिए अलग से मंत्रालय न बनाया जाए और केवल दूसरे मंत्रालय के अधीन सारा काम कराया जाए, तो अंजाम आपके सामने है। सरकार की नीयत साफ होती, तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर इन लोगों को मौका देकर इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोक सकती थी। श्री आर० आर० भोले की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी और उस कमेटी के साथ, जिसमें पासवान जी भी थे, हम देवली गांव गए, तो दूसरे गांवों से आ-आकर हरिजन कह रहे थे कि हमारी जान खतरे में है और हमें देवली में रहने दिया जाए क्योंकि पी० ए० सी० वहां पड़ी हुई है। उस समय एस० पी० नहीं आया और किसी अफसर ने जब उनकी बात नहीं सुनी, तो वहां पर साढूपुर में घटना घटी और बहुत

से लोगों को मारा गया। इसी तरह से रामपुरा में 6-7 लोग मारे गये और इक्का-दुक्का तो ये घटनाएं घटती ही रहती हैं और लोग मारे जाते हैं। इन लोगों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं और इनका कत्लेआम होता है, क्या इस सरकार के यहां पर चर्चा कराने से या इस सदन में थोड़ी देर के लिए चर्चा करा लेने से ये रुक जायेंगे। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था आप करते हैं कि इसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनाएं और हर जिले में एक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट और एक एडीशनल एस० पी० खास तौर से इन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, इनकी जान व माल की रक्षा के लिए आप नियुक्त करें।

थानों में क्या हो रहा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुलिस स्टेशनों के अन्दर पुलिस वाले और अपर कास्ट के लोग काम करते हैं। वे इन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं। अगर इनको मार दिया जाता है, तो इनको इस दुनिया से तो कम से कम मुक्ति मिल जाती है लेकिन झूठे मुकदमे चला कर इनको जेलों में सड़ाया जाता है और इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हर जिले में आप ऐसे मुंसिफ या जज नियुक्त करें, जो इन लोगों के मामलों को सुनें और किस तरह से इनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और षड़यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है, इस सब को देखें और ऐसे मामलों को रोकने की कोशिश की जाए। बदायूं और बरेली में, जहां से मैं चुन कर आया हूं किस तरह से इन लोगों को सताया जाता है, इनको मारा जाता है, काटा जाता है और कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कई बार मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। कफल्टा में घटना घटी थी और अब हालत यह है कि वहां पर ये लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, इन लोगों की बारातों को निकलने नहीं दिया जाता है। मैंने मुख्य मंत्री को लिखा है और कमेटी के सामने भी यह मामला आया कि इनकी बारातों को निकलने नहीं दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि हरिजनों और शिल्पकारों की बारातों को निकलने दिया जाए, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

आज हाई कोर्टों में अपीलें चल रही हैं लेकिन सरकार उन अपीलों को एक्सपीडाइट करने के लिए एप्लीकेशन देने को तैयार नहीं है। हरिजनों पर अत्याचारों के जितने मुकदमे चल रहे हैं और उनमें जो अपीलें होती हैं, उनमें सरकार को एक्सपीडाइट करने के लिए एप्लीकेशन्स देनी चाहिए जिससे मुकदमें जल्दी से जल्दी तय हो जाएं।

इतना कहते हुए मैं राम विलास पासवान जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मसले को यहां पर उठाया और सरकार को बड़ी सख्ती के साथ इस मसले से निपटना चाहिए।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के दलितों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में राम विलास पासवान जी ने जो सवाल उठाया है और आपने जो चर्चा करने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह एक गंभीर सवाल देश के सामने है और इस सारे सदन का ध्यान मैं इस गंभीर सवाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 67 करोड़ की आबादी वाले देश की इस सर्वोच्च सदन में आने का जो मौका मिला है, वह कैसे मिला है, यह मैं बताना चाहता हूं।

मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव में मेरी जाति का, चमार का एक ही

घर है और मेरे वोट केवल 3 हैं। फिर इस सदन में मैं कैसे आया, 3 वोट वाला एक घर का आदमी यहां कैसे आया, यह मैं बताना चाहता हूं। आजादी के टाइम पर महामानव डा० बाबा-साहेब अम्बेडकर ने गरीबों की रक्षा के लिए, दलितों की पैरवी के लिए, अन्याय के खिलाफ चौकीदारी के लिये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। यह रिजर्वेशन भी नहीं होता, अगर कांग्रेस नहीं होती और कांग्रेस को इन्दिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलती तो मुझ जैसे आदमी को इस सदन में आने का मौका नहीं मिलता।

यहां आने के बाद मैं सारे देश के दलितों का, जिन पर कि अत्याचार हो रहे हैं खासकर उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। सारे देश में 16 करोड़ दलित लोग हैं। उनके हितों की रक्षा करने के लिए और जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए लड़ने के लिए मैं यहां आया हूं।

मैं ऐसा पोलिटिशियन नहीं हूं कि बाहर से कुछ हो और अन्दर से कुछ और हो। मेरे में एक कमी है कि मैं अपनी अन्तरात्मा की आवाज को दबा नहीं सकता।

इस देश के दलितों की रक्षा के लिए इस सदन में आज इस समय 6 और 7 बजे के बीच में 80 प्रतिशत दलित वहीं के बैठे थे। उनमें से 15 परसेंट लोग चले गये। अब इस समय यहां 65 परसेंट लोग दलित रह गए हैं। दूसरा तो कोई इस समय है नहीं। इससे हमें मालूम होता है कि दलितों के सवाल से अन्य सदस्यों को कितना प्रेम है। इस देश में 16 करोड़ लोग दलित हैं। मैं उन 16 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि हूं। मेरे ऊपर गांव के पिछड़े और अनपढ़ लोग दबाव डालते हैं कि हम सब 16 करोड़ दलित एक हों क्योंकि उन पर सामुहिक अत्याचार होते हैं।

एक दिन भी ऐसा नहीं होता है। जिस दिन कि अखबार के पन्ने में आपको सुबह यह नहीं मिलेगा कि कितने दिन 10, 15 या 20 दलितों की हत्या न हुई हो। मैं सदन के सामने यह बात कहना चाहता हूं और अपने विरोध पक्ष के भाइयों से भी यह कहना चाहता हूं कि पिछले ढाई सालों में इस सदन में पांचवी बार यह बहस हो रही है। यहां बहस हो जाती है उसके दूसरे दिन फिर अखबार में आता है कि 10, 20, दलित भाइयों के साथ अत्याचार हुआ। बिहार में दलित इंजी-नियर, प्रोफेसर, डाक्टर या अन्य पढ़े-लिखे आदमी को भी नक्सलवादी डाकू कह कर मारा जाता है। यह एक गंभीर सवाल है।

मुझसे पूर्व मान्य वक्ता सदस्य ने अपने भाषण में बताया कि यह हजारों सालों की जो गुलामी है, हजारों सालों से चला आ रहा जो अन्याय है, वह 35 साल में कैसे मिटेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हजारों-हजारों सालों से चले आ रहे राजा-महाराजाओं का, उनके रजवाड़ों को हमने दो-तीन साल में ही समाप्त कर दिया। जब हम उनको इतनी अवधि में समाप्त कर सकते हैं तो क्या दलितों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते? मैं कहता हूं कि दलितों और आदिवासियों के लिए अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। कम से कम दस सालों से इस सदन में यह मांग हो रही है कि 16 करोड़ दलितों और 12 करोड़ आदिवासियों के लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए।

किस्तावार, देवली और साढ़ूपुर में जिन बच्चों के माता-पिता मारे गए, उन बच्चों को गोद लेना और छात्रावास में रखने का सरकार ने स्वयं आश्वासन दिया गया था, वह भी सरकार

से नहीं हो सका है। यह किसी संस्था का सवाल नहीं है, किसी पार्टी का भी सवाल नहीं है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनायी जाये। अगर आप दलितों और आदिवासियों की रक्षा के लिए कदम नहीं उठायेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमें भी संतोष नहीं होने वाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश के दलित जाग गए हैं। कहीं उनमें उबाल न आ जाए। इसलिए दलितों को बचाने के लिए घड़ियाली आंसू न बहाएं, वोट लेने के लिए बड़ी-बड़ी बातें न करें। इस समय दलितों के अलावा जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, वे सिर्फ रिकार्ड बनाने के लिए उपस्थित हैं। किसी के दिल में दर्द नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरी बातों को गंभीरता से समझेगा नहीं तो देश में आफत आ सकती है। दलित जाग उठेगा, तब उसको कोई रोक नहीं सकेगा।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि हरिजनों पर हुए अत्याचारो की चर्चा में मुझे आपने अन्त में समय दिया है, लेकिन अफसोस है कि पिछले सत्रों की तरह फिर वही चर्चा का अन्त तो हो जाएगा लेकिन हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों का अन्त इस देश में नहीं होगा, कम से कम इस मौजूदा सरकार के रहते यह दिखाई नहीं पड़ता।

हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारी यह मनःस्थिति हो गई है कि रोज सुबह अखबार देखते हैं और सोचते हैं कि यह तो रोज का काम है और दूसरी तरफ सरकार की मनःस्थिति यह हो गई है कि झूठे आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, ताकि आने वाले सत्र में विरोधी दलों के लोगों को झुठलाया जा सके कि हरिजनों पर अत्याचार कम हो रहे हैं। ये दोनों पक्षों की मनःस्थिति उपाध्यक्ष महोदय मैंने आपके सामने रखी है।

कस्तरा में क्या हुआ ? हत्यारे आए, हरिजनों को बाकायदा पहले खबर मिल गई और वे सब एक घर में जाकर छुप गए और दरवाजा बन्द कर दिया। किवाड़ तोड़ने शुरू कर दिए गए। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली और उसने कहा कि हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे, हमको छोड़ दो, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी गई और उसको नंगा करके पेड़ से बांध दिया गया। इसके बाद मकान की छत तोड़कर और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। बच्चे तो वहीं मर गए, बड़े तड़पने लगे तो उनको किवाड़ तोड़कर बाहर निकाला गया और उस बुढ़िया से पूछा गया कि क्या यह तुम्हारा बेटा है, क्या यह तुम्हारा भाई है। इसके बाद उस बुढ़िया को पैरों से काटना शुरू किया गया और गर्दन तक काटकर चैन ली। आज इस देश के अन्दर इस तरह के राक्षसी अत्याचार हो रहे हैं। सरकार कहती है कि हरिजनों पर अत्याचार कम हो रहे हैं। लेकिन सही स्थिति यह है कि इन दो-ढाई सालों के अन्दर हरिजनों पर अत्याचार बढ़े हैं। मैं सुब्रह्मण्यम स्वामी की बात नहीं मानता। यह सब सरकार की नीतियों के कारण है, इन्दिरा जी की नीतियों के कारण है। अगर इन्दिरा जी हरिजन के अन्दर जमीन की झूठी भूख पैदा न करती तो हरिजन इस देश में पहले भी तो रह रहा था। उसी दिन से दुश्मनी शुरू हो गई। इन्दिरा जी ने यह दिखाया कि मैं तो जमीन देना चाहती हूं, लेकिन बड़े जमींदार तैयार नहीं हैं और जमींदार यह समझने लगा कि अगर हरिजन की स्थिति मजबूत हो गई तो जमीन छीन ली जाएगी। अगर इन्दिरा जी वास्तव में उन लोगों को जमीन देना चाहती हैं तो 5-5, 6-6 सालों से मुकदमें क्यों चल रहे हैं, उनको क्यों नहीं चिपटाया जाता ? क्यों नहीं 122 बी० और जमीन के मुकदमें खत्म किए जाते ? इन्दिराजी

और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ यह काम किया है कि हरिजनों की भैंस बिकवा दी, जेवर बिकवा दिए, घर से बेघर करवा दिया और वह जमीन को बचाने में उलझ गया। यह काम कांग्रेस पार्टी और इन्दिरा गांधी ने किया है।

दुश्मनी पैदा हो गई है जो आज चल रही है उसको लेकर। दूसरी दुश्मनी इस कारण पैदा हुई है कि आपने कह दिया कि कर्जे माफ कर दिए गए हैं। कर्जा माफ नहीं हुआ और इसको लेकर दुश्मनी का माहौल देहातों में पैदा हो गया। हरिजनों को मजबूर होकर कर्जा देना पड़ा। इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है। एक तरफ तो श्रीमती इन्दिरा गांधी है, सरकार है और दूसरी तरफ सामाजिक स्थिति है। इस वास्ते मैं श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की बात को नहीं मानता हूं। एक तरफ तो सामाजिक स्थिति जिम्मेदार है और दूसरी तरफ सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं।

हरिजनों की बाबत डा० अम्बेडकर ने कहा था कि उनको सामाजिक समानता दी गई है, लेकिन उनको आज तक आर्थिक समानता नहीं दी गई है। बिना आर्थिक समानता के तथाकथित दूसरी समानताएं अर्थहीन हैं। आर्थिक समानता के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिये जो वह नहीं उठा रही है।

आज क्या स्थिति है। मैं सहारनपुर जन पद की बात आपको बताता हूं। वहां एस० एस० पी० पंडित हैं, एस० पी० पंडित है डी० एम० पंडित है, ए० डी० एम० पंडित है चार में से दो एस० डी० एम० पंडित हैं। सोलह थानों के इंचार्ज पंडित हैं। पूरे जिले में यह स्थिति है। इस ओर इशारा करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि वीकर सैकशंज के लोगों, हरिजनों और आदिवासियों को भी जिलों में भेजा जाए ताकि हरिजनों का मारेल ऊंचा हो।

मैं पासवान जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले ही दिन इस सदन के अन्दर हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों की समस्या को उठाया और इसमें भाग लेने का हमको अवसर दिया।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मुझे अफसोस है कि इसको सियासी मसला बना दिया गया है। अपोजीशन की तरफ से पहला भाषण जो हुआ वह ठीक था लेकिन होते-होते इसको पार्टी पालिटिक्स का विषय बना दिया गया है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यह एक नैशनल प्राबलैम है। हर आदमी को अगर इस तरह की घटनाएं देश में घटती है तो शर्मिन्दा होना चाहिए। पार्लियामेंट में जो बात हम करते हैं दुनिया में यह पहुंचती है। हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यह न्यूज जाएगी और हमारी बदनामी भी बहुत होगी। घटना के पश्चात् हम कुछ नहीं कर सकतें, परन्तु घटना से पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

हम हरिजनों को जमीन देते हैं। मैं कहता हूं कि जमीन देते वक्त पुलिस का अफसर और रेवेन्यू अफसर दोनों को खेत पर भेजा जाए और वे लोग जाकर हर आदमी को जमीन दिलाएं। जब मैं एम० एल० ए० था उस वक्त जमीन तक्सीम नहीं होती थी। फिर भी लड़ाई होने का इमकान रहता था। इस वास्ते पहले ही पुलिस और रेवेन्यू आफिसर्स को वहां भेज देता था और खुद भी जाता था। ऐसा आप क्यों नहीं करतें हैं ?

जिस फैमिली के लोग हरिजनों के ऊपर अत्याचार करते हैं उस फैमिली के लोगों को कोई भी पोलिटिकल पार्टी टिकट न दे, न हम दें और न बी० जे० पी० वाले और न कोई दूसरी पार्टी।

आज होता यह है कि यहां नहीं दी जाती है तो वहां मिल जाती है। इस तरह से ये लोग असैम्बलीज और पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। हमें कोड बनाना चाहिए कि कोई फैमिली हरिजनों के ऊपर अत्याचार करती है तो उस फैमिली का कोई आदमी पालिटिक्स में घुस न सके और कोई पार्टी उसको घुसने का मौका न दे।

जो अत्याचार हरिजनों पर हो रहे है ये बन्द होने चाहिए। खासतौर से जो गरीब बच्चे हरिजन वगैरह होस्टलज में रहते हैं उनको खाना वगैरह अच्छा देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनकी तनदुरुस्ती कायम रह सके।

श्री आर० वेंकटरामन : प्रारम्भ में मैं इतनी देर तक बैठने और सम्पूर्ण भारत के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए सभा के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने वालों का इस विषय को उद्देश्यपरक बनाने के लिए अवश्य ही धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक वाद-विवाद में कहा-सुनी हो जाना स्वाभाविक है। परन्तु इसके अतिरिक्त, इस वाद-विवाद में उद्देश्य का ध्यान रखा गया है और इसके लिए मैं सदस्यों का आभारी हूं।

हम जैसा कि जानते हैं यह हमारे राजनीतिक शरीर में एक रिसता हुआ नासूर है। यह समस्या केवल 35 वर्षों से नहीं, अपितु हजारों वर्षों से चली आ रही है। अतः जब एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि "35 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया है और आपने इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं किया है" तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ…। क्या वे पूर्ण ईमानदारी के साथ इस बात में विश्वास करते हैं कि हम केवल 35 वर्षों में उस बुराई को समाप्त कर सकते हैं जो हजारों वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी होती हुई हमारे पास पहुंची है।

अतः हम चाहे जिस दल से संबंध रखते हैं। इस बात का ध्यान रखे बिना हम कभी-कभी एक-दूसरे की अपेक्षा अधिक राजतीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, वह उचित बात है—हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हम इस घृणित कार्य से छुटकारा पायें जो कि हमारे सामाजिक जीवन को नष्ट कर रहा है।

हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं? निश्चय ही इस सम्बन्ध में हम पहली चीज यही कर सकते हैं कि हम अपने लोगों को मनुष्य मात्र की समानता के मूलभूत सिद्धान्त की शिक्षा दें। हमारे धार्मिक गुरुओं ने हमें इन्हीं सिद्धान्तों की शिक्षा दी है। हमारे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने इस दिशा में बहुत कार्य किया है। सदस्यों द्वारा सभी महान विभूतियों के नाम गिनाए गए हैं। गांधी जी, अम्बेडकर और पेरियार इन सभी लोगों ने इस बुराई को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था और उनके सिद्धान्त का पालन उनकी सन्तानों को करना चाहिए। मेरे विचार में तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए। उनकी आर्थिक दशा में सुधार लाकर ही हम सामाजिक समानता ला सकते हैं। मनुष्य सम्मान का भूखा होता है। सम्मान अच्छी स्थिति होने पर मिलता है। यदि हम यह देखें कि कमजोर वर्गों का कुछ आर्थिक स्तर है, उनकी कुछ आर्थिक ताकत है और कुछ आर्थिक स्थिति है तो उनके साथ वह सलूक नहीं होगा, जो हम कर रहे हैं। अतः सरकार का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है

कि इस समस्या को इन तीनों पहलुओं से लिया जाए; जनमानस में सामाजिक जागृति पैदा की जाए। दूसरी बात कमजोर वर्गों का आर्थिक स्तर बेहतर बनाया जाए ताकि अन्य वर्गों द्वारा वे सम्मान की नजरों से देखे जाएं। जिस गति से कार्य हो रहा है उसके बारे में हमारे मतभेद हो सकते हैं, उन पर जो व्यय किया जा रहा है उसके बारे में हमारे मतभेद हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं नहीं जानता कि कौन सा चमत्कार यह सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए व्यावहारिक दृष्टि से जो कुछ आवश्यक था वह सब किया है। उन्होंने कानून के माध्यम से उनके अधिकारों को दिलाने के लिए इन परिस्थितियों में जो कुछ सम्भव था, किया है। उन्होंने यह सुनिश्चत करने का प्रयत्न भी किया है कि उनका आर्थिक शोषण न किया जाए अथवा उनका शोषण पहले की भांति न होता रहे।

महोदय, वादविवाद के दौरान उठाए गए शब्दों का बहुत ही संक्षिप्त उत्तर है। वास्तव में श्री पासवान ने, जिन्होंने वादविवाद को आरम्भ किया, बहुत-से प्रश्न पूछे थे। मेरे विचार में उनका उत्तर देना मेरा कर्त्तव्य है। पहला प्रश्न उन्होंने यह पूछा कि अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के सम्बन्ध में 1980-81 में कितने मामलों में दोष सिद्धि हो चुकी है। इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े दे सकता हूं। कुल मिलाकर दो व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई और 98 को उम्र कैद की और कुछ अन्य लोगों को अलग-अलग अवधि की कैद की सजा दी गई है। वास्तव में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध करने के लिए इतनी अधिक संख्या में लोगों को सजा कभी नहीं दी गई। इसके पश्चात् श्री पासवान यह जानना चाहते थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोग उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर हैं। मेरे पास सम्पूर्ण भारत के आंकड़े नहीं हैं परन्तु यदि वे अलग प्रश्न पूछें तो मैं आंकड़े इकट्ठे करके उन्हें दे सकता हूं? जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, मेरे पास वहां के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 57 जिला मजिस्ट्रेट है जिनमें 13 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हैं। वहां 57 पुलिस अधीक्षक हैं और उनमें से 9 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। इसी प्रकार 12 आयुक्त हैं जिनमें से 7 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तरदायी पदों पर कार्य करने वालों की स्थिति यह है।

महोदय, श्री पासवान ने यह कहा है कि पिछले दो वर्षों में स्थिति बदतर हो गई है। मुझे उनके आंकड़े सही होने में आशंका है। 1975 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों की संख्या 7781 थी। 1976 में कुल संख्या 5968 थी और 1977 में यह केवल 10,700 थी और 1978 में यह संख्या 15070 हो गई।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता पार्टी के शासन के दौरान हरिजन निडर हो गए थे और वे अपने केस दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगे थे।

श्री राम विलास पासवान : हत्याओं के बारे में क्या आंकड़े हैं?

श्री आर० वेंकटरामन : ये आंकड़े हत्या, गम्भीर चोटें, बलात्कार आदि सभी अपराधों के संबंध में है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जी, ये 15,000 केस हुए तभी तो लोग उन्हें दर्ज कराने गए।

इसका अर्थ हुआ ये आंकड़े ठीक हैं या आप यह कहना चाहते हैं कि ये मामले सच्चे नहीं हैं और झूठे मामले दर्ज कराए गए थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इससे पहले कम मामले दर्ज होते थे।

श्री आर० वेंकटरामन : तो आप यह मानते हैं कि 15,000 मामले हुए। मेरे लिए यही काफी है। श्री पासवान ने हत्याओं के बारे में पूछा है। यदि आप हत्या और गम्भीर चोटों के मामलों को सम्मिलित करें तो कुल संख्या 15070 होती है। 1979 में इनकी संख्या 13,975 रही और 1980 में 13,866 मामले दर्ज किए गए। अतः यह कहना सही नहीं है कि मैं यह नहीं चाहता कि···

श्री राम विलास पासवान : क्या आपके पास अनुसूचित जातियों के लोगों की हत्याओं के आंकड़े हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : यदि आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं पूर्ण सूचना दूंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गम्भीर चोटों या अन्य अपराधों के जो दस या ग्यारह हजार मामले हुए तो सरकार की कार्यवाही उचित है। मैं तो केवल आपके इस आरोप का जवाब दे रहा हूं कि इस अवधि में इन मामलों में वृद्धि हुई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : चूंकि दुनिया 1979 में ही समाप्त नहीं हो गई, इसलिए क्या मैं अद्यतन आंकड़ों के बारे में भी जान सकती हूं।

श्री आर०वेंकटरामन : जी हां, जी हां। 1980 में अपराधों की कुल संख्या 13,866 थी और 1981 में 14,308। अब मैंने केवल इतना ही कहा है कि पहले वाली अवधि में इन अपराधों की संख्या अधिक थी। मैं यह नहीं कहता हूं कि ये उचित हैं। परन्तु मैं आपके इस आरोप का खंडन कर रहा हूं कि पिछले दो वर्षों में इन अपराधों की संख्या पिछली अवधि से अधिक थी। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं। यह किसी के लिए भी गर्व की बात नहीं है कि अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 14,000 अपराध किए गए। परन्तु मैं आपके इस वक्तव्य और इस आरोप का खंडन कर रहा हूं कि इस अवधि के दौरान इनमें वृद्धि हुई है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। अब आपने यह भी कहा है कि कड़ी सजा नहीं दी गई। मैं आपको सजा के संबंध में आंकड़े देता हूं। कालिया के मामले में 3 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा दी गई और 8 व्यक्तियों को दो वर्षों की सजा दी गई। बिश्रामपुर में 27 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा दी गई। आपने काफाल्टा का जिक्र किया है। इसमें सभी 33 व्यक्तियों को अदालत ने छोड़ दिया था। परन्तु राज्य सरकार ने इसके विरुद्ध अपील दायर की है। राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री राम विलास पासवान : वे प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।

श्री आर० वेंकटरामन : जब हम यह कहते हैं कि उनको छोड़ देना गलत था और हम अपील दायर कर रहे हैं तो इससे यही स्पष्ट होता है कि हम उचित न्याय दिलाने के लिए कितने उत्सुक हैं। यदि हम चुप रहते तो इसका दोष सरकार पर आ सकता था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अपील ठीक है। परन्तु अभियोजन असफल क्यों रहा ? आप इसका पता लगाइये।

श्री आर० वेंकटरामन : यह कोई युक्तिसंगत तर्क नहीं है, क्योंकि यदि अदालत छोड़ देती है और मैं चुप बैठा रहता हूं और मैं इसमें मौन स्वीकृति देता हूं तो आप कह सकते हैं कि हम इसके लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु इसके विपरीत मैं तो अदालत से सहमत नहीं हूं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : साक्ष्य प्रस्तुत करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : न्यायाधीश ने क्या कहा है ? कृपया निर्णय पढ़िए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इसमें साक्ष्य का अभाव रहा है। **(व्यवधान)**

श्री आर० वेंकटरामन : यदि आप यह कहते हैं कि प्रत्येक उस मुकदमे के लिए जिसमें सरकार हार जाती है, सरकार ही दोषी है तो इस विचार को कोई भी न्यायविद स्वीकार नहीं करेगा। यह कहना कि चूंकि मुकद्दमा हार गए हैं इसलिए सरकार दोषी है तो यह एक ऐसी बात है जो किसी भी न्यायशास्त्र में स्वीकार्य नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : बेलची, बिश्रामपुर और कैला की घटनाओं के संबंध में राज्य सरकार उदासीन रही। इसलिए कोई कैद की सजा नहीं दी गई। **(व्यवधान)**

श्री आर० वेंकटरामन : एक और मामला भी है। जेतलपुर में तीन व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा दी गई। तथ्य ये हैं। आपका यह आरोप कि मुकदमा नहीं चलाया गया था, लोगों को सजा नहीं दी गई आदि। मेरे द्वारा दिए गए आंकड़ों से बिल्कुल गलत सिद्ध होता है। एक तीसरी बात भी आपने उठाई है अन्य सदस्यों ने भी यह कहते हुए इसका उल्लेख किया है कि सरकार द्वारा लगाई उच्चतम सीमा में से अनुसूचित जातियों के लोगों को भूमि नहीं दी गई है। अब भूमि वितरण संबंधी स्थिति निम्न प्रकार है :

> "कृषि मंत्री ने सूचित किया है कि उच्चतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत वितरित की गई भूमि का 66% अनुसूचित जाति के लोगों को गया है, जो कुल आवंटितियों के 51% हैं ?"

श्री रामविलास पासवान : कितनी भूमि फालतू थी ?

श्री आर० वेंकटरामन : जो कुछ भी उपलब्ध थी वह जो आवंटित की गई उसमें से 51% आवंटित अनुसूचित जातियों के थे। आप कह सकते हैं कि आपको अधिक दी जानी चाहिए थी। परन्तु मेरा कहना यह है कि संशोधित उच्चतम सीमा कानून के अन्तर्गत जो कुछ भी भूमि उपलब्ध थी, उसके आवंटितियों में से 51% आवंटिती अनुसूचित जातियों के थे। **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान : 44 लाख एकड़ जमीन में से केवल 22 लाख एकड़ वितरित की गई है।

श्री आर० वेंकटरामन : आप कह रहे हैं कि उच्चतम सीमा कानून के अधीन आपको अधिक भूमि मिलनी चाहिए थी। वह एक भिन्न विषय है।

एक माननीय सदस्य : यह न्यायालयों के विचाराधीन है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं केवल इतना कह रहा हूं कि संशोधित उच्चतम सीमा कानून के

अन्तर्गत जितनी भूमि प्राप्त की गई है उसके आवंटितियों में 51% अनुसूचित जातियों के थे।

महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मैं आपको इस संबंध में भी आंकड़े दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अधिक मामले दर्ज नहीं किए गए।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे विचार में इनकी संख्या 1227 है। मैं आपको सही आंकड़े दूंगा। यह तो मैं अपनी याददाश्त से बता रहा हूं। **(व्यवधान)**

मुझे आर्थिक आंकड़ों की आदत है। मुझे खेद है कि मुझे अब अपराध संबंधी मामलों को देखना पड़ रहा है। **(व्यवधान)**

ये अकाट्य तथ्य हैं। हो सकता है कि आप इसे पसन्द न करें। परन्तु ये अकाट्य तथ्य हैं।

वर्ष 1980 में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत (सम्पूर्ण भारत में) दोष सिद्ध हुए मामलों की संख्या 1267 है। ये आंकड़े 1980 के हैं। इस वर्ष के हमारे पास ये आंकड़े हैं। वर्ष 1979 में इनकी संख्या 613 थी। अतः आप स्वयं तुलना कर सकते हैं। अतः आपका यह तर्क कि नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई, ठीक नहीं है। **(व्यवधान)**

आप जबानी अन्तर नहीं करते चले जा सकते। मैं बता रहा हूं कि आंकड़े ये हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत इतनी दोष सिद्धि हुई हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उदाहरण के लिए यदि आप मारे गए या कत्ल किए गए हरिजनों की संख्या की तुलना सम्पूर्ण देश की जनसंख्या से करें तो आंकड़ों के आधार पर आप सही हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने ऐसा नहीं कहा है। वादविवाद के दो पक्ष हैं। एक तो यह है कि हम सबको यह सुनिश्चित करने की चिन्ता है कि स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए और दूसरा पक्ष यह है कि पासवान ने इस सरकार पर उपेक्षा बरतने तथा इस सम्बन्ध में असफल रहने का आरोप लगाया है और मैं यह कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक मामले में यह सिद्ध हो गया है कि उनका वक्तव्य या दावा सही नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप यह तर्क दे सकते हैं कि इतने हरिजन नहीं मारे गये या उनकी हत्या नहीं की गई।

श्री आर० वेंकटरामन : यह बात गलत है कि उन लोगों को अधिनियम के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया गया और कार्यवाही नहीं की गई। मैं यह कह रहा हूं। जो बात उन्होंने रखी है वह ठीक नहीं है। अब जहां तक हरिजन एजेन्टों के संरक्षण का सम्बन्ध हैं, हमने चार राज्य सरकारों से 'ग्राम सुरक्षा बल' की स्थापना के लिए कहा है और यह सुझाव दिया है कि इसके मुख्य पदों में से एक पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। हमने यह कहा है कि जिला कलक्टर या पुलिस अधीक्षक या कोई अन्य अधिकारी जो कानून और व्यवस्था बनाये रखने से सम्बन्धित हो, अनुसूचित जाति का होना चाहिए।

श्री सूरज भान : क्या इन सुझावों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : हां हम इस पर अनुसाशनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं। हम उनसे यह पूछ रहे हैं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया है। हर बार हमें सूचना मिल रही है। हम यही कर सकते है। कुछ लोगों ने कहा : "आप यहां एक सैल की स्थापना कर दें। और फिर राज्य सरकारें जो कुछ करती हैं उस पर नजर रखें।" मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास बैठे हुए पश्चिमी बंगाल के आपके साथी भारत सरकार द्वारा ऐसा करने की बात से सहमत होंगें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम इसको इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि हमें केन्द्रीय सरकार पर विश्वास नहीं हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : एक ओर तो आप कहते हैं कि राज्यों को स्वायत्तता होनी चाहिए और केन्द्र को राज्य के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और दूसरी ओर आप कहते हैं कि हमें केन्द्र पर कोई विश्वास नहीं है। आपको कुछ संगति रखनी चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम अपने वक्तव्य में बहुत अधिक संगत है।

श्री आर० वेंकटरामन : फिर मुझे नहीं पता कि क्या जब वे सत्ता में थे तब क्या उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार की बातों की अनुमति देते। श्री दण्डपाणि अभी बड़ी वाकपटुता से कह रहे थे। अब हमने जो कुछ किया है वह यह है कि हमने उनसे कुछ करने को कहा है, हमने उनको कुछ मार्ग दर्शी सिद्धान्त बतलाये हैं और हमने उनको कहा है कि इनका पालन किया जाना चाहिए। मुख्य सचिवों की पिछली बैठक में यह बात उनके सामने रखी गई थी और हमने उसे क्रियान्वित कराने का प्रयत्न किया। केवल समझाने-बुझाने से ही यह सब करवाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यतः कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। हमें इन विषयों को राजनैतिक नहीं बनाना चाहिए। मैं यह बात विशेष रूप से प्रोफेसर को कह रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम राजनीति को कैसे छोड़ सकते है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। परन्तु इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप हरिजनों के हित में ही बोल रहे हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है। वहां पर हमें मतभेद नहीं रखना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : जो मार्गदर्शी सिद्धान्त हमने राज्यों को जारी किये हैं उनमें हमने विशेष रूप से कहा है कि जिन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव की, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के विरूद्ध तनाव की संभावना रहती है, उनपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बिहार में सबेदन शील जिलों में दस अतिरिक्त अनुसूचित जाति पुलिस स्टेशन खोले गये हैं और उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया है। यह की गयी कार्यवाही का परिणाम है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि अनुसूचित जातियों पर किये जाने वाले जुर्म किसी स्थान विशेष पर केन्द्रित नहीं हैं। अनुसूचित जातियों के विरूद्ध किये जाने वाले जुर्मों के बारे में प्रशासन जागरूक है।

श्री सूरज भान : अनुसूचित जातियों से आपका तात्पर्य क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : वे सभी लोग जो अनुसूचित समुदायों में आते हैं, अनुसूचित जाति के हैं।

श्री राम बिलास पासवान : यह ज्यादा अच्छा होगा यदि आप जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक पर जिम्मेदारी छोड़ दें। यदि आप उनका उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं करते तो यह बेकार रहेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : हम राज्य सरकारों पर उत्तरदायित्व छोड़ सकते हैं और हम इस पर राज्य सरकारों के माध्यम ही नजर रखते हैं। हम राज्य सरकारों को जिला कलक्टर, पुलिस उप-अधीक्षक आदि का उत्तरदायित्व निर्धारित करने को कहते हैं। अत: हम निश्चित रूप से यह कोशिश करेंगे कि नजर रखे जाने का यह कार्य कुछ अधिक प्रभावी ढंग से की जाये। इसका तात्पर्य है कि हम समय-समय पर सूचना मंगाते रहते हैं। हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। और सभी राज्य सरकारें समान रूप से उत्तरदायी हैं और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि इनके विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने के लिए सभी को राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना चाहिए।

इसके बाद हम विकास के कानून पर आते हैं। राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए अंगभूत योजनाओं का अनुमान 4000करोड़ रु० का है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मध्य प्रदेश में जनरल एस० पी० की पोस्ट पर काम करते हैं किन्तु उनका फंक्शन ठीक नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं केवल यह कहकर साफ नहीं बचना चाहता कि हर जगह हमने इस प्रकार के प्राधिकरण या ऐसी अन्य किसी संस्था की स्थापना की है या वे सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। केन्द्र सरकार में रहकर हम यही कर सकते हैं कि हम उन्हें सक्रिय रखें और कार्य कराते रहें। बस हम इतना ही कर सकते हैं।

श्री सूरज भान : ऐसे थाने जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति की शिकायतों को निपटाते हैं पटना में हैं। अत: एक ग्रामीण को ऐसे मामले को दर्ज कराने के लिए निकटतम थाने के बजाय पटना जाना पड़ेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि किसी राज्य विशेष के लिए आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं इसको अवश्य देखूंगा।

श्री सूरज भान : मैं आपको सुझाव पहले ही दे चुका हूं।

श्री राम विलास पासवान : क्या आपके पास यह आंकड़े हैं कि नकसल वादियों के नाम पर कितने लोग मारे गए तथा उनमें से अनुसूचित जाति के लोग कितने थे? जो लोग नकसल वादियों के नाम पर मारे गए हैं उनके 90% अनुसूचित जाति के थे। और ये आंकड़े आपके पास नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन् : जो आप कह रहे हैं वह ठीक है या गलत। मैं इसको प्रमणित नहीं कर सकता। यदि आपको यह सूचना चाहिए तो आपको विशिष्ट रूप से पूछना चाहिए। और यदि आप सभा के सदस्य की हैसियत से इस बात का दावा करते हैं तो मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपके विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, यह ठीक है।

श्री राम विलास पासवान : फिर आप कहेंगे कि यह राज्य का विषय है।

श्री आर० वेंकटरामन् : मैं कुछ अधिक महत्वपूर्ण बात पर आता हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने की है। अधिकांश गड़बड़ियां इसी से पैदा होती हैं। बहुत से तथकथित अत्याचार यहीं से पैदा होते हैं अर्थात विशेष रूप से जहां पर अनुसूचित जाति के लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं और निश्चित रूप से अपने अधिकारों के लिए अड़ते हैं। अब तक तो अन्य वर्गों द्वारा किसी तरह यह बात बनाये रखी गयी है। अब वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गये हैं। अतः जब वे न्यूनतम मजदूरी के लिए अपने अधिकारों की मांग करनी शुरू कर देते हैं तो टकराव पैदा होता है और यह टकराव साम्प्रदायिक रूप ले लेता है, क्योंकि जमीन मालिक तथा अन्य लोग किसी समुदाय विशेष से सम्बन्धित होते हैं। वास्तव में तिरुनेलवेली की स्थिति जिसका संदर्भ श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिया है, लगभग वैसी ही है। जमीन मालिक वर्ग मजदूरों से भिन्न हैं और इसी से समस्या पैदा होती है।

सरकार सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना चाहती है तथा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जब अपने न्यूनतम मजदूरी के अधिकार पर अड़ें तो उनको पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा काम हम काश्तकारी अधिकारों के सम्बन्ध में करना चाहते हैं। काश्तकारी अधिकारों के बारे में भी बहुत से प्रश्न उठाये गए हैं और इस मामले में हम संरक्षण देना चाहते हैं। जो कानून के अन्तर्गत संरक्षण के अधिकारी हैं उन लोगों को इसके लिए जिला कलक्टरों को विशेष अनुदेश देने पड़ेंगे ताकि कमजोर वर्गों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों को, ये अधिकार दिए जा सकें।

तीसरी बात वहां पर आती है जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को फालतू जमीन आवंटित की जाती है। और जब वे उस जमीन पर कब्जा लेने जाते हैं तो या तो पहले मालिक या दूसरे लोग जो ईर्ष्यालु होते है बाधा डालना शुरू कर देते हैं। इससे तनाव पैदा भी होता है और बढ़ता भी है, विशेष रूप से दंगे आदि। इस पर भी गम्भीर रूप से नजर रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार उन लोगों को संरक्षण प्रदान करे जो लोग इन अधिकारों के पात्र हैं, बजाय उन लोगों के जो कि इस कार्य में बाधा डालते हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं जो इन सभी मदों के बारे में सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं।

यह एक सामाजिक बुराई है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। कोई भी इससे राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहता। हम सब यही प्रयत्न करेंगे कि जितना शीघ्र सम्भव हो सके इस सामाजिक बुराई को दूर किया जाए और इसके लिए मैं सभी पार्टियों के सहयोग का स्वागत करता हूं। और जहां कहीं उनको पता चले कि कमजोर वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और जन जातियों के अधिकारों का, तो इसकी सूचना हमें दे सकते हैं। अब भी इसको समाचार पत्रों में या अन्य स्रोतों से पता चलता है तो हम विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना मांगने के लिए उनको बेतार द्वारा संदेश या पत्र भेजते हैं। हम समाचार पत्रों की खबरों को देखते हैं और स्वंय यह सूचना मंगाते हैं। और यदि सदस्य के पास इस बारे में और

अधिक सूचना है तो हम अनुसरणात्मक कार्यवाही करेंगे।और इस मामले में उनका पूरा सहयोग लेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री सूरजभान ने विदेशी धन के जिम्मेदार होने के बारे में गृह-मंत्रालय की एक रिपोर्ट के बारे में कुछ पढ़ा है।

श्री आर० वेंकटरामन् : मैं इसे देखूंगा।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : आपके कितने प्रतिशत पत्रों का उत्तर राज्य सरकारों ने दिया है ?

श्री आर० वेंकटरामन् : मैंने इसका हिसाब नहीं लगाया। मुझे कहना चाहिए कि हमें उत्तर मिल रहे हैं, परन्तु उनमें से कुछ के उत्तर में विलम्ब हुआ है।

श्री ए० के राय : सभी प्रश्नों के उत्तर में मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों से पूछा गया है और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री आर० वेंकटरामन् : श्री रामविलास पासवान को मैंने कुछ पत्र लिखे हैं जिनमें मैंने कहा है कि मैंने राज्य सरकार को पोइन्ट भेज दिए हैं और मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपने ठीक ही कहा है कि आपकी समस्या भूमि सुधारों से भी सम्बन्धित है। क्योंकि आप गृह मंत्री हैं इसलिए इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा काफी समय पहले भेजे गए भारी भूमि सुधारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन पर केन्द्र सरकार की स्वीकृति तथा राष्ट्रपति की सहमति की प्रतिक्षा है। यह बात अब गृह मंत्रालय पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति का तात्पर्य है कि उनको मत्री परिषद के सुझावों पर कार्य करना है। यदि आप वास्तव में कार्य करना चाहते हैं और जो आप कहते हैं उसके प्रति आप सच्चे हैं तो इसमें इतनी देर क्यों हुई ? आपने उस विधेयक को सहमति देने में विलम्ब क्यों किया है ? जिसे पश्चिमी बंगाल सरकार ने पहले ही पारित कर दिया है और आपसे यह निवेदन किया है कि जितना शीघ्र सम्भव हो सके उस पर राष्ट्रपति की सहमति दिलवा दीजिए ताकि हम अधिक से अधिक फालतू जमीन को अनुसूचित जाति/जनजाति तथा भूमिहीन लोगों में बांट सकें।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने अभी कार्य भार संभाला है। अत: आप जब तक मैं ठीक तरह से सारी बातें समझ लू तब तक आप इन्तजार करें। मैं इसको देखूंगा।

श्री राम विलास पासवान : दो सुझाव हैं। एक यह है कि अ० जा०/ ज० जाति के कल्याण सम्बन्धी कार्य के लिए पृथक मंत्रालय खोला जाए तथा दूसरा यह है कि उन्हें मुफ्त हथियार दिए जायें।

श्री आर० वेंकटरामन् : जहां तक पृथक मंत्रालय का सम्बन्ध है यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है और जब तक वह इसके वसके लिए अलग मंत्रालय बनाना पूर्णरूप से आवश्यक नहीं समझतीं तब तक इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। दूसरी बात हथियारों के बारे मे है किसी ने यह कहा था कि मैंने कहा है कि इन्हें हथियार नहीं दिए जाने चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने अपनी सलाहकार समिति में जो कुछ कहा है वह यह है कि कुछ राज्यों में विशेष रूप से कुछ राज्यों के विभिन्न लोगों को हथियार देने में उदार नीति रही है। मैंने उनमें से एक या दो का नाम

भी लिया—उन राज्यों में विभिन्न अपराध हुए और इन्ही राज्यों में दंगे आदि हुए और वहां पर इनकी संख्या अधिक रही है। तब मैंने कहा कि हथियार आधिनियम के अन्तर्गत लाईसेंस जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यह समाधान किये जाने पर विनियमित किए जाते हैं कि उस व्यक्ति को हथियारों की आवश्यकता है और उसको अपना विवेक का प्रयोग करना होता है और तब हथियार देने होते हैं। जिन मामलों में वह यह आवश्यक समझता है कि हथियार देने आवश्यक हैं तो वह देगा। और इन हथियारों के लिए उदारता पूर्वक लाइसेंस जारी किये जाने से निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में अधिक जुल्म हुए हैं। यह स्थिति है। परन्तु यदि परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता हो तो कानून में अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा अन्य लोगों के बीच कोई अन्तर नहीं है। यदि परिस्थिति ऐसी हैं तो वे भी उनको प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

श्री ए० के० राय : दो बातें हैं। एक तो हरिजनों को हथियार दिया जाना। दूसरी जमींदारों से अधिक मात्रा में हथियारों का पकड़ा जाना।

श्री आर० वेंकटरामन् : हां हमने हथियारों को अधिक मात्रा में पकड़ा भी है। बौध गया वाले मामले में हमने बहुत सारे हथियार पकड़े हैं।

श्री सूरजभान : जिन गांवों में अत्याचार किए जाते हैं उन पर दंड के बारे में क्या विचार है?

श्री आर० वेंकटरामन् : हमने दण्डात्मक कार्यवाही का भी सुझाव दिया है। हम वह दण्ड नहीं दे सकते। यह कार्य राज्य सरकारों को करना है।

श्री रामविलास पासवान : आप उनको आदेश नहीं दे सकते, परन्तु आप उनको निर्देश तो दे सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन् : बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल सुबह 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.24 म० प० तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 9 जुलाई, 1982
18 आषाढ़ 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मित्तल प्रिण्टर्स, K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032